

इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA 700 001

www.allahabadbank.in
विषय-सूची / contents

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2011-12

	पृष्ठ सं. / Page No.		पृष्ठ सं. / Page No.
● निदेशकों, लेखापरीक्षकों आदि की सूची List of Directors', Auditors' etc	02	● समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statement	126-153
● अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश Chairman & Managing Director's Message	03-07	● समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on Consolidated Financial Statement	154-155
● वार्षिक आम बैठक की सूचना Notice of Annual General Meeting	08-12	● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report of AllBank Finance Ltd.	156-159
● बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report of the Bank	13-26	● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के वित्तीय विवरण Financial Statements of AllBank Finance Ltd.	160-186
● बासेल - II प्रकटीकरण Basel - II Disclosure	27-54	● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report of AllBank Finance Ltd.	187-191
● कारपोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	55-80	● सूचीबद्धता करार के खंड 49V के अनुसरण में प्रमाणपत्र Certificate Pursuant to clause 49V of the Listing Agreement	193-194
● कारपोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance	81	● ईसीएस मंडेट हेतु फार्म Form for ECS mandate	195-196
● बैंक के वित्तीय विवरण Financial Statements of the Bank	82-123	● उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र Attendance Slip cum Entry Pass	197-198
● बैंक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report of the Bank	124-125	● परोक्षी फार्म Proxy Form	199-200

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तिथियाँ / IMPORTANT PROGRAMMES & DATES

● लामांश प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता को निर्धारित करने की अभिलिखित तारीख Cut off Date for ascertaining the Shareholders eligibility to get dividend	25.05.2012	वार्षिक आम बैठक की तारीख, समय व स्थान Date, time & Venue of Annual General Meeting	14.06.2012 प्रातः 10.30 A.M.
● प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी परोक्षी फार्म एवं संकल्प प्राप्ति की अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy form and resolutions for appointing authorized representatives	09.06.2012	पूर्बश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीय कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर - III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106 Purbashree Auditorium, Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106	

इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA 700 001

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31.03.2012)

1. श्री जे. पी. दूआ SHRI J. P. DUA	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक <i>Chairman & Managing Director</i>
2. श्री डी. सरकार SHRI D. SARKAR	कार्यपालक निदेशक <i>Executive Director</i>
3. श्री एम. आर. नायक SHRI M. R. NAYAK	कार्यपालक निदेशक <i>Executive Director</i>
4. श्री ए. उदगाता Shri A. Udgata	निदेशक <i>Director</i>
5. डा. शशांक सक्सेना Dr. Shashank Saxena	निदेशक <i>Director</i>
6. श्री आर.एम. चतुर्वेदी Shri R.M. Chaturvedi	निदेशक <i>Director</i>
7. श्री डी.एन. सिंह Shri D.N. Singh	निदेशक <i>Director</i>
8. श्री निर्मल कुमार बारी Shri Nirmal Kumar Bari	निदेशक <i>Director</i>
9. श्री गौर दास Shri Gour Das	निदेशक <i>Director</i>
10. डा. सुदीप चौधरी Dr. Sudip Chaudhuri	निदेशक <i>Director</i>
11. श्री अशोक विज Shri Ashok Vij	निदेशक <i>Director</i>
12. श्री ए.पी.वी.एन. शर्मा Shri A.P.V.N. Sarma	निदेशक <i>Director</i>

लेखा-परीक्षक/AUDITORS

1. मे० पी. ए. एंड एसोसिएट्स M/S P. A. & ASSOCIATES	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>
2. मे० एम. आर. नारायण एंड कं. M/S M. R. NARAIN & CO.	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>
3. मे० एस. घोष एंड कं. M/S S. GHOSE & CO.	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>
4. मे० के. एम. अग्रवाल एंड कं. M/S K. M. AGARWAL & CO.	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>
5. मे० एम. सी. जैन एंड कं. M/S M. C. JAIN & CO.	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>
6. मे० एन.के. भार्गव एंड कं. M/S N. K. Bhargava & Co.	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट /REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मे. एमसीएस लिमिटेड (यूनिट-इलाहाबाद बैंक)
77/2A, हाजरा रोड
कोलकाता-700 029
टेलीफोन - 033-40724051 से 54, 033-24541892
फैक्स - 033-24541961
ई-मेल : mcscal@cal2.vsnl.net.in
Website : www.mcscdel.com

M/S MCS LTD. (Unit Allahabad Bank)
77/2A, Hazra Road,
Kolkata-700029
Tel : 033-40724051 to 54, 033-24541892
Fax : 033-24541961
Email : mcscal@cal2.vsnl.net.in
Website : www.mcscdel.com

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय सम्मानित शेयरधारको,

मुझे 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए निस्सन्देह अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं लगातार तीन वर्षों से यह रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वर्ष के चुनौतीपूर्ण समष्टि आर्थिक परिवेश के दौरान आपके भरपूर समर्थन के लिए मैं इस महान संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।



Chairman and Managing Director's Message

Dear valued Shareholders,

It is indeed my great pleasure to place before you the Annual Report of your Bank for the financial year ended 31st March, 2012 for the third year in succession. As the Chairman & Managing Director of this glorious institution, I thankfully acknowledge your unstinted support during this year's challenging Macroeconomic environment

वर्ष 2011-12 में बैंक का कार्यनिष्पादन काफी अच्छा रहा है और इसने "सतत प्रगति के पथ पर" के अपने स्लोगन को जीवन्त बनाए रखा है। इसने कई महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों में उद्योग से बेहतर कार्यनिष्पादन कर बैंक की दृश्यता में पर्याप्त वृद्धि की है। बैंक को भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा "इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड" के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और व्यापक (इन्क्लूसिव) बैंकिंग में सर्वोत्तम पहल हेतु एफआईबीईसी बैंकिंग अवार्ड-2011 भी प्रदान किया गया। बिजनेस वर्ल्ड अवार्ड, 2011 के अनुसार आपके बैंक को "सबसे तेजी से विकास करने वाले" बैंकों में 5वां स्थान दिया गया है। बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादक बैंक के लिए यूटीआई म्यूचुअल फंड एवं सीएनबीसी-टीवी 18 द्वारा दि फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड-2012 भी प्रदान किया गया।

मैं भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में 2011-12 के दौरान आपके बैंक के कार्यनिष्पादन का विवरण संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य

2.1 वित्तीय वर्ष 2011-12 विकास की गति बनाए रखने की दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण रहा। पूरे वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में विकास में उतार-चढ़ाव देखा गया। यहां तक की वित्तीय वर्ष 2011-12 के कुछ महीनों में आईआईपी वृद्धि ऋणात्मक हो चली थी। आईआईपी वृद्धि वित्तीय वर्ष 2011-12 में पिछले वर्ष के 8.3% की तुलना में 2.8% रही। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2010-11 के 8.4% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 6.9% प्राक्कलित की गई।

2.2 कच्चे तेल और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2011-12 के अधिकांश समय में मुद्रास्फीति लगातार उच्च बनी रही। इससे विकास के लिए जोखिम पैदा हो गया क्योंकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु ब्याज दरों को उच्चतर स्तर पर बनाए रखा गया था। यह 2011-12 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित हुआ है। वर्ष के आरंभ में रेपो दर 6.75% थी जो 17 अप्रैल 2012 तक बढ़कर 8.5% हो गई। कठोर ब्याज दरों का सबसे अधिक प्रभाव बैंकों की जमा ब्याज दर और बेस रेट पर पड़ा जिससे बैंकों के मार्जिन को बनाए रखने पर दबाव पड़ा। केवल यही नहीं, उच्च ब्याज दर परिवेश के कारण अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग भी कम हुई जिसके परिणाम स्वरूप ऋण के उठान में कमी आई।

The performance of the Bank in 2011-12 has been very good and the Bank has lived up to its slogan of "Consistent Growth All the Way". The Bank has done better than the industry in a number of key financial parameters increasing its visibility considerably. The Bank was awarded Indira Gandhi Rajbhasha shield (1st prize) from Her Excellency the President of India and also got FIBAC Award-2011 for best initiatives in Inclusive Banking. Your Bank has been ranked as 5th in the category of "fastest growing" Banks by Business World in their annual ranking for 2011. The Bank has also been conferred with UTI-MF & CNBC TV 18 Financial Advisory Award 2012 as the Best Bank in PSU category.

I place before you an analysis of the performance of your Bank during 2011-12 along with a brief account of the Indian economic and banking scenario.

2. Economic and Banking Scenario

2.1 The Financial Year (FY) 2011-12 has been very challenging in managing growth. The volatility in growth was seen in Index of Industrial Production (IIP) throughout the year. The IIP growth has even moved into negative territory in some of the months of FY 2011-12. IIP growth for FY 2011-12 was 2.8% as compared to 8.3% last year. The real GDP growth is estimated to be 6.9% for FY2011-12 as compared to 8.4% for FY2010-11.

2.2 Inflation remained persistently high during the most part of FY2011-12 due to increased crude & commodity prices. This has put risk to growth as interest rates were kept at higher band for controlling inflation. This was reflected in the policy rates hikes by RBI during 2011-12. The repo rate was 6.75% in the beginning of the year which increased to 8.5% till 17th April 2012. The hardening of interest rates were very much reflective in deposits interest rates and Base Rate of the banks which has put pressure on maintaining the margins of the banks. Not only this, the high interest rate regime has moderated the credit demand in the economy thereby resulting into reduced credit off-take.

2.3 वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि धीमी रही। 30 मार्च 2012 को यथास्थिति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में 9.3% की वृद्धि हुई जो 2011-12 हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के 17% के सांकेतिक अनुमान के सापेक्ष है। 30 मार्च 2012 को यथास्थिति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17.4% की वृद्धि हुई।

3. बैंक का कार्यनिष्पादन

3.1 हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करने में आपके बैंक ने सराहनीय कार्यनिष्पादन दर्शाया है। जिससे अंततः आपके बैंक के प्रति बाजार की अवधारणा में कई गुना इजाफा हुआ है। 2011-12 के दौरान बैंक का निवल लाभ 31.18% की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के ₹1423 करोड़ से बढ़ कर ₹ 1867 करोड़ हो गया। बैंक का परिचालन लाभ 23.42% की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के ₹ 3055 करोड़ से बढ़ कर 2011-12 के दौरान ₹ 3770 करोड़ हो गया।

3.2 इस वर्ष बैंक की शुल्क आधारित आय पिछले वर्ष के ₹ 857 करोड़ से बढ़कर ₹ 953 करोड़ हो गई। शुल्क आधारित आय में वृद्धि करने के अपने प्रयास के रूप में बैंक ने बीमा और तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री हेतु समझौते और संयुक्त उद्यम के अलावा एसबीए, एनपीएस सब्सक्रिप्शन, ई-उत्पादों के विपणन, स्वर्ण सिक्कों की बिक्री, ऋण समूहन आदि के रूप में नई पहल की है। इस वर्ष बैंक तृतीय पक्ष उत्पादों (टीपीपी) की बिक्री से ₹ 19.21 करोड़ की आय अर्जित करने में सफल रहा है।

3.3 31.03.2012 को यथास्थिति लागत-आय अनुपात 41.65% रहा। 2011-12 में पेंशन एवं ग्रेज्युटी देयता हेतु ₹ 745.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुल व्यय में स्थापना व्यय का अनुपात 2010-12 के 16.69% के सापेक्ष 2011-12 में घट कर 14.06% रह गया जबकि इस अवधि के दौरान कुल व्यय में परिचालन व्यय का अनुपात 8.37% से घट कर 6.57% रह गया।

4. लागत, आय एवं मार्जिन

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अग्रिमों से आय में 159 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई अर्थात् यह 2011 के 10.50% के सापेक्ष मार्च, 12 को यथास्थिति बढ़कर 12.09% हो गई। तथापि, जमा राशियों की लागत में 124 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई अर्थात् यह मार्च 2011 के 5.83% से बढ़कर मार्च 2012 में 7.07% हो गई। बैंक का निवल ब्याज मार्जिन पिछले मार्च 2011 के 3.38% से बढ़ कर मार्च 2012 में 3.48% हो गया।

5. लाभप्रदता अनुपात

आस्तियों पर प्रतिफल 31.03.2011 को यथास्थिति 1.11% के सापेक्ष 31.03.2012 को यथास्थिति 1.02% रहा। प्रति कर्मचारी लाभ 2010-11 के दौरान ₹ 6.70 लाख के सापेक्ष 2011-12 के दौरान बढ़कर ₹ 8.36 लाख हो गया। प्रति शेयर आय 2010-11 के ₹ 31.85 से बढ़ कर 2011-12 में ₹ 39.18 हो गई जबकि इस अवधि के दौरान बही मूल्य ₹ 178.64 से बढ़कर ₹192.93 हो गया।

6. व्यवसाय

6.1 बेहतर ग्राहक सेवा, नेटवर्क विस्तार और नए उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप बैंक का कुल व्यवसाय 31.03.2011 को यथास्थिति ₹ 226458 करोड़ से 20.04% बढ़कर 31.03.2012 को यथास्थिति ₹ 271843 करोड़ तक पहुँच गया।

2.3 The banking sector growth has been moderate during the year. The Scheduled Commercial Banks (SCB's) credit growth was 9.3% as on 30th March 2012 as against RBI's indicative projection of 17%. The Aggregate deposits of SCB's grew by 17.4% on y-o-y basis as on 30th March 2012.

3. Performance of the Bank

3.1 Your Bank has shown a commendable performance to add to stakeholders' value. The net profit of the Bank showed a growth of 31.18% to reach ₹ 1867 crore during 2011-12 from ₹1423 crore in the preceding year. Operating profit of the Bank went up to ₹ 3770 crore during 2011-12 from ₹ 3055 crore in the previous year, showing a growth of 23.42 %.

3.2 The Fee Based income of the Bank increased from Rs.857 crore last year to ₹ 953 crore this year. The Bank, in its endeavor to improve the Fee Based income, apart from tie-up and joint ventures for insurance and sale of third party products, took several new initiatives in the form of ASBA, NPS Subscription, marketing of e-products, sale of gold coin business, loan syndication etc. The Bank was able to generate an income of ₹ 19.21 crore from selling of Third Party Products (TPP) this year.

3.3 The cost to income ratio stood at 41.65% as on 31.03.2012. An amount of ₹ 745.04 crore was provided towards the liability for pension and gratuity in 2011-12. The ratio of establishment expenses to total expenses decreased to 14.06% in 2011-12 from 16.69% in 2010-11 and the ratio of other operating expenses to total expenses decreased to 6.57% from 8.37% during the period.

4. Cost, Yield & Margin

On Y-O-Y basis, Yield on Advances increased by 159 basis points i.e. from 10.50% in 2011 to 12.09% as on Mar'12. However, the Cost of Deposit has increased by 124 basis points i.e. from 5.83% in 2011 to 7.07% as on Mar'12. The Net Interest Margin improved to 3.48% as on Mar'12 from 3.38% in Mar'11.

5. Profitability Ratios

Return on Assets stood at 1.02% as on 31.03.2012 as against 1.11% as on 31.03.2011. Profit per Employee improved to ₹ 8.36 lacs during 2011-12 from ₹ 6.70 lacs during 2010-11. Earnings per share went up to ₹ 39.18 during 2011-12 from ₹ 31.85 during 2010-11 while book value per share improved to ₹ 192.93 from ₹ 178.64 during the period.

6. Business

6.1 Focused approach towards enhanced customer service, network expansion and new products resulted in increase of Bank's total business mix by 20.04% to reach the level of ₹ 2,71,843 crore as on 31.03.2012

कुल जमाराशियां 31.03.2011 को यथास्थिति ₹ 131887 करोड़ के सापेक्ष 21.01% बढ़ कर 31.03.2012 को यथास्थिति ₹ 159593 करोड़ हो गई। बैंक का सकल ऋण 31.03.2011 के ₹ 94,571 करोड़ के सापेक्ष 18.69% बढ़ कर 31.03.2012 को यथास्थिति ₹ 112250 करोड़ हो गया। बैंक का ऋण जमा अनुपात 71% रहा।

6.2 प्रति कर्मचारी व्यवसाय जो 31.03.2011 को यथास्थिति ₹ 10.63 करोड़ था 31.03.2012 को यथास्थिति बढ़कर ₹ 12.17 करोड़ हो गया। जबकि इसी अवधि के दौरान प्रति शाखा व्यवसाय ₹ 93.38 करोड़ से बढ़कर ₹ 108.05 करोड़ हो गया।

7. नेटवर्क एवं डिलीवरी चैनल

आपके बैंक ने लेनदेन की लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनी शक्ति बनाया है और भविष्य में आय सुनिश्चित करने हेतु क्षमता निर्माण के लिए निवेश किया है। डिलीवरी चैनलों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया है और 2011-12 के दौरान 101 नई शाखाएं खोली गई हैं। बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में 250 नई शाखाएं और 1000 एटीएम खोलने की योजना बनाई है।

8. अनर्जक आस्तियां

वर्ष के दौरान अपनी आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां 31.03.2011 को यथास्थिति सकल ऋण के 1.74% के सापेक्ष 31.03.2012 को यथास्थिति 1.83% रही। 31.03.2012 को यथास्थिति निवल अनर्जक आस्तियां 0.98% रही। भारतीय रिजर्व बैंक के 70% के नए मानदंड के सापेक्ष बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 74% रहा।

9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बैंक ने 2.38 करोड़ इक्विटी शेयर ₹ 192.94 प्रति शेयर की दर से ₹ 459.40 करोड़ में भारतीय जीवन बीमा निगम को आर्बिट किए हैं। पूंजी के समावेश और लाभ को रोके रखने से 31.03.2012 को यथास्थिति बढ़े हुए व्यवसाय पर बासेल-II मानदंडों के अनुसार हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.83% रहा जो 31.03.2011 को यथास्थिति 12.96% था।

10. प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मोबाइल बैंकिंग सुविधा आरंभ की गई थी। बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एनईएफटी का समेकन पूरा हो गया है जिससे इन दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहक देश में किसी अन्य बैंक की शाखा में अपनी निधियां अंतरित कर सकेंगे।

11. मानव संसाधन विकास

2011-12 के दौरान बैंक ने 1541 अधिकारियों, लिपिकीय संवर्ग में 879 सिंगल विंडो आपरेटरों की भर्ती की है। वर्ष के दौरान 1600 परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं 225 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया का कार्य जारी है। आपके बैंक के स्टाफ की उत्पादकता प्रति कर्मचारी व्यवसाय के रूप में 31.03.2011 के ₹ 10.63 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2012 को बढ़कर ₹ 12.17 करोड़ हो गई।

12. वित्तीय समावेशन

बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत 2000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले 2618 ग्रामों को और 2000 से कम जनसंख्या वाले 15549 ग्रामों को कवर किया है जहां दरो-दीवार वाली 30 शाखाएं खोल कर बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जानी हैं। तीन मोबाइल बैंक शुरु की गई हैं

from ₹ 2,26,458 crore as on 31.03.2011. Total Deposits grew by 21.01 % to ₹ 1, 59,593 crore as on 31.03.2012 from ₹ 1, 31,887 crore as on 31.03.2011. Gross credit of the Bank went up by 18.69 % to ₹ 1, 12,250 crore as on 31.03.2012 from ₹ 94,571 crore as on 31.03.2011. CD ratio of the Bank stood at 71%.

6.2 Business per Employee increased to ₹ 12.17 crore as on 31.03.12 from ₹ 10.63 crore as on 31.03.11 while business per branch went up to ₹ 108.05 crore from ₹ 93.38 crore during the same period.

7. Network & Delivery Channels

Your Bank has leveraged technology to lower transaction costs and invested in capacity building for future earnings. There was focus on increasing the number of delivery channels and we opened 101 new branches during 2011-12. The Bank has planned to open around 250 Branches and 1000 ATMs in the current financial year.

8. Non- Performing Assets

It was a big challenge to maintain our asset quality during the year. The gross non-performing assets of the Bank stood at 1.83% of gross bank credit as on 31.3.2012 as compared to 1.74% as on 31.03.2011. The net non-performing assets stood at 0.98 % as on 31.03.2012. The Bank had provision coverage ratio of 74 % against the new RBI norm of 70%.

9. Capital Adequacy Ratio

Bank has allotted 2.38 crore shares to LIC of India @ ₹ 192.94 per share amounting to ₹ 459.40 crore. With the capital infusion & retention of profit, the capital adequacy ratio is attained at 12.83% on our increased business as on 31.03.2012 as against 12.96% as on 31.03.2011 as per Basel-II norms.

10. Technology

In order to leverage Technology, Mobile Banking facility was introduced. The integration of NEFT of the two Regional Rural Banks of the Bank has been completed enabling customers of these two RRBs to transfer their funds to any other bank branches in the country.

11. Human Resource Development

During the Financial Year 2011-12 ,1541 Officers and 879 Single Window operators in clerical cadre have been recruited and a further intake of 1600 Probationary Officers and 225 Specialist Officers in lateral line during the Year is in the pipe line. The productivity of staff of your Bank measured in terms of Business per Employee increased to ₹ 12.17 crore as on 31.03.12 from ₹ 10.63 crore as on 31.03.11.

12. Financial Inclusion

Bank, under the Financial Inclusion Plan covered 2618 villages having population of 2000 and above together with 15549 villages with a population of less than 2000 where banking services are to be provided by opening of banking

जिनमें से एक झारखंड राज्य की दुमका शाखा के अंतर्गत 12 ग्रामों को और अन्य सीतापुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत और नई दिल्ली की खैरा शाखा के अंतर्गत प्रत्येक में 6 ग्रामों को बैंकिंग सेवा प्रदान करती हैं।

13. कारपोरेट सामाजिक दायित्व

आपका बैंक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में विश्वास रखता है और इस क्षेत्र में इसने अनेक कल्याणकारी कार्य किए हैं। अपने प्रयास के रूप में बैंक ने सामाजिक परियोजनाओं की पहल की है जैसे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना, वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों (एफएलसीसी) का खोला जाना और 'वन विहार', भोपाल में वन्य पशुओं को अपनाना जिससे समाज और उस परिवेश में, जहां बैंक कार्यरत है, एक स्पष्ट परिवर्तन लाने में मदद मिल सकती है।

14. अनुषंगी संस्था

बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आल बैंक फाइनेंस लि., है जो सेबी में श्रेणी-I मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकृत है, इसने 2011-12 में ₹ 2.90 करोड़ का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

15. नई पहल

- 15.1 बैंक ने अपने डिजिट ग्राहकों को आनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने हेतु मैसर्स आदित्य बिरला मनी लि. के साथ रणनीतिपरक सहबद्धता की है।
- 15.2 बैंक के ग्राहकों को "प्रोग्राम कार्ड अर्थात चार्ज/क्रेडिट कार्ड" जारी करने हेतु बैंक ने मैसर्स अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 15.3 मर्चेन्ट व्यवसाय हासिल करने के लिए बैंक ने मर्चेन्ट साइट पर प्वाइंट ऑफ सेल(पीओएस)/इलेक्ट्रॉनिक डाटा केचर(ईडीसी) मशीनें लगाई हैं।
- 15.4 बैंक ने दो इंटरएक्टिव वॉयस रेस्पांस (आईवीआर) शुरु किए हैं जिनमें से एक हिन्दी प्राम्प्ट में है जिसे फोन बैंकिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा जबकि दूसरे का प्रयोग एटीएम से संबंधित मामलों में किया जाएगा।
- 15.5 बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की क्रेडिट रेटिंग हेतु आईसीआरए लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 15.6 बैंक ने अपने कारपोरेट ग्राहकों को आपूर्तिकर्ताओं एवं खर्च के भुगतान और दावों आदि के भुगतान की सुविधा देने हेतु वेब पोर्टल विकसित किया है।

16. भावी दृष्टिकोण

- 16.1 विदेशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से हांगकांग में अपनी विदेशी शाखा और शेनझेन, चीन में प्रतिनिधि कार्यालय के अलावा बैंक ने विदेश में और अधिक शाखाएं खोलने की योजना बनाई है।
- 16.2 बैंक के विकास की गति को कायम रखते हुए आपके बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में 21.39% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है और मार्च 2013 हेतु लगभग ₹ 3,30,000 करोड़ के व्यवसाय का स्तर प्राप्त करने का अनुमान लगाया है।

outlets of 30 Brick & Mortar branches. Three Mobile Vans were launched one at Dumka branch in Jharkhand State covering 12 villages, others at Sitapur in U.P and Khaira in New Delhi covering 6 villages each.

13. Corporate Social Responsibility

Your Bank believes in Corporate Social Responsibility and has taken a number of welfare measures on this score. In this endeavor, Bank has taken initiatives for social projects like establishment of RSETI (Rural Self Employment Training Institute), opening of Financial Literacy and Credit Counseling Centers (FLCCs) and adoption of wild animals at 'Van Vihar' Bhopal which can facilitate visible change in the society and environment in which the Bank operates.

14. Subsidiaries

All Bank Finance Ltd., a fully owned subsidiary of the Bank registered with SEBI as Category-I Merchant Banker, earned a profit after tax (PAT) of ₹ 2.90 crore in 2011-12.

15. New Initiatives

- 15.1 Bank has entered into a strategic alliance with M/S Aditya Birla Money Ltd for providing online-trading facility to the Demat customers of the Bank.
- 15.2 Bank has signed a MOU with M/S American Express Banking Corporation for issuance of "Program Cards" i.e. Charge/Credit Cards to the customers of the Bank.
- 15.3 Bank has launched Point of Sales (POS)/Electronic Data Capture (EDC) machines at Merchants' Sites for acquiring Merchant Business.
- 15.4 Bank has introduced two Interactive Voice Response (IVR) one with Hindi Prompt to be used for Phone Banking and the other one for dealing with the ATM related issues.
- 15.5 Bank has signed MOU with ICRA Limited for Credit Rating of Micro & Small Enterprises.
- 15.6 Bank has developed a Web Portal for corporate customers to facilitate online payments / suppliers & expenses payments and claims etc.

16. Future Outlook

- 16.1 In order to increase overseas presence, apart from the existing overseas branch at Hong Kong as well as representative office at Schenzen China, the Bank has planned to open more overseas branches.
- 16.2 Sustaining the growth momentum of the Bank, your Bank has targeted a business growth of 21.39% during the current year and projected a business level of around ₹ 3,30,000 crore as at March 2013 .

17. पुरस्कार एवं उपलब्धियां


- व्यापक (इन्क्लूसिव) बैंकिंग में सर्वोत्तम पहल हेतु एफआईबीएसी बैंकिंग अवार्ड-2011।
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादक बैंक के लिए यूटीआई म्यूचुअल फंड एवं सीएनबीसी-टीवी 18 द्वारा दि फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड-2012।
- 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार' के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार।
- बिजनेस वर्ल्ड ने 2011 की अपनी वार्षिक रैंकिंग में बैंक को "सबसे तेजी से विकास करने वाले" बैंकों में 5वां स्थान दिया है।

18. आभार

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं, भरपूर समर्थन और सतत मार्गदर्शन हेतु सभी शेयरधारकों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। निदेशक मंडल हमेशा सहायक रहा है और मैं बोर्ड के सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद देता हूँ। वर्ष के दौरान भी बैंक में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहा और व्यवसाय विकास में बैंक के समस्त कर्मचारियों की भागीदारी प्रशंसनीय रही। यह उन 27 मिलियन ग्राहकों का विश्वास है जिसने हमारे उत्साह को कायम रखा तथा हमें अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर करने के लिए प्रेरित किया।

19. निष्कर्ष

बैंक अपने शानदार अस्तित्व के 148वें वर्ष में है और इस अवसर पर मैं बैंक के 22000 से अधिक कर्मचारियों की ओर से भविष्य में भी और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचने हेतु उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराता हूँ।

भवन्निष्ठ

(जे.पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

5 मई, 2012

17. Awards & Achievement


- FIBAC Banking Award –2011- best bank for initiatives in Inclusive Banking.
- UTI MF & CNBC – TV 18 Financial Advisory Award 2012- best bank : PSU Category
- Indira Gandhi Rajbhasha Prize (first prize)
- Bank has been ranked as 5th in the category of "fastest growing" Banks by Business World in their annual ranking for 2011

18. Acknowledgement

Before I close, I would like to place on record my deep sense of gratitude to all share holders, Government of India and RBI for their unstinted support and continued guidance. The Board of Directors has always been supportive and I thank the members of the Board for their encouragement and guidance. Cordial atmosphere in the Bank continued during the year and the participation of rank and file in the business development deserves a word of appreciation. It is the confidence of 27 million customers which keeps up our spirits and inspires us to perform better.

19. Conclusion

The Bank has stepped into 148th year of its existence and on this glorious occasion, I on behalf of over 22000 employees of the Bank, reiterate the commitment towards excellence in service for reaching greater heights in future as well.

Yours sincerely,

(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

5th May, 2012

इलाहाबाद बैंक


प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 14 जून, 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, पूर्वश्री आडिटोरियम, ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर - III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106, में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही की जाएगी: :

1. यथास्थिति 31.03.2012 के बैंक के तुलन-पत्र तथा 31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखा, इस अवधि हेतु बैंक के कारोबार और गतिविधियों के सम्बन्ध में निदेशक मंडल के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण।
2. इक्विटी शेयर पर लाभांश की घोषणा।

निदेशक मंडल के आदेश से


(जे.पी. दूआ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: कोलकाता

तारीख: 05-05-2012

नोट्स:

1. परोक्षी की नियुक्ति :

बैंक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को परोक्षी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैंक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे परोक्षी का बैंक का शेयर-धारक होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने हेतु यह बैंक के शेयर विभाग प्रधान कार्यालय, 2, एन. एस. रोड, कोलकाता - 700 001 में बैठक की तिथि से चार दिन से अधिक विलम्ब से नहीं अर्थात् शनिवार, 09 जून, 2012 को कार्य समाप्ति अर्थात् अपराह्न 2.00 बजे तक या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 1999 के अनुसार बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैंक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर विभाग 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 में बैठक की तिथि से अधिकतम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 09 जून, 2012 को कार्यसमाप्ति अर्थात् अपराह्न 2.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1999 के अनुसार बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

ALLAHABAD BANK

Head Office : 2, N.S.Road, Kolkata-700 001

NOTICE

Notice is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on Thursday, the 14th June, 2012 at 10.30 A.M. at Purbashree Auditorium, Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106, to transact the following business (es) :-

1. "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2012, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts."
2. To declare Dividend on Equity Shares.

By order of the Board of Directors



(J.P. Dua)

Place : Kolkata

Date : 05-05-2012

Chairman & Managing Director

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself, and such a proxy need not be a Shareholder of the Bank. The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Department, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 2.00 P.M. on Saturday, the 9th June, 2012. Please note that any employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as proxy as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank with Share Department, Allahabad Bank, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 2.00 P.M. on Saturday, the 9th June, 2012. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें और इसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर इसे बैठक स्थल पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर यथास्थिति 'प्रॉक्सी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' का उल्लेख करे।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर का बन्द किया जाना :

दसवीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में और बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने के प्रयोजन से बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण बहियाँ शनिवार, 26 मई, 2012 से बृहस्पतिवार, 14 जून 2012 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

5. लाभांश का भुगतान :

वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान, यदि कोई हो, उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम:

- शुक्रवार 25 मई, 2012 को यथास्थिति कार्य समाप्ति पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे शेयरों के संबंध में एन.एस.डी.एल./सी.डी.एस.एल. द्वारा तैयार की जाने वाली सूची के अनुसार और
- भौतिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से 25.05.2012 को कार्य समय की समाप्ति से पूर्व प्राप्त वैध अंतरण अनुरोध को प्रभावी करने के बाद शुक्रवार, 25 मई, 2012 को शेयरधारकों के रजिस्टर में शामिल होंगे।

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट जिन्होंने एनईसीएस द्वारा अपने लाभांश को जमा करने हेतु विकल्प नहीं दिया है, लाभांश घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मैसर्स एमसीएस लि. के माध्यम से उनके पंजीकृत पत्तों पर भेजे जाएंगे।

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने एनईसीएस द्वारा अपने लाभांश को जमा करने हेतु विकल्प दिया है, उनके ईसीएस अधिदेश के अनुरूप उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करते हुए एनईसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान किया जाएगा। एनईसीएस निष्फल/वापस हो जाने की दशा में लाभांश वारंट संबंधित शेयरधारकों को जारी किया जाएगा।

लाभांश के भुगतान की तिथि 29 जून 2012 होगी।

6. अदत्त/अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई कोई भी धनराशि जब ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि हेतु अदत्त/अदावाकृत रहती है तो इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205सी(1) के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum entry pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representatives' as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday, the 26th May, 2012 to Thursday, the 14th June, 2012 (both days inclusive) in connection with the Tenth Annual General Meeting and for the purpose of determining the eligibility of the shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

- as Beneficial Owners as at the close of business hours on Friday, the 25th May, 2012 as per the lists to be furnished by NSDL/CDSL in respect of the Shares held in electronic form and
- in the Register of shareholders as on Friday, the 25th May, 2012 after giving effect to the valid transfer requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hours on 25-05-2012.

Dividend warrants to such shareholders who have not opted for credit of their dividend through NECS would be sent by the Bank or through Registrar and Share Transfer Agents viz. MCS Limited, within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered addresses.

The shareholders who have opted for NECS credit of their dividend will be paid dividend through NECS by directly crediting the dividend amount to their Bank account as per their ECS mandate. In case of failure/ return of NECS, the dividend warrants will be issued to the respective shareholders.

The dividend payment date will be 29th June, 2012.

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C (1) of the Companies Act, 1956.

तदनुसार वर्ष 2002-03 और उसके बाद के लाभांश इन्हें अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्षों के बाद “निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि” में अंतरित किए जाएंगे।

जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2010-11 तक अपने लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मै. एमसीएस लिमिटेड, कोलकाता के पास वैध दावा(दावे) दाखिल करें।

7. लाभांश अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस : (एनईसीएस) हेतु बैंक का अधिदेश

7.1 वारंटों के कपट-पूर्ण नकदीकरण से निवेशकों की रक्षा करने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि जब कभी बैंक द्वारा लाभांश घोषित किया जाता है तो वे जहाँ पर नकदीकरण हेतु लाभांश वारंट जमा करना चाहते हैं वहाँ के बैंक खाता संख्या (चालू/बचत), बैंक का नाम और शाखा का उल्लेख करें।

इन विवरणों को लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से पर नाम के साथ-साथ मुद्रित किया जाएगा ताकि इन वारंटों को शेयर धारक से इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न भुनाया जा सके।

उपरोक्त विवरण प्रथम / एकल धारक द्वारा सीधे बिंदु संख्या 12 में उल्लिखित कोलकाता स्थित शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मैसर्स एमसीएस लि.को प्रस्तुत किये जाएंगे जिसमें फोलियो संख्या, रखे गए शेयरों की संख्या, होल्डिंग का विवरण आदि दिया जाएगा।

7.2 बैंक इलेक्ट्रॉनिक विधि से लाभांश के भुगतान हेतु बैंक के शेयरधारकों को एनईसीएस सुविधा उपलब्ध करा रहा है। एनईसीएस के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में सीधे लाभांश जमा करने हेतु शेयरधारक का खाता केन्द्रीयकृत बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) शाखा और एनईसीएस सुविधा वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे प्राप्त होने वाले लाभांश को अपने-अपने बैंक खाते में सीधे जमा करवाने हेतु अपने डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट (डीपी)में अपने बैंक खाते को अद्यतन करा लें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने बैंक खाते में सीधे जमा द्वारा लाभांश प्राप्त करने के लिए प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ईसीएस मेंडेट रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट मै. एमसीएस लि. कोलकाता को प्रस्तुत कर सकते हैं।

8. बैंक के शेयरों का लेनदेन अनिवार्यतः डिमैटीरियलाइजेशन(डिमैट) रूप में किया जाना :

सेबी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में हमारे बैंक के शेयरों का लेनदेन डिमैट रूप में करना सभी निवेशकों के लिए अनिवार्य है।

Accordingly, the dividend for the year 2002-03 and onward will be transferred to “Investor Education and Protection Fund” after seven years from the date on which it has been transferred to unpaid dividend account.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2010-11 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent M/s MCS Ltd, Kolkata.

7. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS)

7.1 In order to protect the investors from fraudulent encashment of warrants, the members are requested to furnish their Bank Account Number (Current/ Savings), the name of the Bank and Branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment, whenever dividend is declared by the Bank.

These particulars will be printed on the cheque portion of the Dividend Warrant besides the name of the shareholders, so that these warrants cannot be encashed by anyone other than the shareholder.

The above mentioned details should be furnished by the first/sole holder, directly to the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank i.e. M/s MCS Ltd. Kolkata at their address mentioned at Point No. 12, quoting the folio number, number of Shares held, details of the holdings etc.

7.2 The Bank is offering the facility of NECS to the shareholders of the Bank for payment of dividend through electronic mode. For credit of dividend directly to the Bank account of the shareholders through NECS the Bank Account of the shareholder should be with a Centralized Banking Solution (CBS) and NECS enabled Branch of Bank.

The shareholders holding shares in electronic form are therefore requested to get their Bank Account updated with their Depository Participants (DPs) for receiving the dividend by direct credit in their Bank Account.

The shareholders holding shares in Physical form may submit the ECS mandate duly signed by the First/Sole holder for receiving the dividend by direct credit in their Bank Account to Registrar and Share Transfer Agent M/s MCS Ltd. Kolkata.

8. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALIZED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank Shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors.

बैंक के शेयरों के डिमैटीरियलाइजेशन हेतु बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लि. (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सी.डी.एस.एल.) के साथ जारीकर्ता कम्पनी के रूप में करार किया है।

डिमैटीरियलाइजेशन हेतु अनुरोध संबंधित डिपोजिटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जा सकते हैं।

9. अदावी शेयर

अदावी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

i) 01.04.2011 को यथास्थिति बकाया / अदावी शेयर	- 4126
ii) वर्ष 2011-12 के दौरान लाभार्थी के खाते में अंतरित शेयर	-शून्य
iii) 31.03.2012 को यथास्थिति बकाया/ अदावी शेयर	- 4126

बकाया/अदावी शेयरों के संबंध में मताधिकार पर जायज स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक रोक लगी रहेगी।

10. तुलन-पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां वार्षिक आम बैठक स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन की अपनी प्रतियां अपने साथ लेकर आएँ जो उन्हें बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं।

11. शेयरधारकों की शंकाएँ :

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयर धारक समय रहते अपनी शंकाएँ प्रस्तुत करें ताकि बैंक को उनका प्रभावी उत्तर देने में आसानी हो।

12. शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार :

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, अंतरण/ट्रांसमिशन हेतु अनुरोध करने और लाभान्श भुगतान से संबंधित मामलों के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को निम्न पते पर संपर्क करें।

मेसर्स एमसीएस लिमिटेड
(यूनिट: इलाहाबाद बैंक)
77/2ए, हाज़रा रोड
कोलकाता - 700029

दूरभाष : 033-2454-1892-93, 033 - 407204051 से 54

फैक्स : 033-24541961

ई-मेल : allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer Company for dematerialization of Bank's Shares.

Request for dematerialization may be sent through respective Depository Participants to our Registrar and Share Transfer Agent.

9. UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

i) Shares outstanding/unclaimed as on 01-04-2011	-	4126
ii) Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2011-12	-	Nil
iii) Shares outstanding/unclaimed as on 31-03-2012	-	4126

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

10. COPIES OF BALANCE SHEET

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

11. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

12. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT

The Shareholders holding shares in physical form, are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer/transmission request (s) at the following address:-

M/s MCS Limited
(Unit: Allahabad Bank)
77/2A, Hazra Road
Kolkata-700029

Tel : 033-2454-1892-93, 033 - 407204051 to 54

Fax: 033-24541961

E-mail: allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

सभी शेयरधारकों को, चाहे उनके पास शेयर भौतिक रूप में हों अथवा इलेक्ट्रॉनिक(डिमेट) रूप में, लाभांश से संबंधित अपनी शंका/शिकायत रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के उक्त पते पर भी भेजनी चाहिए।

13. ऑनलाइन जानकारी/शिकायतों के लिए बैंक के शेयर धारक मै. एमसीएस लिमिटेड की वेबसाइट www.mcsdel.com पर लॉग-इन कर सकते हैं तथा अपनी जानकारी /शिकायतों के पंजीकरण हेतु इन्वेस्टर सर्विसेस पर क्लिक कर सकते हैं।
14. शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इलाहाबाद बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं:

The dividend related query/complaint by all the shareholders whether holding shares in physical or electronic (demat) form should also be addressed to the RTA at their above mentioned address.

13. For on line queries/grievance, shareholders of the Bank may login on the website of M/s MCS Limited i.e www.mcsdel.com and click on investor services to register their queries/grievance, if any.
14. In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up Investors' Grievances Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

<p>महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीफओ एवं अनुपालन अधिकारी इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, एन.एस.रोड, कोलकाता - 700 001 दूरभाष : 033-22420899 फैक्स : 033-22107424 ई-मेल : gmfa@allahabadbank.in</p> <p>The General Manager (F&A),CFO & Compliance Officer Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No. 033-22420899 Fax No. 033- 22107424 E-mail - gmfa@allahabadbank.in</p>	<p>प्रबंधक शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष प्रधान कार्यालय 2, एन.एस.रोड, कोलकाता - 700 001 दूरभाष : 033-22420878 फैक्स : 033-22107424 ई-मेल : investors.grievance@allahabadbank.in</p> <p>The Manager Share Deptt. & Investors' Grievance Cell Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No.033-22420878 Fax No. 033- 22107424 Email-investors.grievance@allahabadbank.in</p>
--	---

15. अन्य सूचना :

शेयर धारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।


15. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/coupon will be distributed at the meeting.

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 05-05-2012

निदेशक मंडल के आदेश से


(जे.पी. दूआ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

By order of the Board of Directors



Place : Kolkata

Date : 05-05-2012

(J.P. Dua)

Chairman & Managing Director

इलाहाबाद बैंक
निदेशकों की रिपोर्ट
अप्रैल 2011 से मार्च 2012

ALLAHABAD BANK
DIRECTORS' REPORT
APRIL 2011 TO MARCH 2012

निदेशक मंडल को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लेखापरीक्षित लेखाविवरणों सहित निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

समष्टि आर्थिक परिवेश

वैश्विक घटनाक्रम

वित्तीय वर्ष 2011-12 काफी चुनौतीपूर्ण रहा। वर्ष के दौरान अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं ने उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि के साथ भरपाई करनी शुरू कर दी थी। अनेक विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं संकट-पूर्व स्थिति तक पहुंच चुकी थीं। यहां तक कि कुछ देश तो संकट-पूर्व स्थिति को पार कर गए थे, किंतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के परवर्ती भाग में यूरो क्षेत्र में संरचनागत राजकीय ऋण संकट और अमरीका में वित्तीय असंतुलन के परिणामस्वरूप आई मंदी के रूप में दूसरा झटका लगा। आर्थिक विकास के मोर्चे पर कार्यनिष्पादन में अनिश्चितता बनी हुई थी। 2012 की चौथी तिमाही में अमरीकी अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि हुई जो 2010 की दूसरी तिमाही से लेकर अब तक की उच्चतम वृद्धि है। यूरोपीय कमीशन के अंतरिम पूर्वानुमान के अनुसार 2012 में यूरो क्षेत्र में मामूली मंदी रही जिसका उत्पादन 0.3% पर संकुचित रहा। चीन ने 2011 में 9.2% वृद्धि के बाद 2012 हेतु अपनी वृद्धि का अनुमान संशोधित कर 7.5% किया। चीन ने लगभग तीन वर्षों में आर्थिक विकास की सबसे धीमी गति के साथ वृद्धि की और 2012 की प्रथम तिमाही में इसने 8.1% की आर्थिक विकास दर दर्ज की। भारत सहित अन्य मुख्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी वृद्धि दर धीमी रही। ब्राजील की अर्थव्यवस्था में 2011 की 7.5% वृद्धि के सापेक्ष 2012 में वृद्धि 2.7% रही। वित्तीय प्रोत्साहन, वृहत् ऋण विस्तार के कारण रूस में लगभग 4% की मामूली वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्राक्कलन के अनुसार 2012 में विश्व की उत्पादन वृद्धि 3.3% है जिसमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 1.2% और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 5.4% रही।

घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च ब्याज दर के परिणामस्वरूप हाल की तिमाहियों में मंदी की प्रवृत्ति दर्शाने के बावजूद 2011-12 के दौरान समुत्थानशीलता दर्शाई है। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी और खनन उत्पादन में गिरावट से वृद्धि पर दबाव पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु प्राक्कलित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.9% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार 2011-12 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्राप्त की जाने वाली अनुमानित वृद्धि दर 2.5% है। 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि सहित संबद्ध गतिविधियों का प्रतिशत 13.9% रहा। औद्योगिक विकास दर 4-5% तक बनी रही और इसमें वृद्धि होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मुख्य उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 2010-11 के 6.6% के सापेक्ष 4.3% थी। 2011-12 में सेवा क्षेत्र में 9.0% की वृद्धि हुई।

The Board of Directors has pleasure in presenting the Directors' Report along with the audited Statement of Accounts of the Bank for the year ended 31st March 2012.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT

GLOBAL DEVELOPMENT

The Financial Year (FY) 2011-12 has been quite challenging. During the year, most of the economies started recovering with augmented output and trade. Many developed and emerging economies reached pre-crisis levels. Even some countries surpassed pre-crisis trends. But in the later part of FY 2011-12, the second shock precipitated in the form of structural sovereign debt crisis in the euro area and slowdown led by the fiscal imbalance in the US. The performance has been tumultuous on the economic growth front. The US economy expanded 3.0% in Q4 of 2012 – the highest pace since Q2 of 2010. According to the interim forecast of the European Commission, the euro area underwent a mild recession in 2012 with output contracting by 0.3%. China after growing at 9.2% in 2011 has revised estimates of its growth for 2012 to 7.5%. China's economy grew at its weakest pace in nearly three years in Q1 of 2012 registering 8.1% growth. Growth also slowed in other key emerging economies including India. The Brazilian economy grew by 2.7% in 2012, compared with growth of 7.5% in 2011. Russia stood with moderate growth of around 4% due to fiscal stimulus, large credit expansion. As per IMF (International Monetary Fund) estimates, the world output growth is 3.3% with advanced economies' growth at 1.2% and emerging economies growth at 5.4% in 2012.

DOMESTIC DEVELOPMENT

Indian economy, despite showing the trend of slowdown in recent quarters as a result of global slump, high inflation and high interest rates has shown resilience to growth during FY 2011-12. The deceleration in manufacturing and reduction in mining output put pressure on growth. The estimated GDP growth is 6.9% for FY 2011-12. Agriculture and allied sectors are estimated to achieve a growth rate of 2.5% during 2011-12 as per the Economic Survey, 2011-12. Agriculture including allied activities accounted for 13.9% of GDP in 2011-12. Industrial growth is pegged at 4-5% and is expected to improve. During FY2011-12, the growth rate of the core sector industries was 4.3% as against 6.6% in 2010-11. Services Sector grew at 9.0% in 2011-12.

वर्ष 2013 की संभावनाएं

वर्ष 2012-2013 में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ कर 7.6% और 2013-14 में 8.6% होने की संभावना है जिससे विकास और स्थिरता की संभावनाएं प्रबल हैं। आर्थिक सुधार के अनुमान के अनुसार औद्योगिक वृद्धि में भी सुधार की संभावना है। वर्ष के अंत में मुद्रास्फीति के भी कम होने की संभावना है जिससे संभवतः निवेश गतिविधियां बढ़ेंगी और विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चालू वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान यूरो जोन के गहराते संकट का सबसे अधिक सामना करने वाले भारत व्यापार क्षेत्र ने संरक्षणात्मक रवैया दर्शाते हुए यूरोप और अमेरिका पर निर्भरता कम करके अपने बाजारों को सफलतापूर्वक विविधिकृत किया है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र घटनाक्रम

पिछले कुछ वर्षों से भारत के वित्तीय बाजारों ने अपेक्षाकृत अधिक पैठ और तरलता अर्जित की है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जोखिम भारित आस्ति अनुपात में गिरावट और हाल ही में गैर-निष्पादक आस्तियों के स्तर में वृद्धि के बावजूद भारतीय बैंक मजबूत बने रहे। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का स्तर निर्धारित मानदंड से ऊपर रहा। वित्तीय बाजार अवसंरचना बिना किसी बड़ी बाधा के कार्य करती रही। वित्तीय प्रणाली में आगे और वैश्वीकरण, समेकन, विनियमन और विविधकरण होने से बैंकिंग व्यवसाय और अधिक चुनौतीपूर्ण बना है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा प्रदान किया गया बैंक ऋण 30 मार्च 2012 को यथास्थिति 19.18% रहा (पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 21.51% था) इसी तिथि को सकल जमाराशि में वृद्धि पिछले वर्ष की समान अवधि के 15.9% के सापेक्ष 71.40% रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की व्यवसाय वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार ऋण के क्षेत्र में 18% और जमाराशि के क्षेत्र में 17% रही। पिछले कुछ वर्षों से भारत के वित्तीय बाजारों ने अपेक्षाकृत अधिक पैठ और तरलता अर्जित की है। 1991 से आरंभ हुए सुधारों से धीरे-धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी वित्तीय प्रणाली वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ समंजन और समेकन विकसित कर रही है। कमजोर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में बरकरार अनिश्चितताओं ने इसीलिए उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। राजकीय जोखिम की चिंता ने, विशेषकर यूरो क्षेत्र में, वर्ष के दौरान अधिकांश समय तक वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया है जिसमें यूनान की राजकीय ऋण समस्या का प्रभाव भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य से अधिक उतार-चढ़ाव के साथ फैला।

वर्ष के दौरान समष्टि-आर्थिक मूल सिद्धांतों ने चुनौतीपूर्ण ब्याज दर परिवेश को दर्शाया है। सामान्यतः आस्तियों और देयताओं, दोनों के लिए ब्याज की दरें कठोर रहीं। इस स्थिति के कारण निधियों की लागत में वृद्धि हुई और वर्ष के दौरान निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव बना। वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली को मंदी और उच्च मुद्रास्फीति की दोहरी समस्या का सामना करना पड़ा। बढ़ती कीमतों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारतीय रिजर्व बैंक को रेपो दरों में 5 बार वृद्धि करनी पड़ी। रेपो दर को 3 मई 2011 को 6.75% से बढ़ाकर 7.25% किया गया जिसे 5 अक्टूबर 2011 को फिर से बढ़ाकर 8.5% कर दिया गया।

इलाहाबाद बैंक का कार्यनिष्पादन

बैंक के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान उपर्युक्त समष्टि-आर्थिक एवं बैंकिंग परिवेश के परिप्रेक्ष्य में किया जाना है।

Outlook for 2013

Outlook for growth and stability is promising with real GDP growth expected to pick up to 7.6% in 2012-13 and 8.6% in 2013-14. Industrial growth is also expected to improve as economic recovery resumes. Inflation is expected to start slowing down by the year-end which is likely to spur investment activities leading to positive impact on growth. India's trade sector, which has had to bear the brunt of deepening Euro zone crisis during the second half of the current fiscal, has successfully diversified its markets with reduced dependence on the EU and the US showing prospective trends.

BANKING & FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT

Financial markets in India have acquired greater depth and liquidity over the years. During FY 2011-12, Indian banks remained robust, notwithstanding a decline in capital to risk-weighted assets ratio and a rise in non-performing asset levels in the recent past. Capital adequacy levels remain above the regulatory requirements. The financial market infrastructure continues to function without any major disruption. With further globalization, consolidation, deregulation, and diversification of the financial system, the banking business becomes more challenging.

During FY 2011-12, growth in bank credit extended by scheduled commercial banks (SCBs) stood at 19.18% as on 30th March 2012 (21.51% the corresponding period of previous year). The growth in aggregate deposits has been 17.40% on the same date as against 15.9% of corresponding period last year. The business growth of SCBs has been in line with RBI's credit growth projection of 18% and deposits growth projection of 17%. Financial markets in India have acquired greater depth and liquidity over the years. Steady reforms since 1991 have led to growing linkages and integration of the Indian economy and its financial system with the global economy. Weak global economic prospects and continuing uncertainties in the international financial markets therefore, have had their impact on the emerging market economies. Sovereign risk concerns, particularly in the euro area, affected financial markets for the greater part of the year, with the contagion of Greece's sovereign debt problem spreading to India and other economies by way of higher-than-normal levels of volatility.

The macroeconomic fundamentals during the year exhibited challenging interest rate environment. There was hardening of interest rates in general for both the assets and liabilities. The cost of funds was escalated due to this situation and put pressure on NIM (Net Interest Margin) of the Bank during the year. The financial and banking system have been experiencing the twin problem of slackening growth and high inflation. To counter price spiral problems, RBI has increased Repo rates 5 times in FY 2011-12. The repo rate was increased to 7.25% as on 3rd May 2011 from 6.75% earlier which further increased to 8.50% on 5th October 2011.

PERFORMANCE OF ALLAHABAD BANK

The performance of the Bank is to be analyzed concomitantly with the aforesaid macroeconomic and banking environment during FY 2011-12.

परिचालनगत परिणाम

मुख्य व्यवसाय मानदंडों में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नोक्त सारणी में प्रस्तुत है :

OPERATING RESULTS

Bank's performance in key business parameters is presented below.

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

मानदंड/ Parameter	मार्च '10 Mar'10	मार्च '11 Mar'11	वृद्धि (%) Growth (%)	मार्च '12 Mar'12	वृद्धि (%) Growth (%)
निवल लाभ / Net Profit	1206	1423	17.97	1867	31.18
परिचालनगत लाभ / Operating Profit	2549	3055	19.86	3770	23.42
ट्रेडिंग लाभ को छोड़कर परिचालन लाभ Operating Profit Ex. Trading Profit	1972	2894	46.77	3657	26.34
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1342	1631	21.55	1903	16.65
कुल आय / Total Income	9885	12385	25.29	16822	35.82
कुल व्यय (प्रावधान को छोड़कर) Total Expenditure (Excl. Prov.)	7337	9331	27.18	13052	39.89
ब्याज स्प्रेड / Interest Spread	2650	4022	51.76	5163	28.35
कुल जमाराशियां / Total Deposits	106056	131887	24.36	159593	21.01
कुल अग्रिम / Total Advances	72437	94571	30.56	112250	18.69
कुल व्यवसाय / Total Business	178493	226458	26.87	271843	20.04
सकल निवेश / Gross Investments	38680	43545	12.58	54770	25.78

कार्यनिष्पादन विशिष्टताएं

- बैंक का कुल व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹ 2,26,458 करोड़ के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20.04 % की वृद्धि दर्शाते हुए बढ़कर ₹ 2,71,843 करोड़ हो गया।
- बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष के ₹ 3055 करोड़ के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 23.42 % की वृद्धि दर्शाते हुए बढ़कर ₹ 3770 करोड़ पर पहुँच गया।
- निवल लाभ पिछले वर्ष के ₹ 1423 करोड़ के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31.18 % की वृद्धि दर्शाते हुए 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर ₹ 1867 करोड़ हो गया।
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष के 3.38% के सापेक्ष मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 3.48 % हो गया।
- बैंक की जमा राशियां पिछले वर्ष के ₹ 1,31,887 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,59,593 करोड़ हो गईं। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, कुल जमाराशियों में 21.01% की वृद्धि हुई।
- सकल ऋण पिछले वर्ष के ₹ 94,571 करोड़ के सापेक्ष बढ़कर ₹ 1,12,250 करोड़ हो गया। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सकल ऋण में 18.69 % की वृद्धि हुई।
- ऋण जमा अनुपात मार्च, 2012 को यथास्थिति 71% रहा।

Performance Highlights

- Total Business of the Bank increased to ₹ 2, 71,843 Crore as against ₹ 2, 26,458 Crore in previous year showing a YOY growth of 20.04 %.
- Operating Profit surged to ₹ 3770 Crore as against ₹ 3055 Crore last year showing a YOY growth of 23.42%.
- Net Profit rose to ₹ 1867 Crore during the Financial Year ending 31.03.2012 as against ₹ 1423 Crore last year showing a YOY Growth of 31.18 %
- Net Interest Margin (NIM) increased to 3.48 % during the Financial Year ending March, 2012 as against 3.38% last year.
- Deposits of the Bank went up to ₹ 1,59,593 Crore from ₹ 1,31,887 Crore last year. Year-on-Year basis, Total Deposits grew by 21.01 %.
- Gross Credit surged to ₹ 1,12,250 Crore from ₹ 94,571 Crore last year. Year-on-Year basis, the Gross Credit increased by 18.69 %.
- Credit Deposit Ratio stood at 71% as at March, 2012.

- खुदरा ऋण पिछले वर्ष के ₹ 13029 करोड़ के सापेक्ष बढ़कर ₹ 15114 करोड़ हो गया जो वित्तीय वर्ष के दौरान 16% की वृद्धि है।
- मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-निधि गैर-ब्याज आय पिछले वर्ष के ₹ 857 करोड़ से बढ़कर ₹ 953 करोड़ हो गई।
- 31मार्च 2012 को यथास्थिति पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.83 % रहा।
- मार्च 2012 की समाप्ति पर सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए और निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए क्रमशः 1.83 % और 0.98 % रहा।
- प्रावधान कवरेज अनुपात 74% रहा।
- Retail Credit grew to ₹ 15,114 Crore from ₹ 13,029 Crore last year, constituting an increase of 16% during the financial year.
- Non-Fund Non Interest Income during the Financial Year ending March, 2012 stood at ₹ 953 Crore as against ₹ 857 Crore last year.
- Capital Adequacy Ratio stood at 12.83% as on 31.03.2012.
- Gross NPA to Gross Advances and Net NPA to Net Advances Ratios stood at 1.83% and 0.98% as at March, 2012 end respectively.
- Provision Coverage Ratio stood at 74%.

पूँजी एवं आरक्षित निधि

भारतीय जीवन बीमा निगम को इक्विटी के अधिमानी आबंटन के कारण यथास्थिति 31.03.2012 को बैंक की प्रदत्त पूँजी ₹ 476.22 से बढ़कर ₹ 500.03 करोड़ हो गई। वर्ष के अंत में आरक्षित निधि और अधिशेष यथास्थिति 31.03.2011 के ₹ 8031.71 करोड़ से बढ़कर ₹ 10006.59 करोड़ हो गए।

लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने 60% की दर से अर्थात् ₹ 10/- के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 6.00 लाभांश की अनुशंसा की है।

कार्यालय एवं शाखाएँ

बैंक की 2516 घरेलू शाखाएँ एवं हांगकांग में एक विदेशी शाखा है। 2516 घरेलू शाखाओं में से 1033 ग्रामीण, 493 अर्ध-शहरी, 517 शहरी एवं 473 महानगरीय केन्द्रों में हैं। बैंक ने 2011-12 के दौरान बैंक ने 101 नई शाखाएँ खोलीं जिनमें से 40 ग्रामीण, 39 अर्ध-शहरी, 9 शहरी एवं 13 महानगरीय शाखाएँ हैं। वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत 21 शाखाओं के लक्ष्य के सापेक्ष 25 शाखाएँ खोली गईं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु बैंक रहित केन्द्रों में 29 तथा अल्पबैंक वाले राज्यों के अल्प-बैंक जिलों में 34 शाखाएँ खोली गईं। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 2 क्षेत्र निरीक्षण कार्यालय, एक मोबाइल शाखा और 4 सेट्टेलाइट शाखाएँ खोली गईं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 250 नई शाखाएँ खोलने की बैंक की योजना है।

जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमा राशियाँ यथास्थिति 31.03.2012 को 21.01% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 1,59,593 करोड़ हो गईं। कम लागतवाली जमा राशियाँ यथास्थिति 31.03.2012 को 10.22% बढ़कर ₹ 48,668 करोड़ हो गईं जो कुल जमा राशियों का 30.78 % है। बैंक ने कम लागत जमा संग्रहण पर विशेष जोर दिया और वर्ष के दौरान बचत बैंक जमा राशि और कासा जमा राशि संग्रहण अभियान चलाए गए।

CAPITAL AND RESERVES

Due to preferential allotment of equity to LIC of India the paid-up capital of the Bank increased from ₹ 476.22 Crore to ₹ 500.03 Crore as on 31.3.2012. The reserves & surplus went up to ₹ 10006.59 Crore as at end of this year from ₹ 8031.17 Crore as on 31.03.2011.

Dividend

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend @ 60 % i.e. ₹ 6 per equity share of ₹ 10 each.

OFFICES & BRANCHES

The Bank is having 2516 domestic branches and one overseas branch at Hongkong. Out of 2516 domestic branches, 1033 are at Rural, 493 at Semi-urban, 517 at Urban and 473 at Metropolitan Centre. 101 new branches have been opened during the financial year 2011-12 out of which 40 are at Rural, 39 Semi Urban, 9 Urban and 13 at Metro centers. 25 branches have been opened under FI Plan against target of 21. Further, 29 branches have been opened at Unbanked centers and 34 in Under Banked Districts of Under Banked States, fulfilling statutory requirements setup by RBI. Besides the above, 2 Field Inspection Offices, one Mobile branch & 4 satellite branches have been opened during the year. Bank has plans to open 250 new branches during the fiscal 2012-13.

DEPOSIT MOBILISATION

Total deposits of the Bank showed a significant growth of 21.01 % to ₹ 1,59,593 Crore as on 31.03.2012. Low cost deposits grew by 10.22 % to ₹ 48,668 Crore as on 31.03.2012, constituting 30.78% of aggregate deposits. Bank emphasized on low cost deposit mobilization and observed saving deposits & CASA deposits mobilization campaign during the year.

वित्तीय परिणाम / FINANCIALS

मानदंड / Parameters	31.03.10	31.03.11	31.03.12
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) / Capital Adequacy Ratio (%)	13.62	12.96	12.83
जिसमें से / Of which टियर I (%) / Tier I (%)	8.12	8.57	9.13
टियर II (%) / Tier II (%)	5.50	4.39	3.71
औसत कार्यशील निधि में स्प्रेड (%) / Spread to Average Working Fund (%)	2.54	3.12	3.24
निधियों की औसत लागत (%) / Average Cost of Funds (%)	5.99	5.85	6.98
निधियों पर औसत आय (%) / Average Yield on Funds (%)	8.68	9.19	10.48
जमा राशियों की औसत लागत (%) / Average Cost of Deposits (%)	5.97	5.83	7.07
अग्रिमों पर औसत आय (%) / Average Yield on Advances (%)	10.57	10.50	12.09
प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earnings per Share (₹)	27.01	31.85	39.18
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) / Book Value per Share (₹)	151.17	178.64	192.93
आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	1.16	1.11	1.02
औसत नेटवर्थ पर प्रतिफल (%) / Return on Average Net Worth (%)	22.21	21.04	19.35
प्रावधान कवरेज अनुपात (%) / Provision Coverage Ratio (%)	78.95	75.67	74.00
निवल एनपीए (%) / Net NPAs (%)	0.66	0.79	0.98
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) / Profit per Employee (₹ in lacs)	5.76	6.70	8.36
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (₹ लाख में) / Productivity per Employee (₹ in lacs)	845	1063	1217

ऋण अभिनियोजन

बैंक का कुल अग्रिम यथास्थिति 31.03.2012 को 18.69% बढ़कर ₹ 1,12,250 करोड़ हो गया। ऋण - जमा अनुपात (सकल) विगत वर्ष के 72.18% के सापेक्ष 71% रहा। इस अवधि के दौरान बैंक ने प्रणाली में अपना बाजार अंश 2.23% से बढ़ा कर 2.39% कर लिया। 31.03.2012 को बैंक की बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) 14.75% रही। सामान्य बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिमों पर प्रतिलाभ 2010-11 के 10.50% के सापेक्ष 2011-12 के दौरान 12.09% रहा।

अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का प्रबंधन

31.03.2012 को यथास्थिति बैंक का सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः ₹ 2058.98 करोड़ और ₹ 1091.70 करोड़ था। सकल अग्रिमों और निवल अग्रिमों में सकल एनपीए तथा निवल एनपीए का प्रतिशत क्रमशः 1.83% और 0.98% रहा। हालांकि बैंक ने एनपीए खातों में काफी अच्छी वसूली की थी किंतु ₹ 2232.06 करोड़ का नया एनपीए जुड़ जाने से बकाया एनपीए बढ़ गया। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 74% रहा।

CREDIT DEPLOYMENT

Total advances of the Bank went up by 18.69% to ₹ 1,12,250 Crore as on 31.03.2012. Credit-Deposit ratio (gross) stood at 71 % as against 72.18% last year. The Bank increased its market share in the system to 2.39 % from 2.23% during the period. The Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) of the Bank was at 14.75 % on 31.03.2012. Yield on advances stood at 12.09 % during 2011-12 as against 10.50 % during 2010-11 in line with the general market scenario.

NON-PERFORMING ASSETS (NPAs) MANAGEMENT

The Gross and Net NPA stood at ₹ 2058.98 Crore and ₹ 1091.70 as on 31.03.2012. The Gross & Net NPAs as percentage to gross advances & net advances was 1.83 % & 0.98% respectively. Though the Bank was able to recover fairly good amount, due to fresh addition of NPAs to the tune of ₹ 2232.06 Crore, the outstanding NPA has increased. The provision coverage ratio stood at 74%.

सामाजिक बैंकिंग

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 31.03.2011 को यथास्थिति ₹ 30,764 करोड़ से बढ़ कर 31.03.2012 को यथास्थिति ₹ 37,396 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹ 6633 करोड़ (21.56%) की वृद्धि दर्ज की। बैंक ने मार्च 2012 को यथास्थिति 41.19% की उपलब्धि कर एएनबीसी में प्राक्षेत्र के राष्ट्रीय लक्ष्य (40%) को पार कर लिया है।
- कृषि ऋण मार्च 2011 को यथास्थिति ₹ 13,387 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2012 को यथास्थिति ₹ 16,590 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹ 3203 करोड़ (23.93%) की वृद्धि दर्ज की। बैंक ने मार्च 2012 को यथास्थिति 18.06% की उपलब्धि कर एएनबीसी में कृषि क्षेत्र ऋण के राष्ट्रीय लक्ष्य(18%) को पार कर लिया है।
- प्रत्यक्ष कृषि ऋण मार्च, 2011 को यथास्थिति ₹ 9808 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2012 को यथास्थिति ₹ 12,304 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹ 2496 करोड़ (25.55%) की वृद्धि दर्ज की। बैंक ने मार्च 2012 को यथास्थिति 13.56% की प्राप्ति कर एएनबीसी में प्रत्यक्ष कृषि ऋण के राष्ट्रीय लक्ष्य (13.55%) को पार कर लिया है।

SOCIAL BANKING

- Priority Sector Credit grew from ₹ 30,764 Crore as on 31.03.2011 to ₹ 37,396 Crore as on 31.03.2012, registering an absolute YOY growth of ₹ 6633 Crore (21.56 %). Bank has exceeded the National Goal (40.00%) of PSC to ANBC by achieving 41.19 % as on Mar'12.
- Agriculture Credit increased from ₹ 13,387 Crore as on March 2011 to ₹ 16,590 Crore as on March 2012, registering an absolute YOY growth of ₹ 3203 Crore (23.93%). Bank has exceeded the National Goal (18.00%) of Agriculture to ANBC by achieving 18.05% as on Mar'12.
- Direct Agriculture Credit increased from ₹ 9808 Crore as on March 2011 to ₹ 12304 Crore as on March 2012, registering an absolute YOY growth of ₹ 2496 Crore (25.45%). Bank has exceeded the National Goal (13.50%) of Direct Agriculture to ANBC by achieving 13.55% as on Mar'12.

प्राथमिकता क्षेत्र एवं कमजोर वर्ग के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है।

Bank's performance under Priority Sectors and Weaker Sections is presented below:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

उप क्षेत्र SUB-SECTOR	मार्च / Mar-10	मार्च /Mar-11	मार्च /Mar-12	वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)/ GROWTH(YOY) मार्च 11 के सापेक्ष मार्च 12 Mar'12 over Mar'11	
	राशि / AMT.	राशि / AMT.	राशि / AMT.	राशि / AMT.	%
प्रत्यक्ष कृषि / Direct Agriculture (एएनबीसी का %)* / (% to ANBC)*	8339.81 14.18	9807.88 13.86	12304.38 13.55	2496.50	25.45
अप्रत्यक्ष कृषि / Indirect Agriculture (एएनबीसी का %)* (% to ANBC)*	3227.60 4.50	3578.71 5.06	4285.43 4.50	706.72	19.74
कुल कृषि / Total Agriculture (एएनबीसी का %)* / (% to ANBC)*	11567.41 18.68	13386.59 18.92	16589.81 18.05	3203.22	23.93
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम(एमएसई) Micro & Small Enterprise(MSE)	8187.84	11990.30	16182.28	4191.98	34.96
कुल प्राक्षेत्र / Total PSC (एएनबीसी का %)* (% to ANBC)* (मानदंड 40%) / (Norm 40%)	24279.35 41.29	30763.73 43.48	37396.43 41.19	6632.70	21.56
Total MSME (MSE+ME)	9770.71	14383.89	18446.35	4062.46	28.24
कमजोर वर्ग / Weaker Section	6150.00	7547.00	9487.00	1940.00	25.71
कुल एमएसएमई (एमएसई+एमई)/(% to ANBC)*	10.46	10.67	10.45		
महिला लाभार्थी / Women Beneficiaries (एएनबीसी का %)* (% to ANBC)	2961.73 4.19	3582.45 5.06	4765.13 5.25	1182.68	33.01

*एएनबीसी मार्च 2010: ₹ 70760 करोड़

*एएनबीसी मार्च 2011: ₹ 90782 करोड़

*ANBC March'2010 : ₹ 70760 crore

*ANBC March'2011 : ₹ 90782 crore

➤ **एमएसएमई क्षेत्र वित्तपोषण**

माइक्रो एवं लघु उद्यम(एमएसई) क्षेत्र को ऋण मार्च 2011 को यथास्थिति ₹ 11,990 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2012 को यथास्थिति ₹ 16,182 करोड़ हो गया जिसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹ 4192 करोड़ (34.96%) की निरपेक्ष वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2012 को यथास्थिति माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण ₹ 14,383 करोड़ से बढ़ कर 31.03.2012 को यथास्थिति ₹ 18,446 करोड़ हो गया जो वर्ष-दर-वर्ष 28.24% की वृद्धि दर्शाता है।

➤ **संपार्श्विक मुक्त ऋण बनाम सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवरेज**

बैंक ने सीजीटीएमएसई के अंतर्गत शामिल किए गए संपार्श्विक मुक्त ऋणों की सुपुर्दगी पर बहुत अधिक बल दिया है। 31.03.2012 को यथास्थिति सीजीटीएमएसई के अंतर्गत ₹1348.63 करोड़ के 35501 प्रस्तावों को शामिल किया गया है।

शुरु किए गए नए संरचनात्मक उत्पाद

बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अनंमन निम्नांकित संरचनात्मक उत्पाद शुरु किए हैं:

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गैर कृषि क्षेत्र (एनएफएस) के निर्धन परिवारों को बचत-सह-ओवर ड्राफ्ट खाता प्रदान करने की योजना।
- नेशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन से टाईअप कर संपार्श्विक प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु वेअरहाउस कंपनियों के साथ टाईअप करार के अंतर्गत वेअरहाउस रसीदों पर किसानों को उत्पाद ऋण प्रदान करने की योजना।
- बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना।
- अक्षय कृषि-किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
- इलाहाबाद बैंक आलू उत्पादक क्रेडिट कार्ड योजना।

➤ **माइक्रो वित्त संस्थाओं (एमएफआई) में बैंक का निवेश**

बैंक द्वारा ₹ 258.54 करोड़ की राशि वाले 19 एमएफआई खाते संस्वीकृत किए गए। 31.03.2012 को यथास्थिति इनमें बकाया राशि ₹ 93.08 करोड़ थी।

➤ **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)**

बैंक ने एसएलबीसी संयोजक के रूप में झारखंड राज्य के आर्थिक उत्थान पर बल देना जारी रखा है। बैंक राज्य में बैंक विहीन एवं अल्प बैंक वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर बैंक शाखाएं खोलने की योजना बनाने व शाखाएं खोलने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बैंक ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के विशेष कार्यक्रमों यथा पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। 31.03.2012 को यथास्थिति 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी 1541 ग्रामों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। अग्रणी बैंक के रूप में हमारे बैंक ने 112 ग्रामों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की हैं। एटीएम सुविधावाली एक मोबाइल बैंकिंग वैन भी संचालित की गई है जो राज्य में 12 गांवों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। बैंक ने राँची में एक सिक्का वेंडिंग मशीन भी चालू की है। बैंक ने समय-समय पर एसएलबीसी की बैठकें आयोजित की हैं और एसएलबीसी को राज्य के विकास हेतु चर्चा एवं बैंकिंग पहल की समीक्षा के एक सुदृढ़ मंच के रूप में स्थापित किया है।

➤ **MSME Sector Financing :**

Credit to Micro and Small Enterprises (MSE) grew from ₹ 11,990 Crore as on March 2011 to ₹ 16,182 Crore as on March 2012, registering an absolute YOY growth of ₹ 4192 Crore (34.96%). Credit to Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) increased from ₹ 14,383 crores to ₹ 18,446 crores as on 31.03.2012, showing a YOY growth of 28.24%.

➤ **Collateral Free Loans vis-à-vis Coverage under CGTMSE :**

Bank has given much thrust on credit delivery to collateral free loans covered under CGTMSE. As on 31.03.2012, 35501 proposals have been covered under CGTMSE amounting to ₹ 1348.63 Crores.

New Structured Products launched:

The Bank has launched following structured products under Priority Sector Credit:

- Scheme for providing Savings-cum-OD account to Non-Farm Sector (NFS) poor families living in Rural/ Urban areas,
 - Scheme for extending produce loan to farmers against Warehouse Receipts under Tie-Up arrangement with Warehouse companies for providing Collateral Management Services in Tie-Up with National Bulk Handling Corporation,
 - Weavers Credit Card Scheme,
 - Akshay Krishi-Kisan Credit Card Scheme,
 - Allahabad Bank Potato Growers Credit Card Scheme
- **Bank's Exposure to Micro Finance Institutions(MFIs)**
19 number of MFI accounts involving ₹ 258.54 crores has been sanctioned by Bank. As on 31.03.2012, outstanding prevails at ₹ 93.08 crores.

➤ **State Level Bankers' Committee (SLBC)**

The Bank as SLBC convenor, continued to give thrust for economic upliftment of State of Jharkhand. The Bank has been playing a lead role in the state to plan and open Bank branches in unbanked and underbanked areas on priority basis. Bank took necessary steps for implementation of special programmes of Government of India and Government of Jharkhand such as Bringing Green Revolution in Eastern India. As on 31.03.2012, all the 1541 villages with a population of over 2000 have been provided with banking facilities. As a leader, our bank provided banking facilities in 112 villages. A mobile banking van with ATM was also operationalised to cover 12 villages in the state to provide banking facilities. The bank also started one coin vending machine at Ranchi. The Bank conducted meetings of SLBC timely and the SLBC in the state has proved to be a strong forum to discuss and review banking initiatives for the development of the state.

➤ **अग्रणी बैंक योजना**

बैंक ने उत्तर प्रदेश के 13 झारखंड के 2 तथा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के एक-एक जिले सहित कुल 17 जिलों में अग्रणी बैंक दायित्वों के रूप में जिला ऋण योजना 2011-12 के अंतर्गत ₹ 2128.66 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹ 2174.35 का ऋण संवितरित कर लक्ष्य का 102.15% हासिल किया है।

➤ **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)**

भारत सरकार ने प्रत्येक प्रायोजक बैंक हेतु “एक राज्य एक आर.आर.बी.” को अपनाया है। इस प्रकार अब बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं एक उत्तर प्रदेश में (इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बांदा) के नाम से और दूसरा मध्य प्रदेश में (शारदा ग्रामीण बैंक, सतना) के नाम से। इन दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपना कार्यनिष्पादन जारी रखते हुए 2011-12 के दौरान ₹ 53.43 करोड़ का निवल लाभ (लक्ष्य ₹ 40.00 करोड़) अर्जित किया। संचित लाभ 2010-11 के दौरान ₹ 558.67 करोड़ के सापेक्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 612.05 करोड़ हो गया। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार दोनों आरआरबी की सभी शाखाएं सीबीएस में परिवर्तित कर दी गई हैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने ग्राहकों को एनईएफटी/आरटीजीएस सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं।

➤ **वित्तीय समावेशन**

भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं प्रेक्षकों के अनुसार बैंक ने से बीसी माडल, बैंकिंग कियोस्क, बायो मीट्रिक एटीएम, एटीएमयुक्त मोबाइल बैंकिंग वैन, अति लघु शाखाएं खोलने आदि जैसे विभिन्न मॉडलों को अपनाते हुए बैंक विहीन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ₹ 215.82 करोड़ की लागत से एक व्यापक वित्तीय समावेशन योजना तैयार की है।

बैंक ने इसे आबंटित 2000 और अधिक जनसंख्या वाले 2618 ग्रामों को और 2000 से कम जनसंख्या वाले 15549 ग्रामों को कवर किया है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मौजूदा 5 दरो-दीवार वाली शाखाओं के अतिरिक्त 25 दरो-दीवार वाली अन्य शाखाएं खोली हैं जिससे इनकी संख्या वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित 26 शाखाओं के लक्ष्य से बढ़ कर 30 हो गई है।

➤ **कार्पोरेट सामाजिक दायित्व**

बैंक ने एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में सामाजिक कल्याण और विकास के प्रति अपना सरोकार जताते हुए समाज के सतत विकास की दिशा में अनेक उपाय शुरू किए हैं जिनमें से कुछ निम्नवत् हैं :

- **किसानों/बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरएसईटीआई) के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना**

बैंक ने किसानों, बेरोजगार युवाओं, एनजीओ, एसएचजी आदि को उनके कौशल एवं उद्यमिता क्षमता में सुधार लाने हेतु पांच और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित किए हैं। इस प्रकार वर्तमान में बैंक के 18 आरएसईटीआई हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान 262 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 8317 किसानों/बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 3396 प्रशिक्षणार्थियों को बैंक ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं।

➤ **Lead Bank Scheme:**

Under Lead Bank responsibilities in 17 districts, 13 in Uttar Pradesh, 2 in Jharkhand and one each in Madhya Pradesh and West Bengal, the Bank disbursed ₹ 2174.35 crores against a target of ₹ 2128.66 crores under District Credit Plan 2011-12 achieving 102.15% of the target

➤ **Regional Rural Banks:**

Government of India adopted “One State One RRB” for each sponsor Bank. Thus the number of Regional Rural Banks sponsored by our Bank now is two, one in Uttar Pradesh (Allahabad UP Gramin Bank, Banda) and another in Madhya Pradesh (Sharda Gramin Bank, Satna). These two RRBs continued to show their performance with a net profit of ₹ 53.43 Crore (Target ₹ 40.00 crores) during 2011-12. The accumulated profit stood at ₹ 612.05 Crores in 2011-12 as against ₹ 558.67 Crores during 2010-11. As per Government Guidelines, all the branches of both the RRBs were migrated successfully to CBS. The RRBs are providing NEFT/RTGS facilities to its customers also.

➤ **Financial Inclusion:**

In accordance with the guidelines and observations of Govt. of India/ Reserve Bank of India, Bank prepared a comprehensive Financial Inclusion Plan with an outlay of ₹ 215.82 Crore to provide banking services in unbanked rural as well as urban areas through BC Model, Banking Kiosks, Bio-metric ATMs and Mobile van fitted with ATM, ultra small branches etc.

The Bank has covered the 2618 villages allotted to it with population of 2000 and above and 15549 villages with population less than 2000. In addition to existing 5 Brick & Mortar Branches, Bank has opened another 25 Brick & Mortar Branches taking the total no. of B&M branch under Financial Inclusion to 30, exceeding the target of 26 branches during the FY 2011-12.

➤ **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

The Bank, as a responsible Corporate Citizen, has initiated several measures towards sustainable development of the society reflecting its concern for social welfare and developments, some of which are as under :

- **Training Facilities to Farmers / Unemployed Youths through RSETI**

The Bank has established five more Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) this year for imparting training to Farmers, unemployed youths, NGOs, SHGs etc. for improvement of skills and entrepreneurship ability. Thus the Bank has at present 18 RSETIs. During the FY 2011-12, 262 programmes were conducted upto Feb, 12 and extended trainings to 8317 farmers / unemployed youths, out of which 3396 trainees were linked to Bank Credit.

- **वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)**

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र का उद्देश्य वित्तीय शिक्षा और ऋण परामर्श प्रदान करते हुए वित्तीय समावेशन की पहल को सुदृढ़ करना है। हमारे बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित (वित्तीय दृष्टि से वंचित) केन्द्रों में 13 एफएलसीसी स्थापित किए हैं।

तीन मोबाइल वैन शुरु की गई हैं जो झारखंड राज्य की दुमका शाखा के अंतर्गत 12 ग्रामों को, सीतापुर, उत्तर प्रदेश की कसरैला शाखा के अंतर्गत 4 ग्रामों को और नई दिल्ली की खैरा शाखा के अंतर्गत 6 ग्रामों को बैंकिंग सेवा प्रदान करती है।

- **अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग :**

बैंक अपना अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय 54 प्राधिकृत/नामोद्दिष्ट शाखाओं के माध्यम से संचालित करता है जिनमें 5 अन्तरराष्ट्रीय शाखाएं और हांगकांग स्थित एक विदेशी शाखा शामिल हैं। 31.03.2012 को यथास्थिति बैंक का निर्यात ऋण ₹ 2808.61 करोड़ रहा। बैंक निर्यातकों को और अधिक ऋण प्रदान करने हेतु कदम उठा रहा है। बैंक ने प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ कारस्पोंडेंट संबंध बनाए रखा है और इसके पास 15 विदेशी बैंकों के साथ विभिन्न करेंसियों में 'स्टैंडर्ड सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन' हैं।

- **विदेश में उपस्थिति**

बैंक की हांगकांग में एक विदेशी शाखा है। हांगकांग शाखा का व्यवसाय 31.03.2011 के ₹ 3284 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2012 को बढ़कर ₹ 5327 करोड़ हो गया। हांगकांग शाखा ने 2010-11 के ₹ 19.01 करोड़ के सापेक्ष 2011-12 के दौरान ₹ 48.10 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है। बैंक का शेनझेन, चीन में एक प्रतिनिधि कार्यालय भी है तथा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने चीन में एक पूर्ण शाखा खोलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किया है। बैंक ने ढाका, शंघाई, सिंगापुर एवं कोउलून(हांगकांग) में विदेशी शाखाएं खोलने हेतु विनियामकों के साथ मामले को आगे बढ़ाया है।

- **रिटेल ऋण**

बैंक रिटेल ऋण व्यवसाय में उत्कृष्टता लाने हेतु हमेशा नई-नई संभावनाएं तलाशता रहा है। रिटेल ऋण उत्पादों में समाज के विभिन्न वर्गों की वैयक्तिक, उपभोक्ता और व्यावसायिक आवश्यकता को पूरा करने वाले उत्पादों का मिश्रण रहता है। बैंक ने देशभर के महत्वपूर्ण केन्द्रों में केन्द्रीयकृत रिटेल बैंकिंग बुटीक(सीआरबीबी) खोल कर रिटेल ऋण प्रस्तावों के संग्रहण से लेकर संवितरण की विभिन्न प्रक्रियाओं को केन्द्रीयकृत किया है।

बैंक ने देश भर में फैले 27 सीआरबीबी एवं 61 रिटेल बैंकिंग बुटीक के मौजूदा नेटवर्क में 7 नए सीआरबीबी जोड़े हैं। 31.03.2012 को यथास्थिति रिटेल ऋण के अंतर्गत कुल बकाया राशि ₹ 15114.00 करोड़ थीं जो सकल ऋण बकाया का 13.41% है और यह वर्ष के दौरान 16% की वृद्धि दर्शाता है। वरिष्ठ नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान दो नई रिटेल वित्त योजनाएं आरंभ कीं अर्थात् आवास ऋण खंड के अंतर्गत "आलबैंक आशियाना" और "पेंशनर्स हेतु वैयक्तिक ऋण"।

- **Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCC) :**

Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCC) aims at strengthening financial inclusion initiatives by providing financial education and credit counseling. Our Bank is having 13 FLCCs at RBI identified (financially excluded) centers:

Three Mobile vans were launched at Dumka branch of Jharkhand State covering 12 villages, Kasrailla branch of Sitapur, U.P. covering 4 villages and Khaira Branch in New Delhi, covering 6 villages.

- **INTERNATIONAL BANKING**

The Bank carries out its International business in India through its 54 authorised/ designated branches, which includes 5 International branches & through its overseas branch at Hong Kong. Export credit of the Bank as on 31.03.2012 stood at ₹ 2,808.61 crore. The bank is taking all steps to increase the credit flow to exporters. The Bank maintains correspondent relationship with prime banks abroad and has 'Standard Settlement Instructions' in various currencies with 15 foreign banks.

- **Overseas Presence**

Bank is having one overseas branch at Hong Kong. The Business of Hong Kong branch has increased from ₹ 3,284 crore as on 31.03.2011 to ₹ 5,327 crore as on 31.03.2012. The Hong Kong branch has earned a net profit of ₹ 48.10 crore in 2011-12 as against ₹ 19.01 crore in 2010-11. The Bank is also having a Representative Office at Shenzhen, China and in terms of regulatory guidelines, Bank has applied to Reserve Bank of India for opening of a full fledged branch in China. Bank has taken up with the regulators regarding opening of overseas branches at Dhaka, Shanghai, Singapore & Kowloon (Hong Kong).

- **RETAIL CREDIT**

The Bank has always been keen on exploring novel avenues to excel in Retail Credit business. A mosaic of Retail Credit Products caters to the personal, consumer and business needs of various sections of the society. The Bank has centralized various processes from mobilization to disbursement of Retail loans, by opening Centralized Retail Banking Boutiques (CRBBs) at important centers across the country.

The Bank added 7 new CRBBs to the existing network of 27 CRBBs & 61 Retail Banking Boutiques (RBBs) spread across the country. Outstanding under Retail Credit as on 31.03.2012 stood at ₹ 15114.00 Crore that is 13.41% of the Gross Credit Outstanding exhibits an increase of 16.00 % during the year. During the fiscal 2011-12 Bank launched two new Retail Finance Schemes, i.e. "ALLBANK AASHIANA" under Housing Loan segment & "PENSIONERS" PERSONAL LOAN" to meet the changing requirement patterns of the senior citizens.

बैंक ने वाहनों के वित्तपोषण हेतु विभिन्न ऑटोमोबाइल निर्माताओं के साथ किए गए टाइप के अतिरिक्त एक अग्रणी आटोमोबाइल निर्माता मैसर्स टाटा मोटर्स के साथ टाइप किया है।

₹ 15 लाख तक के आवास ऋण पर 1% ब्याज अनुदान के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

शुल्क आधारित आय

समग्रतः बैंक की शुल्क आधारित आय 31.03.2011 को यथास्थिति ₹ 857 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2012 को बढ़कर ₹ 953 करोड़ हो गई जो 11.20% की वृद्धि दर्शाती है।

बैंक द्वारा सरकार के साथ किया गया समझौता ज्ञापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु शुल्क आधारित आय के अंतर्गत कुल आय के 7% की उपलब्धि (उपलब्धि 5.71%), वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु कुल आय के 10%, वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु कुल आय के 15% और वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु कुल आय के 20% की उपलब्धि हेतु भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सरकारी लेखा विभाग

केन्द्र सरकार की पेंशन अर्थात् केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे एवं टेलीकाम की पेंशन प्रक्रिया सभी मंडलों हेतु सीपीपीसी, लखनऊ में अप्रैल 2011 से केन्द्रीयकृत कर दी गई है। सीपीपीसी, लखनऊ को 01.11.2011 से केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड सरकार के वाणिज्यिक करों का संग्रहण ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से क्रमशः 06.07.2011, 15.09.2011, 19.01.2012 को आरंभ किया गया। पीपीएफ विप्रेषण को 02.07.2011 से स्वचालित किया गया।

एनपीएस हेतु पीएफआरडीए द्वारा 225 शाखाओं को अतिरिक्त रूप से प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स सर्विस प्रोवाइडर (पीओपी-एसपी) के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

विजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर)

ग्राहकों को सुविधापरक एवं आकर्षक सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पादों को लाकर उत्पादकता, दक्षता और लाभप्रदता में सुधार लाने पर बैंक द्वारा प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है। बैंक आफिस गतिविधियों हेतु केन्द्रीयकृत प्रक्रिया केन्द्र स्थापित किए गए हैं जैसे समाशोधन प्रक्रिया एवं पेंशन प्रक्रिया। शाखाओं की अन्य गतिविधियों यथा खाता खोलना, हस्ताक्षर स्केनिंग, व्यक्तिगत चेकबुक जारी कराना आदि को लखनऊ स्थित बैंक आफिस प्रक्रिया केन्द्र में अंतरित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

- सभी 2516 शाखाओं और 81 कार्यालयों को सीबीएस की परिधि में लाया गया है। हमारे द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंकों की सभी 567 शाखाओं और 4 विस्तार पटलों को 24.09.2011 को यथास्थिति सीबीएस में परिवर्तित किया गया है।
- एटीएम की कुल संख्या बढ़कर 316 हो गई है।
- बैंक ने अपने ग्राहकों को 12.78 लाख से अधिक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किए हैं।

Bank entered into tie-up with the leading Automobile manufacturer M/s Tata Motors Ltd. for financing their vehicles in addition to the various Automobile manufacturers,

Scheme of 1% interest subvention on housing loans up to ₹ 15 Lac announced by Finance Minister is being implemented by the Bank.

Fee Based Income:

Performance under overall fee based income of the Bank as on 31.03.12 stood at ₹ 953 crore as against ₹ 857 crore as on 31.03.11 registering a growth rate of 11.20%

MOU entered with the Government by the Bank

The Bank has signed MOU with Government of India under fee based income to achieve 7% of total income for FY 2011-12 (achievement 5.71%); 10% of the total income for FY 2012-13; 15% of Total Income for FY 2013-14 and 20% of total income for FY 2014-15.

GOVERNMENT ACCOUNTS DEPARTMENT

Processing of Central Government Pensions viz. Central Civil, Defence, Railways & Telecom of all the Zones centralized at CPPC, Lucknow since April 2011. CPPC, Lucknow is authorized by the Central Pension Accounting Office with effect from 01.11.2011.

Collection of Commercial Taxes of Government of West Bengal, Orissa & Jharkhand through the e-payment mode commenced from 06.07.2011, 15.09.2011 & 19.01.2012 respectively. PPF Remittances automated with effect from 02.07.2011.

225 Branches additionally authorized as Points of Presence-Service Providers (POP-SPs) by PFRDA for NPS.

BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

Improvement in Productivity, Efficiency & Profitability with introduction of technology enabled products for rendering convenient and attractive services to customers continued to remain the prime focus of the Bank. Centralized Processing Centre had been established for Back Office activities like Clearing Process and Pension Processing. Other activities of the branches like Account Opening, Signature Scanning; Issuance of personalized Cheque Books etc. has been shifted to Back Office Processing Centre at Lucknow.

Information Technology:

- All 2516 branches and 81 offices are covered under the ambit of CBS. All the 567 branches & 4 extension counters of Gramin Banks sponsored by us have been migrated to CBS as on 24.09.2011
- Total no of ATMs has been increased to 316
- Bank has issued more than 12.78 lacs ATM cum Debit card to its customers

- हरित पहल के रूप में शाखाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा हेतु बाधामुक्त संप्रेषण के उद्देश्य से पूरे देश में 59 चयनित स्थानों पर हाई डेफिनिशन वीडियो कॉन्फेरिंग प्रणाली लागू की गई है।
- 24 अप्रैल 2011 को ग्राहकों हेतु मोबाइल बैंकिंग सुविधा आरंभ की गई है।
- बैंक ने अपने कारपोरेट ग्राहकों हेतु भी इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का विस्तार किया है यह सुविधा कतिपय शर्तों के साथ चालू, नकदी ऋण और ओवर ड्राफ्ट खातों में उपलब्ध है।
- As part of green initiative high definition video conferencing system implemented at 59 identified locations across the country in order to have seamless communication
- Mobile banking facility for the customers launched on 24th April 2011.
- Bank has extended internet banking facility to corporate customers also, the facility has been made available in current, cash credit & overdraft accounts also with certain terms & conditions.

ग्राहक सेवा

“बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति” उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित लोक सेवाओं संबंधी प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) के सुझावों के कार्यान्वयन को बैंक द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है। बैंक शिकायत मुक्त परिवेश की आदर्श स्थिति लाने हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। आनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की गई है।

अपने ग्राहक को जानिए और एंटी मनी लाउन्डरिंग

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने ग्राहक को जानिए/एंटी मनी लाउन्डरिंग मानदंडों से संबंधित विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देश अपनाए हैं। पीएमएलए 2002 उपबंधों के अनुसार अनिवार्य विवरणियों अर्थात् नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) और जाली मुद्रा रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं और सभी शाखाओं/कार्यालयों द्वारा इन विवरणियों को निर्धारित समय पर प्रस्तुत किए जाने हेतु उन्हें इसकी महत्ता और आवश्यकता से अवगत कराया गया है।

निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा

01.04.2010 से बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) को अपना लिया है। इस प्रणाली के अंतर्गत लेखापरीक्षा की योजना शाखा के जोखिम प्रोफाइल के संदर्भ में तैयार की जाती है और लेखापरीक्षा संसाधनों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की ओर लगाया जाता है।

वर्ष के दौरान एक ऑफ साइट मानितरिंग कक्ष स्थापित किया गया है जो पिछले कार्य दिवस के दौरान शाखा द्वारा लेनदेन में किए गए किसी बड़े विपथन/त्रुटि की सतत मानितरिंग करता है और तत्काल सुधारक कार्रवाई हेतु शाखाओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है। मार्च 2012 के दौरान धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन कक्ष की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य है समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों का बेहतर प्रशासन करना। इसके अतिरिक्त बैंक ने एडवांस्ड एप्रोच की दिशा में समेकित जोखिम प्रबंधन समाधान (आईआरएमएस) के कार्यान्वयन हेतु कंसलटेंट भी नियुक्त किया है।

सतर्कता

बैंक ने हाल के वर्षों में निवारक एवं भावी सतर्कता के क्षेत्र में अनेक नई पहल की है

- सतर्कता मुद्दों से संबंधित इंटरनेट साइट शुरू करना जिसमें सतर्कता विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश एवं सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं।

Customer Service

The Bank's "Customer Service Committee of the Board" is committed towards excellence in customer service. The suggestions of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services (CPPAPS), constituted by Reserve Bank of India, are accorded top priority for implementation in the Bank. The Bank is making constant endeavor to strive for and achieve an ideal situation of complaint free environment. An online complaint redressal mechanism has been introduced.

Know Your Customer & Anti Money Launderings

The Bank has adopted the comprehensive policy guidelines on Know Your Customer/Anti Money Laundering Norms in consonance with the Reserve Bank of India directives. The guidelines for submission of mandatory returns viz., Cash Transaction Reports (CTRs), Suspicious Transaction Reports (STRs) and Counterfeit Currency Reports as per the provisions of the PLMA, 2002 have been issued from time-to-time and all branches/offices have been sensitized on submission of these return within the prescribed time limit.

INSPECTION AND AUDIT

Bank has switched over to Risk Based Internal Audit (RBIA) from 1st April 2010. Under this system the audit plan is prepared with reference to the Risk Profile of the branch and audit resources are directed towards high risk areas.

An Off-Site Monitoring Cell has been established during the year which undertakes continuous Monitoring of any major deviation / error in transactions by the branches during the previous day's operation & follows up with them for immediate corrective action. A fraud Risk Management Cell has been set up during March 2012 with the objective of better administration of Concurrent Audit Report findings. Further, the Bank has also appointed Consultant for implementation of Integrated Risk Management Solution (IRMS) towards Advanced Approach.

VIGILANCE

Bank has taken many new initiatives in the area of preventive & predictive vigilance in the recent years.

- Introduction of intranet-site on vigilance issues which display important guidelines and information on various issues of vigilance department.

- बैंक ने बैंक से संबंधित विविध मुद्दों के संबंध में सीबीआई/पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की पहल की है जिसका उद्देश्य है उन्हें जटिल बैंकिंग लेनदेन और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करना तथा उन्हें भेजे गए मामलों के संबंध में बैंक की राय, चिंताओं और प्राथमिकताओं के बारे में भी समझाना। सीबीआई/पुलिस अधिकारियों हेतु ऐसा एक कार्यक्रम मई 2012 में आयोजित किया जाना है।
- बैंक ने सतर्कता मुद्दों पर 'ऑल एलर्ट' नामक बैंक के तिमाही न्यूज लेटर के 4 अंक प्रकाशित किए हैं जिसमें सतर्कता, विशेषकर निराधक सतर्कता मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विविधतापूर्ण विस्तृत सूचनाएं समाविष्ट रहती हैं।
- विभाग ने विभिन्न मंडलों में निराधक सतर्कता विषय पर कार्यशालाएं/ बैठकें आयोजित करने में पहल की है जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी ने विभिन्न ज्वलंत सतर्कता मुद्दों पर चर्चा की। विशेषकर, हाल ही में हुई धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली तथा बैंक की प्रणालियों और प्रक्रियाविधियों के अनुपालन में चूक/विपथन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
- Bank has taken initiative to impart training to officers of CBI/ Police on various issues relating to Bank with the objective to help them understand intricate banking transactions/procedures and also to understand bank's viewpoints, concerns & priorities in the cases referred to them. One such training programme for the officers of CBI/ Police is scheduled to be organised in May, 2012.
- Bank has published 4 issues of quarterly News Magazine on Vigilance matters covering detailed information on variety of important issues relating to vigilance, especially concerning preventive vigilance matters.
- Department has taken initiative for organising workshops/ meetings on preventive vigilance issues at various zones wherein CVO deliberated on various burning vigilance issues, especially on modus operandi of recent frauds & default / deviation in observance of systems & procedures of the Bank."

राजभाषा

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। तदनुसार राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेजों का द्विभाषी रूप में जारी किया जाना, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना, मैन्युअल और संहिताओं का द्विभाषिक रूप में प्रकाशन, लेखन सामग्री का द्विभाषीकरण आदि जैसी सांविधिक अपेक्षाओं को सुनिश्चित किया गया। वर्ष के दौरान हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी संख्या में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी पाठ्यक्रमों हेतु नामित किया गया। वर्ष के दौरान 187 हिन्दी कार्यशालाएं (3159 अधिकारियों/कर्मचारियों की सहभागिता) एवं 75 हिन्दी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम (669 अधिकारियों/कर्मचारियों की सहभागिता) आयोजित किए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सराहनीय कार्यनिष्पादन के लिए हमारे बैंक को अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए। बैंक को वर्ष 2009-10 हेतु राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित "इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार" के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया गया। यह पुरस्कार हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक ने दिनांक 14 सितंबर, 2011 को माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम एवं केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री एम. रामचन्द्रन व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह की उपस्थिति में भारत की महामहिम राष्ट्रपति माननीया प्रतिभा देवी सिंह पाटील से ग्रहण किया।

हमारे बैंक को वर्ष 2009-10 हेतु "रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता" के तहत भाषा क्षेत्र "क" में "प्रथम स्थान" एवं भाषा क्षेत्र "ख" तथा "ग" में क्रमशः "तृतीय स्थान" प्राप्त हुआ। हमारे बैंक की गृह पत्रिका त्रिवेणी धारा को रिजर्व बैंक द्विभाषिक गृह पत्रिका प्रतियोगिता 2010-11 के में "तृतीय पुरस्कार" प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार हमारे कार्यपालक निदेशक श्री एम.आर. नायक, ने 1 जून 2011 को भारिबैंक के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक के माननीय गवर्नर श्री डी. सुब्बाराव से ग्रहण किया।

हमारे बैंक की गृह पत्रिका त्रिवेणी धारा को रिजर्व बैंक द्विभाषिक गृह पत्रिका प्रतियोगिता 2010-11 हेतु "तृतीय पुरस्कार" प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार श्री एम.आर. नायक, कार्यपालक निदेशक ने भारिबैंक पुरस्कार वितरण

OFFICIAL LANGUAGE

Compliance of various provisions under the Official Language Policy was ensured in order to achieve the targets stipulated in the annual programme. Accordingly, statutory requirements in regard to bilingual issuance of documents under Section 3(3) of Official Language Act, reply of Hindi letters in Hindi, bilingual publication of manuals & codes, bilingualisation of stationery items was ensured. During the year a large number of officers and employees, not having working knowledge of Hindi, were nominated for various Hindi courses conducted by the Govt. of India. During the year, 187 Hindi Workshops (3159 Officers/Employees participated) and 75 Desk Training Programmes (669 Officers/Employees participated) were organized.

The Bank received several National level prizes for outstanding performance in the area of implementation of Official Language. Bank was awarded First Prize under prestigious "Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar" for the year 2009-10 for excellent performance in the area of Official Language Implementation from Official Language Department, Ministry of Home affairs, Government of India. The Prize was received by our Chairman and Managing Director on 14th September, 2011 from Her Excellency, Smt. Pratibha Devisingh Patil, President of India in presence of Hon'ble Union Home Minister Shri P. Chidambaram and Hon'ble Union Home Minister of State Shri M. Ramchandran and Hon'ble Union Home Minister of State Shri Jitendra Singh.

Our Bank secured "First Position" in linguistic Region 'A' and "Third Position" in linguistic Region 'B' and 'C' respectively under "Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition" for the year 2009-10. Our Executive Director Shri M. R. Nayak received the prizes from Shri D. Subbarao, Hon'ble Governor of Reserve Bank of India on 1st June, 2011 in a grand ceremony held at Central Office of the Reserve Bank of India.

Our Bank received "Third Prize" for Bank's Bilingual House Magazine 'Triveni Dhara' for the year 2010-2011. The award was received by the Sri M.R. Nayak, Executive Director from

समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक के माननीय गवर्नर श्री डी. सुब्बाराव से ग्रहण किया।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित 'अखिल भारतीय अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता 2010-11' के भाषा समूह 'क' में हमारे बैंक के प्रतिभागी को 'प्रथम स्थान' तथा इसी प्रतियोगिता के भाषा समूह 'ग' में हमारे बैंक के प्रतिभागी को 'द्वितीय स्थान' प्राप्त हुआ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुरस्कारों के अंतर्गत बैंक के प्रधान कार्यालय को "श्रेष्ठता प्रमाणपत्र" प्राप्त हुआ।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन को महानतम आस्ति मानने की बैंक की स्थापित धारणा के अनुरूप हमारे बैंक ने मानव पूंजी की बदलती आवश्यकताओं पर लगातार प्रतिक्रिया दर्शाई है और बैंक की रणनीतिपरक आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर प्रणाली में नए कार्मिकों की भर्ती कर मौजूदा जनशक्ति को मजबूत किया है। 2011-12 के दौरान बैंक ने 1541 अधिकारियों, लिपिकीय संवर्ग में 879 सिंगल विंडो आपरेटरों और 324 अधीनस्थ स्टाफ की भर्ती की है। वर्ष के दौरान 1600 परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं 225 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया का कार्य जारी है। बैंक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर अत्यधिक बल दे रहा है। वर्ष के दौरान मानव पूंजी हेतु ई-लर्निंग एवं प्रशिक्षण के अन्य वैकल्पिक उन्नत चैनलों पर काफी बल दिया गया।

प्रचार प्रयास

बैंक ने टेलीविजन, रेडियो और समाचारपत्रों/पत्रिकाओं होर्डिंग आदि के माध्यम से राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान चलाया। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक की छवि और ब्रांड पहचान बढ़ाने के लिए बैंक ने अपने विभिन्न उत्पादों के विपणन एवं इन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु भी प्रचार किया।

अनुषंगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम

आलबैंक फाइनेन्स लि. इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है जो कारपोरेट सलाहकार सेवा, परियोजना मूल्यांकन, इश्यू प्रबंधन, ऋण समूहन, डिबेंचर और ट्रस्टीशिप अंडरराइटिंग के काम में लगी हुई है और जिसने 2011-12 के दौरान ₹ 2.90 करोड़ का लाभ दर्ज किया। बैंक की आस्ति प्रबंधन कंपनी एसआरआईसी (इंडिया) लि. में अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ 27% की इक्विटी धारिता है।

साधारण बीमा व्यवसाय हेतु बैंक की संयुक्त उद्यम कंपनी "यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड" में इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक लि., डाबर इन्वेस्टमेंट लि. जापानी बीमा कंपनी सोम्पो के साथ 30% की इक्विटी धारिता है।

भावी योजनाएँ

बैंक अन्य कोर बैंकिंग गतिविधियों के अतिरिक्त रिटेल व्यवसाय, ऋण समूहन, स्वर्ण सिक्कों की बिक्री, सीएमएस तथा बैंकश्योरेंस आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा।

बैंक विदेशों में भी विस्तार की योजना बना रहा है।

निदेशक मंडल

2011-12 के दौरान निदेशक मंडल, बोर्ड की प्रबंधन एवं लेखा परीक्षा समिति ने क्रमशः 16, 20 और 11 बैठकें कीं। 2011-12 के दौरान निदेशक पदोन्नति समिति, शेरधारकों / निवेशकों की शिकायत(निवारण)

Shri D. Subbarao, Hon'ble Governor, Reserve Bank of India in the R.B.I. Prize Distribution ceremony.

Two participants of our Bank secured 'First' and 'Second' Position in linguistic groups 'A' and 'C' respectively in the All India Inter Bank Hindi Essay Writing Competition 2010-11 organized by the Reserve Bank of India.

Under the Town Official Language Implementation Committee prizes, Bank's Head Office received the "Shresthata Pramanpatra".

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

In line with the Bank's established conviction that the Human resources are the greatest asset, our bank has been constantly responding to the changing needs of human capital and strengthening the existing man power with the infusion of new blood in the system from time to time in accordance with the strategic needs of the Bank. During the financial year 2011-12, 1541 officers, 879 Single window operator-A in clerical cadre, 324 sub-staff have been inducted in the system. Further intake of 1600 Probationary officers and 225 specialist officers in lateral line during the year is in the pipeline. Bank has been giving paramount importance to the training and capacity building. Much emphasis was laid on e-learning and other alternate advanced channels of training during the year.

PUBLICITY ENDEVOURS

The bank has gone for nation-wide campaign on Television, Radio, and Newspapers/Magazines, hoardings etc. during the year 2011-12 for enhancing visibility and Image of the Bank. Bank has also made publicity for popularizing and marketing various products of the Bank.

SUBSIDIARY & JOINT VENTURE

All Bank Finance Ltd., a wholly owned subsidiary of Allahabad Bank, engaged in Corporate Advisory Services, Project Appraisal, Issue Management, Loan Syndication, Debenture and Trusteeship Underwriting, posted a profit of ₹ 2.90 Crore during 2011-12. The Bank holds 27% equity stake in Asset Management Company "ASREC (India) Ltd" along with other Banks/ Institutions

The Bank holds 30% equity stake in joint venture company "Universal Sompo General Insurance Company Limited" for general insurance business along with Indian Overseas Bank, Karnataka Bank Ltd., Dabur Investment Ltd. and Japanese insurance major Sompo.

FUTURE PLANS

The Bank will focus on Retail Business, Loan Syndication, Sale of Gold Coins, CMS and Bancassurance etc in addition to other core banking activities.

The Bank is planning for overseas expansion.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors, the Management Committee and the Audit Committee of the Board met 16, 20 and 11 times respectively during 2011-12. The Director's Promotion Com-

समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, ग्राहक सेवा समिति, परिलब्धि समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, नामांकन समिति, शेयर अंतरण समिति, शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति ने क्रमशः 4,2,5,6,4,2,4,1,2,1 एवं 2 बैठकें कीं।

सरकार द्वारा नामित निदेशक डा. शशांक सक्सेना ने 15.11.2011 को बोर्ड के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। डा. सक्सेना वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक श्री ए. उद्गाता ने 13.10.2011 को बोर्ड के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री उद्गाता शहरी बैंक विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के रूप में कार्यरत हैं।

डॉ. सुदीप चौधरी ने 10.02.2012 से पुनः शेयरधारक निदेशक के रूप में बोर्ड में पदभार ग्रहण किया। श्री चौधरी 1990 से भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता में प्रोफेसर (आर्थिक समूह) के रूप में सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

श्री ए.पी.वी.एन.शर्मा ने 10.02.2012 को शेयरधारक निदेशक के रूप में बोर्ड में पदभार ग्रहण किया। श्री शर्मा एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। जिन्हें लोक प्रशासन एवं उद्योग क्षेत्र में 36 वर्षों का अनुभव है।

श्री अशोक विज ने 10.02.2012 को शेयरधारक निदेशक के रूप में बोर्ड में पदभार ग्रहण किया। श्री विज एक सनदी लेखाकार हैं जिन्हें वित्तीय एवं प्रबंधन परामर्श, लेखापरीक्षा, कराधान एवं व्यवसाय सलाहकार सेवा के क्षेत्र में 32 वर्षों का अनुभव है।

वर्ष के दौरान श्रीमती सुकृति लिखी, श्री एस. रामस्वामी, श्री पी.वी. गुडी रेड्डी, श्री डी.के. कपिला, डा. शकील-उज-जमान अंसारी, डा. वी.बी. कौजलगी एवं डा. सुदीप चौधरी अपना कार्यकाल पूरा होने पर निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त हुए।

आभार

निदेशक मंडल बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों को उनके सतत समर्थन और संरक्षण हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार तथा अन्य नियामक एजेंसियों के प्रति उनकी बहुमूल्य एवं सामयिक सलाह मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है एवं उनके सतत समर्थन एवं सहयोग की कामना करता है। बैंक के प्रति ग्राहकों द्वारा व्यक्त किए गए सतत विश्वास और भरोसे के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक मंडल विदा हो चुके सदस्यों के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है और नए पदाधिकारियों का स्वागत करता है। निदेशक मंडल बैंक कर्मियों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए सहर्ष सराहना ज्ञापित करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,



(जे.पी. दूआ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 05 मई, 2012

स्थान : कोलकाता

mittee, Shareholders'/Investors' Grievance Committee, IT Committee, Fraud Monitoring Committee, Customer Service Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Nomination Committee, Share transfer Committee, Share Issue & Allotment Committee met 4, 2, 5, 6, 4, 2, 4, 1, 21, and 2 times respectively during 2011-12.

The Govt. Nominee Director, Dr. Shashank Saksena joined the Board as Director from 15.11.2011. Dr. Saksena is working as Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India.

The RBI Nominee Director, Shri A Udgata joined the Board as Director from 13.10.2011. Shri Udgata is working as Chief General Manager (CGM), Urban Banks Department, at Central Office RBI Mumbai.

Dr. Sudip Chaudhuri rejoined the Board as Shareholders' Director from 10.02.2012. Dr. Chaudhuri has been serving Indian Institute of Management, Calcutta as Professor (Economics Group) since 1990.

Shri A .P. V. N. Sarma joined the Board as Shareholders' Director from 10.02.2012. Shri Sarma is a retired IAS officer and is having 36 years of experience in Public Administration and Industries.

Shri Ashok Vij joined the Board as Shareholders' Director from 10.02.2012. Shri Vij is a Chartered Accountant having 32 years experience in the areas of Financial & Management consultancy, Audit, Taxation and Business Advisory Services.

During the year Smt Sukriti Likhi, Shri S Ramaswamy, Shri P. V. Guddi Reddy, Shri D K Kapila, Dr. Shakeel-Ul-Zaman Ansari, Dr. V. B. Kaujalgi & Dr. Sudip Chadhuri retired from the Board of Directors after completion of their tenure.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors records its appreciation for continued support and patronage of the shareholders/investors of the Bank. The Board of Directors gratefully acknowledges the valuable and timely advice, guidance and support from the Reserve Bank of India, Government of India and other regulatory agencies and look forward to their continued support and co-operation. The Board of Directors is thankful to the customers for their continued trust and confidence on the Bank. The Board records its appreciation for valuable contributions of the outgoing members and welcomes the new incumbents. The Board of Directors is pleased to place on record their appreciation for the committed services of all the employees of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,



(J.P.Dua)

Chairman & Managing Director

Date : 5 May, 2012

Place : Kolkata

बासेल-II के अंतर्गत बाजार प्रकटीकरण यथास्थिति 31.03.2012 को नई पूँजी पर्याप्तता संरचना

जोखिम प्रबंधन

1. वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, दुनिया भर के बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के सामने विभिन्न प्रकार के जोखिम मौजूद हैं। बासेल-II समझौते के अस्तित्व में आने और दुनिया भर में इसकी बढ़ती प्रयोज्यता के चलते जोखिम प्रबंधन के बारे में सशक्त तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई। चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की जोखिम प्रबंधन प्रणालियां बनाई हैं।
2. बैंक के जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रमुखतः समुचित पहचान, मापन, निगरानी/ नियंत्रण और जोखिम उपशमन द्वारा प्रत्याशित आगम और संभावित जोखिमों के बीच समुचित सामंजस्य बैठाते हुए शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है।
3. बैंक ने अपने यहाँ जोखिम प्रबंधन का समुचित संगठनात्मक ढाँचा गठित किया है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी नोट के अनुसरण में “बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति” नामक एक बोर्ड स्तरीय उप-समिति का गठन किया गया है। समिति बैंक द्वारा सामना किए गए सभी जोखिमों का मूल्यांकन करती है और जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी तथा नियंत्रण हेतु प्रभावी प्रणाली विकसित करती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड समिति शीर्ष स्तर पर विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों का समेकन करती है अर्थात् ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के माध्यम से समेकन।
4. महाप्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबंधन) बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत रूप में जोखिम प्रबंधन के कार्य को देख रहे हैं, जो बैंक में उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवसाय विभागों से स्वतंत्र है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने 31 मार्च, 2008 से नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (बासेल-II) कार्यान्वित की है। यथासंदर्भित बासेल-II संरचना, तीन परस्पर संबद्ध स्तम्भों पर आधारित है। संशोधित संरचना का **स्तम्भ -1** ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम हेतु आवश्यक न्यूनतम पूँजी आवश्यकता की देखभाल करता है। **स्तम्भ -2** (पर्यवेक्षण समीक्षा प्रक्रिया) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्या बैंक के पास उसके व्यवसाय से जुड़े समस्त जोखिमों हेतु जोखिम प्रोफाइल एवं नियंत्रण प्रणाली के अनुरूप पर्याप्त पूँजी है। बैंक के पास यथापेक्षित, आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।
6. **स्तम्भ-3 बाजार अनुशासन** से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जैसा निर्देशित किया गया है, बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण (दोनों मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक) का एक सेट सारणी **डीएफ 1 से डीएफ 10 (संलग्न है)** तक प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागियों को क्रियान्वयन, पूँजी जोखिम एक्सपोजर, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक के जोखिम प्रोफाइल एवं पूँजीकरण के स्तर आदि से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इससे बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदंडों पर बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में आवश्यक आंकड़े भी मिल सकेंगे।

MARKET DISCLOSURE UNDER BASEL-II NEW CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK AS ON 31.03.2012

RISK MANAGEMENT

1. Consequent upon globalization, Banks and other financial institutions all over the world are exposed to different types of risks. The emergence of Basel-II accord and its increasing applicability throughout the world calls for sound practices in risk management. To cope with the challenges, the Bank has put in place various risk management practices and processes in line with the guidelines of the Reserve Bank of India issued from time to time.
2. The Bank's risk management objectives broadly covers proper identification, measurement, monitoring / control and mitigation of the risks towards enhancing and maximizing the shareholders' value by addressing appropriate trade off between an expected reward and potential risk.
3. The Bank has set up appropriate risk management organization structure. Board Level Sub-Committee known as "Risk Management Committee" has been constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management System. The Committee evaluates overall risks faced by the Bank and put in place effective system to identify measure, monitor and control risk. The committee further integrates various risk management functions at committee level. i.e., integration through Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Committee (ALCO).
4. General Manager (Integrated Risk Management) is looking after functioning of risk management aspect in integrated manner at Bank's Head Office, who is independent of business departments, for implementing best risk management systems and practices in the Bank.
5. In line with the guidelines issued by the RBI, the Bank has implemented New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from March 31, 2008. The Basel-II framework, as referred, is based on three mutually reinforcing pillars. While **Pillar-1** of the revised framework addresses minimum capital requirement for Credit, Market and Operational risk, **Pillar-2** (Supervisory Review Process) intends to ensure that the banks have adequate capital to address all the risks in their business commensurate with Bank's risk profile and control environment. As required, the bank has put in place a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
6. **Pillar-3** refers to **Market Discipline**. As directed by the RBI, a set of disclosures (both qualitative & quantitative) are published in **Tables DF 1 to DF 10 (annexed)** with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to access key information on the scope of application, capital risk exposures, risk assessment processes, bank's risk profile and level of capitalization etc. This would also provide the market participants with the necessary data to evaluate the performance of the bank in various parameters.

सारणी डीएफ - 1

प्रयोज्यता

31.03.2012 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण																									
<p>क) समूह में शीर्ष बैंक का नाम, जिस पर संरचना लागू है।</p> <p>ख) लेखा एवं विनियामक प्रयोजन हेतु समेकन आधार पर विसंगतियों की रूपरेखा, समूह के अंतर्गत कंपनियों का संक्षिप्त विवरण</p> <p>i) जो पूर्णतः समेकित हैं ;</p> <p>ii) जो समानुपातिक आधार पर समेकित हैं ;</p> <p>iii) जो घटाई गई हैं ; तथा</p> <p>iv) जो न तो समेकित हैं न ही घटाई गई हैं (अर्थात् जहाँ निवेश जोखिम आधारित है)</p>	<p>क) प्रकटीकरण का ढांचा इलाहाबाद बैंक पर प्रयोज्य है जो समूह में शीर्ष बैंक है।</p> <p>ख) बैंक की अनुषंगी/सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम निम्नानुसार हैं</p> <p>अनुषंगी कंपनी: बैंक की एक निम्नलिखित अनुषंगी कंपनी है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अनुषंगी कंपनी का नाम</th> <th>देश में निगमन</th> <th>स्वामित्व (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आल बैंक फाइनेन्स</td> <td>भारत</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>सहायक संस्था: बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नलिखित हैं।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक का नाम</th> <th>देश में निगमन</th> <th>स्वामित्व (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक*</td> <td>भारत</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>शारदा ग्रामीण बैंक</td> <td>भारत</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे दो पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बंद कर एक नया समामेलित क्षेत्रीय अर्थात् इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक 02.03.2010 से अस्तित्व में आया।</p> <p>संयुक्त उद्यम : बैंक ने निम्नलिखित संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी एवं आरिस्टि प्रतिभूतिकरण में निवेश किया है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक का नाम</th> <th>देश में निगमन</th> <th>स्वामित्व (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</td> <td>भारत</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>मेसर्स एएसआरईसी (इंडिया) लि.</td> <td>भारत</td> <td>27.04%</td> </tr> </tbody> </table> <p>अनुषंगी, सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानकों क्रमशः 21, 23 और 27 के अनुसार लेखा विवरण में समेकित किया गया है।</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की सीआरएआर की गणना हेतु अनुषंगी, सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को टियर-I और टियर-II पूंजी में से समान रूप से घटाया गया है।</p>	अनुषंगी कंपनी का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	आल बैंक फाइनेन्स	भारत	100%	बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक*	भारत	35%	शारदा ग्रामीण बैंक	भारत	35%	बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	30%	मेसर्स एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	27.04%
अनुषंगी कंपनी का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)																							
आल बैंक फाइनेन्स	भारत	100%																							
बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)																							
इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक*	भारत	35%																							
शारदा ग्रामीण बैंक	भारत	35%																							
बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)																							
मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	30%																							
मेसर्स एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	27.04%																							

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(राशि: ₹ करोड़ में)

1	समेकन में शामिल न की गई सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमी की कुल मात्रा अर्थात् जो घटाई गई हैं और ऐसी अनुषंगियों के नाम।	किसी अनुषंगी के संबंध में पूंजी का कोई अभाव नहीं है।
2	बीमा कंपनियां जो जोखिम भारित हैं, के नाम के साथ-साथ उनमें बैंक के कुल निवेश की सकल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य), उनके निवास या निगमन का देश, मालिकाना हक का अंश और यदि भिन्न हो, तो इन कंपनियों में मताधिकार शक्ति का अनुपात। इसके अतिरिक्त, कटौती प्रणाली के सापेक्ष इस प्रणाली का प्रयोग करने पर विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव।	बैंक ने बीमा संयुक्त उद्यम अर्थात् यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत में निगमित है, में इक्विटी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ₹ 105.00 करोड़ की राशि निवेश की है जो इसकी कुल निर्गमित पूंजी का 30% है जिसे भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार जोखिम भार प्रदान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी में निवेश बैंक की पूंजी में से घटाया गया है, क्योंकि बैंक का निवेश महत्वपूर्ण निवेश के स्तर से अधिक है, जो कि निवेशी संस्थाओं की प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक नहीं है।

Table DF – 1

SCOPE OF APPLICATION

Position as on 31.03.2012

Qualitative Disclosures																									
<p>a) The name of the top Bank in the group to which the framework applies.</p> <p>b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group</p> <p>i) that are fully consolidated; ii) that are pro-rata consolidate; iii) that are given a deduction treatment; and iv) That are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).</p>	<p>a) The framework of disclosures applies to Allahabad Bank, which is the top bank in the group.</p> <p>b) The Bank's subsidiary /Associates and Joint venture are as under: Subsidiary: The Bank has one subsidiary as under:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Name of Subsidiary</th> <th style="text-align: center;">Country of Incorporation</th> <th style="text-align: center;">Ownership (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All Bank Finance</td> <td style="text-align: center;">India</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Associates: Two Regional Rural Banks sponsored by the Bank are as under.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Name of Banks</th> <th style="text-align: center;">Country of Incorporation</th> <th style="text-align: center;">Ownership (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Allahabad UP Gramin Bank*</td> <td style="text-align: center;">India</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> <tr> <td>Sharda Gramin Bank</td> <td style="text-align: center;">India</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Our two erstwhile RRBs in the state of UP, namely Lucknow Kshetriya Gramin Bank and Triveni Kshetriya Gramin Bank have ceased to exist and a new amalgamated RRB, i.e., Allahabad UP Gramin Bank has come into existence w.e.f. 02.03.2010.</p> <p>Joint Venture: The Bank has invested in Joint Venture Insurance company and Asset Securitisation company as under:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Name of Company</th> <th style="text-align: center;">Country of Incorporation</th> <th style="text-align: center;">Ownership (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M/S Universal Somp General insurance Company Limited</td> <td style="text-align: center;">India</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td>M/S ASREC (INDIA) LTD.</td> <td style="text-align: center;">India</td> <td style="text-align: center;">27.04%</td> </tr> </tbody> </table> <p>The Subsidiary, Associates and Joint Ventures are consolidated in the Statement of Accounts as per Accounting Standard 21, 23 and 27 respectively of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). For computation of CRAR of the Bank, investment in Subsidiary, Associates and Joint Ventures are deducted from Tier-I and Tier-II capital equally as per RBI guidelines.</p>	Name of Subsidiary	Country of Incorporation	Ownership (%)	All Bank Finance	India	100%	Name of Banks	Country of Incorporation	Ownership (%)	Allahabad UP Gramin Bank*	India	35%	Sharda Gramin Bank	India	35%	Name of Company	Country of Incorporation	Ownership (%)	M/S Universal Somp General insurance Company Limited	India	30%	M/S ASREC (INDIA) LTD.	India	27.04%
Name of Subsidiary	Country of Incorporation	Ownership (%)																							
All Bank Finance	India	100%																							
Name of Banks	Country of Incorporation	Ownership (%)																							
Allahabad UP Gramin Bank*	India	35%																							
Sharda Gramin Bank	India	35%																							
Name of Company	Country of Incorporation	Ownership (%)																							
M/S Universal Somp General insurance Company Limited	India	30%																							
M/S ASREC (INDIA) LTD.	India	27.04%																							

SL No

QUANTITATIVE DISCLOSURES

(Amount: ₹ in crores)

1	The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the names of such subsidiaries.	There is no deficiency in respect of any subsidiary.
2	The aggregate amounts (e.g., current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and if different the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	The Bank has made investment amounting to ₹ 105.00 Crores by way of equity subscription in an insurance joint venture i.e., Universal Somp General Insurance Company Limited incorporated in India, representing 30% of the company's paid-up capital. Investment in the joint venture insurance company is not deducted from Capital of the Bank as per RBI Guidelines, since the Bank's investment is not above the level of significant investment, which is not more than 30% of the investee entity's paid-up capital.

सारणी डीएफ - 2

पूँजी संरचना

31.03.2012 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण	
सभी पूँजी लिखतों विशेषकर, टियर-I या अपर टियर-II में शामिल होने की पात्र पूँजी लिखतों की मुख्य विशिष्टताओं के निबंधनों एवं शर्तों का सार	बैंक द्वारा समय-समय पर जारी टियर-I, टियर-II बांडों की शर्तों, इस संबंध में भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में हैं।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
1	निम्नलिखित के पृथक प्रकटीकरण के साथ टियर-I पूँजी की राशि :		
	1.1 प्रदत्त शेयर पूँजी;	500.03	
	1.2 आरक्षितियाँ;	9133.48	
	1.3 नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखत	300.00	
	1.4 अन्य पूँजी लिखत;	—	
	1.5 साख एवं निवेश सहित टियर-I पूँजी से कटौती की गई राशियाँ	21.31	
	1.6 कुल टियर-I पूँजी		9912.20
2	टियर-II पूँजी की कुल राशि (टियर-II पूँजी से कटौती छोड़कर)		4023.02
3.	अपर टियर-II पूँजी में शामिल करने हेतु पात्र ऋण पूँजी लिखत		
3.1	कुल बकाया राशि	1000.00	
3.2	इसमें से चालू वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	0.00	
3.3	पूँजीगत निधि के रूप में गणना हेतु पात्र राशि	1000.00	
4.	लोअर टियर-II पूँजी में शामिल करने हेतु पात्र गौण ऋण		
4.1	कुल बकाया राशि	2611.90	
4.2	इसमें से चालू वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	0.00	
4.3	पूँजीगत निधि के रूप में गणना हेतु पात्र राशि	2099.52	
5.	पूँजी से अन्य कटौतियाँ यदि कोई हो	21.31	
6.	कुल पात्र पूँजी (टियर-I + टियर-II)		13935.22

टियर-I के अंतर्गत पात्र नवोन्मेष शाश्वत ऋण लिखतों से संबंधित सूचना:

क्र.सं.	आवंटन की तिथि	बांड (राशि ₹ करोड़ में)	कूपन दर	अवधि	ब्याज भुगतान तिथि	सूचीबद्ध	रेटिंग
1	30.03.2009	150.00	9.20%	शाश्वत	प्रतिवर्ष 30 मार्च	एनएसई	केयर-एए क्रिसिल-एए+
2	18.12.2009	150.00	9.08%	शाश्वत	प्रतिवर्ष 18 दिसंबर	एनएसई	केयर-एए क्रिसिल-एए+

अपर टियर-II के अंतर्गत पात्र नवोन्मेष ऋण लिखतों से संबंधित सूचना:

क्र.सं.	आबंटन की तिथि	बांड (राशि ₹ करोड़ में)	कूपन दर	अवधि	व्याज भुगतान तिथि	सूचीबद्ध	रेटिंग
1	19.03.2009	500.00	9.28%	180 माह	प्रतिवर्ष 19 मार्च	एनएसई	केयर-एए क्रिसिल-एए
2	18.12.2009	500.00	8.58%	180 माह	प्रतिवर्ष 18 दिसंबर	एनएसई	केयर-एए क्रिसिल-एए+

लोअर टियर-II के अंतर्गत पात्र गौण ऋण लिखतों से संबंधित सूचना:

क्र.सं.	आबंटन की तिथि	बांड (राशि ₹ करोड़ में)	कूपन दर	अवधि	बांड राशि (बट्टाकृत) (करोड़ में)	व्याज भुगतान तिथि	सूचीबद्ध	रेटिंग
2	31.03.2004	200.00	5.90%	99 माह	0.00	31 मार्च वार्षिक	बीएसई व एनएसई	केयर- एए+ फिच-एए
3	13.03.2006	500.00	8.00%	120 माह	300.00	13 मार्च और सितम्बर अर्ध वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
4	29.09.2006	561.90	8.85%	120 माह	449.52	29 सितम्बर वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
5	25.09.2007	500.00	10.00%	120 माह	500.00	31 मार्च वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
6	26.03.2009	400.00	9.23%	120 माह	400.00	26 मार्च वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
7	04.08.2009	450.00	8.45%	120 माह	450.00	4 अगस्त वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
	कुल	2611.90			2099.52			

Table DF – 2

CAPITAL STRUCTURE

Position as on 31.03.2012

Qualitative Disclosures	
Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.	The terms and conditions of Tier-I & Tier II Bonds issued by the Bank from time to time adhere to applicable RBI guidelines in this respect.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ In crores)	
1	The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of:		
	1.1 paid-up share capital;	500.03	
	1.2 reserves;	9133.48	
	1.3 innovative perpetual debt instruments;	300.00	
	1.4 other capital instruments;	—	
	1.5 amounts deducted from Tier-I capital, including goodwill and investments.	21.31	
	1.6 Total Tier-I Capital		9912.20
2	The total amount of Tier-II capital (net of deductions from Tier -II capital)		4023.02
3	Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier-II capital		
	3.1 Total amount outstanding	1000.00	
	3.2 Of which amount raised during the current year	0.00	
	3.3 Amount eligible to be reckoned as capital funds	1000.00	
4	Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital		
	4.1 Total amount outstanding	2611.90	
	4.2 Of which amount raised during the current year	0.00	
	4.3 Amount eligible to be reckoned as Capital funds	2099.52	
5	Other deductions from capital, if any.	21.31	
6	Total eligible capital (Tier-I + Tier-II)		13935.22

Information about Innovative Perpetual Debt Instruments eligible under Tier-I:

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND AMT. (in Rs. Crores)	COUPON RATE	TENOR	INTEREST PAYMENT DATE	LISTED	RATING
1	30.03.2009	150.00	9.20%	Perpetual	30 th March every year	NSE	CARE- AA CRISIL- AA+
2	18.12.2009	150.00	9.08%	Perpetual	18 th December every year	NSE	CARE- AA CRISIL- AA+

Information about Innovative Instruments eligible under Upper Tier-II:

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND AMT. (In Crores)	COUPON RATE	TENOR	INTEREST PAYMENT DATE	LISTED	RATING
1	19.03.2009	500.00	9.28%	180 months	19 th March every year	NSE	CARE- AA CRISIL- AA
2	18.12.2009	500.00	8.58%	180 months	18 th December every year	NSE	CARE- AA CRISIL- AA+

Information about Subordinated Debt Instruments eligible under Lower Tier-II:

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND AMT. (In Crores)	COUPON RATE	TENOR	BOND AMT. (Discounted) (in crores)	INTEREST PAYMENT DATE	LISTED	RATING
1.	31.03.2004	200.00	5.90%	99 months	0.00	31 st March Annual	BSE & NSE	CARE- AA+ FITCH- AA
2.	13.03.2006	500.00	8.00%	120 months	300.00	13 th March and September (Semi annual)	NSE	CARE- AA+ CRISIL-AA+
3.	29.09.2006	561.90	8.85%	120 months	449.52	29 th September Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL-AA+
4.	25.09.2007	500.00	10.00%	120 months	500.00	31 st March Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL-AA+
5.	26.03.2009	400.00	9.23%	120 months	400.00	26 th March Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL-AA+
6.	04.08.2009	450.00	8.45%	120 months	450.00	4 th August Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL-AA+
	TOTAL	2611.90			2099.52			

सारणी डीएफ - 3

पूँजी पर्याप्तता

31.03.2012 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

अपनी वर्तमान और भावी गतिविधियों के समर्थन हेतु अपनी पूँजी की पर्याप्तता का निर्धारण करने के बैंक के दृष्टिकोण पर चर्चा का सार

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1992 में भारत के बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता उपाय के रूप में जोखिम आस्ति अनुपात प्रणाली लागू की जिसमें ऋण जोखिम के घटक शामिल थे। तुलन पत्र आस्तियों, गैर निधिक मदों और अन्य तुलनपत्र बाह्य निवेशों को निर्धारित जोखिम भारिता समनुदेशित की जाती है और बैंक को सतत आधार पर सकल जोखिम भारित आस्तियों पर निर्धारित अनुपात के समतुल्य न्यूनतम अक्षुण्ण पूँजीगत निधियां बनाए रखनी होंगी। बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश सहित सकल जोखिम भारित आस्तियों पर 31 मार्च 1993 तक पूँजी पर्याप्तता के 4% के न्यूनतम स्तर को और 31 मार्च 1996 तक 8% के न्यूनतम स्तर को बनाए रखें। तदनन्तर पूँजी पर्याप्तता अनुपात के न्यूनतम स्तर को 9% तक बढ़ाया गया। ये दिशानिर्देश बासेल-1 दिशानिर्देश के रूप में जाने जाते हैं।
2. 27 अप्रैल, 2007 को भारिबैंक ने बासेल-II के अंतर्गत “नई पूँजी पर्याप्तता संरचना पर अंतिम दिशानिर्देश” जारी किए। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विषय से संबंधित कुछ बातों के बारे में 31 मार्च 2008 को स्पष्टीकरण जारी किए हैं। कुछ आवधिक परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 जुलाई, 2010 को पूँजी पर्याप्तता तथा बाजार अनुशासन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नई पूँजी पर्याप्तता संरचना के संबंध में एक मास्टर परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों में ऋण मार्केट और परिचालन जोखिम में स्पष्ट भेद किया गया है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने दिनांक 31.03.2008 से नई पूँजी पर्याप्तता संरचना को अपना लिया है। बैंक लगातार एक्सपोजर का अनुसरण करते हुए बासेल-II संरचना की समानांतर प्रक्रिया को जारी रख रहा है और विवेकपूर्ण धरातल दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से त्रैमासिक आधार पर बैंक के सीआरएआर पर प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।
4. बासेल-II संरचना ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता सुनिश्चित करने हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध कराती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने 31 मार्च 2008, 2009, 2010 और 2011 की भांति यथास्थिति 31 मार्च 2012 को पूँजी की संगणना हेतु ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है। बैंक बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षा की संगणना हेतु 31 मार्च 2008 से मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपना रहा है। वस्तुतः, अब तक ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के लिए पूँजी बनाए रखने के अतिरिक्त, बैंक दिनांक 31.03.2008 से परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी बनाए रखता है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा सतत आधार पर ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के संबंध में, बासेल दस्तावेज में निर्धारित 8 प्रतिशत के सापेक्ष 9 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखना निर्धारित किया है। बासेल-II दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) की तुलना में कुल पूँजी यथास्थिति 31.03.2012 को 12.83% प्रतिशत निकलती है। टियर I सीआरएआर भारिबैंक के 6.00% के निर्धारण के सापेक्ष 9.13% है। मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए पूँजी की संगणना में, बैंक ने सीबीएस प्रणाली के द्वारा प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आँकड़ों पर भरोसा किया है। जैसाकि मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत भारिबैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित है, बैंक ने ऋण जोखिम के लिए पूँजी की संगणना में ऋण जोखिम उपशमन का प्रयोग किया है। परिचालन जोखिम एवं बाजार जोखिम हेतु आँकड़ों का समेकन प्रधान कार्यालय स्तर पर किया गया है।
6. बैंक निरन्तर अपनी पूँजी जरूरतों का मूल्यांकन कर रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शेरों के अधिमान्य आबंटन के माध्यम से लगाए गए ₹ 23.81 करोड़ की पूँजी से सरकार का शेयर 58% से घटकार 55.24% रह गया है, जिससे कि चालू एवं भविष्य में व्यवसाय को बढ़ाने हेतु पूँजी संरचना का अतिरिक्त रूप से समर्थन करने एवं अपेक्षित सीआरएआर को पूरा करने के लिए बैंक के पास टियर I और टियर II पूँजी संग्रहण के लिए पर्याप्त हेडरूम उपलब्ध है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
1	जोखिम प्रबंधन हेतु पूँजी आवश्यकताएँ		8455.26
	1.1 मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभाग	8455.26	
	1.2 प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	0.00	
2	बाजार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ (मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण)		517.35
	2.1 ब्याज दर जोखिम	391.23	
	2.2 विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम(स्वर्ण सहित)	2.71	
	2.3 इक्विटी जोखिम	123.41	
3	परिचालनगत जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ (मूल संकेतक दृष्टिकोण)		799.16
4	कुल एवं टियर-I पूँजी अनुपात :		
	4.1 कुल सीआरएआर		12.83%
	4.2 टियर I सीआरएआर		9.13%

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Position as on 31.03.2012

Qualitative Disclosures	
A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:	
1.	The Reserve Bank of India (RBI) introduced a Risk Asset Ratio System for banks in India as a capital adequacy measure covering the elements of Credit Risk in April 1992. The Balance sheet assets, non-funded items and other off-balance sheet exposures are assigned prescribed risk weights and banks have to maintain unimpaired minimum capital funds equivalent to the prescribed ratio on the aggregate of the risk weighted assets on an on going basis. Banks were advised to ensure capital adequacy at a minimum level of 4% on the aggregated risk weighted assets including both fund based and non-fund based exposures by 31 st March-1993 and 8% by 31 st March-1996. The Minimum level of Capital Adequacy was increased to 9% subsequently. These guidelines together are known as Basel-I guidelines.
2.	On 27 th April, 2007, the RBI released the "Final Guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework" under Basel-II. In addition, the RBI issued clarifications on 31 st March, 2008 on certain issues related to the subject. Incorporating some intermittent changes, the RBI released the master circular on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline- New Capital Adequacy Framework on July 01, 2010. These guidelines make clear distinction between Credit, Market and Operational risks.
3.	In line with the RBI guidelines, the Bank migrated to the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.03.2008. The Bank is continuing with the parallel run of Basel I norms and studying the impact on Bank's CRAR on quarterly basis with a view to ensuring compliance with the guidelines under "prudential floor".
4.	Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. In accordance with the RBI's guidelines, the Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk, and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital as on 31 st March, 2012 also like as on 31 st March 2008, 2009, 2010 and 2011. The Bank continues to apply the Standardized Duration Approach (SDA) for computing capital requirement for market risks with effect from 31 st March, 2008. As such, in addition to maintaining capital for credit risk and market risk as hitherto, the Bank maintains capital for operational risk from 31.03.2008.
5.	Reserve Bank of India prescribes Banks to maintain a minimum Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9 percent with regard to credit risk, market risk and operational risk on an ongoing basis, as against 8 percent prescribed in Basel Documents. The total Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as per Basel – II guidelines works to 12.83% as on 31.03.2012. The Tier-I CRAR stands at 9.13% as against RBI's prescription of 6.00%. In computation of capital for credit risk under Standardized Approach, the Bank has relied upon the data captured from each individual branch through the CBS system. The Bank has used the credit risk mitigants in computation of capital for credit risk, as prescribed in the RBI guidelines under Standardized Approach. The data for Operational Risk and Market Risk have been consolidated at Head Office.
6.	The Bank is continuously evaluating its capital requirement. The capital infusion of ₹ 23.81 crores by the LIC through allotment of shares has reduced the Govt.'s share to 55.24% from 58%, still leaving sufficient headroom for the Bank to mobilize Tier I and Tier II capital to additionally support capital structure and meet the CRAR requirements against current and future business expansion.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)	
1	Capital requirements for Credit Risk:		8455.26
	1.1 portfolios subject to standardized approach	8455.26	
	1.2 securitization exposures	0.00	
2	Capital requirements for Market Risk (Standardize Duration Approach)		517.35
	2.1 interest rate risk	391.23	
	2.2 foreign exchange risk (including gold)	2.71	
	2.3 equity risk	123.41	
3	Capital requirements for Operational Risk (Basic Indicator Approach)		799.16
4	Total and Tier-1 Capital Ratio:		
	4.1 Total CRAR		12.83%
	4.2 Tier-I CRAR		9.13%

सारणी डीएफ - 4

ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2012 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. ऋण जोखिम

- 1.1 उधार देने में कई तरह के जोखिम हैं। ऋण जोखिम उधारकर्ताओं अथवा प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में हास से संबंधित हानि की संभावना है।
- 1.2 ऋण जोखिम या चूक जोखिम ग्राहक अथवा प्रतिपक्षी द्वारा उधार, ट्रेडिंग, हेजिंग, निपटान एवं अन्य वित्तीय लेनदेनों से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अनिच्छा या अक्षमता के कारण होता है। ऋण जोखिम आमतौर पर लेनदेन जोखिम या चूक जोखिम एवं संविभाग जोखिम से उत्पन्न होता है।
- 1.3 ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण निवेश सीमा, उद्योग निवेश सीमा, ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित प्राइसिंग, ऋण समीक्षा तंत्र और ऋण जोखिम शमन जैसे उपकरणों का प्रयोग बैंक द्वारा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाता है। ऋण जोखिम को संपार्श्विक प्रतिभूति और गारंटियां प्राप्त करते हुए विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में खंडीय निवेश सीमा, विवेकपूर्ण निवेश और पर्याप्त निवेश उच्चतम सीमा और जोखिम शमन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।

2. ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ :

- 2.1 बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक सुव्यवस्थित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति दस्तावेज संगठनात्मक संरचना, भूमिका एवं दायित्व तथा प्रक्रियाओं को परिभाषित करती हैं जिसके माध्यम से बैंक को होने वाले ऋण जोखिमों की पहचान, आकलन करने में मदद मिलती है और उनका प्रबंधन उस संरचना के अंतर्गत किया जाता है जिसे बैंक अपने अधिदेश एवं जोखिम वहनशीलता के अनुरूप उपयुक्त समझता है।
- 2.2 बैंक द्वारा खातावार ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं/एक्सपोजर कैप के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता की भी निगरानी की जाती है और ऋण जोखिम से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने हेतु आंतरिक दक्षता विकसित की जाती है।
- 2.3 उत्तम ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, निवेश नीति, देश जोखिम प्रबंधन नीति वसूली नीति आदि भी है जो ऋण जोखिम की निगरानी के अभिन्न अंग हैं। और विभिन्न नियामक अपेक्षाओं का विशेष रूप से भारिबैं/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के निवेश मानदंडों, प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों, आय अभिज्ञान और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन आदि संबंधी दिशानिर्देशों के संदर्भ में अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
- 2.4 इसके अतिरिक्त बैंक की ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति भी है जिसमें बैंक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियाँ और ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित किए गए हैं। ये प्रतिभूतियाँ उस ऋण जोखिम के विरुद्ध उपशमन के रूप में कार्य करती हैं जिसमें बैंक एक्सपोज्ड हो।

3. बैंक की संरचना एवं प्रणाली :

- 3.1 बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रकार्यों की विशेष निगरानी और समन्वय हेतु निदेशक मंडल द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) नामक निदेशकों की उपसमिति का गठन किया गया है।
- 3.2 ऋण नीति सहित विभिन्न ऋण जोखिम कार्यनीतियां बनाने और इनके कार्यान्वयन हेतु तथा नियमित आधार पर बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी हेतु ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

4. ऋण मूल्यांकन /आंतरिक रेटिंग :

- 4.1 बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन हरेक उधारकर्ता एवं संविभाग स्तर पर जोखिमों के सतत मापन एवं निगरानी के माध्यम से करता है। बैंक के पास एक सशक्त आंतरिक क्रेडिट रेटिंग संरचना और सुव्यवस्थित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रणाली है।
- 4.2 आंतरिक जोखिम रेटिंग/ग्रेडिंग मॉड्यूल में प्रबंधन जोखिम से संबंधित परिमाणआत्मक एवं गुणात्मक मुद्दे, व्यवसाय जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम एवं परियोजना जोखिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस तरह की रेटिंग में उधारकर्ता की समग्र रेटिंग का मूल्यांकन करते समय विशिष्ट लेनदेन हेतु ऋण परिवर्धन विशिष्टताओं पर भी विचार किया जाता है। बाजार स्थितियों के आधार पर उद्योग जोखिम के आँकड़े निरंतर अद्यतन किये जाते हैं।
- 4.3 प्रत्येक उधारकर्ता की रेटिंग की समीक्षा की जाती है। सशक्त ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने प्रधान कार्यालय और मंडलीय कार्यालय/शाखा स्तर पर संस्वीकृत प्रस्तावों हेतु क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया की त्रिस्तरीय प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें ऋण विभाग से इतर रेटिंग की वैधता (तीसरा चरण) शामिल है। बैंक के प्रधान कार्यालय की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के मामले में रेटिंग की वैधता जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा की जाती है।
- 4.4 बैंक ऋणों की संस्वीकृति हेतु सुव्यवस्थित बहु-स्तरीय विवेकाधीन शक्ति संरचना का अनुसरण करता है। नए/परिवर्धनशील प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्र महाप्रबंधक स्तरों पर क्रेडिट ग्रीड का गठन किया गया है। विनिर्दिष्ट कट-ऑफ से अधिक के नए ऋण प्रस्तावों पर सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तर पर नया व्यवसाय समूह (एनबीजी) नामक संरचना का गठन किया गया है। बैंक के पास नए उत्पादों हेतु जोखिम प्रबंधन संरचना है जो नए उत्पादों के संबंध में उनके शुभारंभ से पूर्व न्यूनतम प्रक्रिया/मूल्यांकन मानदंडों को निर्धारित करती है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण		(राशि ₹ करोड़ में)								
1	कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर , निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित अलग-अलग										
	1.1	निधि आधारित	112249.74								
	1.2	गैर-निधि आधारित	14136.50								
	2.एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण										
	2.1 विदेशी :										
	2.1.1	निधि आधारित	4722.58								
	2.1.2	गैर निधि-आधारित	109.88								
	2.2 घरेलू :										
	2.2.1	निधि आधारित	107527.16								
	2.2.2	गैर निधि-आधारित	14026.62								
3	उद्योग स्वरूप के एक्सपोजर का वितरण										
	निधि आधारित		49053.00								
	गैर-निधि आधारित		8911.04								
4. आस्तियों की अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता (31.03.2012 को यथास्थिति आस्तियों की समूह वार स्थिति) (₹ करोड़ में)											
	अगला दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29-3 माह	3-6 माह	6-12 माह	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष एवं अधिक	कुल
आस्ति	439.25	464.65	1363.29	1925.76	17054.39	19205.51	14414.79	24872.29	12278.31	19126.86	111145.10
5	एनपीए की राशि (सकल)										2058.98
	5.1 अवमानक										1046.55
	5.2 संदिग्ध 1										453.68
	5.3 संदिग्ध 2										229.91
	5.4 संदिग्ध 3										225.46
	5.5 हानिगत										103.38
6	निवल एनपीए										1091.70
7	एनपीए अनुपात										
	7.1 सकल अग्रिम में सकल एनपीए										1.83%
	7.2 निवल अग्रिम में निवल एनपीए										0.98%
8	एनपीए का संचलन (सकल)										
	8.1 अथ शेष										1647.92
	8.2 वृद्धि										2232.06
	8.3 कमी										1821.00
	8.4 इतिशेष										2058.98
9	एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन										
	9.1 अथ शेष										863.55
	9.2 इस अवधि के दौरान किए गए प्रावधान										1182.67
	9.3 राइट ऑफ										1080.64
	9.4 अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक										1.70
	9.5 इतिशेष										967.28
10	अनर्जक निवेश की राशि										0.90
11	अनर्जक निवेश हेतु किए गए प्रावधानों की राशि										0.90
12	निवेश के मूल्यहास हेतु प्रावधानों का संचलन										
	12.1 अथ शेष										2.40
	12.2 इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान										0.00
	12.3 राइट ऑफ										0.00
	12.4 अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक										1.50
	12.5 इति शेष										0.90

Table DF – 4

CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Position as on 31.03.2012

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk:

- 1.1 Lending involves a number of risks. Credit Risk is broadly the probability of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.
- 1.2 Credit Risk or default risk involves inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, hedging, settlement and other financial transactions. The Credit Risk is generally made up of transaction risk or default risk and portfolio risk.
- 1.3 Credit approving authority, prudential exposure limits, industry exposure limits, credit risk rating system, risk based pricing, loan review mechanism and Credit Risk Mitigants are the instruments used by the bank for credit risk management. Credit risk is controlled through segmental exposure limits to various industries and sectors, prudential exposure and substantial exposure ceilings and risk mitigation by obtaining collateral and guarantees.

2. Credit Risk Management Policies:

- 2.1 The Bank has put in place a well-structured Credit Risk Management Policy duly approved by the Board. The Policy document defines organizational structure, role and responsibilities and the processes whereby the Credit Risks carried by the Bank can be identified, quantified, managed and controlled within the framework which the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance limits.
- 2.2 Credit Risk is monitored by the Bank account wise and compliance with the risk limits / exposure cap approved by the Board is ensured. The quality of internal control system is also monitored and in-house expertise has been built up to tackle all the facets of Credit Risk.
- 2.3 The Bank has taken earnest steps to put in place best Credit Risk Management practices. In addition to Credit Risk Management Policy, the Bank has also framed Board approved Lending Policy, Investment Policy, Country Risk Management Policy, Recovery Policy etc. which form integral part in monitoring of credit risk and ensures compliance with various regulatory requirements, more particularly in respect of Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Statutory Authorities.
- 2.4 Besides, the Bank has also put in place a Board approved policy on Credit Risk Mitigation & Collateral Management which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interests of the Bank. These securities act as mitigants against the credit risk to which the Bank is exposed.

3. Architecture and Systems of the Bank:

- 3.1 A Sub-Committee of Board of Directors termed as Risk Management Committee (RMC) has been constituted to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- 3.2 A Credit Risk Management Committee of executives has been set up to formulate and implement various credit risk strategies including lending policy and to monitor Bank's Risk Management functions on a regular basis.

4. Credit Appraisal / Internal Rating:

- 4.1 The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has robust internally developed credit risk grading / rating modules and well-established credit appraisal / approval processes.
- 4.2 The internal risk rating / grading modules capture quantitative and qualitative issues relating to management risk, business risk, industry risk, financial risk and project risk. Besides, such ratings consider transaction specific credit enhancement features while assessing the overall rating of a borrower. The data on industry risk is constantly updated based on market conditions.
- 4.3 The rating for every borrower is reviewed. As a measure of robust credit risk management practices, the bank has implemented a three tier system of credit rating process for the loan proposals sanctioned at Head Office Level and two tier system at Zonal Office/ Branch level which includes validation of rating independent of credit department. For the proposals falling under the powers of Bank's Head Office, the validation of ratings is done at Risk Management Department.
- 4.4 The Bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans. Credit Grid has been constituted at Head Office and Field General Manager's levels for considering fresh / enhancement proposals. A structure named New Business Group (NBG) headed by CMD has been constituted at Head Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposals above a specified cut-off point. The Bank has put in place a risk management framework for new products which lay down minimum processing / assessment norms to assess risk in a New Product prior to its introduction.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)	
1	Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.		
	1.1 Fund Based	112249.74	
	1.2 Non Fund Based	14136.50	126386.24
2	Geographic distribution of exposures		
	2.1 Overseas		
	2.1.1 Fund Based	4722.58	
	2.1.2 Non Fund Based	109.88	4832.46
	2.2 Domestic		
	2.2.1 Fund Based	107527.16	
	2.2.2 Non Fund Based	14026.62	121553.78
3	Industry type distribution of exposures		
	Fund based	49053.00	
	Non Fund based	8911.04	57964.04

4. Residual contractual maturity breakdown of assets (bucket wise position of assets as on 31.03.2012)

	Next day	2-7 d	8-14 d	15-28 d	29-3m	3-6m	6-12 m	1-3y	3-5y	5 y & above	Total
ASSETS	626.56	1131.60	1717.33	3541.86	21659.76	23007.43	16667.04	30495.98	21909.66	50847.24	171604.46

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)	
5	Amount of NPAs (Gross)		2058.98
	5.1 Substandard	1046.56	
	5.2 Doubtful 1	453.68	
	5.3 Doubtful 2	229.91	
	5.4 Doubtful 3	225.45	
	5.5 Loss	103.38	
6	Net NPAs		1091.70
7	NPA Ratios		
	7.1 Gross NPAs to gross advances		1.83%
	7.2 Net NPAs to net advances		0.98%
8	Movement of NPAs (Gross)		
	8.1 Opening balance		1647.92
	8.2 Additions		2232.06
	8.3 Reductions		1821.00
	8.4 Closing balance		2058.98
9	Movement of provisions for NPAs		
	9.1 Opening balance	863.55	
	9.2 Provisions made during the period	1182.67	
	9.3 Write-off	1080.64	
	9.4 Write-back of excess provisions	1.70	
	9.5 Closing Balance		967.28
10	Amount of Non-Performing Investments		0.90
11	Amount of provisions held for non-performing investments		0.90
12	Movement of provisions for depreciation on investments		
	12.1 Opening balance	2.40	
	12.2 Provisions made during the period	0.00	
	12.3 Write-off	0.00	
	12.4 Write-back of excess provisions	1.50	
	12.5 Closing balance		0.90

सारणी डीएफ - 5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

31.03.2012 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. सामान्य सिद्धांत :

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुरूप, बैंक ने 31.03.2008 से ऋण जोखिम हेतु पूँजी के परिकलन के लिए नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएफ) के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है। पूँजी के परिकलन हेतु बैंक ने विभिन्न आस्ति वर्गों के लिए भारिबैंक द्वारा यथाप्रस्तावित जोखिम भार समनुदेशित किए हैं।

2. बाह्य क्रेडिट रेटिंग :

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुमति प्रदान की है कि वे घरेलू निवेश की जोखिम भारिता मापने हेतु निम्नलिखित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, नामतः (क) क्रेडिट एनालिस्ट एंड रिसर्च लि. (केयर) (ख) क्रिसिल लि. (ग) फिच इंडिया लि. एवं (घ) इकरा लि. और अंतरराष्ट्रीय निवेश हेतु (क) स्टैंडर्ड एंव पूअर (ख) मूडीज (ग) फिच रेटिंग का उपयोग करें। उपर्युक्त दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए बैंक ने निर्णय लिया है कि बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित इ.सी.आर.ए. की “दावों की रेटिंग पर नीति” के अंतर्गत इन सभी ईसीआरए द्वारा समनुदेशित रेटिंग को स्वीकार किया जाए।

2.2 बाह्य रेटिंग प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने और ग्राहकों को उनके एक्सपोजर हेतु बाह्य रेटिंग कराने के लिए बैंक ने इन चार ईसीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। बैंक इन बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उधारकर्ताओं के किसी भी प्रकार के एक्सपोजर के लिए समनुदेशित रेटिंग को प्रयोग करेगा। पिछले 15 माह के दौरान नई समनुदेशित या समीक्षाकृत रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूँजी परिकलन हेतु संज्ञान में लिया जाएगा। जिन मामलों में उधारकर्ता के पास बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की एक से अधिक रेटिंग है, पूँजी प्रथम के परिकलन हेतु जोखिम भार समनुदेशित करने के लिए भारिबैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाय। तदनुसार, बैंक ने 31.03.2012 को यथास्थिति कारपोरेट एवं पीएसई खंड के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु पूँजी के परिकलन के लिए बैंक की अनुमोदित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उधारकर्ता के ऋण एक्सपोजर हेतु समनुदेशित रेटिंग पर विचार किया है।

2.3 कारपोरेट / पीएसई के विशेष इश्यु में बैंक के निवेश के मामले में अनुमोदित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की उस खास इश्यु हेतु समनुदेशित रेटिंग को संज्ञान में लिया गया है और तदनुसार, भारिबैंक के दिशानिर्देशों में दिये गए रेटिंग स्केल से समरूप मैपिंग के उपरांत जोखिम भार आबंटित किया गया है।

2.4 बैंक बड़े कारपोरेट/ पीएसई उधारकर्ताओं को ईसीआरए से रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देता है और जहां रेटिंग उपलब्ध है वहां बैंक ने जोखिम भारित आस्तियों की गणना हेतु इन रेटिंग का प्रयोग किया है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)
1	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम उपशमन के बाद राशियों के एक्सपोजर हेतु निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में बैंक का बकाया (निर्धारित एवं अनिर्धारित) साथ ही जो घटाए गए हैं।	
	1.1.(क) 100% जोखिम भारित से कम - (निधिक)	55510.33
	1.1.(ख) 100% जोखिम भारित से कम -(गैर- निधिक)	7629.21
	1.2.(क) 100% जोखिम भारित -(निधिक)	41989.96
	1.2 (ख) 100% जोखिम भारित- (गैर- निधिक)	4001.49
	1.3 (क) 100% जोखिम भारित से अधिक -(निधिक)	14749.45
	1.3 (ख) 100% जोखिम भारित से अधिक- (गैर-निधिक)	2505.80
	1.4 घटाया गया	—

Table DF – 5

CREDIT RISK : DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

Position as on 31.03.2012

Qualitative Disclosures	
1. General Principle:	In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardized Approach of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) for computation of capital for credit risk with effect from 31.03.2008. In computation of capital, the Bank has assigned risk weights to different asset classes as prescribed by the RBI.
2. External Credit Ratings:	<p>2.1 The Reserve Bank of India has permitted Banks to use the external ratings of the following External Credit Rating Agencies (ECRAs) namely (a) Credit Analysis and Research Ltd. (CARE), (b) CRISIL Ltd., (c) FITCH India Ltd. and (d) ICRA Ltd for mapping of risk weights for domestic exposures and (a) Standard & Poor (b) Moody's (c) Fitch for international exposure. In consideration of the above guidelines, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs, under the Policy on Rating of Claims by ECRAs duly approved by the Board.</p> <p>2.2 In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposures smoothly, the Bank has taken initiatives by entering into separate MOU with all these four ECRAs. The Bank shall use the ratings assigned for any type of exposures by any of these ECRAs as accepted and provided by the borrowers. External ratings assigned, fresh or reviewed, at least during the previous 15 months shall only be reckoned for capital charge computation by the bank. Wherever, a borrower possesses more than one rating from ECRAs, the guidelines prescribed by the RBI is followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital. Accordingly, the Bank has taken into consideration the borrower's loan exposure ratings assigned by approved ECRAs, while computing capital for credit risk as on 31.03.2012 under segments namely Corporates and PSEs.</p> <p>2.3 In case of Bank's investment in particular issues of Corporate / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.</p> <p>2.4 The Bank encourages large corporate/ PSE borrowers to solicit ratings from ECRAs and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.</p>

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)
1	For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of the Bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
1.1	(a) Below 100 % risk weight (Funded)	55510.33
1.1	(b) Below 100 % risk weight (Non- Funded)	7629.21
1.2	(a) 100 % risk weight (Funded)	41989.96
1.2	(b) 100 % risk weight (Non- Funded)	4001.49
1.3	(a) More than 100 % risk weight (Funded)	14749.45
1.3	(b) More than 100 % risk weight (Non- Funded)	2505.80
1.4	Deducted	—

सारणी डीएफ - 6

ऋण जोखिम समापन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

31.03.2012 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी के मूल्यन संबंधी एक व्यापक नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हैं।
2. जोखिम शमन हेतु बैंक द्वारा सामान्यतया उपयोग किए जाने वाले संपार्श्विकों में वित्तीय संपार्श्विक (अर्थात बैंक जमा राशि, सरकारी/डाक प्रतिभूति, जीवन बीमा पालिसियां, स्वर्ण आभूषण, म्यूचुअल फंड यूनिट आदि), विभिन्न श्रेणी की चल और अचल आस्तियां/भू संपत्ति आदि शामिल होती हैं।
3. जहाँ व्यक्तिगत/कारपोरेट गारंटी अपेक्षित होती है, वहाँ उधारकर्ता कंपनी/कारपोरेट की फ्लैगशिप ग्रुप कंपनी में शेयर रखने वाले समूह के प्रमुख सदस्यों की गारंटी को वरीयता दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी अनुमानित निवल संपत्ति उनके गारंटीकर्ता बनने के लिए पर्याप्त हो।
4. विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन एवं ऋण जोखिम समापन के संबंध में एक सुस्पष्ट नीति अपनाई है।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम समापन के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है जिसके तहत प्रतिभूतियों में निहित राशि तक निविष्ट राशि को प्रभावी रूप से कम करते हुए निविष्टियों के बदले प्रतिभूतियों (प्राथमिक एवं संपार्श्विक) को पूर्ण समंजन की अनुमति भी दी गई है। इस प्रकार ऋण जोखिम पूंजी के परिकलन में ऋण निविष्टियों को कम करने हेतु पात्र वित्तीय निविष्टियों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप इन विशिष्ट प्रतिभूतियों को अभिज्ञात किया है : (क) बैंक जमाराशियाँ (ख) जीवन बीमा पॉलिसियाँ (ग) एनएससी/केवीपी (घ) सरकारी प्रतिभूतियाँ।
6. इसके अतिरिक्त, ऋण जोखिम समापन के अन्य अनुमोदित स्वरूप हैं : “ऑन बैलेंस शीट नेटिंग ” और “पात्र गारंटियों ” की उपलब्धता। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता को दिये गये ऋण/ अग्रिम के सापेक्ष उपलब्ध जमाराशियों की सीमा तक (निविष्टि की सीमा तक) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को अभिज्ञात किया गया। इसके अतिरिक्त, ऋण जोखिम पूंजी के परिकलन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समापन एवं लागू जोखिम भार हेतु इन गारंटियों के स्वरूप को लिया जाता है : (क) केन्द्र सरकार की गारंटी (0%), (ख) राज्य सरकार (20%) (ग) सीजीटीएमएसई (0%) (घ) ईसीजीसी (20%) (ड.) साख पत्र के तहत क्रय किए गए/भुनाए गए बिल के रूप में गारंटी (20% या विदेशी बैंकों की रेटिंग के अनुसार)।
7. समापन हेतु पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ वित्तीय प्रतिभूतियों के रूप में आसानी से बदली जाती हैं। इस प्रकार बैंक द्वारा अभिज्ञात ऋण जोखिम समापक प्रक्रिया में संकेन्द्रण जोखिम के निराकरण हेतु कोई सीमा/उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

क्रम सं.	परिमाणुत्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)
क.	पृथक रूप से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग हेतु, कुल एक्सपोजर (जहां प्रयोज्य हो वहां ऑन अथवा ऑफ बैलेंस शीट की नेटिंग के पश्चात) जो कटौती के पश्चात, पात्र वित्तीय संपार्श्विक रूप से सुरक्षित है	6785.20
ख.	पृथक रूप से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग हेतु, कुल एक्सपोजर (जहां प्रयोज्य हो वहां ऑन अथवा ऑफ बैलेंस शीट की नेटिंग के पश्चात) जो गारंटी/क्रेडिट डिवाइवेटिव द्वारा सुरक्षित है (जब कभी भारिबैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है)	शून्य

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION : DISCLOSURES FOR STANDARISED APPROACHES

Position as on 31.03.2012

Qualitative Disclosures	
1.	A comprehensive policy on valuation of property, plant & machinery, has been approved by the Board.
2.	The collaterals commonly used by the Bank as the risk mitigants comprise of the financial collaterals (i.e., bank deposits, govt./postal securities, life insurance policies, gold jewellery, units of mutual funds etc.), various categories of movable and immovable assets/landed properties etc.
3.	Where personal/corporate guarantee is considered necessary, the guarantee is preferably that of the principal members of the group holding shares in the borrowing company/ flagship Group Company of corporate. It is ensured that their estimated net worth is substantial enough for them to stand as guarantors.
4.	In line with the regulatory requirements, the Bank has put in place a well-articulated Policy on Credit Risk Mitigation and Collateral Management duly approved by the Bank's Board.
5.	As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of eligible securities against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals have been used to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, the Bank has recognised specific securities namely (a) Bank Deposits (b) Life Insurance Policies (c) NSCs / KVPs (d) Government Securities, in line with the RBI guidelines on the matter.
6.	Besides, other approved forms of credit risk mitigation are "On Balance Sheet Netting" and availability of "Eligible Guarantees". On balance sheet netting has been reckoned to the extent of the deposits available against the loans/advances of the borrower (to the extent of exposure) as per the RBI guidelines. Further, in computation of credit risk capital, the types of guarantees recognized for mitigation and applicable Risk Weights, in line with RBI Guidelines are (a) Central Government Guarantee (0%) (b) State Government (20%) (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Bank guarantee in form of bills purchased/discounted under Letter of Credit (20% or as per rating of foreign banks).
7.	All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, presently no limit/ ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)
(a)	For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on - or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	6785.20
(b)	For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	Nil

सारणी डीएफ - 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

31.03.2012 को यथास्थिति

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
क.	<p>प्रतिभूति और उनके संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नलिखित पर चर्चा शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक के उद्देश्य, उस सीमा तक जिसके तहत ये गतिविधियाँ प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों के ऋण जोखिमों को बैंक से इतर हस्तियों में अंतरित करती हैं। ● अन्य जोखिम (अर्थात तरलता जोखिम) प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित हैं। ● बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कार्रवाई में निभाई गई विभिन्न भूमिकाएं (अर्थात ओरिजनेटर, निवेशक, सर्विसर, ऋण वृद्धि प्रदाता, तरलता प्रदाता) और प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का संकेत ● प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तन की मानिट्रिंग करने वाली प्रक्रिया का विवरण (अर्थात पूर्वाधिकार आस्तियां किस प्रकार प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर पर प्रभाव डालती है जैसा कि दिनांक 01.07.2009 के एनसीएएफ संबंधी मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में परिभाषित है।) ● प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के माध्यम से जोखिम के शमन हेतु ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का विवरण 	31.3.2012 को समाप्त वर्ष हेतु कोई प्रतिभूतिकरण नहीं।
ख.	<p>प्रतिभूतिकरण गतिविधियों हेतु बैंक की लेखा नीतियों का सार, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● क्या लेनदेनों को बिक्री या वित्तपोषण माना जाता है। ● धारित अथवा क्रय की गई स्थितियों के मूल्यन हेतु प्रयोग में लाई गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान। ● पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख पूर्वानुमानों में परिवर्तन और इन परिवर्तनों का प्रभाव। ● प्रतिभूतिकृत आस्तियों हेतु वित्तीय सहायता के लिए अपेक्षित व्यवस्था करने हेतु तुलनपत्र संबंधी देयताओं को अभिज्ञात करने की नीतियां 	शून्य
(ग)	<p>बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण हेतु प्रयुक्त ईसीएआई का नाम और प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रकार जिसके लिए अलग-अलग एंजिसियों को लगाया जाता है।</p>	अप्रयोज्य
क्रम सं.	गुणात्मक प्रकटीकरण: बैंकिंग बही	(राशि ₹ करोड़ में)
घ.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया एक्सपोजर	
ङ.	चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर और एक्सपोजर के स्वरूप (अर्थात क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण आदि)के अनुसार बैंक द्वारा अभिज्ञात हानियाँ।	
च.	वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकृत हेतु अभिप्रेत आस्तियों की राशि	
छ.	(च) में से, वर्ष के अंदर उत्पन्न आस्तियों की राशि	
ज.	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर (एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार) और एक्सपोजर स्वरूप की बिक्री पर अनभिज्ञात लाभ अथवा हानि	
झ.	निम्नानुसार सकल राशि <ul style="list-style-type: none"> ● एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार प्रतिधारित अथवा क्रय किए गए ऑन बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर। ● एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार ऑफ बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर 	
ञ.	<p>एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत धारित या क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की सकल राशि और निवेश के बीच तथा प्रत्येक नियामक पूंजीगत दृष्टिकोण हेतु विभिन्न जोखिम भारित बैंड में अतिरिक्त ब्रेक डाउन किए गए संबंधित पूंजी प्रभार</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पूर्णतया टियर 1 पूंजी से घटाए गए एक्सपोजर, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धि वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार) 	शून्य

क्रम सं.	गुणात्मक प्रकटीकरण: ट्रेडिंग बही	(राशि ₹ करोड़ में)
<p>ट.</p> <p>ठ.</p> <p>ड.</p> <p>ढ.</p>	<p>बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर धारित किया है और जो एक्सपोजर स्वरूप के अनुरूप प्रतिभूतिकरण बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अध्यक्षीन है।</p> <p>निम्नानुसार सकल राशि</p> <ul style="list-style-type: none"> ● एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार प्रतिधारित अथवा क्रय किए गए ऑन बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर। ● एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार ऑफ बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर <p>प्रतिधारित अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की सकल राशि निम्नानुसार पृथक रूप से:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● विनिर्दिष्ट जोखिम हेतु व्यापक जोखिम उपाय के अध्यक्षीन प्रतिधारित अथवा क्रय किया गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर ● विभिन्न जोखिम भारिता बैंड में विनिर्दिष्ट जोखिम विश्लेषण हेतु प्रतिभूतिकरण संरचना के अध्यक्षीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर <p>निम्नलिखित की सकल राशि</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पूंजी अपेक्षा हेतु प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, विभिन्न जोखिम भारिता बैंड में विश्लेषित प्रतिभूतिकरण संरचना के अध्यक्षीन ● पूर्णतया टियर 1 पूंजी से घटाए गए एक्सपोजर, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धि वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार) 	<p>शून्य</p>

Table DF-7

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH QUALITATIVE DISCLOSURES

Position as on 31.03.2012

Qualitative Disclosures		
(a)	<p>The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities; ● the nature of other risks (e.g., liquidity risk) inherent in securitized assets ● the various roles played by the Bank in the securitization process (e.g., originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider) and an indication of the extent of the Bank's involvement in each of them ● a description of the process in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (e.g., how the behavior of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated 01.07.2009) ● a description of the Bank's Policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures 	No securitization during the year ended 31.03.2012.
(b)	<p>Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Whether the transactions are treated as sales or financings ● Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased ● Changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes ● Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the Bank to provide financial support for securitised assets. 	Nil.
(c)	<p>In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.</p>	Not Applicable

SL No	Quantitative Disclosures : Banking Book	(Amount ₹ in Crores)
(d)	The total amount of exposures securitised by the bank	Nil.
(e)	For exposures securitized, losses recognised by the bank during the current period broken down by exposure type (e.g., credit cards, housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security)	
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year	
(h)	Total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	
(i)	<p>Aggregate amount of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and ● off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type 	
(j)	<p>Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type). 	

SL No	Quantitative Disclosures : Trading Book	(Amount ₹ in Crores)
(k)	Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	Nil.
(l)	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> ● on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type. 	
(m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:	
	<ul style="list-style-type: none"> ● securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands. 	
(n)	Aggregate amount of:	
	<ul style="list-style-type: none"> ● the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● securitisation exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital(by exposure type). 	

सारणी डीएफ - 8

व्यापार बही में बाजार जोखिम

31.03.2012 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बाजार जोखिम :

1. बाजार जोखिम को ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्य और पण्य वस्तुओं के मूल्य जैसे बाजार के उतार-चढ़ाव वाले परिवर्तनों/संचलनों से उत्पन्न स्थिति के कारण बैंक को होने वाले हानि की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का एक्सपोजर व्यवसाय बहियों (एएफएस और एचएफटी श्रेणी) में घरेलू निवेशों (ब्याज संबंधी लिखतों एवं इक्विटियों), विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य आगम एवं इक्विटी पर हानि के प्रभाव को कम करना।
2. **बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियाँ :**
बैंक में बाजार जोखिम प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति कार्यरत है। अन्य नीतियाँ जो बाजार जोखिम प्रबंधन से भी संबंध रखती हैं वे हैं, निवेश नीति, विदेशी मुद्रा परिचालनों पर जोखिम प्रबंधन नीति, फारेक्स मार्केट में ट्रेडिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश और व्युत्पन्न नीति। यह नीति बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु विविध जोखिम सीमाओं को तय करती है और सुनिश्चित करती है कि ये परिचालन उपयुक्त आस्ति देयता प्रबंधन के माध्यम से बाजार जोखिम के प्रतिफल की बैंक की प्रत्याशा के अनुरूप हैं। यह नीति बाजार जोखिम के प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु रिपोर्टिंग संरचना के रूप में भी कार्य करती है।
3. आस्ति देयता प्रबंधन नीति विशिष्ट रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के संबंध में भी कार्य करती है। तरलता जोखिम का प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम डाटा कवरेज के आधार पर दैनिक आधार पर आस्ति एवं देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता/व्यवहारगत पैटर्न के आधार पर जीएपी विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बैंक ने अल्पकालिक सशक्त तरलता प्रबंधन और समाश्रित निवेश योजना की प्रक्रिया अपनाई है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय वर्गों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की हैं। बैंक की लिक्विडिटी प्रोफाइल को विभिन्न लिक्विडिटी अनुपातों के माध्यम से मूल्यांकित किया जाता है।
4. दर संवेदी आस्ति एवं देयताओं के जीएपी विश्लेषण के माध्यम से ब्याज दर जोखिम को प्रबंधित किया जाता है और निर्धारित मानकीकृत सीमाओं के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से ब्याज दर में प्रतिकूल संचलन (नीति में यथानिर्धारित) के सापेक्ष निवल ब्याज आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के आकलन हेतु बैंक जोखिम पर लाभार्जन और संशोधित अवधि अंतर को आवधिक आधार पर आकलित करता है।
5. बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों की निगरानी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड द्वारा की जाती है और आस्ति देयता प्रबंधन नीति में निर्धारित उपायों के अनुरूप बाजार की स्थिति (चालू एवं प्रत्याशित) के सापेक्ष रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेजरी में मिडिल ऑफिस ग्रुप भी निरंतर आधार पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करता है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
1.	बाजार जोखिम हेतु कुल पूँजी आवश्यकताएँ		517.35
	1.1 ब्याज दर जोखिम	391.23	
	1.2 इक्विटी स्थिति जोखिम	2.71	
	1.3 विदेशी विनिमय जोखिम	123.41	

Table DF – 8

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Position as on 31.03.2012

Qualitative Disclosures	
(a) Market Risk:	
1.	Market Risk is defined as the possibility of loss caused by changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to Market risk arises from investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.
2.	<p>Policies for Management of Market Risk:</p> <p>The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies, which also deal with market risk management, are Investment policy, Policy on Risk Management of Foreign Exchange Operations, Policy Guidelines for Undertaking Trading in Forex Market and Policy on Derivatives. The policies set various risk limits for effective management of Market Risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of Market Risk.</p>
3.	The ALM Policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities, on a daily basis based on best available data coverage, as prescribed by the RBI. The bank has put in place mechanism of Short Term Dynamic Liquidity Management and Contingent Funding Plan. Prudential (Tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios.
4.	Interest Rate Risk is managed through use of Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) periodically against adverse movements in interest rate (as prescribed in the policy) for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity (EVE) with a view to optimize shareholder value.
5.	The Asset Liability Management Committee (ALCO)/Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in light of market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The Mid Office at the Treasury also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)	
1.	The total capital requirements for Market Risk		517.35
1.1	Interest rate risk	391.23	
1.2	Equity position risk	2.71	
1.3	Foreign exchange risk	123.41	

सारणी डीएफ - 9

परिचालनगत जोखिम

31.03.2012 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण	
1.	परिचालन जोखिम से तात्पर्य, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों या प्रविधियों या बाहरी घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। परिचालनगत जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक या प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं है।
2.	बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति निरूपित की है। परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन से जुड़ी हुई बोर्ड द्वारा अंगीकृत अन्य नीतियाँ हैं : (क) अनुपालन जोखिम प्रबंधन नीति (ख) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) और एन्टी मनी लॉन्डरिंग (एएमएल) से संबंधित नीतिगत दस्तावेज (घ) सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा निवारण योजना (ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति आदि।
3.	बैंक द्वारा अंगीकृत परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक संरचना एवं परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन हेतु ब्योरेवार प्रक्रियाओं को सुस्पष्ट किया गया है। इस नीति का मूल उद्देश्य परिचालनगत जोखिमों को प्रभावी रूप से नियंत्रित, समाप्त, अभिज्ञात, मूल्यांकित एवं चिह्नित करने और भौतिक परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम की समय पर रिपोर्टिंग हेतु दायित्वों के सुस्पष्ट समनुदेशन के द्वारा बैंक के दिन-प्रतिदिन की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक ने परिचालनगत जोखिमों को व्यापक एवं सुसम्बद्ध, आंतरिक नियंत्रक फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया है।
4.	भारिबैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।
2.	दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथापरिभाषित विगत 3 वर्षों के धनात्मक वार्षिक सकल आय के 15 प्रतिशत के बराबर है। तदनुसार यथास्थिति 31.03.2012 को परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी अपेक्षा ₹ 799.17 करोड़ है।

Table DF – 9

OPERATIONAL RISK

Position as on 31.03.2012

Qualitative Disclosures	
1.	Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.
2.	The Bank has framed Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Compliance Risk Management Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy Document on Know Your Customers (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Procedures (d) Business Continuity and Disaster Recovery Policy (e) Fraud Risk Management Policy etc.
3.	The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.
4.	In line with the final guidelines issued by RBI, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk.

Quantitative Disclosures	
1.	In line with the final guidelines issued by RBI, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk.
2.	As per the guidelines, the capital for operational risk is equal to 15% of average positive annual Gross Income of previous three years as defined by RBI. Accordingly, the capital requirement for operational risk as on 31.03.2012 is Rs. 799.17 Crores.

सारणी डीएफ - 10

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

31.03.2012 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम :

1. ब्याज दर जोखिम, जोखिम की ऐसी स्थिति है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तनों से चालू लाभार्जनों (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) के साथ ही बैंक की निवल मालियत (आर्थिक मूल्य पर्सपेक्टिव) पर भी प्रभाव पड़ता है। लाभार्जन के दृष्टिकोण से जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआईआई) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) के प्रभाव के रूप में मापा जा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण से जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) में कमी के रूप में मापा जा सकता है।
2. बैंक ब्याज दरों में अल्पकालिक (लाभार्जन दृष्टिकोण) एवं दीर्घकालिक (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) परिवर्तनों से संबद्ध जोखिम को पहचान करता है। आय पर प्रभाव (लाभार्जन दृष्टिकोण) को बैंक की एएलएम पॉलिसी में निर्धारित रूप में 100 बीपीएस तक अनुमानिक दर लगाते हुए जीएपी विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से मापा जाता है। लाभार्जन पर इसके प्रभाव के परिकलन हेतु परम्परागत अंतर को दर संवेदी विवरण से लिया जाता है और किसी खास मूल्यवर्ग के मध्य बिन्दु से शेष अवधि के आधार पर परिवर्तन के प्रभाव पर ब्याज दर में परिवर्तन को 100 बीपीएस तक आँका जाता है। इसकी रिपोर्टिंग आवधिक अंतराल पर दर संवेदी विवरण के साथ एएलसीओ एवं बोर्ड को की जाती है। नेटवर्थ के आधार पर इन सीमाओं को निर्धारित किया जाता है।
3. बैंक द्वारा 200 बीपीएस की आनुमानिक ब्याज दर शॉक को लगाते हुए इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) पर प्रभाव को (प्रतिशत रूप में) आँकने के लिए परम्परागत जीएपी विश्लेषण के साथ ही साथ अवधिवार जीएपी विश्लेषण को अपनाया जाता है। बैंक द्वारा आवधिक जीएपी का विश्लेषण माह में एक बार किया जाता है (अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के आंकड़ों के आधार पर) और इसकी सूचना एएलसीओ/बोर्ड को दी जाती है।
4. बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की मॉनिटरिंग/समीक्षा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड द्वारा की जाती है और बाजार की स्थितियों (चालू एवं प्रत्याशित) के आधार पर रणनीतियाँ तय की जाती हैं।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण (राशि ₹ करोड़ में)	
1.	ब्याज दर में परिवर्तन	जोखिम पर आगम
	1.00%	317.12
2.	ब्याज दर में परिवर्तन	आर्थिक मूल्य में परिवर्तन
	2.00%	15.71%

Table DF – 10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Position as on 31.03.2012

Qualitative Disclosures	
(a) Interest Rate Risk in the Banking Book:	
1.	1. Interest Rate Risk is the risk which affects the bank's financial condition due to changes in the market interest rates. Changes in interest rates affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact in the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin (NIM). Similarly, the risk from economic value perspective can be measured in the Economic Value of Equity (EVE).
2.	The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates in short term (Earnings perspective) and long term (Economic value perspective). The impact on income (Earnings perspective) is measured through use of Gap analysis by applying notional rate shock up to 100 bps as prescribed in Bank's ALM Policy. For the calculation of impact on earnings, the Traditional Gap is taken from the Interest Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the midpoint of a particular bucket and the impact for change in interest rate up to 100 bps is arrived at. The same is reported to ALCO & Board along with the Interest Rate Sensitivity Statement periodically. The limits are fixed on the net worth.
3.	The bank has adopted Traditional Gap Analysis combined with Duration Gap Analysis for assessing the impact on the Economic Value of Equity (Economic Value perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps. The Duration Gap Analysis is calculated by the bank once in a month (based on the Last Reporting Friday data) and is reported to ALCO and Board.
4.	The Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors/reviews adherence of prudential limits fixed by the bank and determine the strategy in light of the market condition (current and future).

(Amount ₹ in Crores)

SL No.	Quantitative Disclosures	
1.	Change in Interest Rate 1.00%	Earning at Risk 317.12
2.	Change in Interest Rate 2.00%	Change in Economic Value 15.71%

कारपोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट गवर्नेन्स का दर्शन :

इलाहाबाद बैंक की कारपोरेट नीति, कारपोरेट गवर्नेन्स के सुदृढ़ सिद्धान्तों पर आधारित है। यह अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा कारपोरेट विकास के साथ ही साथ शेयरधारकों के महत्व को अत्यधिक मान देती है। बैंक अपनी समस्त गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उच्च नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। बैंक खुलेपन तथा पूरी स्पष्टता के साथ सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रचलित मानदंडों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है जिससे बैंक को ग्राहकों तथा शेयरधारकों के विश्वास की परम्परा हासिल होगी। बैंक निम्नलिखित के माध्यम से कारपोरेट उत्कृष्टता हासिल करना चाहता है।

- देश के कानूनी ढाँचे तथा नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों के अधीन शेयरधारकों का मान बनाए रखना।
- अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना।
- अपने ग्राहकों तथा कर्मचारियों, निवेशकों और समाज के अन्य तबकों के लिए एक खुली एवं साफसुथरी परिस्थिति तैयार करना।
- समाज के सभी वर्गों के लिए निरपेक्ष एवं समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए अतिसक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित करना।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन पूर्णकालिक निदेशक हैं। अन्य निदेशकों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :

- i) भारत सरकार
- ii) कामगार
- iii) अधिकारी कर्मचारी

(ख) वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण के मामलों के संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले एक निदेशक को भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

(ग) तीन स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक

(घ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार निदेशक

(ङ) तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक(वर्तमान में दो पद रिक्त हैं)

2.2. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नोक्तानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवर्नेन्स प्रदान करती हैं एवं बैंक के मामलों का नियंत्रण करती हैं- :

- बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबीओडी)
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy

Allahabad Bank's corporate policy is based on sound principles of Corporate Governance. It holds high the shareholders' value while catering also to the need of the economy, national priorities and corporate growth. The Bank believes in high standard of ethical values, transparencies and disciplined approach to achieve excellence in all fields of activities. It is also committed to comply with the best international practices coupled with openness and fairness, which will lead the Bank to enjoy from customers and shareholders a Tradition of Trust. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by

- Upholding the shareholders' value within the principles of ethics and legal framework of the country.
- Extending best of services to its customers.
- Proclaiming a free and fair environment for its customers and employees, investors and other sections of the society at large.
- Ensuring a proactive management free from bias, ensuring fair justice to all sections of the society.

2. Board of Directors

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Chairman & Managing Director and two Executive Directors are three whole time Directors appointed by the Government of India. The other Directors include the following:-

- (a) A representative each of
 - i) Government of India (GOI)
 - ii) Workmen
 - iii) Officers Employees
- (b) One director possessing necessary expertise and experience in the matter relating to regulation or supervision of commercial bank, to be nominated by the Central Govt. on the recommendation of RBI
- (c) Three Independent Shareholders' Directors
- (d) One Chartered Accountant Director appointed by Government of India
- (e) Three part-time Non-Official Directors (Two posts presently lying vacant)

2.2 Committees of Board

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder which provide specific and focused governance in the important functional areas and control the affairs of the Bank: -

- Management Committee of the Board (MCBOD)
- Audit Committee of the Board (ACB)

- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)
- शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति (एसएचआईजीसी)
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटी समिति)
- धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)
- ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- शेयर अंतरण समिति (एसटीसी)
- परिलब्धि समिति (परि.समि)
- नामांकन समिति (नामां. समि)
- ऋण अनुमोदन समिति(सीएसी)
- शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति(एसआईएसी)

2.3 बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं।

2.4 31.03.2012 को यथास्थिति निदेशक मंडल का गठन निम्नवत् है :

- Risk Management Committee (RMC)
- Directors' Promotion Committee (DPC)
- Shareholders'/ Investors' Grievances Committee (SHIGC)
- Information Technology Committee (IT Com.)
- Fraud Monitoring Committee (FMC)
- Customer Service Committee (CSC)
- Share Transfer Committee (STC)
- Remuneration Committee (Remu. Com.)
- Nomination Committee (Nom. Com.)
- Credit Approval Committee (CAC)
- Share Issue and Allotment Committee (SIAC)

2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meet at periodic intervals.

2.4 The composition of the Board of Directors as on 31-03-2012 was as under:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	अन्य बोर्ड एवं समितियों की सदस्यता	बोर्ड/समितियों के निदेशकता/ सदस्यता की कुल संख्या
Name	Designation	Date of appointment	Membership of other Board & Committees	Total No. of Directorship/ Membership of Board/Committees
1. श्री जे.पी. दूआ Shri J.P. Dua	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	04-12-2009*	2	10
2. श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	07-12-2009	1	9
3. श्री एम.आर. नायक Shri M.R. Nayak	कार्यपालक निदेशक Executive Director	22-01-2010	1	9
4. श्री ए. उदगाता Shri A. Udgata	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director	13-10-2011	—	4
5. डा. शशांक सक्सेना Dr. Shashank Saksena	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director	15-11-2011	2	7
6. श्री आर.एम. चतुर्वेदी Shri R.M. Chaturvedi	सनदी लेखाकार निदेशक Chartered Accountant Director	14-07-2010	—	7
7. श्री डी.एन. सिंह Shri D.N. Singh	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	19-07-2011	—	3
8. श्री निर्मल कुमार बारी Shri Nirmal Kumar Bari	अधिकारी कर्मचारी निदेशक Officer Employee Director	13-07-2011	—	4
9. श्री गौर दास Shri Gour Das	कामगार कर्मचारी निदेशक Workmen Employee Director	16-08-2010	—	5
10. डा. सुदीप चौधरी Dr. Sudip Chaudhuri	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	10-02-2012	—	3
11. श्री अशोक विज Shri Ashok Vij	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	10-02-2012	4	7
12. श्री ए.पी.वी.एन. शर्मा Shri A.P.V.N. Sarma	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	10-02-2012	3	6

*श्री जे.पी. दूआ 07.11.2007 से 03.12.2009 तक बैंक के कार्यपालक निदेशक थे

नोट :

- (i) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में 5 लेखापरीक्षा समिति/शेयरधारक शिकायत समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं।
- (ii) कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं।

2.5. वित्त वर्ष 2011-12 में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त निर्वाचित निदेशकों का ब्यौरा एवं कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का विवरण नीचे दिया गया है।

2.5.1 श्री ए. उदगाता, भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक,

श्री ए.उदगाता ने वर्ष 1982 में भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में ग्रेड-बी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली और केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में विभिन्न पदों पर कार्य किया। महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति हो जाने पर उन्हें भारिबैंक, अहमदाबाद में पदस्थ किया गया और मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति होने पर उनकी पदस्थापना भारिबैंक, नई दिल्ली में हुई (2004-09)। वर्तमान में वह प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में कार्यरत हैं। इससे पूर्व वे मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में कार्यरत थे (जून 2009 से अप्रैल 2010)।

श्री उदगाता ने 13.10.2011 को इलाहाबाद बैंक के बोर्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें बैंकिंग एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण का भरपूर ज्ञान और व्यापक अनुभव है। वह राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने सीएआईआईबी (भाग-1) पास किया है। उन्होंने अप्रैल-मई, 2008 में यूके में “मार्च टुवार्ड्स वर्ल्ड क्लास बैंकिंग” संबंधी एडवॉंस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भाग लिया और अक्तूबर, 2011 में यूएसए में “सेंट्रल बैंकिंग” संबंधी सेमिनार में भाग लिया।

2.5.2 डा. शशांक सक्सेना, सरकार द्वारा नामित निदेशक

डा. शशांक सक्सेना, आईईएस 1987 में भारतीय आर्थिक सेवा से जुड़े। वर्तमान में वह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में निदेशक (बीओ-11 एवं पीआर) के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों में कार्य का 19 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने 20.08.2007 से जून 2008 तक इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बोर्ड में तथा 10.06.2008 से 14.11.2011 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्य किया। डा. सक्सेना निक्षेप बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) तथा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमि. में भी सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद पर रहे।

डा. सक्सेना अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं एवं उनके पास लॉ की डिग्री भी है। उन्होंने 15.11.2011 से बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

2.5.3 श्री निर्मल कुमार बारी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक

श्री बारी ने 13.07.2011 को बोर्ड में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण किया।

श्री बारी 31 दिसम्बर, 1985 से बैंक की सेवा में हैं और वर्तमान में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में भविष्य निधि विभाग, प्रधान कार्यालय में पदस्थ हैं।

* Shri J.P. Dua was the Executive Director of the Bank from 07-11-2007 to 03-12-2009

Note:

- (i) None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as Chairman of more than 5 Audit Committee/ Shareholders' Grievance Committees across all companies in which he is a director.
- (ii) None of the Directors are relative of each other

2.5 The profile of the directors who were appointed/elected on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2011-12 is furnished hereunder:

2.5.1 Shri A. Udgata, R.B.I. Nominee Director

Shri A. Udgata joined Reserve Bank of India in the year 1982 at Bhubaneshwar as a Grade-B Officer. He worked in various capacities at Regional Offices at Kolkata, New Delhi and Central Office, Mumbai. On his promotion as General Manager, he was posted at RBI, Ahmedabad and on subsequent promotion as Chief General Manager he was moved to RBI, New Delhi (2004-09). At present, he is working as Chief General Manager (CGM) In-Charge, Urban Banks Department, RBI, Central Office, Mumbai. Prior to this, he worked as CGM, Department of Banking Supervision (DBS) at Central Office Mumbai (June '09 – April '10).

Shri Udgata joined Allahabad Bank Board as RBI Nominee Director on 13.10.2011 and with him brings-in rich knowledge & experience in Banking and Banking Supervision. He has Post Graduate in Political Science and has passed CAIIB (Part-I). He has attended Advance Management Programme on “March Towards World Class Banking” in UK in April-May' 2008, and a Seminar on “Central Banking” in USA in October' 2011

2.5.2 Dr. Shashank Saksena, Govt. Nominee Director

Dr. Shashank Saksena, IES, joined the Indian Economic Service in 1987. Presently he is working as the Director (BO-II and PR), Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi. He has over 19 years of experience in various Ministries/Organizations and served as Govt. Nominee Director on the Boards of Indian Overseas Bank from 20.08.2007 to June 2008 and Central Bank of India from 10.06.2008 to 14.11.2011. Dr. Saksena is also on the Boards of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) and the Industrial Investment Bank of India Ltd., as Govt. of India nominee Director.

Dr. Saksena is a Post Graduate in Economics with a degree in Law. He has joined the Bank's Board as Government Nominee Director w.e.f. 15.11.2011.

2.5.3 Shri Nirmal Kumar Bari, Officer Employee Director

Shri Bari has joined the Board as Officer Employee Director w.e.f. 13.07.2011 for a period of three years.

Shri Bari is in service of the Bank since 31st December, 1985 and presently posted as Senior Manager at P. F. Department, Head Office, Kolkata.

श्री निर्मल कुमार बारी ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) के अध्यक्ष हैं और एसोसिएशन की पश्चिम बंगाल युनिट के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। उनके पास बैंकिंग और ट्रेड यूनियन गतिविधियों का व्यापक अनुभव है।

श्री बारी एक अच्छे वक्ता हैं और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कान्फेडरेशन (एआईबीओसी) के अंतर्गत बैंक अधिकारी समुदाय के ट्रेड यूनियन लीडर हैं और एआईबीओसी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं। वह ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन (एआईएनबीओएफ), पश्चिम बंगाल के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। श्री बारी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में छात्र यूनियन के नेता रहे हैं तथा फुटबॉल एवं आवृत्ति में उनकी अभिरुचि है।

2.5.4 श्री देवेश्वर नारायण सिंह, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री सिंह ने 19.07.2011 को तीन वर्षों की अवधि के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री सिंह ने हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से समाज विज्ञान में ऑनर्स के साथ अपना स्नातक पाठ्यक्रम पूरा किया। उनकी पृष्ठभूमि कृषि से संबंधित है और उन्हें कृषि एवं मत्स्यपालन के क्षेत्र में प्रासंगिक ज्ञान एवं व्यापक अनुभव है।

श्री सिंह "देवांगन कल्याण समिति" के अध्यक्ष हैं जो एक पंजीकृत गैर सरकारी संगठन है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने एवं एड्स, स्वास्थ्य आदि के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य कर रहा है।

श्री सिंह डी.एन. इंटर कॉलेज, तिरवा, जिला कन्नौज (यू.पी.) की प्रबंधन समिति के सदस्य हैं और डी.एन. डिग्री कॉलेज, फतेहगढ़ (यू.पी.) की प्रबंधन समिति में कार्यकारी सदस्य भी हैं। इससे पूर्व श्री सिंह ने 1978 से 1986 तक मैसर्स जे.के. सिंथेटिक, कानपुर में कार्य किया था।

श्री सिंह का कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है।

2.5.5 डा. सुदीप चौधरी, शेयरधारक निदेशक

डा. सुदीप चौधरी ने 1976 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री सर्वोच्च रैंक (फर्स्ट क्लास फर्स्ट) के साथ पूरी की और 1985 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएच.डी. की। डा. चौधरी भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता में 1990 से प्रोफेसर (इकोनोमिक्स ग्रुप) के रूप में कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। इनमें नवीनतम लेख "आर एंड डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिज़ीजेस" है जो 'इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन' में प्रकाशित होने वाला है।

डा. चौधरी ने भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), न्यूयॉर्क, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), जेनेवा के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। उन्होंने अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित वक्ता के रूप में भाग लिया जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं: (I) ब्राजील में "इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एकेडमिक फोरम: ए पॉलिसी डायलॉग" (II) जेनेवा में "आईसीटीएसडी/यूएनसीटीएडी राउंड टेबल" (III) डेनमार्क में "बीआरआईसीएस वर्कशॉप, द ग्लोबल नेटवर्क फॉर द इकोनोमिक्स ऑफ लर्निंग, इनोवेशन एंड कम्पीटेंस बिल्डिंग सिस्टम" और (4) कोलम्बिया युनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में "कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू एप्रोचेज टु इन्टेल्लेक्चुअल प्रॉपर्टी"।

डा. चौधरी बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में दुबारा चुने गए और उन्होंने 10.02.2012 से बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

Shri Nirmal Kumar Bari is the President of All India Allahabad Bank Officers' Association (AIABOA) and also the State Secretary of West Bengal Unit of the Association and has rich experience in the fields of banking and the trade union movement.

Shri Bari is a good orator and Trade Union Leader of Bank Officers' Community under the banner of All India Bank Officers Confederation (AIBOC), holding the post of Dy. General Secretary of AIBOC. He is also the State Secretary of All India Nationalised Bank Officers Federation (AINBOF) of West Bengal. Shri Bari has been student Union Leader in College & University and his hobbies are Football and Recitation.

2.5.4 Shri Deveshwar Narain Singh, Part Time Non-official Director

Shri Singh has joined the Bank as Part Time Non-Official Director w.e.f. 19.07.2011 for a period of three years.

Shri Singh had completed his Graduation with honors in Sociology from Hindu College, Delhi University. He comes from an agrarian background and has relevant knowledge and a vast experience in the field of agriculture & fisheries.

Shri Singh is the President of "DEVANGNA KALYAN SAMITI" a registered non-Government Organization working in rural areas to impart education and awareness of Aids, Hygiene etc.

Shri Singh is a member in the Managing Committee of D. N. Inter College, Tirwa, Distt. Kannauj (UP) and also a working member in the Managing Committee of D. N. Degree College, Fatehgarh (UP). Earlier, Shri Singh worked for M/s J. K. Synthetics, Kanpur from 1978 to 1986.

Shri Singh brings ample experience in Agriculture, rural economy and education.

2.5.5 Dr. Sudip Chaudhuri, Shareholders' Director

Dr. Sudip Chaudhuri completed his M.A. in Economics from Calcutta University in 1976 with highest rank (first class first) and Ph.D. in Economics from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in 1985. Dr. Chaudhuri has been serving Indian Institute of Management, Calcutta as Professor (Economics Group) since 1990.

He has many publications in National & International journals. The latest one is on "R & D for development of new drugs for neglected diseases" which is forthcoming in 'International Journal of Technology and Globalization'.

Dr. Chaudhuri served as a consultant for Reserve Bank of India, Industrial Development Bank of India, Government of India, Ministry of Commerce & Industry, United Nations Development Programme (UNDP), New York, World Health Organization (WHO), Geneva. He attended many international conferences as an invited speaker, prominent of which are (i) "India Brazil South Africa Academic Forum: A Policy Dialogue" at Brazil; (ii) "ICTSD/UNCTAD Roundtable" at Geneva; (iii) "BRICS Workshop", the global network for the Economics of learning, Innovation & competence building system, at Denmark; and "Conference on new approaches to intellectual property", at Columbia University, New York.

Dr. Chaudhuri was re-elected as shareholders' Director of the Bank and joined the Board with effect from 10-02-2012.

2.5.6 श्री अशोक विज, शेरधरक निदेशक

श्री अशोक विज, वाणिज्यिक स्नातक हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार हैं। वे सनदी लेखाकार की प्रैक्टिस करते हैं। वह मैसर्स लाम्बा विज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली एवं शिमला के वरिष्ठ पार्टनर हैं। उनके पास 32 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है जिनमें बड़ी भारतीय/मल्टी नेशनल एवं सरकारी कंपनियों में वित्त एवं प्रबंधन परामर्श, लेखापरीक्षा, कराधान एवं व्यवसाय सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।

श्री विज, ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं इंडिया ओवरसीज़ बैंक के निदेशक मंडल में क्रमशः सितम्बर, 1989 से मार्च, 1995 एवं अप्रैल, 1995 से मार्च, 2000 तक सरकार द्वारा नामित निदेशक थे। वह पुनर्संरचना समिति, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के सदस्य थे और 1994-95 के दौरान वीएसएनएल के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम के कंसल्टेंट थे। वर्तमान में वह, द उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि. (भारत सरकार का उपक्रम) एवं प्रिंसिपल पीएनबी एसेट मैनेजमेंट कं. प्रा. लि., के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। वह विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कंसल्टेंट हैं, जैसे - इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार। वह मैसर्स इंडिया प्रोफेशनल सर्विसेस एंड इन्वेस्टमेंट लि. तथा मैसर्स डेडिकेटेड डिजिटल मशीन्स प्रा. लि. के बोर्ड में शेरधरक निदेशक भी हैं।

श्री विज ने 10.02.2012 बैंक के बोर्ड में शेरधरक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

2.5.7 श्री ए.पी.वी.एन. शर्मा, शेरधरक निदेशक

श्री ए.पी.वी.एन. शर्मा एक वरिष्ठ आईएएस (सेवानिवृत्त) अधिकारी हैं। उन्होंने स्नातक स्तर पर बी.ई. एवं एलएलबी पाठ्यक्रम पूरा किया। उनका लोक प्रशासन एवं उद्योग में 36 वर्षों का अनुभव है। श्री शर्मा का आईएएस के रूप में सार्वजनिक मुद्दों के संबंध में नीति निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक का व्यापक अनुभव है। उनके पास अर्ध-न्यायिक सेवा का भी 10 वर्षों से अधिक का भी अनुभव है।

श्री शर्मा को उद्योग, वित्त, अर्थव्यवस्था एवं विधि का प्रचुर ज्ञान है। वे 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के लिए मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं. लि. के प्रमुख थे तब वह कंपनी रूग्ण थी। इनके कार्यकाल के दौरान कंपनी की काया पलट हुई और कंपनी को लाभ होने लगा।

श्री शर्मा ने चेन्नई में इंडियन मेरिटाइम युनिवर्सिटी की स्थापना की है। वर्तमान में श्री शर्मा मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि. एवं मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमि. में अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

श्री शर्मा ने 10.02.2012 से बैंक के बोर्ड में शेरधरक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

2.5.6 Shri Ashok Vij, Shareholders' Director

Shri Ashok Vij is a Commerce Graduate and qualified Chartered Accountant from Institute of Chartered Accountants of India. He is a practicing Chartered Accountant. He is the senior partner of M/s Lamba Vij & Co., Chartered Accountants, New Delhi & Shimla having thirty two years of professional experience extending services to large Indian / multinational and Government companies in the areas of Financial & Management consultancy, Audit, Taxation and Business Advisory Services.

Shri Vij was Government Nominee Director on the Boards of Oriental Bank of Commerce & Indian Overseas Bank from Sep.'1989 to Mar.'1995 & Apr.'1995 to Mar.'2000, respectively. He was Member in the Committee on Restructuring, Department of Telecom, Govt. of India and consultant for international Joint Venture of VSNL during 1994-95. Presently, He is on the Board of The Orissa Minerals Development Company Ltd. (GOI undertaking) and Principal Pnb Asset Management Co. Pvt. Ltd., as independent Director. He is consultant to various Government undertakings such as Infrastructure Development Board, HP State Electricity Board and the Department of Tourism & Civil Aviation, Govt. of Himanchal Pradesh. He is also on the Boards of M/s India Professional Services & Investment Ltd. & M/s Dedicated Digital Machines Pvt. Ltd., as a Shareholder Director.

Shri Vij has joined the Bank's Board as Shareholders' Director w.e.f. 10.02.2012.

2.5.7 Shri A.P.V.N. Sarma, Shareholders' Director

Shri A. P. V. N. Sarma, is a senior IAS (Retd.) officer. He has completed B.E. and LLB at graduation level. He has 36 years of experience in Public Administration and Industries. Shri Sarma as an IAS is widely exposed to public issues from policy making to implementation. He has also over 10 years experience of quasi judicial service.

Shri Sarma has ample knowledge of Industry, Finance, Economics & Law. He also headed M/s Singareni Collieries Company Ltd. for full term of 5 years, a sick company then. During his tenure the company has made a turnaround into profits.

Shri Sarma set-up Indian Maritime University in Chennai.

At present, Shri Sarma is on the Boards of M/s Rashtriya Ispat Nigam Limited & M/s Neyveli Lignite Corporation Ltd., as Part-Time Non-Official Director.

Shri Sarma has joined the Bank's Board as Shareholders' Director w.e.f. 10.02.2012.

3. 2011-12 के दौरान आयोजित बोर्ड / समिति की बैठक का विवरण

3. Details of the Board/Committee meeting held during financial year 2011-12

3.1 बैठकों में वर्तमान एवं पिछले निदेशकों की उपस्थिति का विवरण।

3.1 Details of the meetings attended by Present and Past Directors.

क्र० सं०	निदेशक का नाम	बोर्ड	एम सी बी	ए सी बी	आर एम सी	डी पी सी	एस एच आई जी सी	आई टी समिति	एफ एम सी	सी एस सी	परिलब्ध समिति	नामा. समिति	एस टी सी	सी ए सी	एस आई सी
S.N.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	DPC	SHIGC	ITCOM.	FMC	CSC	Remu. Com.	Nom. Com	STC	CAC	SIAC
1	श्री जे.पी. दूआ Shri J.P. Dua	16	20	—	4	4	—	5	6	4	—	—	19	—	2
2	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	16	20	11	4	2#	2	5	6	4	—	—	20	—	1
3	श्री एम.आर. नायक Shri M.R. Nayak	16	20	11	4	—	2	5	6	4	—	—	21	—	2
4	श्रीमती सुकृति लिखि Smt Sukriti Likhi*	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
5	डा. शशांक सक्सेना Dr. Shashank Saxena	5	—	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
6	डा. शकील उज्जमान अंसारी Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari*	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	श्री पी. वी. गुडिरेडी * Shri P.V. Gudireddy*	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	श्री. देवेश्वर नारायण सिंह Shri Deveshwar Narain Singh	11	—	4	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—
9	श्री. एस. रामस्वामी Shri S. Ramaswamy*	8	9	6	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
10	श्री. ए. उदगाता Shri A. Udgata	7	10	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	श्री. आर. एम. चतुर्वेदी Shri R.M. Chaturvedi	14	19	10	2	—	—	4	4	—	2	1	—	—	—
12	श्री देवेश्वर कुमार कपिला* Shri Deveshwar Kumar Kapila*	3	—	3	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—
13	डा. वसन्त बाबूराव कौजलगी* Dr. Vasant Baburao Kaujalgı*	4	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
14	डा. सुदीप चौधरी** Dr. Sudip Chaudhuri**	4	6	—	1	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—
15	श्री. अशोक विज Shri Ashok Vij	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
16	श्री. ए.पी.वी.एन. शर्मा Shri A.P.V.N. Sarma	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17	श्री. निर्मल कुमार बारी Shri Nirmal Kumar Bari	12	11	—	—	—	—	—	5	3	—	—	1	—	2
18	श्री. गौर दास Shri Gour Das	15	2	—	3	—	—	4	—	3	—	—	18	—	—

*पिछले निदेशक / * Past directors

**डा. सुदीप चौधरी दिनांक 29.06.2011 तक बैंक के शेयरधारक निदेशक रहे एवं 10.02.2012 से बतौर शेयरधारक निदेशक पुनः निर्वाचित किए गए।

** Dr. Sudip Chaudhuri was shareholders' Director of the Bank upto 29-06-2011 and has been re-elected as shareholders' Director with effect from 10-02-2012.

सह-वैकल्पिक

Co-opted

3.2 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के सापेक्ष समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नोक्त तिथियों को 16 बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं।

3.2 During the period under review 16 Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum 6 meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड में निदेशकों की संख्या No. of Directors on Board	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors attended
18-04-2011	12	9
02-05-2011	11	10
31-05-2011	10	8
28-06-2011	10	9
21-07-2011	9	8
22-07-2011	9	8
22-08-2011	9	8
16-09-2011	9	8
19-10-2011	9	7
02-11-2011	9	8
26-11-2011	9	9
15-12-2011	9	9
16-01-2012	9	8
30-01-2012	9	8
22-02-2012	12	11
10-03-2012	12	11

4. बोर्ड की समितियां

4. Committees of the Board

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

4.1 Management Committee of the Board

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के खंड-13 के अनुसार बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन किया गया।

In pursuance of clause 13 of Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted.

4.1.1 प्रबंधन समिति का गठन

4.1.1 Composition of the Management Committee

यथास्थिति 31.03.2012 को बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

The members of the Management Committee of the Board as on 31-03-2012 were as under:

1.	श्री जे.पी. दूआ Shri J.P. Dua	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director
2.	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	कार्यपालक निदेशक Executive Director
3.	श्री एम.आर. नायक Shri M.R. Nayak	कार्यपालक निदेशक Executive Director
4.	श्री ए. उदगाता Shri A.Udgata	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director
5.	श्री राजेश एम. चतुर्वेदी Shri Rajesh M. Chaturvedi	सनदी लेखाकार निदेशक Chartered Accountant Director
6.	श्री गौर दास Shri Gour Das	कामगार निदेशक Workmen Employee Director
7.	डा. सुदीप चौधरी Dr. Sudip Chaudhuri	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director
8.	श्री ए.पी.वी.एन. शर्मा Shri A.P.V.N. Sarma	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.1.2 प्रबंधन समिति के कार्य

प्रबंधन समिति का कार्य उच्च मूल्य के प्रस्तावों की संस्वीकृति, समझौता/ बट्टे खाते डालना, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय की संस्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों पर विचार करना तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित अधिकार के उपयोग की समीक्षा करना है। समिति निवेश संविभाग, अनुपयोज्य आस्तियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड द्वारा समिति को संदर्भित अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों की समीक्षा भी करती है।

4.1.3 समिति की बैठक का विवरण

01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को प्रबंधन समिति ने 20 बैठकें आयोजित कीं:

4.1.2 Function of the Management Committee

The function of the Management Committee is to consider various business matters of material significance like sanction of high value proposal, compromise/write off, sanction of capital & revenue expenditure and review the exercise of delegated authority by the Chairman & Managing Director and the Executive Director(s). The Committee also reviews the performance of key areas like investment portfolio, non-performing assets and other important management decisions referred to the Committee by the Board.

4.1.3 Details of the meeting of the Committee

The Committee met 20 times during the period 01.04.2011 to 31.03.2012 as detailed below:-

बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों की सं. No. of Directors on the Management Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
18-04-2011	8	8
19-05-2011	7	7
10-06-2011	7	6
28-06-2011	6	6
21-07-2011	5	5
12-08-2011	5	5
22-08-2011	7	7
16-09-2011	7	7
29-09-2011	7	7
19-10-2011	7	6
02-11-2011	7	7
25-11-2011	7	7
15-12-2011	7	7
23-12-2011	7	7
16-01-2012	7	7
30-01-2012	7	6
14-02-2012	7	6
22-02-2012	7	6
10-03-2012	8	7
24-03-2012	8	8

4.2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

4.2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा कार्पोरेट गवर्नेन्स के सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 31.05.1994 को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया तथा उसे समय-समय पर पुनर्गठित किया।

4.2 Audit Committee of the Board (ACB) :

4.2.1 In pursuance to the directives of Reserve Bank of India and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank originally constituted an Audit Committee on 31.05.1994 and reconstituted the same from time to time.

4.2.2 लेखापरीक्षा समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2012 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नोक्त सदस्य थे:-

1. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
2. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
3. डा. शशांक सक्सेना	सरकार द्वारा नामित निदेशक
4. श्री ए. उदगाता	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
5. श्री राजेश एम. चतुर्वेदी	सनदी लेखाकार निदेशक
6. श्री देवेश्वर नारायण सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री राजेश एम. चतुर्वेदी, सनदी लेखाकार निदेशक, द्वारा की गई।

4.2.3 लेखापरीक्षा समिति के कार्य :

लेखापरीक्षा समिति का मुख्य कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का मूल्यांकन एवं उसकी समीक्षा करना है ताकि विवरणों की सत्यता, पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले समिति प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय परिणामों की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति निदेश भी देती है तथा बैंक के अंतर्गत संगठन, परिचालन तथा आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण करती है तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा एवं भारिबैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसके स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त यह बैंक की वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में, लेखापरीक्षा समिति वार्षिक/तिमाही वित्तीय लेखाओं और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह लॉग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) रिपोर्ट में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.2.2 Composition of the Audit Committee :

The member of the Audit Committee of the Board, as on 31-03-2012 were as under:

1. Shri D. Sarkar	Executive Director
2. Shri M.R. Nayak	Executive Director
3. Dr. Shashank Saksena	Government Nominee Director
4. Shri A.Udgata	RBI Nominee Director
5. Shri Rajesh M. Chaturvedi	Chartered Accountant Director
6. Shri Deveshwar Narain Singh	Part Time Non-Official Director

The committee is chaired by Shri Rajesh M. Chaturvedi, Chartered Accountant Director.

4.2.3 Function of the Audit Committee:

The main function of Audit Committee is to assess and review the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews with the management the annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides direction and oversees the operations of total audit function of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the Statutory/ External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control system, structure of internal audit department, its staffing pattern and discussion with the internal auditors/Inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

Regarding Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Central Statutory Auditors before finalization of Annual/ Quarterly Financial Accounts and Reports. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.2.4 बैठक का विवरण -

01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 11 बैठकें आयोजित की गईं:

4.2.4 Details of Meetings:

During the period 01.04.2011 to 31.03.2012, 11 meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below:-

बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की सं. No. of Directors on the Audit Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
07-04-2011	6	4
02-05-2011	6	6
24-06-2011	6	5
21-07-2011	5	4
22-07-2011	5	4
29-09-2011	6	5
02-11-2011	6	5
16-12-2011	6	6
30-01-2012	6	5
15-02-2012	6	4
04-03-2011	6	6

4.3 जोखिम प्रबंधन समिति :

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 04 मार्च, 2003 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया एवं समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है।

4.3.2 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2012 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री राजेश एम. चतुर्वेदी	सनदी लेखाकार निदेशक
5. श्री गौर दास	कामगार निदेशक
6. डा. सुदीप चौधरी	शेयरधारक निदेशक
7. श्री ए.पी.वी.एन शर्मा	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.3.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के कार्य :

जोखिम प्रबंधन समिति ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम निवेशों के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन हेतु नीति तथा रणनीति निरूपित करती है।

4.3 Risk Management Committee

4.3.1 Risk Management Committee of the Board:

In pursuance of the directives of the Reserve Bank of India, a Risk Management Committee of the Board was constituted on March 4, 2003 and it was reconstituted time to time.

4.3.2 Composition of the Risk Management Committee:

The members of the Committee as on 31.03.2012 were as under:-

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri Rajesh M. Chaturvedi	Chartered Accountant Director
5. Shri Gour Das	Workmen Employee Director
6. Dr. Sudip Chaudhuri	Shareholders' Director
7. Shri A.P.V.N. Sarma	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.3.3 Function of Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee devises the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including Credit, Market & Operational risk.

4.3.4 बैठक का विवरण -

01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 4 बार बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की सं. No. of Directors on the Risk Management Committee of Board.	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
31-05-2011	6	5
22-08-2011	5	5
25-11-2011	5	5
22-02-2012	5	4

4.4 निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) :

4.4.1 बोर्ड की निदेशक पदोन्नति समिति:

बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग)के निदेशों के अनुसरण में निदेशक पदोन्नति समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.4.2 निदेशकों की पदोन्नति समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2012 को निदेशकों की पदोन्नति समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ	: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. डा. शशांक सक्सेना	: सरकार द्वारा नामित निदेशक
3. श्री ए. उदगाता	: भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक

समिति की अध्यक्षता, श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.4.3 निदेशकों की पदोन्नति समिति के कार्य :

निदेशकों की पदोन्नति समिति का गठन सतर्कता एवं गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों के निपटान की समीक्षा करने एवं कार्पोरेट गवर्नेन्स एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिमहत्वपूर्ण अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

4.4.4 बैठक का विवरण-

01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान निम्नोक्त तिथियों को समिति ने 4 बैठकें आयोजित कीं :

बैठक की तिथि Date of Meeting	निदेशकों की पदोन्नति समिति में निदेशकों की सं. No. of Directors on the Promotion Committee	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
28-06-2011	3	3
16-09-2011	3	3
15-12-2011	3	3
10-03-2012	3	3

4.5 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

4.5.1 बैंक ने शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के प्रयोजनार्थ मूलतः 04 मार्च, 2003 को शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत (निवारण) समिति का गठन किया। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया।

4.3.4 Details of the Meetings

The Committee met 4 times during the period 01-04-2011 to 31-03-2012 as detailed below:

4.4. Directors' Promotion Committee (DPC)

4.4.1 Directors promotion committee of the Board:

The Bank in pursuance to the directives of Govt. of India, Ministry of Finance (Banking Division) constituted Directors Promotion Committee and the same was reconstituted from time to time.

4.4.2 Composition of the Directors 'Promotion Committee:

The members of the Committee of Directors as on 31-03-2012 were as under:-

1. Shri J.P. Dua,	Chairman & Managing Director
2. Dr. Shashank Saksena	Government Nominee Director
3. Shri A. Udgata	RBI Nominee Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director

4.4.3 Function of the Directors' Promotion Committee:

The Directors' Promotion Committee has been constituted to review disposal of vigilance and non-vigilance disciplinary cases and other cases of strategic importance in terms of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) guidelines on Corporate Governance and Risk Management System.

4.4.4 Details of the Meetings

The Committee held 4 meetings during the period 01.04.2011 to 31.03.2012 as detailed below:

4.5. Shareholders'/Investors' Grievances Committee

4.5.1 The Bank originally constituted the Shareholders'/Investors' Grievances Committee on March 4th, 2003 with a purpose of monitoring the redressal of shareholders and investors grievances / complaints. The committee was reconstituted time to time.

4.5.2 शेयर धारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का गठन :

31.03.2012 को यथास्थिति समिति के निम्नोक्त सदस्य थे :

1. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
2. श्री एम. आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
3. डा. सुदीप चौधरी	शेयरधारक निदेशक
4. श्री अशोक विज	शेयरधारक निदेशक
5. श्री ए.पी.वी.एन. शर्मा	शेयरधारक निदेशक

श्री ए. बी. भट्टाचार्य, महाप्रबंधक, (वित्त एवं लेखा) और सीएफओ को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

4.5.3 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के कार्य

समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी शेयर प्रमाणपत्र स्थानान्तरण, सब डिवीजन समेकन, नवीकरण आदि हेतु आवेदन की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर जारी हो जाए। इसके अतिरिक्त, समिति निवेशकों की शिकायतों के समयबद्ध निवारण की मॉनिटरिंग भी करती है। बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1183 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से सभी का निवारण निवेशकों की संतुष्टि के अनुरूप किया जा चुका है।

4.5.4 बैठक का विवरण

01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान समिति ने 2 बैठकें आयोजित की जिनका विवरण निम्नानुसार है।

बैठक की तिथि Date of Meeting	शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति. में निदेशकों की सं. No. of Directors on the Shareholders'/ Investors' Grievances Committee	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
19-05-2011	3	3
22-02-2012	5	5

4.6 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटी-समिति)

4.6.1 बैंक की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु बैंक ने 24 अप्रैल 2003 को आईटी उप-समिति गठित की जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

4.6.2 बोर्ड की आईटी समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2012 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम. आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. डा. शशांक सक्सेना	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. श्री राजेश एम. चतुर्वेदी	सनदी लेखाकार निदेशक
6. श्री गौर दास	कामगार निदेशक
7. श्री अशोक विज	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.5.2 Composition of the Shareholder's / Investors' Grievances Committee

The members of the Committee as on 31-03-2012 were as under:

1. Shri D. Sarkar	Executive Director
2. Shri M.R. Nayak	Executive Director
3. Dr. Sudip Chaudhuri	Shareholders' Director
4. Shri Ashok Vij	Shareholders' Director
5. Shri A.P.V.N. Sarma	Shareholders' Director

Shri A.B. Bhattacharjee, General Manager (Finance & Accounts) & CFO has been designated as Compliance Officer of the Bank.

4.5.3 Function of Shareholders'/Investors' Grievances Committee:

The Committee ensures that all Share Certificates are issued within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal etc. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The Bank received 1183 number of complaints during the year under review and all the complaints have been resolved to the satisfaction of investors.

4.5.4 Details of the Meetings

The Committee held two meetings during the period

4.6 Information Technology Committee (IT Committee)

4.6.1 The Bank constituted the IT Committee on April 24th, 2003 and it was further reconstituted time to time to monitor the implementation of various Information Technology projects of the Bank.

4.6.2 Composition of the IT Committee:

The members of the Committee as on 31-03-2012 were as under:

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Dr. Shashank Saksena	Government Nominee Director
5. Shri Rajesh M. Chaturvedi	Chartered Accountant Director
6. Shri Gour Das	Workmen Employee Director
7. Shri Ashok Vij	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.6.3 बोर्ड की आईटी समिति के कार्य

समिति का गठन बैंक की विभिन्न आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु किया गया है।

4.6.4 बैठक का विवरण

01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान समिति की 5 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुई :

बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की आईटी समिति में निदेशकों की सं. No. of Directors on the IT Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
31-05-2011	7	6
12-08-2011	6	5
15-12-2011	6	6
16-01-2012	6	5
24-03-2012	7	6

4.7 धोखाधड़ी निगरानी समिति

4.7.1 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति

बैंक ने एक करोड़ रुपए और अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु 28.02.2004 को धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.7.2 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन

यथास्थिति 31.03.2012 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री राजेश एम. चतुर्वेदी	सनदी लेखाकार निदेशक
5. निर्मल कुमार बारी	अधिकारी कर्मचारी निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.7.3 धोखाधड़ी निगरानी समिति के कार्य

धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं अर्थात धोखाधड़ी का पता लगाना, नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करना, तथा धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए अनन्य रूप से एक करोड़ रुपए और अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की मानिट्रिंग और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु समिति का गठन किया गया।

4.7.4 बैठक का विवरण

01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति की 6 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं :

बैठक की तिथि Date of Meeting	धोखाधड़ी निगरानी समिति में निदेशकों की सं. No. of Directors on Fraud Monitoring Committee	उपस्थित निदेशकों की सं. attended
28-06-2011	4	3
16-09-2011	5	5
26-11-2011	5	5
14-02-2012	5	5
22-02-2012	5	4
10-03-2012	5	5

4.6.3 Function of the IT Committee:

This Committee was constituted to monitor the implementation of various IT projects of the Bank.

4.6.4 Details of the Meetings

This Committee held 5 meetings during the period 01.04.2011 to 31.03.2012 as detailed below :

4.7. Fraud Monitoring Committee

4.7.1 Fraud Monitoring Committee of the Board:

The Bank has constituted Fraud Monitoring Committee on 28.02.2004 and reconstituted from time to time with a purpose to monitor and follow up cases of frauds involving amount of Rupees one crore and above.

4.7.2 Composition of the Fraud Monitoring Committee of the Board:

The members of the Committee as on 31-03-2012 were as under:

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri Rajesh M. Chaturvedi	Chartered Accountant Director
5. Shri Nirmal Kumar Bari	Officer employee Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.7.3 Function of the Fraud Monitoring Committee

The Fraud Monitoring Committee has been constituted exclusively for monitoring, review and follow up cases of frauds involving amount of Rs. One Crore and above, keeping in view the delay caused in various aspects of fraud like detecting, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against perpetrators of the fraud.

4.7.4 Details of the Meeting

The Fraud Monitoring Committee held 6 meetings during the period 01.04.2011 to 31.03.2012 as detailed below:-

4.8 ग्राहक सेवा समिति

4.8.1 निदेशक मंडल ने 9 सितम्बर 2004 को आयोजित बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के दिनांक 14 अगस्त, 2004 के पत्र के अनुपालन में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है। समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया ताकि सतत आधार पर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

4.8.2 ग्राहक सेवा समिति का गठन

31.03.2012 को ग्राहक सेवा समिति में निम्नलिखित निदेशक थे।

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री निर्मल कुमार बारी	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
5. श्री गौर दास	कामगार निदेशक
6. श्री देवेश्वर नारायण सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी
7. श्री अशोक विज	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.8.3 ग्राहक सेवा समिति के कार्य:

हर समय सभी प्रकार के ग्राहकों के ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नवीन उपाय करना।

4.8.4 बैठक का विवरण

01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि Date of Meeting	ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की सं. No. of Directors on the Customer Service Committee	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
19-05-2011	5	5
16-09-2011	6	6
25-11-2011	6	6
10-03-2012	7	6

4.9 परिलब्धि समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 9 मार्च 2007 की अधिसूचना एफ. सं. 20/1/2005-बीओआई के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के पात्र होंगे बशर्ते कि लक्ष्य और गुणात्मक पैरामीटर संबंधी आशय विवरण और पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों से संबंधित बैंचमार्क पर आधारित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स हेतु तय मात्रात्मक पैरामीटरों को बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो। कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन बोर्ड की उप समिति- 'परिलब्धि समिति' द्वारा किया जाएगा जिसमें सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक तथा दो अन्य निदेशक शामिल होंगे।

4.9.1 निदेशक मंडल ने 23.03.2007 की अपनी बैठक में कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के प्रयोजन हेतु पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से परिलब्धि समिति का गठन किया। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.8 Customer Service Committee

4.8.1 In compliance with RBI letter dated August 14th, 2004, the Board of Directors at its meeting held on September 9, 2004 constituted Customer Service Committee and reconstituted the same from time to time. The committee has been constituted with a view to bring out improvements in the quality of customer service in the Bank on a continuous basis.

4.8.2 Composition of Customer Service Committee:

The Customer Service Committee comprises the following Directors as on 31-03-2012.

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri Nirmal Kumar Bari	Officer employee Director
5. Shri Gour Das	Workmen Employee Director
6. Shri Deveshwar Narain Singh	Part Time Non-official Director
7. Shri Ashok Vij	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.8.3 Function of the Customer Service Committee

To innovate measures for enhancing the quality of customer service and improve the level of customer satisfaction to all categories of clientele at all times.

4.8.4 Details of the Meetings

The Committee held 4 meetings during the period 01.04.2011 to 31.03.2012 as detailed below:

4.9 Remuneration Committee

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F.No. 20/1/2005-BOI dated 9th March, 2007, whole time directors of the Public Sector Banks will be entitled to Performance linked incentives, subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the Statement Of Intent on goals and qualitative parameters and bench marks based on various compliance reports during the last year. Sub Committee of the Board called "Remuneration Committee" consisting of Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Directors would do the evaluation of performance.

4.9.1 The Board of Directors in its meeting dated 23-03-2007 constituted the Remuneration Committee to evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives. The Committee has since been reconstituted from time to time.

4.9.2. परिलब्धि समिति का गठन

यथास्थिति 31.03.2012 को समिति का गठन निम्नानुसार था :

1. डा. शशांक सक्सेना	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2. श्री ए. उदगाता	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
3. श्री राजेश एम. चतुर्वेदी	सनदी लेखाकार निदेशक

4.9.3. परिलब्धि समिति के कार्य

कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना।

4.9.4 बैठक का विवरण

01.04.2011 से 31.03.2012 तक समिति की 2 बैठक हुई-

बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की परिलब्धि समिति में निदेशकों की सं. No. of Directors on the Remuneration Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
10-06-2011	4	3
24-06-2011	4	4

4.10 नामांकन समिति

4.10.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवम्बर 2007 के पत्रांक डीबीओडी सं. बीसी.सं. 47/29.32.001/2007-08 के अनुसार 21.04.2008 को बोर्ड की नामांकन समिति का गठन किया गया।

4.10.2 नामांकन समिति का गठन

31.03.2012 को यथास्थिति समिति का गठन निम्नानुसार था:

1. डा. शशांक सक्सेना	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2. श्री राजेश एम. चतुर्वेदी	सनदी लेखाकार निदेशक
3. श्री देवेश्वर नारायण सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

4.10.3 नामांकन समिति के कार्य

नामांकन समिति को अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निर्वाचित निदेशकों/निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के “योग्य एवं उचित” स्तर का समुचित सतर्कता के साथ निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

4.10.4 बैठक का विवरण

01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की नामांकन समिति में सदस्यों की संख्या No. of Directors on the Nomination Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
01-02-2012	3	3

4.11 शेयर अंतरण समिति

4.11.1 बैंक ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके प्रयोजन में इक्विटी शेयरों का अंतरण/ट्रांसमिशन, डुप्लिकेट शेयर जारी करना शामिल है किंतु यह इसी कार्य तक सीमित नहीं है। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.9.2 Composition of Remuneration Committee

The Composition of the Committee as on 31-03-2012 is as under:

1. Dr. Shashank Saksena	Govt. Nominee Director
2. Shri A.Udgata	RBI Nominee Director
3. Shri Rajesh M. Chaturvedi	Chartered Accountant Director

4.9.3 Function of Remuneration Committee

To evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives.

4.9.4 Details of the Meetings

The Committee held two meetings during the period 01.04.2011 to 31.03.2012

4.10 Nomination Committee

4.10.1 In terms of Reserve Bank of India letter DBOD No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated Nov. 1, 2007, the Bank constituted Nomination Committee of the Board on 21-04-2008. The Committee was reconstituted from time to time.

4.10.2 Composition of Nomination Committee

The Composition of the Committee as on 31-03-2012 is as under:

1. Dr. Shashank Saksena	Govt. Nominee Director
2. Shri Rajesh M. Chaturvedi	Chartered Accountant Director
3. Shri Deveshwar Narain Singh	Part Time Non Official Director

4.10.3 Function of Nomination Committee

The Nomination Committee have to undertake a process of due diligence to determine the “Fit & Proper” status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec. 9 (3) (i) of the Act.

4.10.4 Details of the Meeting

The Committee held one meeting during the period 01.04.2011 to 31.03.2012 as detailed below:-

4.11 Share Transfer Committee

4.11.1 The Bank has constituted Share Transfer Committee for the purpose including but not limited to transfer/transmission of equity shares, issue of duplicate shares. The Committee has since been reconstituted from time to time.

4.11.2 शेयर अंतरण समिति का गठन

31.03.2012 को यथास्थिति समिति का गठन निम्नानुसार था

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री निर्मल कुमार बारी	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
5. श्री गौर दास	कामगार निदेशक

4.11.3 शेयर अंतरण समिति के कार्य

समिति को बैंक के शेयरों के अंतरण, प्रेषण, अस्वीकृति, सबडिवीजन, समेकन के अनुमोदन और गुम हुए अथवा नष्ट हुए शेयर प्रमाण पत्रों के बदले अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार है और वह इसके लिए प्राधिकृत है। समिति को वह सब कार्य करने का भी अधिकार है जो शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने आदि हेतु आवश्यक और प्रासंगिक होते हैं।

4.11.4 बैठक का विवरण:-

01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के दौरान समिति द्वारा आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की सं. No. of Directors on the Share Transfer Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
40-04-2011	5	3
28-04-2011	5	3
10-05-2011	5	4
19-05-2011	5	5
28-06-2011	5	5
22-07-2011	4	4
12-08-2011	4	4
03-09-2011	4	4
16-09-2011	4	4
29-09-2011	4	3
19-10-2011	4	4
02-11-2011	4	4
16-11-2011	4	4
02-12-2011	4	4
15-12-2011	4	4
28-12-2011	4	3
25-01-2012	5	3
06-02-2012	5	4
16-02-2012	5	4
02-03-2012	5	4
15-03-2012	5	4

4.12 ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 05.12.2011 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या 13/1/2006 और इस संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक ने ₹ 250 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन और ₹ 2 करोड़ तक के ऋण समझौता/राइट-ऑफ प्रस्तावों के अनुमोदन के उद्देश्य से 22.02.2012 को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है।

4.11.2 Composition of Share Transfer Committee

The Composition of the Committee as on 31-03-2012 is as under:

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri Nirmal Kumar Bari	Officer employee Director
5. Shri Gour Das	Workmen Employee Director

4.11.3 Function of Share Transfer Committee

The Committee is empowered and authorized to approve transfer, transmission, rejection, subdivision, consolidation of the shares of the Bank and issue of duplicate share certificates against lost or destroyed share certificates after observing requisite formalities. The Committee is also empowered to do all such acts, things or deeds as may be necessary or incidental to the exercise of transfer, transmission, issue of duplicate share certificates etc.

4.11.4 Details of the Meeting

The details of the meetings held by the committee during the period 01.04.2011 to 31.03.2012 are as under:-

4.12 Credit Approval Committee:

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance Notification vide Gazette Notification no. 13/1/2006 dated 05.12.2011 and further clarification in this regard, the Bank has constituted a Credit Approval Committee of the Board on 22.02.2012 for the purpose of approval of the credit proposals upto ₹ 250 Crore and Loan Compromise/Write-Off proposals upto ₹ 2 Crore.

4.12.1 ऋण अनुमोदन समिति का गठन

31.03.2012 को यथास्थिति समिति का गठन इस प्रकार था:

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री ए बी भट्टाचार्य	महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा)
5. श्री एस.के. विधानी	महाप्रबंधक(ऋण)
6. श्री वी.के. चावला	महाप्रबंधक(आईआरएम)

4.12.2 ऋण अनुमोदन समिति के कार्य

क) ₹ 250 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों(निधित्त एवं गैर-निधित्त) की संस्वीकृति

ख) ₹ 2 करोड़ तक के ऋण समझौता/राइट आफ प्रस्तावों का अनुमोदन

4.12.3 बैठक का विवरण

चूंकि ऋण अनुमोदन समिति का गठन 22.02.2012 को किया गया था इसलिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.13 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति

4.13.1 बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 22.02.2012 को सम्पन्न अपनी बैठक में भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) और भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमाम्य आबंटन के आधार पर ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटन करने हेतु शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति का गठन किया।

4.13.2 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति का गठन :

समिति का गठन दिनांक 31.03.2012 को यथास्थिति निम्नवत है :

1. श्री जे.पी.दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम. आर नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री निर्मल कुमार बारी	अधिकारी कर्मचारी निदेशक

4.13.3 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति के कार्य

समिति को ऐसे कार्यों एवं विषयों के लिए प्राधिकृत किया गया जो अधिमाम्य आबंटन के आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटन तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एवं मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में उसे सूचीबद्ध कराने हेतु आवश्यक हों।

4.12.1 Composition of the Credit approval Committee:

The Composition of the Committee as on 31-03-2012 is as under:

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri A. B. Bhattacharjee	General Manager (F&A)
5. Shri S. K. Widhani	General Manager (Credit)
6. Shri V. K. Chawla	General Manager (IRM)

4.12.2 Function of Credit approval Committee:

a) Sanctioning of Credit Proposals of upto ₹ 250 Crore [Funded and Non-Funded]

b) Approval of Loan Compromise/Write-Off proposals of upto ₹ 2 Crore

4.12.3 Details of the Meeting:

As the Credit Approval Committee was constituted w.e.f. 22.02.2012, no meeting of the committee was held during the financial year 2011-12.

4.13 Share Issue and Allotment Committee:

4.13.1 The Board of Directors of the bank in its meeting dated 22-02-2012 constituted a Share Issue and Allotment Committee for issue and allotment of Equity Shares to Govt. of India (President of India) and Life Insurance Corporation of India on preferential allotment basis.

4.13.2 Composition of Share Issue and Allotment Committee:

The Composition of the Committee as on 31-03-2012 is as under:

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri Nirmal Kumar Bari	Officer employee Director

4.13.3 Function of Share Issue and Allotment Committee:

The committee was authorized to do all such acts, deeds and things as may be required in connection with the issue and allotment of Equity Shares to Govt. of India and Life Insurance Corporation of India on preferential allotment basis and get the same listed with the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange.

4.13.4 बैठक का विवरण

दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के दौरान समिति की बैठकों का विवरण निम्नवत है-

4.13.4 Details of the Meeting

The details of the meeting of the Committee during the period 01.04.2011 to 31.03.2012 are as under:

बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की शेयर आबंटन समिति में निदेशकों की सं. No. of Directors on the Share Allotment Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
03-03-2012	4	4
29-03-2012	4	3

5. निदेशकों की परिलब्धियाँ

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दी जाने वाली परिलब्धियाँ भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जा रही हैं।

5.1 वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को भुगतान किए गए वेतन एवं प्रोत्साहन का विवरण निम्नानुसार है:

5 Remuneration to Directors:

The remuneration including traveling and halting expenses to the Non- Executive Directors is paid as decided by the Government of India /RBI guidelines.

5.1 The details of salary including incentives paid to the whole-time Directors of the Bank i.e Chairman & Managing Director and Executive Director during the year 2011-12 are as under:

क्रम सं Sl No.	नाम Name	मूल Basic	मंहगाई भत्ता Dearness Allowance	बकाया Arrear	प्रोत्साहन Incentives	कुल Total
मौजूदा निदेशक / Existing Directors						
1.	श्री जे.पी. दूआ (अ.प्र.नि.) Shri J.P. Dua (CMD)	953295.00	510448.65	40129.50	800000.00	2303873.15
2.	श्री डी. सरकार (का.नि.) Shri D. Sarkar (ED)	821490.00	439889.10	34566.60	650000.00	1945945.70
3.	श्री एम.आर. नायक (का.नि.) Shri M. R. Nayak (ED)	821490.00	439889.10	34566.60	650000.00	1945945.70

वर्तमान में अपने निदेशकों हेतु बैंक का स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है।

5.2 18.10.2011 से गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु ₹ 10,000/- और बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु ₹ 5,000/- का भुगतान किया जा रहा है। तथापि, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक और सरकार द्वारा नामित निदेशकों, को सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता।

At present the Bank does not have stock option plan for its directors.

5.2 With effect from 18-10-2011, the Non-Executive Directors are being paid a sitting fee of ₹ 10,000/- for attending each Board Meetings and ₹ 5,000/- for Committee Meetings. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Director, Executive Directors of the Bank and Government Nominee Directors.

6. जनरल बॉडी बैठकें:

6.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

6. General Body Meetings:

6.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank.

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	बैठक की तारीख Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
सातवीं वार्षिक साधारण बैठक Seventh Annual General Meeting	सोमवार 15 जून 2009 पूर्वाह्न 10.30 बजे Monday, 15 th June, 2009, 10.30 A.M.	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106 Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	31.03.2009 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलन पत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण तथा इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लि. से बैंक के इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध करने और आकस्मिक रिक्ति पर एक शेयरधारक निदेशक को निर्वाचित करने का अनुमोदन। To discuss, approve & adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31-03-2009, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2009, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts, the Auditor's Report, to Declare Dividend on Equity shares, to approve voluntarily delisting of equity shares of the Bank from the Calcutta Stock Exchange Ltd. and to elect one shareholders' director in casual vacancy.
आठवीं वार्षिक साधारण बैठक Eighth Annual General Meeting	गुरुवार 10 जून 2010 पूर्वाह्न 10.30 बजे Thursday, the 10 th June, 2010, 10.30 A.M.	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106 Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	31.03.2010 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण, इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना और आकस्मिक रिक्ति पर एक शेयरधारक निदेशक को निर्वाचित करने का अनुमोदन। To discuss, approve & adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31-03-2010, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2010, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts, the Auditor's Report, to Declare Dividend on Equity shares, and to elect one shareholders' director in casual vacancy.
नौवीं वार्षिक साधारण बैठक Ninth Annual General Meeting	शुक्रवार 10 जून 2011 पूर्वाह्न 10.30 बजे Friday, the 10 th June, 2011, 10.30 A.M.	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106 Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	31.03.2011 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण, इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना। To discuss, approve & adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31-03-2011, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March, 2011, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts, the Auditor's Report, to Declare Dividend on Equity shares.

6.2 कोई विशेष संकल्प नौवीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित नहीं किया गया था।

6.3 10.06.2011 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे।

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंधनिदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री एस रामस्वामी	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
5. श्री राजेश एम चतुर्वेदी	सनदी लेखाकार निदेशक
6. श्री गौर दास	कामगार कर्मचारी निदेशक
7. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
8. श्री सुदीप चौधरी	शेयरधारक निदेशक

6.2 No Special Resolution was passed in the Ninth Annual General Meeting.

6.3 The following Directors were present in the last Annual General Meeting held on 10-06-2011

Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
Shri D. Sarkar	Executive Director
Shri. M.R. Nayak	Executive Director
Shri S. Ramaswamy	RBI Nominee Director
Shri R. M. Chaturvedi	C.A. Nominee Director
Shri Gour Das	Workmen Employee Director
Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director
Shri Sudip Chaudhuri	Shareholders' Director

6.4 वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान पोस्टल बेलैट द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया। तथापि, दिनांक 24.03.2012 को सम्पन्न बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया, बैंक के प्रमोटर अर्थात् भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आबंटन के आधार पर ₹ 1003/- करोड़ की राशि हेतु ₹ 182.94 की प्रीमियम पर प्रति शेयर ₹ 10/- की दर पर 51985073 और भारतीय जीवन बीमा निगम एवं इसकी विभिन्न योजनाओं को अधिमानी आबंटन के आधार पर ₹ 460/- करोड़ की राशि हेतु ₹ 182.94 की प्रीमियम पर प्रति शेयर ₹ 10/- की दर पर 23810771 इक्विटी शेयर के निर्गम एवं आबंटन का अनुमोदन करते हुए एक संकल्प पारित किया गया।

7. प्रकटीकरण

बैंक ने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में किए जाने वाले कार्यों से इतर अपने प्रमोटर/निदेशकों, प्रबंधन और उनके संबंधियों आदि के साथ कोई ऐसे महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किए हैं जिनसे समग्रतः बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा अन्य स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी या सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों में बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

बैंक में व्हिजिल ब्लोयर मैकेनिज़म उपलब्ध है तथा बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से मना नहीं किया गया है।

बैंक हेतु यथाप्रयोज्य स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूची करार के खंड 49 की अनिवार्य अपेक्षा का बैंक ने पालन किया है।

वर्ष 2011-12 हेतु कारपोरेट गवर्नेन्स पर सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अर्थात् बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार के खंड 49V में यथा निर्धारित बैंक के वित्तीय कार्यों के प्रमुख व्यक्ति से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का अंश है।

6.4 No Special Resolution was passed by postal ballot during the financial year 2011-12. However the shareholders of the Bank in the Extraordinary General Meeting held on 24-03-2012 passed one special resolution approving issue and allotment of 5,19,85,073 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 182.94 amounting to ₹ 1003/- crore on preferential allotment basis to the Promoter of the Bank i.e. President of India (Govt. of India) and 2,38,10,771 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 182.94 amounting to ₹ 460/- crore on preferential allotment basis to Life Insurance Corporation of India and its various schemes (LIC).

7. Disclosures:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter/Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market and has not been imposed with any penalty or stricture by the Stock Exchanges or SEBI or by any Statutory / Regulatory Authority during the last three years.

A Whistle Blower mechanism exists in the Bank and no personnel of the Bank has been denied access to the Audit Committee.

The Bank has complied with mandatory requirement of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges as applicable to the Bank.

A certificate of the Statutory Central Auditors on Corporate Governance for the year 2011-12 is annexed to this report.

A Certificate from the Chairman and Managing Director i.e. Chief Executive Officer of the Bank and General Manager (F& A) & CFO i.e. the person heading the finance function of the Bank, as stipulated in Clause 49 V of the Listing Agreement with Stock Exchanges, has been placed before the Board and is annexed to this Annual Report.

Management discussion and analysis report forms part of the Director's Report.

7.1 गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का कार्यान्वयन निम्नानुसार है

7.1 Non-Mandatory Requirements

The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder

अपेक्षा REQUIREMENT	अनुपालन COMPLIANCE
कंपनी बोर्ड के सदस्यों को कंपनी के व्यवसाय मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय पैरामीटरों के जोखिम प्रोफाइल, निदेशक के रूप में उत्तरदायित्वों और उन्हें बेहतर ढंग से निभाने के बारे में प्रशिक्षित करें Company may train Board members in the Business model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them	आईबीए/बीटीसी/एनआईबीएम तथा अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निदेशकों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। The Directors are nominated for training programs as and when organized by IBA/BTC/NIBM and other accredited institutions.

8. संप्रेषण के माध्यम

बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक उन समस्त स्टॉक एक्सचेंजों को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। इन्हें सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में तथा एक कोलकाता स्थित क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2011-2012 के दौरान तिमाही वित्तीय परिणाम “फाइनेन्शियल एक्सप्रेस” (अंग्रेजी) “बिजनेस स्टैण्डर्ड” (अंग्रेजी) डीएनए मनी (अंग्रेजी) तथा आनन्द बाजार पत्रिका (बंगला) सहित अग्रणी समाचारपत्रों में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक के वेबसाइट www.allahabadbank.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों को किए गए प्रेजेन्टेशन बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर दिए गए हैं।

9. शेयरधारकों हेतु साधारण सूचना

9.1 दसवीं वार्षिक साधारण बैठक का विवरण

दिन और दिनांक	गुरुवार, 14 जून, 2012
समय	पूर्वाह्न 10.30 बजे
स्थान	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, आई बी-201, सेक्टर-III, साहू लेक सिटी, कोलकाता - 700106

9.2 वित्तीय परिणामों (अंतिम) के प्रकाशन हेतु वित्तीय वर्ष एवं कलेंडर :

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है। निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

30 जून, 2012	- जुलाई, 2012 के अंत में
30 सितम्बर 2012	- अक्टूबर, 2012 के अंत में
31 दिसम्बर 2012	- जनवरी 2013 के अंत में
31 मार्च 2013	- लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा अप्रैल-मई 2013

9.3 बुक क्लोजर की तारीख (लाभांश एवं एजीएम)

बुक क्लोजर - शनिवार 26 मई, 2012 से गुरुवार 14 जून, 2012 (दोनों दिन शामिल हैं)

8. Means of Communication:

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognized the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly/half yearly/ annual financial results of the Bank are informed to all the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed. These are published in one national newspaper and one regional language newspaper based at Kolkata as per statutory requirement. During the year 2011-12, the quarterly financial results were published 'in leading newspapers namely "Financial Express"(English), Business Standard (English), DNA Money (English) and "Anand Bazaar Patrika "(Bengali) etc.. The results are also displayed on the web site of the Bank www.allahabadbank.in.

The presentation made to the analysts/institutional investors are hosted on the Bank's Website www.allahabadbank.in

9. General Shareholders Information:

9.1 Particulars of 10th Annual General Meeting:

Day & Date	Thursday, the 14 th June, 2012
Time	10.30 A.M.
Venue	Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106

9.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results (Tentative):

The Financial Year of the Bank is April to March
Approval of quarterly results for the period ending

June 30, 2012	- End of July, 2012
September 30, 2012	- End of October, 2012
December 31, 2012	- End of January, 2013
March 31, 2013	- Audited Annual Accounts: April- May, 2013

9.3 Date of Book Closure (Dividend & AGM):

Book closure- Saturday, the 26th May, 2012 to Thursday, the 14th June, 2012 (Both days inclusive)

9.4 लाभांश भुगतान की तिथि: शुक्रवार, 29 जून, 2012

9.4 Dividend Payment Date: Friday, 29th June, 2012

9.5 लिस्टिंग

9.5 Listing

9.5.1 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग

9.5.1 Listing on Stock Exchanges

स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	स्टॉक कोड Stock Code	लिस्टिंग की तिथि Date of Listing
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) National Stock Exchange (NSE)	एएलबीके ALBK	27.11.2002
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) Bombay Stock Exchange (BSE)	532480	27.11.2002

वित्त वर्ष 2012-13 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

The annual listing fee for the financial year 2012-13 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

9.5.2 अनुपालन अधिकारी

श्री ए.बी. भट्टाचार्य, महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ को सेबी के विभिन्न प्रावधानों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार का अनुपालन करने हेतु अनुपालन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

9.5.2 Compliance Officer

Shri A.B. Bhattacharjee, General Manager (F&A) & CFO has been designated as the Compliance Officer for complying with various provisions of SEBI, other statutory authorities and Listing Agreements with the Stock Exchanges.

9.6 बाजार मूल्य डाटा/बैंक शेयरों का मूल्य निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा:

9.6 Market Price Data:

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) during the Financial year 2011-12 were as follows:

माह /Month	एनएसई /NSE			बीएसई /BSE		
	उच्च High (₹)	निम्न Low (₹)	मात्रा Volume (Number of shares) (Total)	उच्च High (₹)	निम्न Low (₹)	मात्रा Volume (Number of shares) (Total)
अप्रैल/April, 11	238.95	202.10	14185070	236.80	202.70	1656052
मई/May, 11	206.95	176.25	20484405	207.00	183.70	2501855
जून/June, 11	204.05	185.40	8906552	203.90	186.50	1646482
जुलाई/July, 11	222.00	192.35	18842062	222.00	193.25	2907704
अगस्त/Aug, 11	206.50	166.70	10791207	206.45	167.20	1159152
सितम्बर/Sep, 11	180.35	154.10	14384082	184.60	150.35	1193619
अक्टूबर/Oct, 11	160.00	139.00	14065062	159.80	139.05	1679454
नवम्बर/Nov, 11	173.80	120.85	28640267	174.00	142.00	3959239
दिसम्बर/Dec, 11	167.00	113.40	23969869	167.40	113.60	2968713
जनवरी/Jan, 12	164.00	114.45	25119619	164.25	114.70	3199980
फरवरी/Feb, 12	211.30	160.30	32814988	211.40	160.30	4318306
मार्च/Mar, 12	208.55	174.10	25977536	207.10	175.65	3509577

9.7 एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यानिष्पादन निम्नवत है:

9.7 Performance of Bank's share in comparison with the movement of S & P CNX Nifty is shown hereunder:

दिनांक Date	एनएसई में बैंक के शेयरों का क्लोजिंग मूल्य (₹) Closing Share Price of Bank at NSE (₹)	एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी S & P CNX Nifty
01-04-2011	225.95	5826.05
02-05-2011	198.35	5701.30
01-06-2011	200.15	5592.00
01-07-2011	195.00	5627.20
01-08-2011	202.05	5516.80
02-09-2011	175.30	5040.00
03-10-2011	154.60	4849.50
01-11-2011	148.95	5257.95
01-12-2011	158.60	4936.85
02-01-2012	116.75	4636.75
01-02-2012	163.85	5235.70
30-03-2012	186.05	5295.55

9.8 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

मेसर्स एमसीएस लिमि. 77/2A हाज़रा रोड, कोलकाता 700 029 बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट हैं।

9.8 Registrar and Share Transfer Agent:

M/s MCS Ltd. 77/2A, Hazra Road Kolkata-700029 is Bank's Registrar and Share Transfer Agent

9.9 शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशकगण एक साथ शेयरों के अंतरण-सह-डिमाटेरियलाइजेशन की सुविधा अपना सकते हैं। शेयरों के हस्तांतरण के बाद रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट हस्तांतरिती को हस्तांतरण की सूचना भेजेगा। हस्तांतरितियों को यह अवगत कराया जाता है कि वे इसे डिमाटेरियलाइजेशन हेतु अपने अनुरोध डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत करें। डिमाटे हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर शेयरों को डिमाटेरियलाइज कर दिया जाता है। यदि 30 दिनों के अंदर डिमाटे हेतु अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो हस्तांतरित शेयर प्रमाणपत्र हस्तांतरिती को भौतिक रूप में भेज दिया जाता है।

9.9 Share Transfer System:

As per SEBI guidelines, investors can avail the facility of simultaneous transfer-cum-dematerialization of shares. Registrar and Transfer Agent, on transfer of shares, would be sending the intimation of transfer to the transferee. Transferees are apprised to submit their request for dematerialization to their Depository Participant. On receipt of Demat request, the shares are dematerialized. If the demat request is not received within a period of 30 days, the transferred share certificate is dispatched to the transferee in physical form.

9.10 31.03.2012 को यथास्थिति शेयरधारिता का स्वरूप

9.10 Distribution of shareholding as on 31-03-2012

श्रेणी Category	शेयरधारकों की संख्या No. of shareholders	कुल का प्रतिशत (%) Percentage of Total (%)	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल का प्रतिशत (%) Percentage of Total (%)
upto 500	153948	89.00	26706513	5.34
501 to 1000	14198	8.21	9888929	1.98
1001 to 2000	3037	1.76	4348780	0.87
2001 to 3000	657	0.38	1606027	0.32
3001 to 4000	309	0.18	1090263	0.22
4001 to 5000	153	0.09	712065	0.14
5001-10000	247	0.14	1765174	0.35
10001and above	428	0.24	453908438	90.78
कुल/Total	172977	100.00	500026189	100.00

9.11 शेयरों का डिमाटेरियलाइजेशन

बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमाटे फॉर्म में की जाती है। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड है INE428A01015.

9.11 Dematerialization of shares

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is INE428A01015.

31.03.2012 को यथास्थिति बैंक के 459465024 शेयर, डिमाटेरियलाइज हैं जो इक्विटी शेयरों का 91.89% है।

As on 31-03-2012, 459465024 shares constituting 91.89% of the equity shares are in dematerialized form.

31.03.2012 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डिमेट और फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है।

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31-03-2012 are as under:

	शेयरधारकों की संख्या No of shareholders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयरधारिता का % % of shareholding
फिजिकल /PHYSICAL	53472	40561165	8.11%
डिमेट /DEMAT			
एनएसडीएल /NSDL	89015	176044527	35.21%
सीडीएसएल /CDSL	30490	283420497	56.68%
कुल /TOTAL	172977	500026189	100.00%

31.03.2012 को यथास्थिति भारत सरकार की कुल इक्विटी धारिता 276215418 हैं जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 55.24% है।

The total Equity holding of Govt. of India as on 31-03-2012 is 276215418 which constitute 55.24% of the total paid up capital of the Bank.

9.12 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबिल इंस्ट्रुमेंट बकाया नहीं है।

9.12 There are no outstanding GDRs /ADRs /Warrants or any Convertible instruments as on date.

10. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण

बैंक ने मे. एमसीएस लि. को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों का अंतरण/ प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें प्रधान कार्यालय, कोलकाता में भी स्वीकार की जाती हैं।

10. Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance

The Bank has appointed M/s MCS Ltd. as the Registrar and Share Transfer Agent for receiving the shareholders' complaints, share transfer/transmission request, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, change of mandate etc. For the convenience of the investors grievance/ complaints from them are also accepted at the Bank' Head Office in Kolkata.

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो रजिस्ट्रार के पास अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं:

The investors may lodge their requests/complaints either with the Registrar or with the Bank at the following address:-

मे. एमसीएस लि.
(यूनिट : इलाहाबाद बैंक)
77/2ए, हाजरा रोड,
कोलकाता-700029
टेली: 033-40724051 से 54, 033-24541892
फैक्स: 033-24541961, 24747674
ईमेल: mcscal@cal2.vsnl.net.in OR
allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

प्रबंधक
शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय
2, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता-700 001
टेली: 033-22420878
फैक्स: 033-22107424
ईमेल: investors.grievance@allahabadbank.in

M/s MCS Ltd.
(Unit: Allahabad Bank)
77/2A, Hazra Road,
Kolkata-700029.
Tel; 033-40724051 to 54, 033-24541892
Fax : 033-24541961,24747674
Email: mcscal@cal2.vsnl.net.in OR
allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

The Manager,
Share Deptt.& Investors' Grievance Cell,
Allahabad Bank, Head Office ,
2, Netaji Subhas Road,
Kolkata-700 001.
Tele: 033-22420878
Fax: 033-22107424
Email: investors.grievance@allahabadbank.in

10.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या

शेयरधारकों की सभी शिकायतें सीधे मेसर्स एमसीएस लि., कोलकाता द्वारा प्राप्त की जाती हैं तथा बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों को उक्त कंपनी को अग्रेषित कर दिया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2012 को लंबित अनुरोधों/शिकायतों का विवरण निम्नवत है -

10.1 Number of complaints received, resolved and pending

All the complaints from the shareholders are received directly by M/s MCS Ltd. Kolkata and those received by the Bank are forwarded to them. The details of requests/complaints received and resolved during the Financial year 2011-12 and pending as on 31-03-2012 are as follows:

दिनांक 31.03.2011 को यथास्थिति लंबित Pending as on 31-03-2011	2011-12 के दौरान प्राप्त Received during 2011-12	निस्तारित Resolved	दिनांक 31.03.2012 को यथास्थिति लंबित Pending as on 31-03-2012
---	---	-----------------------	---

शिकायतों /अनुरोधों की सं.

No. of Complaints/requests	शून्य/Nil	1183	1183	शून्य/Nil
डीमेट उचंत खाते में अदावी पड़े शेयरों का विवरण निम्नवत है :				
i) दिनांक 01.04.2011 को यथास्थिति बकाया/अदावी शेयर	- 4126			
ii) वर्ष 2011-12 के दौरान दावाकृत एवं लाभार्थी खाते में अतिरिक्त शेयर	- शून्य			
iii) दिनांक 31.03.2012 को यथास्थिति बकाया / अदावी शेयर	- 4126			
अदावी / बकाया शेयरों के संबंध में मतदान करने के अधिकार को उनके सही स्वामी द्वारा दावा करने तक रोके रखा जाएगा ।				
सही स्वामी से वैध दावे की प्राप्ति पर डीमेट उचंत खाते में पड़े शेयरों को दावेदार के खाते में जमा किया जाता है ।				

11. शेयरधारिता पद्धति (दिनांक 31.03.2012 को यथास्थिति)

11. Shareholding Pattern (as on 31.03.2012)

विवरण Description	धारकों की संख्या No. of Holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % to equity
भारत सरकार/Government of India	1	276215418	55.24
बीमा कंपनियाँ/Insurance Companies	36	89259724	17.85
म्युचुअल फंड/युटीआई Mutual Funds/UTI	66	15186131	3.04
वित्तीय संस्थाएँ / बैंक Financial Institutions/Banks	10	193642	0.04
विदेशी संस्थागत निवेशक (विदेशी वित्तीय संस्थाएँ) Foreign Institutional Investors (Foreign Financial Institutions)	169	62681178	12.54
न्यास एवं फाउंडेशन/Trust and Foundations	16	40068	0.01
निगमित निकाय/Bodies Corporate	1302	6862800	1.37
कर्मचारियों सहित निवासी व्यक्ति Resident Individuals including Employee	170502	49212751	9.84
अनिवासी भारतीय/Non Resident Indians	875	374477	0.07
कुल /TOTAL	172977	500026189	100.00

12. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस) लाभांश के भुगतान की एक नई विधि है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करा रहा है। किन्तु शेयरधारक का बैंक खाता बैंक की केन्द्रीयकृत बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

ईसीएस मेन्डेट फॉर्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जिसे फिजिकल शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण

12. National Electronic Clearing Services (NECS)

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of Dividend, where the amount to the investors can directly be credited to his/ her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However the Bank account of the shareholders should be in Centralized Banking Solution(CBS) Branch of the Bank.

The ECS mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar & Share Transfer Agent by

एजेंट को भेजा जाए। डिमेटिरियलाइज रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारक ईसीएस मेन्डेट हेतु अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें। शेयरधारक के कहने पर एनईसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प समाप्त किया जा सकता है।

13. आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य “आचार संहिता” तैयार की है और इसे 17.10.2005 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.allahabadbank.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस प्रतिवेदन का अंश है।

घोषणा

बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक की वेबसाइट पर भी डाला है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है।

(जे.पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

14. कार्पोरेट नियंत्रण के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र

शेयर बाजार के साथ सूचीकरण की शर्तों के अनुसार अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक केन्द्रिय लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(जे.पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 05.05.2012
स्थान: कोलकाता

the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participant for their ECS mandate. The option to receive dividend through NECS may be discontinued at any time at the instance of the shareholders.

13. Code of Conduct

The Bank has framed the “Code of Conduct” applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board at its meeting held on 17-10-2005 and the same is available on the Bank’s website viz www.allahabadbank.in

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Chairman and Managing director, forms part of this report.

Declaration

The Bank has laid down Code of Conduct for all the Board members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the Bank’s website.

The Board members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

14. Certificate of compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory central auditors of the Bank, regarding compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in terms of the listing agreement with the stock exchange is attached.

For and on behalf of the Board of Directors

(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

Date: 05.05.2012
Place: Kolkata

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

Auditors' Certificate

इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक की सूचीबद्धता करार के खंड 49 में यथानिर्धारित के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु इलाहाबाद बैंक, कोलकाता के कारपोरेट गवर्नेंस की स्थितियों के अनुपालन की जाँच की है।

कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी में हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार में निर्धारित कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

To The Shareholders of Allahabad Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Allahabad Bank, Kolkata for the year ended on 31st March 2012, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreements with the Stock Exchange(s).

The compliance of Conditions of Corporate Governance is the responsibility of Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements; to the extent these do not violate RBI guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Bank.

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
For P A & Associates
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं. / F.R. No:313085 E
(दिलीप कुमार अग्रवाल)
(Dillip Kumar Agarwalla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.-55420

कृते एम. आर. नारायण एंड कं.
For M. R. Narain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं. / F.R. No: 002330 S
(एम. एन. वेंकटेशन) / (M N Venkatesan)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.-22993

कृते एस घोष एंड कं.
For S. Ghose & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं. / F.R. No: 302184 E
(चन्दन चट्टोपाध्याय) / (Chandan Chattopadhyay)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.-51254

कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं.
For K. M. Agarwal & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं. / F.R. No: 0853 N
(सी. पी. मिश्रा)
(C. P. Mishra)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.-073009

कृते एम. सी. जैन एंड कं.
For M. C. Jain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं. / F.R. No: 304012 E
(मुकेश कुमार पटवारी)
(Mukesh Kumar Patawari)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.-056623

कृते एन.के. भार्गव एंड कं.
For N. K. Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं. / F.R. No: 000429N
(एन.के. भार्गव)
(N. K. Bhargava)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.-080624

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 5th May, 2012

इ ला हा बा द बैं क
ALLAHABAD BANK
 31 मार्च, 2012 को यथास्थिति तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	यथास्थिति 31.03.2012 (₹ हजार में) As on 31.03.2012 (₹ in thousand)	यथास्थिति 31.03.2011 (₹ हजार में) As on 31.03.2011 (₹ in thousand)
पूंजी और देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	5,000,262	4,762,154
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	100,065,868	80,311,712
जमा राशियाँ / Deposits	3	1,595,930,804	1,318,871,603
उधार / Borrowings	4	90,944,791	69,181,774
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	37,403,953	39,736,366
कुल / Total:		1,829,345,678	1,512,863,609
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	87,124,452	79,009,281
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	53,127,636	31,264,477
विनिधान / Investments	8	542,832,364	432,470,643
अग्रिम / Advances	9	1,111,450,987	936,248,884
स्थिर आस्तियाँ / Fixed Assets	10	11,977,310	11,482,285
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	11	22,832,929	22,388,039
कुल / Total:		1,829,345,678	1,512,863,609
आकस्मिक देयताएँ / Contingent Liabilities	12	613,339,155	563,944,857
समाहरण के लिए बिल / Bills for Collection		61,648,303	39,845,979

निदेशक / Directors: डा शशांक सक्सेना / Dr. Shashank Saksena श्री ए उदगाता / Sri A Udgata श्री राजेश एम चतुर्वेदी / Sri Rajesh M Chaturvedi श्री गौर दास / Sri Gour Das श्री निर्मल कुमार बारी / Sri Nirmal Kumar Bari श्री देवेश्वर नारायण सिंह / Sri Deveshwar Narain Singh डा सुदीप चौधरी / Dr. Sudip Chaudhuri श्री अशोक विज / Sri Ashok Vij	जे. पी. दूआ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक J. P. DUA Chairman & Managing Director	एम. आर. नायक कार्यपालक निदेशक (M. R. NAYAK) Executive Director	टी. आर. चावला कार्यपालक निदेशक (T. R. CHAWLA) Executive Director	ए.बी. भट्टाचार्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी A. B. Bhattacharjee General Manager (F & A) CFO & Compliance Officer	आर. के. मेहरा सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (R. K. MEHRA) Assistant General Manager (F& A)
---	--	---	---	--	---

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स For P A & Associates सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No:313085 E (दिलीप कुमार अग्रवाल) (Dillip Kumar Agarwalla) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No. -55420	कृते एम. आर. नारायण एंड कं. For M. R. Narain & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 002330 S	कृते एस घोष एंड कं. For S. Ghose & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 302184 E
कृते एम. अग्रवाल एंड कं. For K. M. Agarwal & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 0853 N (सी. पी. मिश्रा) (C. P. Mishra) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No. -073009	(एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No. -22993	(चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No. -51254
कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Kumar Patwari) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No. -056623	कृते एन.के. भार्गव एंड कं. For N. K. Bhargava & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./ FR No: 000429N (एन.के. भार्गव) (N. K. Bhargava) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No. -080624	

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 5th May, 2012

इ ला हा बा द बैं क ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2012

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	समाप्त वर्ष 31.03.2012 (₹ हजार में) Year Ended 31.03.2012 (₹ in thousand)	समाप्त वर्ष 31.03.2011 (₹ हजार में) Year Ended 31.03.2011 (₹ in thousand)
I आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	155,232,776	110,146,917
अन्य आय / Other income	14	12,986,792	13,704,127
कुल / Total :		168,219,568	123,851,044
II व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	103,606,301	69,922,242
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	26,913,887	23,383,021
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & contingencies		19,031,504	16,314,730
कुल / Total :		149,551,692	109,619,993
III निवल लाभ / Net Profit			
अग्रानीत शेष / Balance brought forward		18,667,876	14,231,051
कुल / Total :		19,731,897	15,483,035
IV विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		4,700,000	3,600,000
राजस्व प्रारक्षिति को अन्तरण / Transfer to Revenue Reserve		7,500,000	4,000,000
पूंजी प्रारक्षिति-अन्य को अंतरण / Transfer to Capital Reserve - Others		116,493	0.00
विशेष प्रारक्षिति को अंतरण (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (I)(viii) के अनुसार) Transfer to Special Reserve (in terms of Sec 36(I)(viii) of I.T. Act 1961)		2,090,000	3,560,000
आईआरएस प्रारक्षिति को/से अंतरण / Transfer to / from IRS Reserve		0.00	-61,803
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		3,000,157	2,857,293
लाभांश पर कर / Tax on Dividends		486,701	463,524
तुलन पत्र में अग्रानीत शेष / Balance carried to Balance Sheet		1,838,546	1,064,021
कुल / Total :		19,731,897	15,483,035
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18		
प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earnings per share (₹)		39.18	31.85
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग हैं			

The schedules referred to above form an integral part of the accounts

निदेशक / Directors:	जे. पी. दूआ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक J. P. DUA Chairman & Managing Director	एम. आर. नायक कार्यपालक निदेशक (M. R. NAYAK) Executive Director	टी. आर. चावला कार्यपालक निदेशक (T. R. CHAWLA) Executive Director	ए.बी. भट्टाचार्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी A. B. Bhattacharjee General Manager (F & A) CFO & Compliance Officer	आर. के. मेहरा सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (R. K. MEHRA) Assistant General Manager (F & A)
डा शशांक सक्सेना / Dr. Shashank Saksena					
श्री ए उदगाता / Sri A Udgata					
श्री राजेश एम चतुर्वेदी / Sri Rajesh M Chaturvedi					
श्री गौर दास / Sri Gour Das					
श्री निर्मल कुमार बारी / Sri Nirmal Kumar Bari					
श्री देवेश्वर नारायण सिंह / Sri Deveshwar Narain Singh					
डा सुदीप चौधरी / Dr. Sudip Chaudhuri					
श्री अशोक विज / Sri Ashok Vij					
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date					
	कृते पी ए एंड एसोसिएट्स For P A & Associates सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No:313085 E (दिलीप कुमार अग्रवाल) (Dillip Kumar Agarwalla) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No.-55420	कृते एम. आर. नारायण एंड कं. For M. R. Narain & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 002330 S	(एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No.-22993	कृते एस घोष एंड कं. For S. Ghose & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 302184 E	(चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No.-51254
	कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं. For K. M. Agarwal & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 0853 N (सी. पी. मिश्रा) (C. P. Mishra) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No.-073009	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Kumar Patwari) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No.-056623	कृते एन.के. भार्गव एंड कं. For N. K. Bhargava & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं / FR No: 000429N (एन.के. भार्गव) (N. K. Bhargava) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No.-080624		
स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata					
दिनांक / Date: 5th May, 2012					

इ ला हा बा द बैं क
ALLAHABAD BANK

नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेत

Cash Flow Statement
For the year ended 31st March, 2012

(₹ हजार में)(₹ in thousand)

विवरण / Particulars	2011-12		2010-11	
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Cash Flow from Operating Activities				
वर्ष के दौरान अग्रिमों, विनिधानों आदि से प्राप्त ब्याज				
Interest received during the year from advances, Investments etc.	155232776		110146917	
अन्य आय / Other Income	12944420	168177196	13659647	123806564
घटाएं/Less:				
वर्ष के दौरान जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज				
Interest paid during the year on Deposit	(97428717)		(64983235)	
प्रावधान एवं आकस्मिकताओं सहित परिचालन व्यय				
Operating Expenses including Provisions & Contingencies	(45945391)	(143374108)	(39697750)	(104680985)
जोड़ें: / Add:				
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास/				
Depreciation on Fixed Assets		734980		663897
क. परिचालनों से सृजित नकद लाभ (परिचालनगत आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)				
a. Cash Profit generated from operations (prior to changes in operating assets and liabilities)		25538068		19789476
ख. देयताओं में वृद्धि (कमी) :				
b. Increase (Decrease) in Liabilities : Deposit	277059201		258314063	
अन्य देयताएं एवं प्रावधान/Other Liabilities & Provisions	(2238886)		4718039	
		274820315		263032102
ग. आस्तियों में कमी (वृद्धि) :				
c. Decrease (Increase) in Assets:				
अग्रिम /Advances	(175202102)		(220200166)	
विनिधान /Investments	(110361721)		(48184404)	
अन्य आस्तियां /Other Assets	(444890)	(286008713)	(8595688)	(276980258)
क. परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)				
A. Net Cash Flow from Operating activities (a+b+c)		14349670		5841320
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Cash Flow from Investing Activities				
स्थिर आस्तियों का विक्रय/निपटान				
Sale/disposal of fixed assets	92253		12748	
स्थिर आस्तियों का क्रय /				
Purchase of fixed assets	(1322259)		(976183)	

नकदी प्रवाह विवरण-पत्र (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

(₹ हजार में)(₹ in thousand)

विवरण / Particulars	2011-12	2010-11
ख. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह B. Net Cash Flow from Investing Activities		
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow form Financing activities		
उधार /Borrowings	21763017	14827023
उधार पर प्रदत्त ब्याज /Interest Paid on Borrowings	(6177584)	(4939008)
लाभांश (कर सहित) / Dividends (including tax)	(3320817)	(2874392)
भारत सरकार को जारी शेयर/ Issue of Shares to Govt of India	4594050	6700000
टियर २ बांड का निर्गम एवं बेमियादी ऋण Issue of Tier II Bonds & Perpetual Debt	0	0
गौण ऋण का शोधन / Redemption of Sub Debt	0	0
ग वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी C. Net cash generated from Financing Activities	16858666	13713623
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow during the year (A+B+C)	29978330	18591508
घ वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य D. Cash & Cash equivalent at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा शेष Cash & Balances with RBI	79009281	71837784
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	31264477	19844466
कुल /Total	110273758	91682250
ङ वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य E. Cash and cash equivalent at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with RBI	87124452	79009281
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	53127636	31264477
कुल /Total	140252088	110273758
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ङ-घ) / Total Cash Flow during the year (E-D)	29978330	18591508

निदेशक / Directors:

डा शशांक सक्सेना / Dr. Shashank Saksena
श्री ए उदगाता / Sri A Udgata
श्री राजेश एम चतुर्वेदी / Sri Rajesh M Chaturvedi
श्री गौर दास / Sri Gour Das
श्री निर्मल कुमार बारी / Sri Nirmal Kumar Bari
श्री देवेश्वर नारायण सिंह / Sri Deveshwar Narain Singh
डा सुदीप चौधरी / Dr. Sudip Chaudhuri
श्री अशोक विज / Sri Ashok Vij

जे. पी. दूआ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
J. P. DUJA
Chairman & Managing
Director

एम. आर. नायक
कार्यपालक निदेशक
(M. R. NAYAK)
Executive Director

टी. आर. चावला
कार्यपालक निदेशक
(T. R. CHAWLA)
Executive Director

ए.बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
सौएफओ एवं अनुपालन अधिकारी
A. B. Bhattacharjee
General Manager (F & A)
CFO & Compliance Officer

आर. के. मेहरा
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(R. K. MEHRA)
Assistant General Manager (F& A)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
For P A & Associates
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं./F.R. No:313085 E
(दिलीप कुमार अग्रवाल)
(Dillip Kumar Agarwalla)
पार्टनर /Partner
सदस्यता सं./ Membership No.-55420

कृते एम. आर. नारायण एंड कं.
For M. R. Narain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं./F.R. No: 002330 S
(एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ Membership No.-22993

कृते एस घोष एंड कं.
For S. Ghose & Co.
सनदी लेखाकार /Chartered Accountants
एफ.आर. सं./F.R. No: 302184 E
(चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ Membership No.-51254

कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं.
For K. M. Agarwal & Co.
सनदी लेखाकार /Chartered Accountants
एफ.आर. सं./F.R. No: 0853 N
(सी. पी. मिश्रा)
(C. P. Mishra)
पार्टनर /Partner
सदस्यता सं./ Membership No.-073009

कृते एम. सी. जैन एंड कं.
For M. C. Jain & Co.
सनदी लेखाकार /Chartered Accountants
एफ.आर. सं./F.R. No: 304012 E
(मुकेश कुमार पटवारी)
(Mukesh Kumar Patawari)
पार्टनर /Partner
सदस्यता सं./ Membership No.-056623

कृते एन.के. भार्गव एंड कं.
For N. K. Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार /Chartered Accountants
एफ.आर. सं./ FR No: 000429N
(एन.के. भार्गव)
(N. K. Bhargava)
पार्टनर /Partner
सदस्यता सं./ Membership No.-080624

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 5th May, 2012

अनुसूची

SCHEDULE

	यथास्थिति As on 31.03.2012 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी /AUTHORISED CAPITAL		
प्रत्येक ₹ 10/- के 3,00,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	30,000,000	30,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 27,62,1,5,418 इक्विटी शेयर 27,62,15,418 Equity Shares of ₹10/- each held by Central Government	2,762,154	2,762,154
जनता एवं अन्य द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 22,38,10,771 इक्विटी शेयर 22,38,10,771 Equity Shares of ₹10/- each held by Public & Others	2,238,108	2,000,000
कुल /Total :	5,000,262	4,762,154
अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष		
SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षितियां/Statutory Reserves		
i) अधिशेष / Opening Balance	19,873,871	16,273,871
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	4,700,000	3,600,000
कुल / Total :	24,573,871	19,873,871
II. पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves		
A) पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां / Revaluation Reserves		
i) अधिशेष / Opening Balance	8,642,408	8,686,888
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	NIL	NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती /Deduction during the year	NIL	NIL
iv) लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण /Transfer to Profit & Loss Account	(42,372)	(44,480)
कुल /Total :	8,600,036	8,642,408
B) स्थिर आस्तियों के विक्रय में से प्रारक्षिति		
Reserve out of sale of Fixed Assets		
i) अधिशेष / Opening Balance	103,251	103,251
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	NIL	NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	NIL	NIL
कुल /Total :	103,251	103,251
C) अन्य /Others		
i) अधिशेष / Opening Balance	3,409,453	3,409,453
ii) लाभ एवं हानि खाते से अंतरण / Transfer from Profit & Loss Account	116,494	NIL
कुल /Total :	3,525,947	3,409,453
कुल /Total (A+B+C)	12,229,234	12,155,112

	यथास्थिति As on 31.03.2012 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
III. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां / Revenue & Other Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	29,032,478	25,032,478
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	7,500,000	4,000,000
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	NIL	NIL
कुल /Total :	36,532,478	29,032,478
IV. विशेष प्रारक्षितियां / Special Reserve		
i) अथशेष /Opening Balance	4,710,000	1,150,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2,090,000	3,560,000
कुल /Total	6,800,000	4,710,000
V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन प्रारक्षिति / Foreign Currency Translation Reserve		
i) अथशेष / Opening Balance	(147,678)	(126,265)
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additon during the year	259,567	NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन/ Deduction/Adj. during the year	NIL	(21,413)
कुल /Total:	111,889	(147,678)
VI. आई आर एस प्रारक्षिति / I R S RESERVE		
i) अथशेष / Opening Balance	19,063	80,865
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	NIL	NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deduction during the year	NIL	(61,802)
कुल /Total :	19,063	19,063
VII. शेयर प्रीमियम / Share Premium		
i) अथशेष / Opening Balance	13,604,846	7,200,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	4,355,942	6,404,846
कुल /Total :	17,960,788	13,604,846
VIII. लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account		
कुल /Total : (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	100,065,868	80,311,712

	यथास्थिति As on 31.03.2012 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 3 - निक्षेप		
SCHEDULE - 3 DEPOSITS		
I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	341,696	479,031
ii) अन्य से / From Others	95,035,034	91,081,202
कुल / Total :	95,376,730	91,560,233
II. बचत बैंक निक्षेप / Savings Bank Deposits	391,300,103	350,004,265
III. मियादी निक्षेप / Term Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	14,683,777	8,128,535
ii) अन्य से / From Others	1,094,570,194	869,178,570
कुल / Total :	1,109,253,971	877,307,105
कुल / Total :(I+II+III)	1,595,930,804	1,318,871,603
i) भारत में स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches in India		
	1,589,887,071	1,315,059,908
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches outside India		
	6,043,733	3,811,695
कुल / Total :	1,595,930,804	1,318,871,603
अनुसूची 4 - उधार		
SCHEDULE - 4 BORROWINGS		
I. भारत में उधार / Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	NIL	2,500,000
ii) अन्य बैंक / Other Banks	119,323	3,121,641
iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण / Other Institutions and Agencies	2,961,074	1,315,113
IV) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत / Innovative Perpetual Debt Instrument.		
	3,000,000	3,000,000
V) अपर टियर II पूँजी / Upper Tier II Capital		
	10,000,000	10,000,000
VI) गौण ऋण-टियर II पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital		
	26,119,000	26,119,000
कुल / Total :	42,199,397	46,055,754
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India		
	48,745,394	23,126,020
कुल / Total :(I+II)	90,944,791	69,181,774
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above		
	NIL	NIL

	यथास्थिति As on 31.03.2012 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. संदेय बिल /Bills Payable	2,900,509	3,871,215
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office Adjustment (Net)	584,197	2,426,895
III. उपचित ब्याज / Interest Accrued	3,544,559	5,459,648
IV आस्थगित कर देयताएँ /Deferred Tax Liabilities	575,183	758,635
V. अन्य (प्रावधान सहित) /Others (including provisions)	29,799,505	27,219,973
कुल /Total :	37,403,953	39,736,366
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / Cash in hand (विदेशी करेंसी नोट सहित) (including foreign currency notes)	3,910,347	3,567,098
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष //Balances with Reserve Bank of India		
-चालू खाते में / - in Current Account	83,214,105	75,442,183
- अन्य खातों में / - in Other Accounts	NIL	NIL
कुल /Total :	87,124,452	79,009,281
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन		
SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / In India		
i. बैंकों में शेष / Balances with Banks		
a) चालू खातों में / in Current Accounts	727,017	2,491,628
b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	4,063,180	1,849,666
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at Call and Short Notice		
a) बैंकों में / with Banks	16,250,000	9,422,961
b) अन्य संस्थाओं में / with Other Institutions	11,991,955	2,400,000
कुल / Total : (i + ii)	33,032,152	16,164,255
II. भारत के बाहर / Outside India		
i. बैंकों में शेष / Balances with Banks		
a) चालू खातों में / in Current Accounts	6,868,005	8,232,612
b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	NIL	NIL
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at Call and Short Notice		
a) बैंकों में / With Banks	13,227,479	6,867,610
b) अन्य संस्थाओं में / With Other Institutions	NIL	NIL
कुल /Total : (i + ii)	20,095,484	15,100,222
कुल /Total :(I+II)	53,127,636	31,264,477

	यथास्थिति As on 31.03.2012 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 8 - विनिधान		
SCHEDULE - 8 INVESTMENTS		
I. भारत में विनिधान / Investments in India in		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	452,119,668	351,035,281
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	699,770	1,188,444
iii. शेयर/Shares	3,956,678	4,400,236
iv. डिबेंचर और बंध पत्र /Debentures & Bonds	35,281,356	23,633,139
v. अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उपक्रमों में विनिधान Investments in Subsidiaries and / or Joint Ventures	1,772,204	1,172,204
vi. अन्य (म्युचुअल फंड, यूटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc.)	49,002,688	51,041,339
कुल /Total :	542,832,364	432,470,643
II. सकल विनिधान / Gross Investments		
घटाएं अवक्षय हेतु प्रावधान /Less: Provision for Depreciation	547,701,484	435,448,420
निवल विनिधान /Net Investments	4,869,120	2,977,777
कुल /Total :	542,832,364	432,470,643
III. भारत के बाहर विनिधान /Investments Outside India		
कुल /Total :(I+III)	NIL	NIL
कुल /Total :(I+III)	542,832,364	432,470,643
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE - 9 ADVANCES		
A) i. क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	28,134,599	40,543,460
ii. नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण / Cash credits, Overdrafts and loans repayable on demand	514,714,979	405,139,660
iii. मियादी ऋण /Term Loans	568,601,409	490,565,764
कुल /Total :	1,111,450,987	936,248,884
B) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	945,796,253	776,889,624
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	48,407,731	34,514,447
iii) अप्रतिभूत /Unsecured	117,247,003	124,844,813
कुल /Total :	1,111,450,987	936,248,884
C) I. भारत से बाहर अग्रिम / Advances in India		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	373,964,300	307,637,300
ii. सार्वजनिक क्षेत्र /Public Sector	167,728,595	147,866,409
iii. बैंक / Banks	NIL	NIL
iv. अन्य /Others	522,532,307	451,715,340
कुल / Total :	1,064,225,202	907,219,049
II. भारत में अग्रिम / Advances outside India		
a) बैंक से देय / Due from Bank	32,209,668	19,791,067
b) अन्य से देय /Due from others		
i) क्रय किए गए एवं भुनाए गए बिल /Bills Purchased & Discounted	766,492	699,816
ii) सामूहिक ऋण / Syndicated Loan	12,850,116	7,498,680
iii) अन्य /Others	1,399,509	1,040,272
कुल / Total :	47,225,785	29,029,835
कुल / Total :(CI+CII)	1,111,450,987	936,248,884

	यथास्थिति As on 31.03.2012 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियाँ		
SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS		
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित) / Premises (including Revalued Premises)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकित राशि पर At cost / Revalued amount as on 31st March of the preceding year	9,991,361	9,983,214
ii. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year	NIL	NIL
iii. वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	296,436	8,147
iv. वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन / Deductions/ Adjustment during the year	NIL	NIL
v. पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन/Adjustment Related to previous year	(128)	NIL
vi. बही मूल्य की तिथि को मूल्यहास/Depreciation to date on book value	310,109	279,866
vii. पुनर्मूल्यन तिथि को मूल्यहास/Depreciation to date on revaluation	481,652	439,280
viii. निर्माणाधीन परिसर/Premises under Construction	216,255	NIL
कुल / Total	9,712,163	9,272,215
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	7,460,990	6,505,701
ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	809,568	968,036
iii. वर्ष के दौरान कटौती /Deductions during the year	90,730	11,717
iv. गत वर्ष से संबंधित समायोजन /Adjustment Related to previous year	(1,395)	(1,030)
v. तिथि को मूल्यहास/Depreciation to date	5,913,286	5,250,920
कुल /Total:	2,265,147	2,210,070
कुल /Total :(I+II)	11,977,310	11,482,285

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS

i. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter Office Adjustment (Net)	NIL	NIL
ii. उपचित ब्याज / Interest Accrued	10,857,079	7,064,690
iii. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (निवल) Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	5,512,990	3,792,894
iv. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प / Stationery and Stamps	109,726	97,089
v. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	NIL	NIL
vi. अन्य (विविध देनदार एवं उचंत) / Others (Sundries and Suspense)	6,353,134	11,433,366
कुल /Total :	22,832,929	22,388,039

	यथास्थिति As on 31.03.2012 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अपीलाधीन विवादित आयकर मांगों सहित)		
Claims against the bank, not acknowledged as debts (including disputed Income Tax demands under appeals)	12,291,127	26,550,516
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता/Liability for partly paid investments	1,600	1,600
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता/ Liability on account of outstanding forward exchange contracts	458,576,841	399,085,554
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(i) भारत में / - In India	72,041,596	40,947,122
(ii) भारत के बाहर /-Outside India	8,661,999	4,205,493
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं/Acceptances, endorsements and other obligations	60,661,377	92,736,153
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	1,104,615	418,419
कुल / Total :	613,339,155	563,944,857

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

I) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा /Interest/discount on advances / bills	116,641,289	82,741,766
II) निवेशों पर आय /Income on investments	37,163,763	26,702,663
III) भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1,228,902	546,852
IV) अन्य / Others	198,822	155,636
कुल /Total :	155,232,776	110,146,917

	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2012 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
--	--	--

अनुसूची 14 - अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

I) कमीशन, विनिमय और दलाली /Commission, exchange & brokerage	8,380,146	7,837,422
II) निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ (निवल)/Profit on sale of investments घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on Revaluation of Investment	1,228,878 (96,736)	1,614,772 (12,382)
III) भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Land, Building and Other Assets घटाएं: भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Land, Building and Other Assets	997 (611)	375 (425)
IV) विनिमय लेनदेनों पर लाभ Profit on exchange transactions घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि Less : Loss on exchange transaction	2,896,146 (1,749,425)	843,009 (112,794)
V) भारत में अनुषंगियों /कंपनियों तथा / अथवा संयुक्त उपक्रमों इत्यादि से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries/ companies and / or joint ventures etc. in India.	75,042	101,897
VI) विविध आय /Miscellaneous Income	2,252,355	3,432,253
कुल / Total :	12,986,792	13,704,127

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

I) जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	97,428,717	64,983,234
II) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI/Inter bank borrowings	1,595,752	482,128
III) अन्य / Others	4,581,832	4,456,880
कुल / Total :	103,606,301	69,922,242

	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2012 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I) कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	18,344,859	15,576,240
II) भाड़ा, कर एवं रोशनी /Rent, Taxes and Lighting	2,314,468	2,018,006
III) मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	234,546	220,040
IV) विज्ञापन और प्रचार /Advertisement and publicity	273,553	358,247
V) बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षय /Depreciation on Bank's property	734,980	663,897
VI) निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	10,402	11,975
VII) लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	176,469	179,098
VIII) विधि प्रभार /Law charges	200,560	135,818
IX) डाक, तार, टेलीफोन आदि /Postages, Telegrams, Telephones etc	193,808	244,822
X) मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	547,398	412,818
XI) बीमा / Insurance	1,254,146	999,084
XII) अन्य व्यय /Other expenditure	2,628,698	2,562,976
कुल / Total :	26,913,887	23,383,021

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा का आधार :

- (i) वित्तीय विवरणों को, जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखा की परंपरागत लागत परिपाटी एवं उपचित आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों एवं सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है।
- (ii) वित्तीय विवरणियाँ भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विषयों पर समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप भी हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एवं उद्घोषणा तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा पद्धति।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन :

2.1 भारत के बाहर शाखाओं/कार्यालयों हेतु :

- i) विदेशी शाखाओं को 'नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है :
 - (क) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकस्मिक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पॉट दरों पर।
 - (ख) राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपरिवर्तित की जाती हैं।
 - (ग) सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व' में रखा जाता है।
- (ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को 'इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :
 - (क) सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती हैं।
 - (ख) गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती हैं।
 - (ग) राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
 - (घ) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।
- (iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैंक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

2.2 भारत में शाखाओं हेतु

- (i) विदेशी मुद्रा शेष भले ही आस्ति अथवा देयताएँ हों (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना इत्यादि के अंतर्गत संग्रह

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting:

- (i) The financial statements have been prepared under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles.
- (ii) The financial statements also conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time in respect of income recognition, asset classification, provisioning and other related matters. Accounting Standard and pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India and accounting practices prevalent in the banking industry in India.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

2.1 Branches / Offices outside India

- (i) Foreign Branches are classified as "Non-integral Foreign Operations" and their financial statements are translated as follows:
 - a) Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the end of each quarter.
 - b) Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
 - c) All resulting exchange difference is accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve'.
- (ii) Operations of representative offices abroad are classified as "Integral Foreign Operations" and their financial statements are accounted for as follows:
 - a) All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
 - b) Non-monetary items are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.
 - c) Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
 - d) All resulting exchange differences are accounted for in Profit & Loss Account.
- (iii) Advances are classified under categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances are made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

2.2 Branches in India

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme,

की गई जमाराशियों सहित) और बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा यथासूचित दरों पर संपरिवर्तित किया जाता है।

फेडाई के दिशानिर्देशानुसार वायदा विनिमय करार के पूनर्मूल्यन से जनित लाभ/हानि तथा नोस्ट्रो खातों को राजस्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

(ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय तथा व्यय मदों को लेनदेन के दिन लागू विनियम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

(iii) गारंटियों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित बाजार दर पर आंका जाता है।

3. निवेश :

(i) निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन प्रवर्गों यथा 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'विक्रय हेतु उपलब्ध' में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :

(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

(ग) शेयर,

(घ) डिबेंचर एवं बॉण्ड,

(ङ) अनुषंगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम तथा

(च) अन्य

(iii) (क) निवेश जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) निवेश जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ग) निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(घ) निवेश के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।

(ङ) आनुषंगिकों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्था में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(iv) 'परिपक्वता तक धारित' (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से इतर) के रूप में वर्गीकृत निवेश प्राप्ति लागत पर लिए जाते हैं। यदि प्राप्ति लागत अंकित मूल्य से अधिक हो तो अतिरिक्त राशि को परिपक्वता की शेष अवधि हेतु परिशोधित किया जाता है और इसके लिए निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:

(क) अग्रिमों के लिए प्रयोज्य भारतीय रिजर्व बैंक के आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करते हुए अग्रिम स्वरूप के डिबेंचरों/ बॉण्डों के मूल्य में अवक्षय।

(ख) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में ह्रास, अस्थायी के अलावा।

EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.

(ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rate prevailing as on the date of transaction.

(iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

3. Investments:

(i) Investments are classified in accordance with RBI guidelines under three categories viz. "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale".

(ii) The disclosures of Investments are further classified into the following six groups :

a) Government Securities,

b) Other Approved Securities,

c) Shares,

d) Debentures & Bonds,

e) Subsidiaries/ Joint Ventures and

f) Others

(iii) a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for sale.

d) An investment is classified as Held to Maturity, Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

e) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.

(iv) Investments classified as 'Held to Maturity' (other than in Regional Rural Banks) are carried at acquisition cost. In case the acquisition cost is higher than the face value, the excess is amortized over the period remaining to maturity and provision is made for:

a) Depreciation in the value of debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advances by applying the RBI prudential norms of asset classification and provisioning applicable to advances.

b) Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries / joint ventures.

- (v) 'व्यापार हेतु धारित' रूप में वर्गीकृत निवेशों को स्क्रिप-वार मासिक अंतराल पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तथा परिणामी निवल हास को अभिज्ञात किया जाता है, यदि वृद्धि हो, तो उसे प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत अनदेखा किया जाता है। एकल स्क्रिप के बही मूल्य में ऊपर बताए अनुसार पुनर्मूल्यन के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- (vi) 'विक्रय हेतु उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार स्क्रिप-वार चिह्नित किया जाता है तथा परिणामी निवल अवक्षय को अभिज्ञात किया जाता है और यदि वृद्धि हो, तो उसे प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत अनदेखा किया जाता है। एकल स्क्रिप के बही मूल्य में ऊपर बताए हुए पुनर्मूल्यन के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- (vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- (viii) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामले में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-आफ नहीं किया जाता है।
- (ix) निवेशों की प्राप्ति की लागत :
सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट-एंड शुल्क का निवल है। कमीशन, दलाली, प्रतिभूत लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है।
- (x) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है। 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के समतुल्य राशि को पहले लाभ एवं हानि लेखा में लाया जाता है तत्पश्चात इसे 'पूँजी आरक्षित खाता' में विनियोजित किया जाता है।
- (xi) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या एफआईएमएमडीए/पीडीएआई द्वारा प्रस्तुत दरों को अपनाया जाता है। ऐसे कोटेशनों/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमएमडीए/पीडीएआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
- (xii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है।
- (छ) हेज स्वैप**
ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है।
स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।
- (ज) ट्रेडिंग स्वैप**
ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिह्नित किया जाता है।
- (v) Investments classified as "Held for Trading" are revalued scrip-wise at monthly interval and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (vi) Investments classified as "Available for Sale" are marked to market scrip-wise at quarterly intervals and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (vii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
- (viii) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of asset classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (ix) Cost of acquisition of investments:
is net of incentives/commission and front-end fees received in case of securities subscribed, and excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.
- (x) Profit/loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. An amount equivalent to the profit on sale of investments under "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter, appropriated to the "Capital Reserve Account".
- (xi) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per norms laid down by the Reserve Bank of India.
- (xii) As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:
a) Hedge Swaps :
Interest rate swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an assets or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements.
Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.
b) Trading Swaps :
Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

4. अग्रिम

- (i) अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोज्य एवं अनुपयोज्य अग्रिमों में वर्गीकृत किए जाते हैं तथा अनुपयोज्य अग्रिमों हेतु प्रावधान के निवल के रूप में दर्शाए जाते हैं।
- (ii) तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उपयोज्य) हेतु किए गए प्रावधान को “अन्य देयताएँ एवं प्रावधान” के तहत शामिल किया जाता है।

5. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

- (i) कतिपय परिसरों के अलावा, जिन्हें उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है, अन्य परिसरों और अन्य स्थिर आस्तियों को उनकी पूर्ववर्ती लागत पर दर्शाया जाता है।
- (ii) निर्माण अवधि के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय को ‘अन्य आस्तियाँ’ के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
- (iii) अवक्षय का प्रावधान, एएलपीएम एवं कम्प्यूटरों को छोड़कर, जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी पद्धति 33.33% की दर से अवक्षय का प्रावधान है, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर हासमान शेष पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अतिरिक्त अवक्षय की राशि को आरक्षित पूंजी से लाभ व हानि लेखे में अंतरित किया जाता है।
- (v) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम को लीज की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।
- (vi) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।

6. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

- (i) कम्प्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर, जिस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना कम्प्यूटर परिचालित नहीं हो सकता, संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाता है।
- (ii) वेंडरों से प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत रु. 10.00 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।

7. कर्मचारी लाभ :

- (i) बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित)-कर्मचारी लाभ लागू किया है।
- (ii) दीर्घावधि परिभाषित कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण नीचे उल्लिखित नीतियों के अनुसार वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमाकर्तों द्वारा परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है।

क. ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972/सेवा पंचाटों/सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु

4. Advances:

- (i) Advances are classified as performing and non-performing as per guidelines prescribed by RBI and are shown net of provisions for non-performing advances.
- (ii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in “Other Liabilities and Provisions”.

5. Fixed Assets and Depreciation:

- (i) Premises including Freehold and other Fixed Assets are stated at historical cost except certain premises, which are stated at their revalued amount.
- (ii) Capital expenditure incurred during construction period is included under ‘Other Assets’.
- (iii) Depreciation is provided on diminishing balance method at the rates and the manner prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 except that in respect of ALPMs and Computers, where depreciation is provided on straight line method @ 33.33% as per guidelines of Reserve Bank of India
- (iv) In respect of revalued assets, the amount of additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit & Loss Account.
- (v) Premium on leasehold land is amortized over the period of the lease.
- (vi) Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

6. Intangible Assets (Computer Software) :

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed assets. Where the software is not an integral part of the related hardware, computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than Rs.10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

7. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.
- (ii) Liability towards long term defined employee benefits is determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the year-end by using Projected Unit Credit method as per policies mentioned herein below:

a. Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard

अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है।

ख. पेंशन (एबीआरपीआर):

इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (एबीआरपीआर) के अंतर्गत बैंक उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29.09.1995 से 31.3.2010 की अवधि के दौरान आए हैं। इस योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

ग. अवकाश किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौतों/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत अवकाश किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

घ. अवकाश नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार अवकाश शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार अवकाश, अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार अवकाश के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इस योजना के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है यह मूल्यन किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। ऐसे अवकाश नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

ङ. बीमारी छुट्टी

बैंक किसी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा आधार पर बीमारी छुट्टी पर चले जाने से उत्पन्न किसी आकस्मिकता हेतु अपनी देयताओं के लिए प्रावधान करता है जो प्रचलित सेवा शर्तों/नियमों के अनुसार अनुज्ञेय है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इसका प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता

to the provisions of Payment of gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability.

b. Pension (ABRPR):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995(ABEPR) to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank' Service during the period from 29/09/1995 to 31.03.2010. The plan provides for a pension / family pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service of the respective employees. Employees covered under ABEPR – 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The bank makes contributions to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Pension, which is conducted by approved Actuary .

c. Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements / Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment in respect of LFC facility is made through the Profit and Loss Account.

d. Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days' leave in a block of four years of service. Encashment of privilege leave standing to the credit of an employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary . Payment of such leave encashment is made through the Profit and Loss Account.

e. Sick Leave:

The Bank maintains a provision for its liability on account of any contingency arising out of employees going on sick leave on medical ground, which is permissible in terms of prevailing service conditions / rules. It is a non-funded scheme and the

है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

- (iii) भविष्य निधि के संबंध में किसी अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।
- (iv) दिनांक 27.04.2010 के उद्योग-वार समझौता/संयुक्त नोट के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को अथवा बाद में बैंक की सेवा में आए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना में शामिल हैं।
- (v) अत्यावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में अबट्टाकृत राशि में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

8. आय और व्यय का अभिज्ञान

निम्नलिखित के अलावा आय-व्यय का हिसाब उपचय आधार पर किया जाता है

- i) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली की मात्रा तक अभिनिर्धारित किया जाता है।
- ii) आय कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय और ब्याज कर की गणना संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने वाले वर्ष में की जाती है।

9. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर बेसिक अर्जन की गणना अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निवल आय को भाग करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

11. कराधान

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू (न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) सहित) और आस्थगित दोनों करों हेतु किया जाता है। कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। लेखा मानक 22 के अनुपालन में : भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों हेतु लेखा", समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएं, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियाँ तब तक अभिज्ञात नहीं की जाती जब तक कि यह 'वास्तव में निश्चित' न हो

Bank maintains the provision on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary..

- (iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to Profit & Loss account.
- (iv) In terms of Industry wide Settlement/Joint Note dated 27.04.2010, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are covered by defined contribution retirement benefit scheme.
- (v) Short-term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

8. Recognition of Income and Expenditure:

Income and Expenditure are accounted for on accrual basis other than those stated below:

- (i) Interest and Other Income on advances classified as non-performing assets are recognized to the extent realized.
- (ii) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year the order is passed by the concerned assessing officer.

9. Lease :

Rentals received by the Bank are recognized in the profit and loss account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account.

10. Earnings Per Share :

Basic and Diluted Earnings per Equity Share are reported in accordance with the Accounting Standard 20 "Earnings per share" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share are computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

11. Taxation :

- (i) Provision is made for both current tax (including Minimum Alternative Tax - MAT) and deferred tax. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. In compliance with Accounting Standard 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual

जाए कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे आस्थगित कर आस्तियाँ वसूल की जाएंगी।

- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि कंपनी आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

12. नकदी एवं समतुल्य नकदी

नकदी एवं समतुल्य नकदी में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष शामिल है।

13. अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर 'इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस' (यदि कोई हो) को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस' के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

14. आकस्मिक देयताएँ तथा प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

- (i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 प्रावधान, 'आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ' के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।
- (ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया जाता :
- क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएँ जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं है।
- ख) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :
- i) यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा अथवा
- ii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता है। ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।
- iii) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी भी वसूली नहीं जा सकती।

certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

- (ii) Minimum Alternative Tax (MAT) credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act 1961.

12. Cash and Cash equivalents :

Cash and cash equivalent include cash on hand and in ATM's and balances with RBI.

13. Impairment of Losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impaired of Assets" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

14. Contingent Liabilities and Provisions & Contingent Assets

- (i) In conformity with AS 29. "Provisions, Contingent Liabilities and contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accounts of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- (ii) No provision is recognized for :
- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because :
- i) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- ii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. Such obligations are recorded as contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.
- (iii) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that never be realized.

अनुसूची-18 लेखा टिप्पणियाँ

SCHEDULE - 18 NOTES ON ACCOUNTS

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोज्य तथा अनुपयोज्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
 - 2.1 (i) अंतर शाखा समायोजनों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान और समाशोधन संबंधी कार्य प्रगति पर है एवं खासकर विभिन्न लेखा शीर्षों में नामे और जमा प्रविष्टियों का 31.03.2012 तक प्रारंभिक मिलान कर दिया गया है। लेखा संबंधी लंबित अंतिम समाशोधन, संपूर्ण प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधन की राय से महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ii) कुछ शाखाओं में जमा, अग्रिम एवं नोस्ट्रो खाते के संबंध में विवरणों की तैयारी/खातों के मिलान/समाधान का कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षेत्रों में हुई पर्याप्त प्रगति के मद्देनजर प्रबंधन का अभिमत है कि बैंक के लेखे पर समाधान का प्रभाव, अगर हो तो, तात्विक नहीं होगा।
 - (iii) भा. रि. बैं. के निदेशों के अनुसार, 330 शाखाओं के संबंध में विभिन्न व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत लेखा शीर्षों में पुराना अंतर, जो कि ₹ 141.39 करोड़ निवल ऋण है, प्रधान कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया था एवं “आकस्मिक लेखा-सामान्य” में रखा गया था। भा.रि.बैं ने इन 330 शाखाओं को, एरियर वाली शाखाओं के रूप में, बही तुलन पर बैंक के तिमाही विवरण में रिपोर्ट नहीं करने की अनुमति दी है। प्रबंधन का अभिमत है कि बैंक के लेखे पर समाधान का प्रभाव, अगर हो तो, तात्विक नहीं होगा।
 - 2.2(i) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकनों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः ₹ 125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), ₹ 370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा ₹ 298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 4.24 करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 4.45 करोड़) के अतिरिक्त मूल्यहास को पूंजी आरक्षितियों से अंतरित कर अनुसूची सं.14 (मद vii) में “अन्य आय” शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है।
 - (ii) जहाँ भूखंड की अलग लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय को भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर प्रभारित किया गया है।
 - (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
 - (iv) निम्नांकित सम्पत्तियों हेतु पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं :-
1. Adequate provision has been made in respect of Performing and Non-performing Advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
 - 2.1. (i) Reconciliation and clearance of outstanding entries in Inter Branch adjustments are in progress and especially initial matching of debit and credit entries in various heads have been done upto 31.03.2012. Pending final clearance, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.
 - (ii) At some branches, preparation of details / balancing / reconciliation of accounts relating to Balances with Banks and NOSTRO Accounts are in progress. Since substantial progress has been made in the above areas, the management is of the view that the impact of reconciliation, if any, on the accounts of the Bank will not be material.
 - (iii) In terms of RBI directives, old difference in various Personal and Impersonal Account heads in respect of 330 branches aggregating net credit of ₹141.39 Crores was transferred to Head Office and kept in “Contingency Account- General”. RBI has further permitted not to report these 330 branches as arrear carrying branches in Bank’s quarterly statement on Balancing of Books. The management is of the view that the impact of these items /reconciliation, if any, on the accounts of the Bank will not be material.
 - 2.2. (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005 and 31.03.2007 and upward revision amounting to ₹125.99 Crore (commercial and residential), ₹370.08 Crore (commercial and residential) and ₹ 298.32 Crore (commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of ₹4.24 Crore (previous year ₹4.45 Crore) on account of revaluation has been transferred from Revaluation Reserve Account and shown in Miscellaneous Income under the head “Other Income” included in Schedule No. 14 item (vii)
 - (ii) Depreciation has been charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
 - (iii) Premium on leasehold land has been amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
 - (iv) For the following properties registration formalities are yet to be completed:

क. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियां खरीदी गईं जिनकी मूल लागत ₹ 0.86 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 0.86 करोड़) है।

ख. आनंद लोक, नई दिल्ली में एक पट्टाधारित संपत्ति जिसकी मूल लागत ₹ 0.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.09 करोड़) है।

(v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है।

a. 2 residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneshwar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of ₹ 0.86 Crore (Previous year ₹ 0.86 Crore).

b. 1 leasehold property at Anandlok, New Delhi with original cost amounting to ₹ 0.09 Crore (previous year ₹ 0.09 Crore).

(v) Other Assets include intangible Assets, details of which are as under.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
अथ शेष / Opening Balance	35.59	20.05
वर्ष के दौरान जोड़ / Additions during the year	3.08	19.19
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	4.94	3.65
इति शेष / Closing Balance	33.73	35.59

2.3(i) ₹ 61.25 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।

(ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/ वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश ₹ 1045.18 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 770.89 करोड़) रहा।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 23.00 करोड़ (विगत वर्ष शून्य) की राशि, जो कि “हेल्ड टू मैच्यूरिटी” श्रेणी प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ की समान राशि है, को पूंजी प्रारक्षित खाते में अंतरित किया गया है।

(iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 3(iii) में उल्लिखित है, “हेल्ड टू मैच्यूरिटी” श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर ₹ 61.26 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 83.33 करोड़) की अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ-हानि लेखा के “निवेश से आय” शीर्ष में विनिधान के पुनर्मूल्यन में हानि के रूप में दर्शाया गया है।

2.4 बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।

2.5 वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सहित इसकी विभिन्न योजनाओं को अधिमान्य आबंटन आधार पर ₹ 182.94/- प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹ 10/- के 2,38,10,771 इक्विटी शेयर, जो कि ₹ 459.40 करोड़ (लगभग) है, जारी किया। ₹ 459.40 करोड़ (लगभग) में से ₹ 23.81 करोड़ (लगभग) शेयर पूंजी खाते में एवं ₹ 435.59 करोड़ (लगभग) शेयर प्रीमियम खाते में जमा किया गया।

2.3. (i) In respect of Investments of face value of ₹ 61.25 Crore (Previous year ₹ 0.44 Crore), the Bank is yet to receive scrips/certificates.

(ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual fund/ venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹ 1045.18 Crore (Previous year ₹ 770.89 Crore).

(iii) As per RBI guidelines, an amount of ₹ 23.00 Crore (Previous Year NIL) being an amount equivalent to post Tax profit on sale of ‘Held to Maturity’ category securities is transferred to ‘Capital Reserve Account’.

(iv) In respect of ‘Held to Maturity’ category as stated in significant Accounting Policy No. 3 (iii), the excess of acquisition cost over the face value of the security amortized during the year amounts to ₹ 61.26 Crore (Previous year ₹ 83.33 Crore) has been netted-off from Income on Investment shown under the head “Interest Earned” of Profit and Loss Account in terms of RBI guidelines.

2.4. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.

2.5. During the year, Bank has issued 2,38,10,771 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 182.94 per share amounting to ₹ 459.40 Crore (approx.) on preferential allotment basis to Life Insurance Corporation of India including its various schemes (LIC). Out of ₹ 459.40 Crore, ₹ 23.81 Crore (approx.) credited to Share Capital Account and ₹ 435.59 Crore (approx.) to Share Premium A/c.

3. भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण/Disclosure in terms of RBI guidelines:

3.1 पूंजी/ Capital

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
i) सीआरएआर (%) / CRAR (%)	12.83	12.96
ii) सीआरएआर - टीयर- I पूंजी (%) / CRAR – Tier I Capital (%)	9.13	8.57
iii) सीआरएआर - टीयर- II पूंजी (%) / CRAR – Tier II Capital (%)	3.70	4.39
iv) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता Percentage of the shareholding of the Government of India	55.24	58.00
v) टीयर- II पूंजी के रूप में उगाही गई अधीनस्थ ऋण की राशि Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital	शून्य / NIL	शून्य / NIL
vi) आईपीडीआई जारी करके उगाही गई राशि / Amount raised by issue of IPDI	शून्य / NIL	शून्य / NIL
vii) अपर टीयर- II लिखत जारी कर उगाही गई राशि Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	शून्य / NIL	शून्य / NIL

3.2. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(1) निवेशों के मूल्य / Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य / Gross Value of Investments		
(a) भारत में / In India	54770.15	43544.84
(b) भारत से बाहर / Outside India	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(ii) अवक्षय हेतु प्रावधान / Provisions for Depreciation		
(a) भारत में / In India	486.91	297.78
(b) भारत से बाहर / Outside India,	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iii) निवेशों का निवल मूल्य / Net Value of Investments		
(a) भारत में / In India	54283.24	43247.06
(b) भारत से बाहर / Outside India,	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(2) निवेशों पर अवक्षय के रूप में धारित प्रावधान का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
(i) अथ शेष / Opening balance	297.78	251.80
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान / Add: Provisions made during the year	258.58	130.85
(iii) घटाएं: निवेश के अपलेखन के लिए उपयोग किया गया प्रावधान Less: Write off/ write back of excess provision during the year	69.45	84.87
(iv) इति शेष / Closing balance	486.91	297.78

3.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में) / Repo Transactions (in face value terms)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

	वर्ष के दौरान बकाया outstanding during the year	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	31.03.2012 को यथास्थिति दैनिक औसत Daily Average As on 31.03.2012
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां / Securities sold under repo	400.00	5000.00	1936.95	2500.00
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Govt Securities	400.00	5000.00	1936.95	2500.00
(ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities purchased under reverse repo	100.00	5000.00	1415.85	3000.00
(i) सरकारी प्रतिभूतियां /Govt. Securities	100.00	5000.00	1415.85	3000.00
(ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां / Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio

i) दिनांक 31.3.2012 को यथास्थिति गैर-एसएलआर निवेश के जारीकर्तावार संघटन/ Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2012
(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	"बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड" प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	"अन रेटेड" प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	"अन लिस्टेड" प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू / PSUs	772.10	593.62	NIL	NIL	51.38
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ / FIs	1687.39	1146.26	NIL	NIL	31.83
(iii)	बैंक / Banks	4576.19	131.00	NIL	NIL	NIL
(iv)	प्राइवेट कारपोरेट/ Private Corporate	1782.40	1341.46	205.56	136.87	136.37
(v)	अनुषंगी संस्थाएँ / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	177.22	177.22	NIL	NIL	NIL
(vi)	अन्य/ Others	348.92	173.92	NIL	NIL	NIL
	उपकुल/ Sub-total	9344.22	3563.48	205.56	136.87	219.58
	मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान Provision held towards Depreciation	342.93				
	कुल / Total	9001.29				

i) शेयर / Shares	593.12
ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड / Debentures and Bonds	3648.71
iii) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and Joint Ventures	177.22
iv) अन्य / Others	4925.17
कुल /Total	9344.22

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश/Non performing Non-SLR investments (₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अथ-शेष / Opening balance	2.04	4.04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year since 1 st April	0.36	0.00
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	1.50	2.00
इति-शेष / Closing balance	0.90	2.04
धारित कुल प्रावधान / Total provisions held	0.90	2.04

3.2.3 एच टी एम श्रेणी को / से विक्रय एवं अंतरण: शून्य /Sale & Transfer to/from HTM category: NIL

3.3 डिराइवेटिव / Derivatives

3.3.1 फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap: (₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(i) स्वैप करारों का नोशनल मूलधन / Notional principal of swap agreements	500	500
(ii) अगर करारों के अंतर्गत प्रतिपक्ष अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे तो उससे होने वाला घाटा Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iii) स्वैप में शामिल होने पर बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	Banking	Banking
(iv) स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम पर संकेन्द्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps	-	-
(v) स्वैप बुक का उचित मूल्य / Fair value of the swap book	(60.94)	(56.02)

3.3.2 एक्सचेंज पर ट्रेडेड ब्याज दर डिराइवेटिव : शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)

3.3.3 डिराइवेटिव में जोखिम एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक की ट्रेजरी शाखा में परिचालन को तीन कार्यात्मक क्षेत्रों यथा, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस के रूप में विभक्त किया गया है जिनमें परिभाषित उत्तरदायित्वों एवं बैकअप भूमिका के साथ प्रशिक्षित अधिकारी प्रदान किये गये हैं।

बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डिराइवेटिव लिखत, उपयोग का विषय क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया सहित ऋण सीमाएँ यथा ओपन पोजीशन सीमा, बिल आकार सीमा एवं स्टॉप लॉस सीमा के साथ ही अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग हेतु प्रत्यायोजित अधिकार वर्णित है। नीति में क्रॉस करेंसी प्रोफाइल ट्रेडिंग पोजीशन की वायदा खरीद/बिक्री हेतु कॉल अथवा पुट ऑप्शन की खरीद/बिक्री एवं अपने ग्राहकों को बैंक द्वारा बैंक टु बैंक कवरिंग के अध्यक्षीन डिराइवेटिव उत्पाद प्रदान करने की भी अनुमति है।

फ्रंट ऑफिस पोजीशन लेकर डील निष्पादित करता है जबकि मिड ऑफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेन की निगरानी करता है तथा अगर अतिरिक्त विपथन होता है तो उसे उच्चतर प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है। मिड ऑफिस मापक उपकरणों यथा, एमटीएम, वीएआर, कन्वेक्सिटी एवं परिशोधित समय के माध्यम से दैनिक आधार पर लेनदेन हेतु वित्तीय जोखिम का भी माप करता है। ऑकड़ों की रिपोर्टिंग जोखिम प्रबंधन विभाग को की जाती है जो आस्ति एवं देयता प्रबंधन से संबंधित निदेशक की समिति को जोखिम प्रोफाइल से अवगत कराता है। बैंक ऑफिस प्रतिपक्षी पार्टियों से समस्त डील का निपटारा करता है।

किसी आस्ति अथवा देयता के रूप में नामोदिष्ट स्वैप, जिसे बाजार मूल्य अथवा लागत से कम अथवा वित्तीय विवरण में बाजार मूल्य पर किया जाता है, को छोड़कर ब्याज वाली आस्तियों अथवा देयताओं की प्रतिरक्षा करने वाली ब्याज दर स्वैप को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। स्वैप समाप्त होने पर लाभ अथवा घाटे को स्वैप के शेष संविदागत कार्यकाल अथवा आस्ति/देयताओं के शेष कार्यकाल से कम पर स्वीकृत किया जाता है। लेनदेनों की प्रतिपक्ष पार्टियाँ बैंक एवं कारपोरेट संस्थाएँ हैं तथा की जाने वाली डील अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंदर ही हैं। आय अभिज्ञान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, फेडआई एवं एफआईएमएमडीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

3.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives: NIL (Previous year: NIL)

3.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

Qualitative Disclosure:

Operation in the Treasury Branch of the Bank are segregated in three functional areas i.e. Front Office, Mid Office and Back Office, which are provided with trained officer with defined responsibilities and back up roles.

The Treasury Policy & Derivative policy of the Bank lays down the type of financial derivatives instruments, scope of usages, approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits and stop loss limits besides delegated power for trading in the approved instruments. The policy also allows purchase / sale of call or put options to hedge cross currency proprietary trading positions and to offer derivative products to its customer subject to back to back covering by the Bank.

The Front Office takes positions and executes the deals while the Mid Office monitors the transactions in the trading book and deviations of excesses, if any, are brought to the notice of higher authorities. The Mid office also measures the financial risk for transactions on a daily basis through measurement tools such as MTM, VAR, Convexity and modified durations. The figures are reported to Risk Management division, which appraises the risk profile to the Assets and Liability Management committee. The Back office settles all the deals with counter parties.

Interest Rate Swaps which hedge interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. Gain or Losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities. Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. The counterparties to the transactions are Banks and corporate entities and deals undertaken are within the approved exposure limits only. The guidelines issued by RBI, FEDAI & FIMMDA from time to time for recognition of Income, Premium and Discount are followed.

परिमाण्मात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र.सं. SI No	विवरण Particulars	करेन्सी डिराइवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डिराइवेटिव Interest rate derivatives
(i)	डिराइवेटिव (नोशनल मूल राशि) / Derivatives (Notional Principal Amount)	शून्य /NIL	500.00
	क) हेजिंग के लिए / a) For hedging	शून्य /NIL	500.00
	ख) ट्रेडिंग के लिए / b) For trading	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(ii)	मार्केट टू मार्केट पोजीशन (1) / Marked to Market Positions (1)		
	क) आस्ति (+) / a) Asset (+)	शून्य /NIL	शून्य /NIL
	ख) देयता / b) Liability (-)	शून्य /NIL	60.94
(iii)	ऋण एक्सपोजर (2) / Credit Exposure (2)	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के संभाव्य परिवर्तन का प्रभाव (100*PV01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	क) हेजिंग डिराइवेटिव पर / a) on hedging derivatives	शून्य /NIL	0.17
	ख) ट्रेडिंग डिराइवेटिव पर / b) on trading derivatives	शून्य /NIL	0.00
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*PV01 का अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	क) हेजिंग पर / a) on hedging	शून्य /NIL	0.25
	ख) ट्रेडिंग पर / b) on trading	शून्य /NIL	0.00

3.4 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

3.4.1 अनुपयोज्य आस्ति / Non-Performing Asset

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

मद / Items	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	0.98	0.79
(ii) एनपीए का संचलन (सकल) / Movement of NPAs (Gross)		
(क) अथ शेष / (a) Opening balance	1647.92	1221.80
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	2232.06	1747.07
(ग) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	1821.00	1320.95
(घ) इति शेष / (d) Closing balance	2058.98	1647.92
(iii) निवल एनपीए का संचलन / Movement of Net NPAs		
(क) अथ शेष / (a) Opening balance	736.37	470.15
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	1051.06	940.97
(ग) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	695.73	674.75
(घ) इति शेष / (d) Closing balance	1091.70	736.37
(iv) एनपीए के प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क) अथ शेष / (a) Opening balance	863.55	751.65
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / (b) Provisions made during the year	1181.00	800.00
(ग) अतिरिक्त प्रावधान का राइट ऑफ / राइट बैक / (c) Write-off / write-back of excess provisions	1077.27	688.10
(घ) इति शेष / (d) Closing balance	967.28	863.55

3.4.2 ऋण पुनर्गठन/ Loan Restructuring:

पुनर्गठित आस्तियों का ब्योरा/Particulars of Accounts Restructured:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

		सीडीआर CDR तंत्र Mechanism	एसएमई ऋण SME Debt पुनर्गठित Restructuring	अन्य Others	कुल Total पुनर्गठित Restructuring
पुनर्गठित मानक अग्रिम Standard Advances Restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	20 930.78 79.24	2284 644.62 13.26	8407 4388.64 36.31	10711 5964.05 128.79
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम Sub-standard Advances Restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	1 9.32 1.92	469 88.56 0.69	564 220.68 4.57	1034 318.55 7.19
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम Doubtful Advances Restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	- - -	284 9.57 0.48	659 60.95 0.90	943 70.52 1.37
कुल / Total	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	21 940.10 81.16	3037 742.75 14.43	9630 4670.27 41.78	12688 6353.12 137.36

3.4.3 आस्ति पुनर्गठन हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण :

Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

मद / Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i) खातों की संख्या / No. of Accounts	10	1
ii) एससी / आरसी को बेचे गये खातों का सकल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	0.00	21.05
iii) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	0.70	21.05
iv) विगत वर्ष में अंतरित किये गये खातों के मामले में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	4.95
v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि / Aggregate gain/(loss) over net book value	0.70	4.95

3.4.4 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय संपत्तियों का विवरण :

Details of non-performing financial assets purchased/ sold:

क. खरीदी गई अनुपयोज्य वित्तीय आस्तियां: शून्य

A. Non-performing financial assets purchased: NIL

ख. बेची गई अनुपयोज्य आस्तियों का विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1. बेचे गए खाते / No. of accounts sold	10	1
2. सकल बकाया / Aggregate Outstanding	4.05	21.05
3. प्राप्त सकल प्रतिफल / Aggregate consideration received	0.70	26.00

**3.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान /
Provisions on Standard Asset**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	509.81	362.57

3.5 व्यवसाय अनुपात / Business Ratios:

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(i) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय Interest Income as a percentage to Working Funds	8.49%	8.56%
(ii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.52%	1.07%
(iii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.36%	2.37%
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Assets	1.02%	1.11%
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशि तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ In Crore)	12.17	10.63
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) / Profit per employee (₹ In Crore)	0.0836	0.0670

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन / Asset Liability Management:

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न 31.03.2012

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2012

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern (टाइम बकेट) (Time buckets)	जमाराशियाँ Deposits	अग्रिम Advances	निवेश Investments	उधार Borrowings	विदेशी मुद्रा Foreign Currency	
					आस्तियाँ Assets	देयताएँ Liabilities
1दिन / Day 1	1193.14	439.25	16.33	0.00	170.98	17.12
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	3152.50	464.65	328.93	508.74	338.02	998.54
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	3692.61	1363.29	199.05	356.13	154.99	116.96
15 से 28 दिन / 15 to 28 days	1635.92	1925.76	1132.90	20.35	483.20	20.76
29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	29246.17	17054.39	3165.29	1599.49	1440.08	1669.31
3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months and up to 6 months	16575.26	19205.51	1846.61	1931.68	1955.31	1480.94
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year	23216.87	14414.79	1971.66	274.31	280.59	431.77
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year and up to 3 years	58555.02	24872.29	5488.06	1433.79	135.63	214.77
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years and up to 5 years	9816.31	12278.31	9386.55	459.56	244.80	254.06
5 वर्ष से अधिक Over 5 years	12509.28	19126.86	30747.86	2510.43	972.52	147.29
कुल / Total	159593.08	111145.10	54283.24	9094.48	6176.12	5351.52

3.7 एक्सपोजर / Exposures:

3.7.1 भूसंपदा क्षेत्र को एक्सपोजर / Exposure to Real Estate Sector:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / (A) Direct exposure		
(i) रिहायशी बंधक - / Residential Mortgages – उधार उन रिहायशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतया प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता के कब्जे में आने वाली है या किराये पर है। Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented - जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण अग्रिम में समावेशन हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण -of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advance	3573.24 3440.55	3676.00 3330.00
(ii) वाणिज्यिक भू-संपदा / Commercial Real Estate – - उधार वाणिज्यिक भू-संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापारिक स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक रिहायशी भवन, बहुकिरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ शामिल हैं। Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	6052.63	3831.00
(iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश – Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – क. रिहायशी / a. Residential ख. वाणिज्यिक भू-संपदा / b. Commercial Real Estate.	3.82 133.32	4.84 3.60

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / B) Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2087.97	1105.00
भू संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Real Estate Sector	11850.98	8620.44

3.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. / SI.No.	विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(I)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि अनन्यतः कारपोरेट ऋण में निवेशित नहीं की जाती। Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	652.01	683.63
(II)	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों के बदले अग्रिम Advances against shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares(including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual fund;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(III)	अन्य किसी प्रयोजन , जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट ली जाती है, हेतु अग्रिम Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual fund are taken as primary security;	22.19	0.58
(IV)	शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड द्वारा रक्षित सीमा तक के अन्य किसी प्रयोजन हेतु अर्थात जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति को छोड़कर शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करते हैं । Advances for any other purposes to the extent secured by collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual fund does not fully cover the advances;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(V)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियाँ। Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	6.00	105.00
(VI)	संसाधन जुटाने की संभावना में नई कंपनियों की इक्विटी हेतु प्रवर्तक के अंशदान के लिए कारपोरेट को शेयर/बांड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष संस्वीकृत ऋण अथवा संस्वीकृत निर्बंध ऋण। Loans sanctioned to corporate against security of shares/ bonds/ debenture or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(VII)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लो/इश्यू के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	शून्य / NIL	33.73
(VIII)	शेयरों का प्राथमिक इश्यू अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धता Underwriting commitments taken up by Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(IX)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण Financing to stock brokers for margin trading;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(X)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	7.55	4.73
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Capital Market		687.75	827.67

3.7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31.03.2012 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2012	31.03.2012 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2012	31.03.2011 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2011	31.03.2011 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2011
नगण्य / Insignificant	568.81	शून्य /NIL	1022.38	शून्य /NIL
कम / Low	727.16	शून्य /NIL	664.26	शून्य /NIL
मध्यम / Moderate	100.91	शून्य /NIL	41.72	शून्य /NIL
अधिक / High	89.00	शून्य /NIL	43.81	शून्य /NIL
बहुत अधिक / Very High	19.92	शून्य /NIL	0.05	शून्य /NIL
प्रतिबंधित / Restricted	4.29	शून्य /NIL	0.00	शून्य /NIL
ऑफ-क्रेडिट / Off-credit	0.00	शून्य /NIL	8.92	शून्य /NIL
कुल / Total	1510.09	शून्य /NIL	1781.14	शून्य /NIL

3.7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

उधारकर्ता का नाम Name of Borrower	एकल एक्सपोजर Single Exposure limit	संस्वीकृत सीमा Sanctioned Limit	31.03.2012 को यथास्थिति बकाया शेष Outstanding Balance as on 31.03.2012
उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. U.P. Power Corporation Ltd.	2380.00	2722.00	2590.32

3.7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
a) कुल अप्रतिभूत अग्रिम / Total Unsecured Advances	11724.70	12484.48
b) इसमें से अमूर्त प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अग्रिम जैसे अधिकारों पर प्रभार, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि Of which advances backed by intangible securities such as charge over rights, licenses, authority etc.	शून्य /NIL	589.62

3.8 विविध / Miscellaneous:

3.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान की राशि / Amount of Provisions made for Income tax during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
आयकर हेतु प्रावधान / Provision for Income Tax	314.13	455.66
आस्थगित कर हेतु प्रावधान / Provision for Deferred Tax	(18.35)	51.94

3.8.2 भारिबैंक द्वारा लगाए गए दंड : शून्य (गत वर्ष : शून्य) / Penalties imposed by RBI: NIL (Previous Year: Nil)

4. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण अपेक्षाएं जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ने 'लेखा टिप्पणी' हेतु प्रकटीकरण मदों की बाबत दिशानिर्देश जारी किए हैं :

Disclosure Requirements as per Accounting Standards where R.B.I has issued guidelines in respect of disclosure items for 'Notes to Accounts':

- 4.1 लेखा मानक 5 "अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन":

Accounting Standard 5- Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय निम्नानुसार हैं : / **Income and Expenditure relating to prior period are as under:**

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष /Current Year	गत वर्ष /Previous Year
आय/Income	(1.60)	1.29
व्यय/Expenditure	(0.03)	4.01
निवल/Net	(1.57)	(2.72)

- 4.2 राजस्व अभिज्ञान के संबंध में एएस 9 के अंतर्गत नकदी आधार पर अभिज्ञात आय मदें या तो तात्त्विक नहीं थीं या प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं थी।
- 4.2. Income items recognised on cash basis were either not material or did not require disclosure under AS 9 on Revenue Recognition.
- 4.3 बैंक ने कर्मचारी लाभों यथा पेंशन (नई), पेंशन (पुरानी), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एलएफसी और बीमारी छुट्टी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (एएस 15) (संशोधित) को अपनाया है।
- 4.3. The Bank adopted Accounting Standard 15 (Revised)-Employee Benefits, issued by Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension, Gratuity, Leave Encashment, LFC and Sick Leave.
- 4.3.1 निधिक/गैर-निधिक कर्मचारी लाभों यथा, पेंशन (एबीपीईआर), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एल.एफ.सी. और बीमारी अवकाश के संबंध में बैंक की देयता को
- 4.3.1. Bank's liabilities in respect of the funded/ non-funded employee benefits, viz., Pension(ABEPR), Gratuity, Leave Encashment, LFC and Sick Leave are recognised on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per
- (क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) में निर्धारित सिद्धांतों और
- (a) Principles laid down in AS 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and
- (ख) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों जीएन 26 के अनुसार अनुमोदित बीमांकक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।
- (b) Guidelines GN 26 issued by Institutes of Actuaries of India.

बीमांकक अनुमान / Actuarial assumptions:

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
	निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded		
	पेंशन (एबीपीईआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
रियायती दर / Discount Rate	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
वेतन की बढ़ती दर Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%	5.00%	शून्य /NIL	5.00%
हास दर / Attrition Rate(p.a)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
योजना आस्तियों पर आय की प्रत्याशित दर Expected Rate of Return on Plan Assets	8.50%	8.50%	शून्य /NIL	शून्य /NIL	शून्य /NIL

क) बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :

A) Change in the present value of Obligation:

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
a) वर्ष के आरंभ में पीवीओ PVO at the beginning of the year	C.Y. P.Y.	2578.77 686.82	599.20 419.72	129.24 103.50	20.61 14.14	31.99 21.51
b) ब्याज लागत Interest cost	C.Y. P.Y.	212.08 52.38	47.09 32.83	9.06 7.25	0.72 0.44	2.72 1.83
c) चालू सेवा लागत Current Service Cost	C.Y. P.Y.	573.89 527.48	26.19 25.10	8.67 20.12	0.00 0.00	3.03 4.94
d) प्रदत्त लाभ Benefits Paid	C.Y. P.Y.	(167.50) (141.27)	(90.51) (67.00)	(45.23) (36.30)	(24.14) (17.98)	0.00 0.00
e) बाध्यता पर बीमांकक हानि/ (अभिलाभ) Actuarial Loss/ (Gain) on Obligation	C.Y. P.Y.	(22.49) 1453.37	140.20 188.55	59.87 34.67	33.55 24.01	8.63 3.71
f) वर्ष के अंत में पीवीओ PVO at the close of the year	C.Y. P.Y.	3174.75 2578.77	722.17 599.20	161.61 129.24	30.74 20.61	46.37 31.99

ख) योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन /B) Changes in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
a) वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of year	C.Y. P.Y.	1781.59 686.82	438.48 419.72	- -	- -	- -
b) योजना आस्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल Expected return of Plan Assets	C.Y. P.Y.	151.44 54.95	37.27 33.58	- -	- -	- -
c) कर्मचारी का अंशदान Employer's Contribution	C.Y. P.Y.	769.28 1131.51	265.74 52.51	- -	- -	- -
d) प्रदत्त लाभ Benefits Paid	C.Y. P.Y.	(167.50) (141.27)	(90.51) (67.00)	- -	- -	- -
e) बीमांकक (हानि)/अभिलाभ Actuarial (Loss)/Gain	C.Y. P.Y.	37.04 49.60	14.18 (0.33)	- -	- -	- -
f) वर्ष के अंत में अस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the close of year	C.Y. P.Y.	2571.85 1781.59	665.16 438.48	- -	- -	- -
g) योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल Actual return on Plan Assets	C.Y. P.Y.	188.08 57.00	50.31 28.28	- -	- -	- -

ग) निवल बीमांकक हानि / (अभिलाभ) / C Net Actuarial Loss / (Gain)

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
a) बाध्यता पर बीमांकक हानि / (अभिलाभ) Actuarial loss / (gain) on obligation (B)	C.Y. P.Y.	(22.49) 1453.37	140.20 188.55	59.87 34.67	33.55 24.01	8.63 3.71
b) योजना आस्तियों पर बीमांकक हानि/(अभिलाभ) Actuarial loss / (gain) on Plan assets (C)	C.Y. P.Y.	(37.04) (49.60)	(14.18) 0.33	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
c) निवल बीमांकक (हानि)/अभिलाभ Net Actuarial loss / (gain)	C.Y. P.Y.	(59.53) 1403.77	126.02 188.88	59.87 34.67	33.55 24.01	8.63 3.71
d) अवधि में अभिज्ञात बीमांकक (हानि)/अभिलाभ Actuarial loss / (gain) recognized in the period	C.Y. P.Y.	(59.53) 1403.77	126.02 188.88	59.87 34.67	33.55 24.01	8.63 3.71
e) अनअभिज्ञात बीमांकक हानि Unrecognised actuarial loss	C.Y. P.Y.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00

D) तुलनपत्र में मान्य राशि / Amount recognized in Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य a) Present value of defined benefit obligation at the end of the Year	C.Y. P.Y.	3174.75 2578.77	722.17 599.20	161.61 129.24	30.74 20.61	46.37 31.99
घटाएं :/Less:						
ख) वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य b) Fair value of Plan Assets at close of the Year	C.Y. P.Y.	2571.85 1781.59	665.16 438.48	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
तुलन पत्र में अभिज्ञात गैर-निधिबद्ध निवल देयता /(आस्ति) c) Unfunded Net Liability/ (Asset) recognized in Balance Sheet	C.Y. P.Y.	602.90 797.18	57.00 160.72	77.60 62.04	34.27 24.45	14.38 10.48

ड) लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात व्यय :

E) Expenses recognized in Profit & Loss account

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) चालू सेवा लागत	C.Y.	573.89	26.19	8.67	0.00	3.03
a) Current service cost	P.Y.	527.48	25.10	20.12	0.00	4.94
ख) ब्याज लागत	C.Y.	212.08	47.09	9.06	0.72	2.72
b) Interest Cost	P.Y.	52.38	32.83	7.25	0.44	1.83
ग) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	C.Y.	151.44	37.27	0.00	0.00	0.00
c) Expected return on Plan Assets	P.Y.	54.95	33.58	0.00	0.00	0.00
घ) वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकक हानि/ (अभिलाभ)						
d) Net actuarial loss / (gain)	C.Y.	(59.53)	126.02	59.87	33.55	8.63
recognized in the year	P.Y.	1403.77	188.88	34.67	24.01	3.71
ड) निवल लाभ व्यय	C.Y.	575.00	162.02	77.60	34.27	14.38
e) Net Benefit Expense	P.Y.	1928.69	213.23	62.04	24.45	10.48

च) तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं का संचलन :

F) Movements in the Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) अथ निवल देयता	C.Y.	797.18	160.72	0.00	0.00	0.00
a) Opening Net Liability	P.Y.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) निवल लाभ व्यय	C.Y.	575.00	162.02	77.60	34.27	14.38
b) Net Benefit Expense	P.Y.	1928.69	213.23	62.04	24.45	10.48
घटाएं / Less:						
ग) अदा किया गया अंशदान	C.Y.	(769.28)	(265.74)	0.00	0.00	0.00
c) Contribution paid	P.Y.	(1131.51)	(52.51)	0.00	0.00	0.00
ग) इति निवल देयता	C.Y.	602.90	57.00	77.60	34.27	14.38
d) Closing Net Liability	P.Y.	797.18	160.72	62.04	24.45	10.48

छ) ट्रस्ट द्वारा बनाए रखे गए निवेश का प्रतिशत :

G) Investment percentage maintained by the Trust:

(%में)/(in %)

विवरण Particulars	पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)		ग्रेच्युटी Gratuity	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Govt. Securities	22.26	21.35	26.30	31.08
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Govt. Securities	31.68	37.37	33.41	30.20
उच्च स्तरीय कारपोरेट बांड (पीएसयू/पीएफसी) High Quality Corporate Bonds (PSU/PFC)	40.19	39.58	36.27	38.56
विशेष जमा योजनाएँ / Special Deposit Scheme	0.40	0.85	0.11	0.16
अन्य निवेश / Other Investment	5.47	0.85	3.91	0.0

4.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग - लेखा मानक (एएस) 17 "सेगमेंट रिपोर्टिंग"।
सेगमेंट सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरण में मानक के पैरा 4 के अनुसार दी गई हैं।

4.4. Segment Reporting – Accounting Standard (AS) 17 "Segment Reporting"

Segment information is given in the Consolidated Financial Statements in terms of para 4 of the Standard.

4.5 संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18 संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन

4.5. Related Party Disclosures – Accounting Standard (AS) 18 List of Related Parties and Transactions

क) संबंधित पार्टियों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध तथा किए गए लेनदेन :

a) The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected.

(₹ लाखों में) / (₹ In Lacs)

क्रम सं. No. Sl.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियाँ Remuneration	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
31.03.2012 को यथास्थिति मौजूदा निदेशक / Existing Directors as on 31.3.2012				
1	श्री जे.पी. दूआ Shri J. P. Dua	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	23.04	20.37
2	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	19.46	13.57
3	श्री एम. आर. नायक Shri M. R. Nayak	कार्यपालक निदेशक Executive Director	19.46	12.72

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall company basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

ख) अनुषंगी कंपनी :

i) ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व में)

b) **Subsidiary:**

i) All Bank Finance Limited (wholly owned)

ग) संयुक्त उद्यम :

i) एसआरईसी(इंडिया) लि.

c) **Joint Venture:**

i) ASREC (India) Ltd.

ii) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ii) Universal Sompo General Insurance Company Limited.

घ) एसोसिएट्स :

i) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।

d) **Associates:**

i) Allahabad U.P. Gramin Bank:

ii) शारदा ग्रामीण बैंक

ii) Sharda Gramin Bank

ऑल बैंक फाइनेन्स लि. में बैंक के 100% शेयर हैं, एएसआरईसी (इंडिया) लि. में 27.04% शेयर हैं, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 30% के शेयर हैं एवं उपर्युक्त दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बैंक के 35% के शेयर हैं

अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ लेनदेन का खुलासा (एएस) – 18 के संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उन अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ उनके लेनदेन से संबंधित खुलासे करने से मुक्त करता है जो राज्य द्वारा भी नियंत्रित हैं।

(ड) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहायक कंपनियों के साथ के लेनदेन निम्नवत हैं :-

The Bank is holding 100% share in AllBank Finance Limited, 27.04% share in ASREC (india) Ltd., 30% share in Universal Sampo General Insurance Company Limited and 35% share in each of the above mentioned two Regional Rural Banks.

The transactions with the subsidiary and Regional Rural Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS)-18 Related Party Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

e) Transactions with associated company namely Universal Sampo General Insurance Company Limited are as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
अर्जित आय / Income Earned	8.03	7.42
प्रदत्त बीमा प्रिमियम / Insurance Premium Paid	7.73	6.57

4.6 पट्टा प्रकटीकरण

क) बैंक के पास कार्यालयों / आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :-

i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग :

31.03.2012 को यथास्थिति असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया

4.6. Lease Disclosure:

A) The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

i) Total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2012

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	देय राशि / Amount Payable	
	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	46.13	32.96
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	97.77	110.25
पाँच वर्ष के बाद / Later than five years	41.90	29.99

ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य

iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टे भुगतान : ₹ 76.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 66.20 करोड़)

iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त (अथवा प्राप्य) उप-पट्टे के भुगतान : शून्य

ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancellable subleases at the balance sheet date: NIL.

iii) Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: ₹ 76.02 Crore (previous year ₹ 66.20 Crore)

iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: NIL.

ख) वित्तीय पट्टा :

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

4.7 प्रति शेयर अर्जन - लेखा मानक (एएस) 20 : / Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20:

क्रम सं. / Sl. No.	विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
क. / A	प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन (₹) / Basic and Diluted Earning Per Share (₹)	39.18	31.85

प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share

क्रम सं. विवरण Sl. Particulars No.	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
क. इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष हेतु प्रदान किया जाने वाला निवल लाभ (₹ करोड़ में) A Net Profit for the year attributable to Equity Share holders (₹ in Crores)	1866.79	1423.11
ख. इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या B Weighted average number of Equity Shares	47,64,10,588	44,67,80,864
ग. प्रति शेयर मूल अर्जन (क/ख) (₹) C Basic Earning per Share (A/B) (₹)	39.18	31.85
घ. प्रति शेयर नोमिनल मूल्य D Nominal Value per share (₹)	10/-	10/-

4.8 आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में ₹ 8.35 करोड़(निवल) (पिछले वर्ष निवल नामे ₹ 51.94 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में जमा किया गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत है :

4.8. Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

During the year, an amount of ₹ 18.35 Crore (Net) has been credited (Previous year ₹ 51.94 Crore debited) to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण Particulars	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the Year		समायोजन जोड़ें/(घटाएं) Adjustment		वर्ष की समाप्ति पर At the close of Add / (Less) the	
	चालू वर्ष Current Yr.	गत वर्ष Previous Yr.	चालू वर्ष Current Yr.	गत वर्ष Previous Yr.	चालू वर्ष Current Yr.	गत वर्ष Previous Yr.
आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred Tax Assets						
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान Provision for Leave Encashment	शून्य/NIL	शून्य/NIL	10.50	शून्य/NIL	10.50	शून्य/NIL
बीमारी अवकाश हेतु प्रावधान Provision for Sick Leave	4.69	1.23	4.56	3.45	9.25	4.69
पेंशन हेतु प्रावधान (पुरानी) Provision for Pension(old)	-	3.66	0.00	(3.65)	0.00	-
एलएफसी हेतु प्रावधान Provision for LFC	-	शून्य/NIL	3.29	-	3.29	-
कुल / Total	4.69	4.89	18.35	(0.20)	23.04	4.69
आस्थगित कर देयताएँ Deferred Tax Liabilities						
अचल आस्तियों का मूल्यहास Depreciation of Fixed Assets	-	0.00	0.00	-	-	-
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	80.55	28.81	0.00	51.74	80.55	80.55
कुल / Total	80.55	28.81	0.00	51.74	80.55	80.55
आस्थगित कर देयताएं (निवल) Deferred Tax Liabilities (Net)	75.86	23.92	(18.35)	51.94	57.51	75.86

बैंक एचटीएम श्रेणी के निवेशों पर आस्थगित कर अभिज्ञात नहीं करता क्योंकि बैंक के विचार से इस संबंध में समय में कोई अंतर नहीं है। निवेशों पर आस्थगित कर के अभिज्ञात पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के विचार के अनुसार, बैंक ने इस मुद्दे को भारतीय बैंक संघ के पास मार्गदर्शन हेतु भेजा है क्योंकि उद्योग जगत में इस विषय पर कार्यवाही करने में काफी भिन्नताएं हैं।

4.9 भुनाने का कार्य : लेखा मानक (एएस) 24

समीक्षाधीन वर्ष हेतु प्रकटीकरण अपेक्षा लागू नहीं है।

4.10 'वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2012 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है

5. 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ' के संबंध में लेखा मानक (एएस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण

5.1.1 लाभ व हानि खाते में नामे लिखे गए प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

The Bank does not recognise deferred tax on HTM category of investments as in Bank's opinion; there is no timing difference in this regard. Pursuant to the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India on recognition of deferred tax on investments, the bank has referred the issue to the Indian Banks' Association for their guidance on the matter since there is a difference in treatment on this subject in the industry.

4.9. Discontinuing Operations: Accounting Standard (AS) 24

Disclosure requirement is not applicable for the year under review.

4.10. A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets' is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2012 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

5. Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

5.1.1. Provisions & Contingencies debited to Profit & Loss Account:

देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष) : / Provision and Contingencies debited to Profit & Loss Account :

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
(a) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	220.57	130.84
(b) एनपीए हेतु प्रावधान / Provision towards NPA	1183.46	800.00
(c) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provision towards Standard Assets	144.47	81.81
(d) आयकर हेतु प्रावधान/ Provision towards Income Tax	314.13	455.66
(e) आस्थगित कर आस्तियाँ/देयताएँ/ Deferred Tax Assets / Liabilities	(18.35)	51.94
(f) आईआरएस हेतु प्रावधान/ Provision for IRS	4.92	12.34
(g) अन्य /Others	53.95	98.88
कुल/Total	1903.15	1631.47

5.1.2. देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष) :

Movement of Provision and Contingencies (Closing balance):

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
(a) एनपीए हेतु प्रावधान / Provision toward NPA	967.28	863.55
(b) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	486.91	297.78
(c) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision towards Standard Assets	509.81	362.57
(d) आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	2061.21	1747.08
(e) आस्थगित कर आस्तियाँ/देयताएँ/Deferred Tax (Assets) / Liabilities	57.51	75.86
(f) अनुषंगी लाभ कर /Fringe Benefit Tax	26.04	26.04
(g) अन्य /Others	569.11	1112.19
कुल/ Total	4677.87	4485.07

5.2. Floating Provisions:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
(a) अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष / Opening Balance in Floating Provision Account	48.00	48.00
(b) वर्ष के दौरान किये गये अस्थिर प्रावधान का परिमाण Quantum of Floating Provision made during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(c) वर्ष के दौरान ड्रॉ डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose and amount of draw down during the year	48.00	शून्य/NIL
(d) अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष Closing Balance in Floating Provision Account	शून्य/NIL	48.00

5.3. प्रारक्षितियों से ड्रा डाउन : शून्य (पिछले वर्ष आईआरएस हेतु विशिष्ट प्रारक्षिति से ₹ 6.18 करोड़)**Draw Down from Reserves: NIL** (Previous year ₹ 6.18 Crore from special reserve for IRS)**5.4. शिकायतों का प्रकटीकरण : Disclosure of Complaints:****A. क शिकायत /Customer Complaints:**

(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/No. of Complaints pending at the beginning of the year	78
(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/No. of Complaints Received during the year	2114
(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/No. of Complaints Redressed during the year	2124
(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/No. of Complaints pending at the end of the year	68

B. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय /Awards passed by the Banking Ombudsman :

(a) वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/No. of unimplemented awards at the beginning of the year	3
(b) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	5
(c) वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या /No. of awards implemented during the year	5
(d) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of unimplemented awards at the end of the year	3

5.5 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) /Letters of Comfort (LoC's):

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष /Previous Year
(a) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी /Issued during the Financial Year	998.04	1464.57

5.6 प्रावधान कवरेज अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 31.03.2012 को यथास्थिति बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 74% है (पिछले वर्ष 75.67%)

5.6. Provision Coverage Ratio

The provision coverage ratio of the bank in terms of RBI guidelines as on 31.03.2012 is 74.00% (Previous Year 75.67%)

5.7 वर्ष के दौरान बैंकश्योरेंस व्यवसाय :

जीवन और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से प्राप्त कमीशन : ₹ 18.87 करोड़

5.7. Income from Bancassurance business during the year:

Commission received on life & non-life insurance business: ₹ 18.87 Crore

5.8 जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण :**5.8. Concentration of Deposits, Advances, Exposures & NPAs:****5.8.1. जमाराशियों का संकेन्द्रण / Concentration of Deposits:**

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष /Previous Year
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि Total Deposit of twenty largest depositors	21845.00	13155.00
बैंक की कुल जमाराशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	13.46	9.97

5.8.2. Concentration of Advances:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम/Total Advances to twenty largest borrowers	17554.92	12521.82
बैंक के कुल अग्रिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	15.64	13.37

5.8.3. एक्सपोजर का संकेन्द्रण / Concentration of Exposures:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	21410.22	14592.97
बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	12.81	13.58

5.8.4. एनपीए का संकेन्द्रण /Concentration on NPAs:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (सकल) Total Exposure to top four NPA accounts (Gross)	370.42	296.55

5.9. क्षेत्रवार एनपीए: इस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत**Sector-wise NPAs: Percentage of NPAs to Total Advances in that sector**

SI. No.	क्षेत्र / Sector	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां / Agriculture & Allied activities	5.06	4.06
2	उद्योग (माइक्रो, लघु, मध्यम और बृहद) / Industry (Micro, Small, Medium and Large)	0.74	0.77
3	सेवा /Services	5.99	4.29
4	वैयक्तिक ऋण /Personal Loans	3.21	1.29

5.10. एनपीए का संचलन / Movement of NPAs

विवरण/Particulars	Amount (₹ in Crore)
1 अप्रैल 2011 को सकल एनपीए (अथशेष) वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए) Gross NPAs as on 1 st April 2011(Opening Balance)	1647.92
Additions (Fresh NPAs) during the year	2232.06
उप जोड़ (क) घटाएं / Sub- Total (A)	3879.98
घटाएं /Less:-	
(i) उन्नयन Upgradations	455.07
(ii) वसूली (अपग्रेड खातों में की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	364.73
(iii) राइट-ऑफ/Write-offs	1001.20
उप जोड़ (ख) / Sub- Total (B)	1821.00
31 मार्च 2012 को यथास्थिति सकल एनपीए (इतिशेष) (क-ख) Gross NPAs as on 31 st March 2012 (Closing Balance) (A-B)	2058.98

5.11. विदेशी आस्तियां एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue

विवरण/Particulars	Amount (₹ in Crore)
कुल आस्तियां / Total Assets	6354.18
कुल एनपीए / Total NPAs	2.61
कुल राजस्व / Total Revenue	173.11

5.12 तुलन पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है): शून्य

5.13 अपरिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी दायित्व :

क. वित्त वर्ष 2010-2011 के दौरान इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत कर्मचारी हेतु पेंशन संबंधी विकल्प को पुनः शुरू करने एवं ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी सीमाओं में बढ़ोत्तरी करने पर बैंक ने पेंशन हेतु ₹ 708.07 करोड़ और ग्रेच्युटी हेतु ₹ 39.63 करोड़ की राशि के अतिरिक्त भार का बड़ा दायित्व अदा किया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 09 फरवरी, 2011 की परिपत्र डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 के अनुसार परिशोधित किया गया है। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, परिशोधित खर्च के पांचवें भाग (1/5th) का अवशोषण प्रत्येक वर्ष किया जाना चाहिए और तदनुसार, भावी वर्षों हेतु अपरिशोधित खर्चों के रूप में ₹ 598.16 करोड़ अग्रेनीत करते हुए वित्त वर्ष 2010-11 में लाभ और हानि लेखा में ₹ 149.54 करोड़ (अर्थात् पेंशन हेतु ₹ 141.61 करोड़ और ग्रेच्युटी हेतु ₹ 7.93 करोड़, जो ₹ 747.70 करोड़ का पांचवा भाग है) प्रभारित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निदेश का अनुसरण करते हुए बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि लेखा में ₹ 149.60 करोड़ (अर्थात् ₹ 141.60 करोड़ और ₹ 8.00 करोड़ क्रमशः) की रकम प्रभारित की है तथा ₹ 448.56 करोड़ (अर्थात् ₹ 424.86 करोड़ और ₹ 23.70 करोड़ क्रमशः) को आगामी वित्त वर्ष में ले जाया गया है।

ख 01.04.2010 को अथवा के बाद बैंक सेवा से जुड़ने वाले कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना के कार्यान्वयन में, बैंक ने पीएफआरडीए के विनियामक और प्रशासी नियंत्रण के अंतर्गत एनपीएस के कारपोरेट मॉडल हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपनाया है और बैंक निम्नोद्दिष्ट कर्मचारियों हेतु नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की परिधि के अंतर्गत बतौर कारपोरेट एनपीएस में शामिल हुआ है। चालू वर्ष हेतु बैंक के अंशदान की अनुमानित राशि को वर्ष के लाभ और हानि लेखा में नामे लिख दिया गया है।

6. आकस्मिक देयताएँ :

तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथा उल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर हैं।

7. पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल) ₹ 110.46 करोड़ (पिछला वर्ष 41.84 करोड़)।

8. अनुप्रयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।

5.12. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms): NIL.

5.13. Unamortised Pension and Gratuity Liabilities:

A. On re-opening of Pension option to employees under Allahabad Bank (Employees') Pension Regulations 1995 and enhancement in Gratuity limits under the Payment of Gratuity Act 1972 during the financial year 2010-2011, the Bank had incurred huge liability towards additional load amounting to ₹ 708.07 Crore for Pension and ₹ 39.63 Crore for Gratuity, which were amortised in terms of Reserve Bank of India circular DBOD No.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February, 2011. As per the provisions of the said circular, 1/5th of the amortised expenses is to be absorbed each year and accordingly, ₹149.54 Crore (i.e., ₹141.61 Cr for Pension + ₹ 7.93 Cr for Gratuity, representing one-fifth of ₹ 747.70 Cr) was charged to the Profit and Loss Account in F.Y. 2010-11, carrying forward ₹ 598.16 Crore as unamortised expenses for future years. Following the said directive of the Reserve Bank of India, during the current financial year the Bank has charged a sum of ₹ 149.60 Crore (i.e., ₹ 141.60 Cr + ₹ 8.00 Cr respectively) to the Profit and Loss Account and ₹ 448.56 Crore (i.e., ₹ 424.86 Cr+ ₹ 23.70 Cr respectively) is carried forward to next financial year.

B. In implementation of the Defined Contribution Retirement Benefit Scheme for the employees joining service of the Bank on or after 01.04.2010, the Bank has adopted National Pension System for Corporate Model of NPS under the regulatory and administrative control of PFRDA and has joined NPS as Corporate under the purview of employer-employee relationship for these underlying employees. Estimated amount of Bank's contribution for the current year has been provided to debit of profit and loss account for the year.

6. Contingent Liabilities:

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.

7. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of advance) ₹ 110.46 Crore (Previous Year ₹ 41.84 Crore).

8. Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule-9 of the Balance Sheet.

- | | |
|---|--|
| <p>9. अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र हेतु ₹. 550.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) अग्रिम प्रदान किए गए जिसका जोखिम भार बैंक पर है। इसी भाँति अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र हेतु दिए जाने वाले अग्रिमों में से ₹. 350.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) घटाया गया और तत्संबंधी जोखिम भार बैंक पर है।</p> | <p>9. Advances include ₹ 550.00 Crore (previous year NIL) on account of Inter Bank Participation Certificates with risk taken by the Bank. Likewise, a sum of ₹ 350.00 Crore (previous year NIL) has been reduced from advances against Inter Bank Participation Certificates with risk issue by the Bank.</p> |
| <p>10. वर्ष के दौरान, बैंक ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशिष्ट प्रारिक्ति में ₹. 209.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹. 239.00 करोड़)की कुल राशि स्थानांतरित की है।</p> | <p>10. During the year, the Bank has transferred a sum of ₹ 209.00 Crore (Previous Year ₹ 239.00 Crore) to Special Reserve in terms of section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961.</p> |
| <p>11. बैंक के निदेशक मंडल ने प्रदत्त पूंजी के 60% की दर से लाभांश की संस्तुति की है अर्थात प्रत्येक ₹. 10/- के अंकित मूल्य का ₹ 6/- प्रति शेयर।</p> | <p>11. The Board of Directors of the Bank has recommended dividend @60% of paid-up capital i.e. ₹ 6/- per share of face value of ₹ 10/- each.</p> |
| <p>12. जहाँ आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित अथवा पुनःवर्गीकृत किया गया है।</p> | <p>12. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary.</p> |

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITORS' REPORT

सेवा में.

भारत के राष्ट्रपति

- हमने इलाहाबाद बैंक के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र, उस तारीख को संलग्न लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरणी की लेखापरीक्षा की है। उक्त वित्तीय विवरणियों में निम्नांकित शामिल किए गए हैं :
 - हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाएं एवं 46 मंडलीय कार्यालय;
 - अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1755 शाखाएं;
 - स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित एक विदेशी शाखा
 - चीन स्थित एक अलेखापरीक्षित प्रतिनिधि कार्यालय एवं 775 अलेखापरीक्षित शाखाएं एवं कार्यालय जिनकी विवरणियों को शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित किया गया है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 2.95% अग्रिम, 9.78% जमाराशि, 1.78% ब्याज आय और 8% ब्याज व्यय निहित है।
- हमारे द्वारा लेखापरीक्षित तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।
- इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर, राशि को प्रकट करने वाले साक्ष्यों की जाँच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण की जाँच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों सहित समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है।
- हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।
- हमारी राय में बदलाव किए बिना, हम अनुसूची 18 के नोट सं. 5.13 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने दिनांक 09.02.2011 के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी / 80/21.04.018/2010-11 के माध्यम से प्रदान की गई छूट के अनुसार एएस 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को सार्वजनिक बैंकों पर लागू करने संबंधी सीमा में ₹ 448.56 करोड़ तक की वृद्धि के कारण पेंशन दायित्व एवं ग्रेच्युटि दायित्व आस्थगित किए जाने की बात है।
- हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की बहियों में यथादर्शित :
 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र पूर्ण एवं उचित तुलनपत्र है जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों

To

The President of India

- We have audited the attached Balance Sheet of ALLAHABAD BANK as at 31st March 2012, the Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year ended on that date annexed thereto, incorporated in the said financial statements are the accounts of :
 - 20 Branches and 46 Zonal offices audited by us ;
 - 1755 Branches audited by other auditors ;
 - One overseas branch audited by local auditor;
 - One unaudited representative office in China and 775 un-audited branches and offices, the returns of which are certified by the Branch Managers. The unaudited branches account for 2.95% of advances, 9.78% of deposit, 1.78% of interest income and 8% of interest expenses.
- The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India.
- These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statement.
- We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- Without qualifying our opinion, we draw attention to note no. 5.13 of schedule 18 which describes deferment of pension liability and gratuity liability due to increase in ceiling to the extent of ₹ 448.56 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector Banks from application of the provisions of AS 15, Employees Benefits vide its circular No DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9th, 2011, on reopening of Pension option to employees of public sector Banks.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank:
 - The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view

के अनुरूप उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि यह बैंक के 31 मार्च, 2012 के कामकाज की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत कर सके।

(ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप संबंधित वर्ष हेतु लाभ का सही शेष दर्शाता है।

(iii) नकदी प्रवाह विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करता है।

8. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फॉर्म 'क' तथा 'ख' में तैयार किए गए हैं।
9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के आधार पर एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें प्रकट सीमाओं के अधीन हम नोट संख्या 2(i), (अनुसूची-18) के अनुसार अंतर शाखा खातों में बेमेल प्रविष्टियों के मिलान/समाधान और बैंकों तथा नोस्ट्रो खातों में अतिशेष के मिलान और समाधान के संबंध में;

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- (ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं।
- (ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2012 in conformity with accounting principles generally accepted in India.

(ii) The Profit and Loss Account read with Significant Accounting Policies and Notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended on that date in conformity with accounting principles generally accepted in India.

(iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and also subject to the limitations of disclosure required therein and subject to Notes No.2 (i), (Schedule 18) regarding balancing / reconciliation of unmatched entries in inter branch accounts and balancing/ reconciliation of Balances with Banks and NOSTRO accounts;

We report that:

- (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found the same to be satisfactory.
- (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
- (c) The returns received from the Offices and Branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
For P A & Associates
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर सं./F.R. No:313085 E
(दिलीप कुमार अग्रवाल)
(Dillip Kumar Agarwalla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-55420

कृते एम. आर. नारायण एंड कं.
For M. R. Narain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर सं. सं./F.R. No: 002330 S
(एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-22993

कृते एस घोष एंड कं.
For S. Ghose & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर सं./F.R. No: 302184 E
(चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-051254

कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं.
For K. M. Agarwal & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर सं./F.R. No: 000853 N
(सी. पी. मिश्रा)
(C. P. Mishra)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-73009

कृते एम. सी. जैन एंड कं.
For M. C. Jain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर सं./F.R. No: 304012 E
(मुकेश कुमार पटवारी)
(Mukesh Kumar Patwari)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-056623

कृते एन.के. भार्गव एंड कं.
For N. K. Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर सं. / FR No: 000429N
(एन.के. भार्गव)
(N. K. Bhargava)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-080624

स्थान / Place : कोलकाता / Kolkata

दिनांक / Date : 05.05.2012

इ ला हा बा द बैं क
ALLAHABAD BANK
31 मार्च, 2012 को यथास्थिति समेकित तुलन-पत्र
Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2012

(₹ करोड़ में) (₹ In Crores)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	यथास्थिति AS ON 31.03.2012	यथास्थिति AS ON 31.03.2011
पूंजी और देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी/Capital	1	500.03	476.22
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष /Reserves & Surplus	2	10218.83	8246.43
जमाराशियाँ/Deposits	3	159583.87	131882.16
उधार /Borrowings	4	9099.38	6918.17
अन्य देयताएं और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	3908.78	4077.41
कुल /Total		183310.89	151600.39
आस्तियाँ /ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	8712.48	7901.01
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	5392.66	3140.32
विनिधान/Investments	8	54524.21	43492.21
ऋण एवं अग्रिम /Loans & Advances	9	111145.94	93627.87
स्थिर आस्तियाँ /Fixed Assets	10	1207.66	1160.17
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	11	2327.94	2278.81
समेकन पर साख /Goodwill on Consolidation			
लाभ एवं हानि खाते का नामे शेष Debit Balance of Profit and Loss A/C			
कुल /Total		183310.89	151600.39
आकस्मिक देयताएं /Contingent Liabilities	12	61333.91	56394.49
समाहरण के लिए बिल / Bills for Collection		6164.83	3,984.60
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग हैं/ The schedules referred to above form an integral part of the Accounts			

निदेशक / Directors: डा शशांक सक्सेना / Dr. Shashank Saksena श्री ए उदगाता / Sri A Udgata श्री राजेश एम चतुर्वेदी / Sri Rajesh M Chaturvedi श्री गौर दास / Sri Gour Das श्री निर्मल कुमार बारी / Sri Nirmal Kumar Bari श्री देवेश्वर नारायण सिंह / Sri Deveshwar Narain Singh डा सुदीप चौधरी / Dr. Sudip Chaudhuri श्री अशोक विज / Sri Ashok Vij	जे. पी. दूआ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक J. P. DUA Chairman & Managing Director	एम. आर. नायक कार्यपालक निदेशक (M. R. NAYAK) Executive Director	टी. आर. चावला कार्यपालक निदेशक (T. R. CHAWLA) Executive Director	ए.बी. भट्टाचार्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी A. B. Bhattacharjee General Manager (F & A) CFO & Compliance Officer	आर. के. मेहरा सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (R. K. MEHRA) Assistant General Manager (F&A)
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date					
	कृते पी ए एंड एसोसिएट्स For P A & Associates सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No:313085 E (दिलीप कुमार अग्रवाल) (Dillip Kumar Agarwalla) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-55420		कृते एम. आर. नारायण एंड कं. For M. R. Narain & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 002330 S (एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No.-22993		कृते एस घोष एंड कं. For S. Ghose & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 302184 E (चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No.-51254
	कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं. For K. M. Agarwal & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 0853 N (सी. पी. मिश्रा) (C. P. Mishra) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-073009		कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Kumar Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-056623		कृते एन.के. भार्गव एंड कं. For N. K. Bhargava & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants एफ.आर. सं / FR No: 000429N (एन.के. भार्गव) (N. K. Bhargava) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-080624
स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata दिनांक / Date: 05.05.2012					

इ ला हा बा द बैंक
ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि लेखा
Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2012

(₹ करोड़ में) (₹ In Crores)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULES	समाप्त वर्ष/Year ended 31.03.2012	समाप्त वर्ष/Year ended 31.03.2011
I. आय / Income			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	15527.67	11024.62
अन्य आय / Other income	14	1305.16	1375.14
कुल /Total		16832.83	12399.76
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज /Interest expended	15	10359.97	6992.85
परिचालन व्यय /Operating expenses	16	2722.90	2359.75
प्रावधान और आकस्मिक व्यय /Provisions & Contingencies		1904.32	1634.38
कुल /Total		14987.19	10986.98
अनुषंगियों से आय/हानि का अंश Share of earnings/loss in Associates		18.70	27.73
अल्पसंख्यक ब्याज घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		1864.34	1440.51
घटाएं : अल्पसंख्यक ब्याज / Less: Minorities' Interest		0.00	0.00
समूह से संबद्ध वर्ष हेतु समेकित लाभ/(हानि) / Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		1864.34	1440.51
जोड़ें: समूह से संबद्ध समेकित लाभ/(हानि) अग्रानीत Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		253.64	263.35
कुल /Total		2117.98	1703.86
III. विनियोजन /APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण /Transfer to Statutory Reserves		474.40	366.77
अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण /Transfer to Other Reserves		970.71	749.82
अंतरिम / प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) Interim / Proposed Dividend (Including Tax on Dividend)		350.23	333.63
समेकित तुलन पत्र में अग्रणीत शेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		322.64	253.64
कुल /Total		2117.98	1703.86
प्रति शेयर अर्जन /Earnings per Share		39.14	32.22

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग हैं

The Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

निदेशक / Directors: डा शशांक सक्सेना / Dr. Shashank Saksena श्री ए उदगाता / Sri A Udgata श्री राजेश एम चतुर्वेदी / Sri Rajesh M Chaturvedi श्री गौर दास / Sri Gour Das श्री निर्मल कुमार बारी / Sri Nirmal Kumar Bari श्री देवेश्वर नारायण सिंह / Sri Deveshwar Narain Singh डा सुदीप चौधरी / Dr. Sudip Chaudhuri श्री अशोक विज / Sri Ashok Vij	जे. पी. दूआ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक J. P. DUA Chairman & Managing Director	एम. आर. नायक कार्यपालक निदेशक (M. R. NAYAK) Executive Director	टी. आर. चावला कार्यपालक निदेशक (T. R. CHAWLA) Executive Director	ए.बी. भट्टाचार्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी A. B. Bhattacharjee General Manager (F & A) CFO & Compliance Officer	आर. के. मेहरा सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (R. K. MEHRA) Assistant General Manager (F & A)
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date					
कृते पी ए एंड एसोसिएट्स For P A & Associates सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No:313085 E (दिलीप कुमार अग्रवाल) (Dillip Kumar Agarwalla) पार्टनर /Partner सदस्यता सं./ Membership No.-55420	कृते एम. आर. नारायण एंड कं. For M. R. Narain & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 002330 S	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Kumar Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं./ Membership No.-056623	कृते एस. घोष एंड कं. For S. Ghose & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 302184 E	(एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan) पार्टनर / Partner सदस्यता सं./ Membership No.-22993	(बन्धन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay) पार्टनर / Partner सदस्यता सं./ Membership No.-51254
कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं. For K. M. Agarwal & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 0853 N (सी. पी. मिश्रा) (C. P. Mishra) पार्टनर /Partner सदस्यता सं./ Membership No.-073009	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Kumar Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं./ Membership No.-056623	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./F.R. No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Kumar Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं./ Membership No.-056623	कृते एन.के. भार्गव एंड कं. For N. K. Bhargava & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants एफ.आर. सं./ FR No: 000429N (एन.के. भार्गव) (N. K. Bhargava) पार्टनर /Partner सदस्यता सं./ Membership No.-080624		

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 5th May, 2012

इ ला हा बा द बैंक
ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2012 के हेतु समाप्त वर्ष समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2012

(₹ करोड़ में)(₹ in Crore)

विवरण / Particulars	2011-12	2010-11	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
A Cash Flow from Operating Activities			
वर्ष के दौरान अग्रिमों, विनिधानों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	15527.67	11024.62	
अन्य आय /Other Income	<u>1319.62</u>	16847.29	<u>1398.42</u> 12423.04
घटाएं: / Less:			
वर्ष के दौरान जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid during the year on Deposits	(9742.20)	(6498.94)	
प्रावधान एवं आकस्मिकताओं सहित परिचालन व्यय Operating Expenses including Provisions & Contingencies	<u>(4627.22)</u>	(14369.42)	<u>(3994.14)</u> (10493.08)
जोड़ें: / Add:			
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets		76.13	69.80
क परिचालनों से सृजित नकद लाभ (परिचालनगत आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)			
a. Cash Profit generated from operations (prior to changes in operating assets and liabilities)		2554.00	1999.76
ख. देयताओं में वृद्धि (कमी)			
b. Increase (Decrease) in Liabilities			
जमा राशियां /Deposits	27701.71	25831.42	
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	<u>(157.73)</u>	27543.98	<u>525.18</u> 26356.60
ग. आस्तियों में कमी (वृद्धि)			
c. Decrease (Increase) in Assets			
अग्रिम /Advances	(17518.07)	(22020.12)	
निवेश /Investments	(11032.00)	(4867.67)	
अन्य आस्तियां / Other Assets	<u>(49.13)</u>	(28599.20)	<u>(883.37)</u> (27771.16)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)			
Net Cash Flow from Operating Activities (a+b+c)		1498.78	585.20
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
Cash Flow from Investing Activities			
स्थिर आस्तियों का विक्रय/निपटान /Sale/disposal of fixed assets	9.81	2.50	
स्थिर आस्तियों का क्रय / Purchase of fixed assets	<u>(134.00)</u>	(124.19)	<u>(100.58)</u> (98.08)
ख निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			
B Net Cash Flow from Investing Activities		<u>(124.19)</u>	<u>(98.08)</u>

विवरण / Particulars	2011-12	2010-11
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
Cash Flow from Financing Activities		
उधार / Borrowings	2181.21	1482.69
उधार पर ब्याज / Interest on Borrowings	(617.77)	(493.90)
लाभांश (कर सहित) / Dividends (including tax)	(333.63)	(287.44)
इक्विटी शेयर का निर्गम / Issue of Equity Share	459.41	670.00
ग वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी		
C Net Cash generated from Financing Activities	1689.22	1371.35
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		
Total Cash Flow during the year (A+B+C)	3063.81	1858.47
घ वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
D Cash and Cash equivalent at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा शेष		
Cash and Balances with RBI	7901.01	7187.87
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन		
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	3140.32	1994.99
कुल / Total	11041.33	9182.86
ङ वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
E Cash and Cash equivalent at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष		
Cash and Balances with RBI	8712.48	7901.01
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन		
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	5392.66	3140.32
कुल / Total	14105.14	11041.33
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ङ-घ)		
Total Cash Flow during the year (E-D)	3063.81	1858.47

निदेशक / Directors:

डा शशांक सक्सेना / Dr. Shashank Saksena
श्री ए उदगाता / Sri A Udgata
श्री राजेश एम चतुर्वेदी / Sri Rajesh M Chaturvedi
श्री गौर दास / Sri Gour Das
श्री निर्मल कुमार बारी / Sri Nirmal Kumar Bari
श्री देवेश्वर नारायण सिंह / Sri Deveshwar Narain Singh
डा सुदीप चौधरी / Dr. Sudip Chaudhuri
श्री अशोक विज / Sri Ashok Vij

जे. पी. दूआ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
J. P. DUA
Chairman & Managing Director

एम. आर. नायक
कार्यपालक निदेशक
(M. R. NAYAK)
Executive Director

टी. आर. चावला
कार्यपालक निदेशक
(T. R. CHAWLA)
Executive Director

ए.बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी
A. B. Bhattacharjee
General Manager (F & A)
CFO & Compliance Officer

आर. के. मेहरा
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(R. K. MEHRA)
Assistant General Manager (F & A)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
For P A & Associates
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं./F.R. No:313085 E
(दिलीप कुमार अग्रवाल)
(Dillip Kumar Agarwalla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-55420

कृते एम. आर. नारायण एंड कं.
For M. R. Narain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं./F.R. No: 002330 S
(एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-22993

कृते एस घोष एंड कं.
For S. Ghose & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं./F.R. No: 302184 E
(चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-51254

कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं.
For K. M. Agarwal & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं./F.R. No: 0853 N
(सी. पी. मिश्रा)
(C. P. Mishra)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-073009

कृते एम. सी. जैन एंड कं.
For M. C. Jain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं./F.R. No: 304012 E
(मुकेश कुमार पटवारी)
(Mukesh Kumar Patawari)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-056623

कृते एन.के. भार्गव एंड कं.
For N. K. Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एफ.आर. सं. / FR No: 000429N
(एन.के. भार्गव)
(N. K. Bhargava)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-080624

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 5th May, 2012

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2012 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000.00	3000.00
निर्गमित पूँजी (50,00,26,189 शेयर प्रत्येक ₹10)		
Issued Capital (50,00,26,189 Shares of ₹10.each) (50,00,26,189 शेयर प्रत्येक ₹ 10)	500.03	476.22
Subscribed Capital (50,00,26,189 Shares of ₹10 each)	500.03	476.22
मांगी गई पूँजी (50,00,26,189 शेयर प्रत्येक ₹ 10)		
Called-up Capital (50,00,26,189 Shares of ₹10 each)	500.03	476.22
घटाएं: अदत्त मांगें / Less: Calls unpaid	0.00	0.00
जोड़ें: जब्त शेयर / Add: Forfeited shares	0.00	0.00
कुल / Total	500.03	476.22
अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष		
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS		
विवरण / Particulars		
सांविधिक प्रारक्षितियां / Statutory Reserves	2503.61	2030.94
पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves	1224.33	1216.96
समेकन पर पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves on Consolidation	0.00	0.00
शेयर प्रीमियम / Share Premium	1821.82	1386.22
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां /Revenue and other Reserves	4346.43	3358.67
लाभ एवं हानि खाते में शेष /Balance in Profit and Loss Account	322.64	253.64
कुल / Total	10218.83	8246.43
अनुसूची 2ए - माइनॉरिटी इंटररेस्ट		
SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
मूल-अनुषंगी संबंध के अस्तित्व में आने की तिथि को माइनॉरिटी इंटररेस्ट		
Minority interest at the date on which the parent - subsidiary relationship came into existence	0	0
परवर्ती वृद्धि / कमी / Subsequent increase / decrease	0	0
तुलन पत्र की तारीख को माइनॉरिटी इंटररेस्ट / Minority interest on the date of Balance Sheet	0	0

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2012 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 3 - निक्षेप		
SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
विवरण / Particulars		
क /A. I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
(I) बैंक से / From banks	34.17	47.90
(ii) अन्य से / From others	9503.46	9108.12
II. बचत बैंक निक्षेप / Savings Bank Deposits	39130.01	35000.43
III. मीयादी निक्षेप / Term Deposits		
(I) बैंक से / From banks	1468.38	812.85
(ii) अन्य से / From others	109447.85	86912.86
कुल / Total (I, II, III)	159583.87	131882.16
B. (i) भारत में स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches in India		
	158979.50	131500.99
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches outside India		
	604.37	381.17
कुल / Total (I and II)	159583.87	131882.16
अनुसूची 4 - उधार		
SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
विवरण / Particulars		
I. भारत में उधार / Borrowings in India		
(I) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	0.00	250.00
(ii) अन्य बैंक / Other banks	16.83	312.16
(iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / Other institutions and agencies	296.11	131.51
(iv) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत/ Innovative Perpetual Debt Instrument	300.00	300.00
(v) अपर टियर-II पूँजी / Upper Tier II Capital	1000.00	1000.00
(vi) गौण ऋण- टियर-II पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital	2611.90	2611.90
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India		
	4874.54	2312.60
कुल / Total (I and II)	9099.38	6918.17
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I and II above		
	0.00	0.00
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
विवरण / Particulars		
I. संदेय बिल / Bills payable	290.05	387.12
II. अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल) / Inter-office adjustments (net)	58.42	242.69
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	354.17	545.34
VI. आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liabilities	57.52	75.94
V. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	3148.62	2826.32
कुल / Total	3908.78	4077.41
कुल योग / Grand Total	183310.89	151600.39

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2012 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
विवरण / Particulars		
I. रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट सहित)/ Cash in hand (including foreign currency notes)	391.07	356.79
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में / In Current Account	8321.41	7544.22
(ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	0.00	0.00
कुल / Total (I & II)	8712.48	7901.01
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन		
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
विवरण / Particulars		
I. भारत में / In India		
(i) बैंकों में शेष / Balances with banks		
(a) चालू खातों में / In Current accounts	143.47	256.29
(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts	415.45	191.71
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at call and short notice		
(a) बैंकों में / With banks	1625.00	942.30
(b) अन्य संस्थाओं में / With other institutions	1199.19	240.00
कुल / Total	3383.11	1630.30
II. भारत के बाहर / Outside India		
(a) चालू खातों में / In Current account	686.80	823.26
(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts	0.00	0.00
(c) मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at call and short notice	1322.75	686.76
कुल / Total	2009.55	1510.02
कुल योग / Grand Total (I & II)	5392.66	3140.32
अनुसूची 8 - विनिधान		
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
विवरण / Particulars		
I. भारत में विनिधान / Investment in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	45258.31	35139.73
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	71.18	120.04
(iii) शेयर / Shares	400.32	445.53
(iv) डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures and Bonds	3549.14	2384.31
(v) अनुषंगियों में विनिधान / Investment in Associates	237.24	217.57
(vi) अन्य (म्युचुअल फंड्स यूटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc)	5008.02	5185.03
कुल / Total	54524.21	43492.21
II. भारत के बाहर विनिधान / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	0.00	0.00
(ii) अनुषंगियों में विनिधान / Investment in Associates	0.00	0.00
(iii) अन्य विनिधान / Other Investments	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	0.00
कुल योग / Grand Total (I) & (II)	54524.21	43492.21

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2012 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
III. भारत में विनिधान / <i>Investment in India</i>		
(i) विनिधान का सकल मूल्य /Gross value of Investments	55015.22	43794.75
(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation	491.01	302.54
(iii) निवल विनिधान / Net Investment	54524.21	43492.21
(iv) भारत के बाहर विनिधान / Investment outside India	0.00	0.00
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE 9-ADVANCES		
विवरण / Particulars		
A (i) क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	2813.46	4054.34
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	51471.50	40513.97
(iii) मीयादी ऋण /Term loans	56860.98	49059.56
कुल/Total	111145.94	93627.87
ख/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत /Secured by tangible assets (बही ऋण पर अग्रिम सहित)/(includes advances against book debts)	94579.63	77688.96
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees	4840.77	3451.45
(iii) बेजमानती/Unsecured	11725.54	12487.46
कुल/Total	111145.94	93627.87
ग/C. I. भारत में अग्रिम / <i>Advances in India</i>		
(I) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र /Priority sector	37396.43	30763.73
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र /Public sector	16772.86	14786.64
(iii) बैंक /Banks	0.00	0.00
(iv) अन्य /Others	52253.42	45172.95
कुल/Total	106422.71	90723.32
C. II. भारत के बाहर अग्रिम / <i>Advances outside India</i>		
(I) बैंक से देय /Due from banks	3220.97	1979.11
(ii) अन्य से देय /Due from others	0.00	0.00
(अ/a) क्रय किए गए और भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	77.30	71.54
(आ/b) सिंडिकेटेड ऋण /Syndicated Loans	1285.01	749.87
(इ/c) अन्य / Others	139.95	104.03
कुल / Total	4723.23	2904.55
कुल योग /Grand Total	111145.94	93627.87

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2012 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियाँ		
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
विवरण / Particulars		
I. परिसर / Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	1002.22	1002.61
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	29.64	0.81
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	0.01	1.20
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	79.48	72.07
कुल / Total	952.37	930.15
IA. निर्माणाधीन परिसर / Premises under construction	0.00	1.20
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	21.63	0.00
वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	0.00	1.08
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	0.00	0.12
कुल / Total	21.63	0.00
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)		
Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	756.70	658.74
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	82.23	99.40
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	9.57	1.45
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	598.24	529.69
कुल / Total II	231.12	227.00
IIA. पट्टे पर दी गई आस्तियाँ / Leased Assets		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	8.06	7.31
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments	0.48	0.74
प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year including provisions	0.23	0.00
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	5.90	5.16
कुल / Total IIA	2.41	2.89
कुल / Total (I, IA, II & IIA)	1207.53	1160.04
III. पूंजी – प्रगतिशील कार्य (पट्टे पर दी गई आस्तियाँ) प्रावधान का निवल		
Capital- Work - in - progress (Leased Assets)	0.13	0.13
net of Provisions		
कुल / Total (I, IA, II, IIA & III)	1207.66	1160.17

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2012 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ		
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
विवरण / Particulars		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter-Office Adjustments (net)	0.00	0.00
II. उपचित ब्याज /Interest accrued	1085.71	707.57
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	562.08	385.21
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प /Stationery and stamps	10.97	9.94
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	0.00	0.00
VI. आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax assets	0.45	0.25
VII. अन्य /Others	668.73	1175.84
कुल /Total	2327.94	2278.81
कुल योग / Grand Total	183310.89	151600.39
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
विवरण / Particulars		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	1229.11	2655.05
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0.16	0.16
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	45857.68	39908.56
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ / Guarantees given on behalf of constituents		
(a) भारत में / In India	7204.16	4094.71
(b) भारत के बाहर /Outside India	866.20	420.55
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	6066.14	9273.62
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	110.46	41.84
कुल /Total	61333.91	56394.49
समाहरण हेतु बिल / Bill for collection	6164.83	3984.60
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
SCHEDULE 13 - INTEREST AND DIVIDENDS EARNED		
विवरण / Particulars		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा /Interest/discount on advances/bills	11664.13	8275.43
II. निवेशों पर आय /Income on investments	3720.09	2675.63
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	122.89	54.68
IV. अन्य /Others	20.56	18.88
कुल /Total	15527.67	11024.62

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2012 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची 14 - अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

विवरण / Particulars

I. कमीशन, विनिमय और दलाली /Commission, exchange and brokerage	838.01	783.74
II. भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	0.10	0.00
घटाएँ: भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	-0.06	-0.01
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ /Profit on exchange transactions	289.61	73.02
घटाएँ: विनिमय लेनदेनों पर हानि / Less: Loss on exchange transactions	-174.94	0.00
IV. विनिधानों (निवल) के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of investments(net)	123.48	161.70
घटाएँ: विनिधानों के विक्रय से हानि / Less: Loss on sale of investments	-9.67	0.00
V. विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर लाभ /Profit on revaluation of investments	0.00	0.00
घटाएँ : विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर हानि/ Less: Loss on revaluation of investments	0.00	-1.24
VI. a) पट्टा-वित्त से आय /Lease finance income	0.00	0.00
b) पट्टा प्रबंधन शुल्क /Lease management fee	0.00	0.00
c) अतिदेय प्रभार /Overdue charges	0.00	0.00
d) पट्टा किराया प्राप्त राशि पर ब्याज / Interest on lease rent receivables	0.00	0.00
VII. विविध आय / Miscellaneous income	238.63	357.93
कुल /Total	1305.16	1375.14

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

विवरण / Particulars

I. जमा राशियों पर ब्याज /Interest on deposits	9742.20	6498.95
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	159.57	48.21
III. अन्य /Others	458.20	445.69
कुल / Total	10359.97	6992.85

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

विवरण / Particulars

I. कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1836.11	1558.91
II. भाड़ा, कर एवं रोशनी / Rent, taxes and lighting	231.50	201.98
III. मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	23.48	22.02
IV. विज्ञापन और प्रचार /Advertisement and publicity	27.36	35.85
V.(a) पट्टा आस्तियों से इतर बैंक की परिसंपत्तियों पर अवक्षय Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	76.68	69.80
V.(b) पट्टा आस्तियों पर अवक्षय/Depreciation on Leased Assets	0.00	0.00
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	1.17	1.32

अनुसूची

SCHEDULE

विवरण Particulars	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2012 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय/Auditors' fees and expenses (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित) (including branch auditors' fees and expenses)	17.69	17.94
VIII. विधि प्रभार /Law charges	20.22	13.73
IX. डाक, तार, टेलीफोन आदि /Postage, telegrams, telephones, etc.	19.41	24.54
X. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	54.80	41.33
XI. बीमा /Insurance	125.41	99.91
XII. साख का परिशोधन, यदि कोई हो/Amortisation of Goodwill, if any	0.00	0.00
XIII. अन्य व्यय / Other expenditure	289.07	272.42
कुल /Total	2722.90	2359.75
प्रावधान और आकस्मिक व्यय/Provision & contingencies	1904.32	1634.38
अनुषंगियों से आय/हानि का अंश/Share of Earnings /loss in associate	18.70	27.73
कर पश्चात् लाभ/Profit After Tax	1864.34	1440.51
अग्रानीत शेष/Balance brought forward	253.64	263.35
कुल/ Total	2117.98	1703.86
विनियोजन /Appropriation		
सांविधिक प्रारक्षिति में अंतरण/Transfer to statutory reserve	474.40	366.77
निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षिति से अंतरण / Transfer from Investment fluctuation reserve	0.00	0.00
राजस्व प्रारक्षिति को अन्तरण /Transfer to Revenue Reserve	750.00	400.00
पूंजी प्रारक्षिति को अंतरण/Transfer to capital reserve	11.71	0.00
विशेष प्रारक्षिति / Special reserve	209.00	349.83
अन्य प्रारक्षिति / Other Reserve	0.00	0.00
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend	301.34	287.04
लाभांश पर कर /Tax on dividend	48.89	46.58
तुलन पत्र में अग्रानीत शेष /Balance carried to Balance sheet	322.64	253.64
कुल/Total	2117.98	1703.86
अनुषंगियों में लाभ/Share of Profits/Loss in Associates		
अनुषंगियों का ब्योरा /Details of Associates		
नाम /Name		
शारदा ग्रामीण बैंक / Sharda Gramin Bank	9.77	9.02
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक / Allahabad UP Gramin Bank	43.66	70.20
कुल /TOTAL	53.43	79.22
इलाहाबाद बैंक का अंश / Allahabad Bank's share	18.70	27.73
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन / Adjustment relating to earlier years	0.00	0.00
वर्ष के दौरान समायोजित / Considered during the year	18.70	27.73

**समेकित लेखाओं से संबंधित प्रासंगिक
मुख्य लेखा नीतियां**

1. लेखा का आधार :

- (क) वित्तीय विवरण, जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखा की परंपरागत लागत परिपाटी एवं उपचित आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों एवं सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बनाया और प्रस्तुत किया गया है।
- (ख) वित्तीय विवरण आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामलों में समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा निर्देशों की भी पुष्टि करता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एवं उद्घोषणा एवं भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा व्यवहार।

2. समेकन प्रक्रिया:

- (i) बैंक, इसकी अनुषंगी और एसोसिएट्स के समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों, संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी निदेशानिर्देशों और सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों एवं भारत में प्रचलित नीतियों जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो अनुपालन करने के अनुसार सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ तैयार किए गए हैं।
- (ii) निम्नलिखित अनुषंगी को लेखा मानक 21 “समेकित वित्तीय विवरण” के अनुसार समेकित किया गया है:

कंपनी का नाम Name of the Company	देश /निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
आल बैंक फाइनेंस लिमिटेड AllBank Finance Limited	भारत India	अनुषंगी Subsidiary	100%

- (iii) निम्नलिखित एसोसिएट और संयुक्त उद्यम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 23 “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा” एवं लेखा मानक 27, “संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग” के अनुसार समेकित किए गए हैं।

संस्था का नाम Name of the Entity	देश/निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
शारदा ग्रामीण बैंक Sharda Gramin Bank	भारत India	प्रायोजित बैंक Sponsor Bank	35%
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक Allahabad UP Gramin Bank.	भारत India	प्रायोजित बैंक Sponsor Bank	35%
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड Universal Sampo General Insurance Company Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	30%
असरेक (इंडिया) लिमि. ASREC (India) Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	27.04 %

**RELEVANT PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES
ON THE CONSOLIDATED ACCOUNTS**

1. Basis of Accounting:

- (i) The financial statements have been prepared under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles.
- (ii) The financial statements also conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time in respect of income recognition, asset classification, provisioning and other related matters. Accounting standard and pronouncement issued by the Institute of Chartered Accountants of India and accounting practices prevalent in the Banking Industry in India.

2. Consolidation procedure:

- (i) The Consolidated financial statements of the Bank, its subsidiary and its associates have been prepared to comply, in all material aspects, in accordance with the Accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, guidelines issued by the respective regulatory authorities and generally accepted accounting principles and policies prevailing in India except otherwise stated.
- (ii) The following subsidiary has been consolidated as per the Accounting Standard 21, “Consolidated Financial Statements”

- (iii) The following associates and Joint ventures have been consolidated as per the Accounting Standard 23, “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” and Accounting Standard 27, “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India respectively:

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटीकरण :

उल्लिखित बैंकिंग नीतियां मुख्यतः बैंक संस्था से संबंधित हैं। बैंक की एक अनुषंगी है जो क्लास 1 मर्चेन्ट बैंकर के रूप में सेबी में पंजीकृत है और एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में लगी है। अनुषंगी और एसोसिएट कंपनी उनके शासी नियामकों द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों का पालन करती हैं। इन्हें अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि समग्रतः वित्तीय विवरणों के परिप्रेक्ष्य में ये निवेश महत्वपूर्ण नहीं हैं।

4. विदेशी मुद्रा से संबद्ध लेन-देन :

4.1 भारत से बाहर शाखाएं / कार्यालय :

(i) विदेशी शाखाओं को “नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है।

- मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकिस्मक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पॉट दरों पर।

- राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपिपरवर्तित की जाती है।

- सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते ‘विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व’ में रखा जाता है।

(ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को “इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :

- सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियां, स्वीकृतियां, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती है।

- गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती है।

- राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।

- सभी परिणामी विनिमय अंतरों को लाभ-हानि लेखा में लिखा जाता है।

(iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैंक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाएगा।

4.2 भारत में शाखाएं :

(i) विदेशी मुद्रा शेष चाहे आस्ति अथवा देयता (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना आदि के अन्तर्गत संग्रहित जमा राशियों सहित) हो तथा बकाया वायदा विनिमय संविदा को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा यथा सूचित तिमाही अंत की दरों पर परिवर्तित किया गया है।

वायदा विनिमय संविदा के पूनर्मूल्यांकन पर परिणामी लाभ /हानि तथा नोस्ट्रो खाते एफ ई डी ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार

3. Disclosure of significant accounting policies :

The accounting policies mentioned primarily relate to the Bank entity. The Bank has a subsidiary which is registered with the SEBI as a Class I Merchant Banker and one Joint Venture Company is in the business of non-life insurance. The subsidiary and Joint Venture Companies follow accounting polices prescribed by their governing regulators. These have not been specified separately as these investments are not material in the context of the overall financial statements.

4. Transactions involving Foreign Exchange:

4.1 Branches / Offices outside India :

(i) Foreign Branches are classified as “Non-integral Foreign Operations” and their financial statements are translated as follows:

- Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the end of each quarter.

- Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.

- All resulting exchange difference is accumulated in a separate account ‘Foreign Currency Translation Reserve’.

(ii) Operations of representative offices abroad are classified as “Integral Foreign Operations” and their financial statements are accounted for as follows:

- All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.

- Non-monetary items are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

- Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

- All resulting exchange differences are accounted for in Profit & Loss Account.

(iii) Advances will be classified under categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances will be made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

4.2 Branches in India :

(i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers’ Association of India (FEDAI).

The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.

राजस्व में लिए गए हैं।

(ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय और व्यय की मदों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर को प्रयोग कर संपरिवर्तित किया जाता है।

(iii) स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और गारंटियों सहित अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडरल द्वारा सूचित प्रचलित दर पर आंका जाता है।

5. निवेश :

(i) बैंक के निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन प्रवर्गों यथा 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित', 'विक्रय हेतु उपलब्ध' तथा में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) उक्त तीन श्रेणियों के अन्तर्गत निवेशों के प्रकटीकरण को आगे निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :

- (1) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- (2) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
- (3) शेयर,
- (4) डिबेंचर एवं बाँड,
- (5) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यम तथा
- (6) अन्य

(iii) (क) निवेश जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) निवेश जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों के भीतर विशेष रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ग) निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(घ) निवेश के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात की शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप कि जाती है।

(ङ) आनुषंगिकों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(iv) 'परिपक्वता हेतु रखा गया' के अंतर्गत वर्गीकृत (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) निवेश अधिग्रहण लागत पर लाए गए हैं। अगर अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त राशि को परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है एवं निम्नोक्त के लिए प्रावधान किया जाता है।

• डिबेन्चरों / बांडों के मूल्य के ह्रास जो अग्रिमों के रूप में समझे जाते हैं आस्ति वर्गीकरण के भारिबैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों तथा अग्रिमों हेतु प्रयोज्य प्रावधानीकरण का प्रयोग करते हुए।

• अनुषंगी / संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में अस्थायी को छोड़कर ह्रास।

(v) "व्यापार हेतु रखा गया" के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मासिक अंतराल पर स्क्रिपवार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामी निवल मूल्यह्रास की पहचान की जाती है एवं निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, को प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत ध्यान में नहीं रखा

(ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rate prevailing as on the date of transaction.

(iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

5. Investments:

(i) Investments are classified in accordance with RBI guidelines under three categories viz. "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale".

(ii) Under the above three categories, Investments are further classified into the following six groups :

1. Government Securities,
2. Other Approved Securities,
3. Shares,
4. Debentures & Bonds,
5. Subsidiaries/ Joint Ventures and
6. Others

(iii) a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for sale.

d) An investment is classified as Held to Maturity, Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

e) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.

(iv) Investments classified as 'Held to Maturity' (other than in Regional Rural Banks) are carried at acquisition cost. In case the acquisition cost is higher than the face value, the excess is amortized over the period remaining to maturity and provision is made for:

• Depreciation in the value of debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advances by applying the RBI prudential norms of asset classification and provisioning applicable to advances.

• Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries / joint ventures.

(v) Investments classified as "Held for Trading" are revalued scrip-wise at monthly interval and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.

जाता। अलग-अलग स्क्रिप का बही मूल्य ऊपर यथाउल्लिखित पुनर्मूल्यांकन के साथ नहीं बदलता है।

- (vi) “विक्रय हेतु उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत निवेशों को तिमाही अंतराल पर मार्केट स्क्रिपवार अंकित किया जाता है तथा परिणामी निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है और निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, को प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत ध्यान में नहीं रखा जाता। अलग-अलग स्क्रिप का बही मूल्य ऊपर यथाउल्लिखित पुनर्मूल्यांकन के साथ नहीं बदलता है।
- (vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों का मूल्य निर्धारण धारित लागत के रूप में किया जाता है।
- (viii) अनुत्पादक प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज / मूल 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है) के संबंध में आय की पहचान नहीं की जाती तथा प्रतिभूतियों के मूल्य में हास हेतु आस्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त प्रावधान किए जाते हैं तथा ऐसे मूल्यहास की अन्य उत्पादक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिमूल्यन से क्षतिपूर्ति नहीं की जाती।
- (ix) निवेशों के अधिग्रहण की लागत:
- अभिदत्त प्रतिभूतियों के मामले में प्राप्त प्रोत्साहन / कमीशन तथा प्रारंभिक शुल्क का निवल है।
 - कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेनदेन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी को छोड़कर।
- (x) लाभ-हानि लेखा में निवेश की बिक्री पर लाभ-हानि की पहचान की जाती है। “परिपक्वता हेतु रखे हुए” वर्ग के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ के बराबर की राशि को पहले लाभ-हानि खाते में लिया जाता है तथा तत्पश्चात “पूँजी प्रारक्षित खाते” में विनियोग किया जाता है।
- (xi) निवेशों के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए, स्टाक एक्स्चेंज कोटेशन अथवा एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. द्वारा दी गई दरों को अपनाया जाता है। इस प्रकार के कोटेशनों / दरों के अभाव में एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. द्वारा यथानिर्धारित ‘परिपक्वता पर प्रतिफल’ का समुचित प्रयोग करते हुए बाजार दर का पता लगाया जाता है।
- (xii) भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के स्वैप का मूल्य निम्नानुसार किया जाता है:

➤ हेज स्वैप :

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोदिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणियों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

स्वैप के निरसन से होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों / देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

➤ ट्रेडिंग स्वैप :

ट्रेडिंग स्वैप लेन-देनों को वित्तीय विवरणियों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिह्नित किया जाता है।

6. अग्रिम :

- (i) भा.रि.बैंक द्वारा यथा-निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आस्तियों को

- (vi) Investments classified as “Available for Sale” are marked to market scrip-wise at quarterly intervals and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (vii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
- (viii) In respect of non-performing securities (where interest/ principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of asset classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (ix) Cost of acquisition of investments:
- is net of incentives/commission and front-end fees received in case of securities subscribed, and
 - excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.
- (x) Profit/loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. An amount equivalent to the profit on sale of investments under “Held to Maturity” category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter, appropriated to the “Capital Reserve Account”.
- (xi) For the purpose of determining market value of investments, Stock Exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per norms laid down by the Reserve Bank of India.
- (xii) As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

➤ Hedge Swaps :

Interest rate swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an assets or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements.

Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

➤ Trading Swaps :

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

6. Advances:

- (i) Advances are classified as performing and non-performing as per guidelines prescribed by RBI and are shown net of provisions for non-performing advances.

अर्जक तथा अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उन्हें अनर्जक अग्रिमों हेतु प्रावधान के निवल रूप में दिखाया गया है।

- (ii) तथापि भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उत्पादक) हेतु किए गए प्रावधान को “अन्य देयताएं एवं प्रावधान” में शामिल किया गया है।

7. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास :

- (i) पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे पर लिए गए परिसरों सहित अन्य अचल आस्तियों की परंपरागत लागत बताई गई हैं, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनकी पुनर्मूल्यांकन राशि बताई गई हैं। पुनर्मूल्यन हेतु आस्तियों का चयन प्रणालीबद्ध पद्धति के आधार पर किया जाता है। पुनर्मूल्यन पर्याप्त नियामन से किया जाता है ताकि इस प्रकार प्राप्त रकम और तुलन पत्र की तिथि पर बाजार मूल्य में ज्यादा अंतर न हो। बैंक के कुछ परिसरों के उचित मूल्य में सार्थक उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं। अतएव, बार-बार मूल्यन की आवश्यकता महसूस की जाती है। तथापि, परिसरों की उन मदों हेतु पुनर्मूल्यन बार-बार नहीं किया जाता, जिनके उचित मूल्य में केवल अमहत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।
- (ii) “अन्य आस्तियों” के अन्तर्गत निर्माण अवधि के दौरान लिए गए पूंजीगत व्यय को शामिल किया गया है।
- (iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर घटते शेष प्रणाली के अनुसार ह्रास का प्रावधान किया गया है, सिवाय एएलपीएम एवं कम्प्यूटरों से संबंधित ह्रासमान के, जहां भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 33.33% की दर पर सीधी रेखा पद्धति में मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यहास की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से लाभ-हानि खाते में अन्तरित किया गया है।
- (v) पट्टे वाली भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि तक किया गया है।
- (vi) विदेशी शाखा की स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान उस देश में प्रचलित प्रयोज्य कानूनों के अनुसार किया गया है।

8. अगोचर आस्तियां (कम्प्यूटर साफ्टवेयर) :

- (i) कम्प्यूटर हेतु साफ्टवेयर जो उस विशेष साफ्टवेयर के बिना नहीं चलाया जा सकता संबंधित हार्डवेयर का एक अगोचर अंश है तथा उसे अचल आस्ति समझा गया है। जहां साफ्टवेयर संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, कम्प्यूटर साफ्टवेयर को अगोचर आस्ति समझा गया है।
- (ii) विक्रेता से लिए गए कम्प्यूटर साफ्टवेयर को केवल तभी अगोचर आस्ति के रूप में समझा गया है, जब साफ्टवेयर का मूल्य / लागत ₹ 10 लाख से अधिक है। ऐसी अगोचर आस्तियों का परिशोधन 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के अध्यक्षीन, उसकी प्रभावी आयु तक किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ :

- (i) कर्मचारियों के लाभ के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) कर्मचारी लाभ का प्रयोग किया है।
- (ii) दीर्घकालिक निर्धारित कर्मचारी लाभ की देयता - पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, अवकाश किराया रियायत, बीमारी छुट्टी का

- (ii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in “Other Liabilities and Provisions”.

7. Fixed Assets and Depreciation :

- (i) Premises including Freehold and other Fixed Assets are stated at historical cost except certain Premises, which are stated at their revalued amount. Selection of assets for revaluation is based on a systematic basis. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the market value at the Balance Sheet date. Some of the premises of the Bank experience significant and volatile changes in fair value, thus necessitating frequent valuation. However, such frequent valuation is not done for items of premises with only insignificant changes in fair value.
- (ii) Capital expenditure incurred during construction period is included under ‘Other Assets’.
- (iii) Depreciation is provided on diminishing balance method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 except that in respect of ALPMs & Computers, where depreciation is provided on straight line method @ 33.33% as per RBI guidelines.
- (iv) In respect of revalued assets, the amount of additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit & Loss Account.
- (v) Premium on leasehold land is amortized over the period of the lease.
- (vi) Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

8. Intangible Assets (Computer Software) :

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an Integral part of related hardware and is treated as fixed assets. Where the software is not an integral part of the related hardware, Computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than ₹10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

9. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.
- (ii) Liability towards long term defined employee benefits – Pension, Gratuity, Leave Encashment, Leave Fare Concession and Sick Leave are determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the year end by using Projected Unit Credit method. Liability so

निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमाकिकों द्वारा बीमाकिक मूल्यन पर निकाला जाता है। इस प्रकार निर्धारित देयता पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले में निधिक है और अन्य मामलों में इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

- (iii) भविष्य निधि के संबंध में अवधि हेतु किए गए अंशदान को व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।
- (iv) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को, सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष के लाभ हानि लेखा में, गैर-बट्टाकृत राशि पर व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।
- (v) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) के तहत ग्रेच्युटी तथा पेंशन से संबंधित अनुग्रह राशि तथा अतिरिक्त अंशदान हेतु व्यय को भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि में परिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

10. राजस्व अभिज्ञान :

निम्नलिखित को छोड़कर आय तथा व्यय का लेखा उपचित आधार पर किया गया है:

- (i) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली सीमा तक माना गया है।
- (ii) आय कर तथा ब्याज कर की वापसी राशि पर ब्याज से आय को, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के वर्ष हेतु लेखा में शामिल किया गया है।
- (iii) फालोऑन सार्वजनिक निर्गम को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और इसे पांच वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

11. पट्टा :

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

12. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर बेसिक अर्जन की गणना अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निवल आय को भाग करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

13. कराधान :

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर-मैट सहित) और आस्थगित कर, दोनों हेतु किया जाता है। चालू कर का प्रावधान प्रयोज्य कर दर और कर कानूनों का प्रयोग करके किया जाता है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएं, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक

determined is funded in the case of Pension and Gratuity, and provided for in other cases.

- (iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to Profit & Loss account.
- (iv) Short term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.
- (v) Expenditure towards ex-gratia and additional contribution in respect of gratuity and pension under Voluntary Retirement Scheme (VRS) is treated as Deferred Revenue Expenditure amortized over a period of five years in terms of RBI guidelines.

10. Revenue Recognition :

Income and Expenditure are accounted for on accrual basis other than those stated below:

- (i) Interest and Other Income on advances classified as non-performing assets are recognized to the extent realized.
- (ii) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year the order is passed by the concerned assessing officer.
- (iii) Expenditure on Follow on Public Offer is considered as Deferred Revenue Expenditure and is amortised over a period of five years.

11. Lease :

Rentals received by the Bank are recognized in the profit and loss account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account.

12. Earnings Per Share :

Basic and Diluted Earnings per Equity Share are reported in accordance with the Accounting Standard 20 "Earnings per share" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share are computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

13. Taxation :

- (i) Provision for tax is made both current Tax (including Minimum Alternate Tax – MAT) and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is

बनाए गए या बाद में बनाए जाने वाले कर कानूनों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं। आस्तियों का अभिज्ञान तब तक नहीं किया जाता जब तक कि “वास्तव में निश्चित” हो कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ वसूल की जाएंगी।

- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्तियों पर केवल तब ही एवं उस सीमा तक अभिज्ञात किया जाता है जब ऐसा ठोस प्रमाण हो कि कंपनी निर्धारित अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

14. नकदी एवं समतुल्य नकदी :

नकदी एवं समतुल्य नकदी में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष शामिल हैं।

15. अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ‘इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस’ को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 ‘इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस’ के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

16. आकस्मिक देयताएँ तथा प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ :

- (i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 ‘प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ’ के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।
- (ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया गया :
- क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएँ जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं।
- ख) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :
- i) यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा अथवा
- ii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता है। ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।
- iii) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया गया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी भी वसूली नहीं जा सकती।

“virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

- (ii) Minimum Alternate Tax (MAT) credit is recognized as assets only when there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period.

14. Cash and Cash equivalents :

Cash and cash equivalent include cash on hand and in ATM's and balances with RBI.

15. Impairment of Losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impaired of Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

16. Contingent Liabilities and Provisions & Contingent Assets :

- (i) In conformity with AS 29. “Provisions, Contingent Liabilities and contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accounts of India, the Bank recognizes provisions only, when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- (ii) No provision is recognized for :
- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because
- i) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- ii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. Such obligations are recorded as contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.
- (iii) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that never be realized

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा टिप्पणियाँ

NOTES ON ACCOUNT TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. (i) भारतीय रिजर्व बैंक (भारि बैंक) के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
2. (i) अंतर शाखा समायोजनों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान और समाशोधन संबंधी कार्य प्रगति पर हैं एवं खासकर विभिन्न लेखा शीर्षों में नामे और जमा प्रविष्टियों का 31.03.2012 तक प्रारंभिक मिलान कर दिया गया है। लेखा संबंधी लंबित अंतिम समाशोधन, संपूर्ण प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधन की राय से महत्वपूर्ण नहीं होगा।
- (ii) कुछ शाखाओं में जमा, अग्रिम एवं नोस्ट्रो खाते के संबंध में विवरणों की तैयारी/खातों के मिलान/समाधान का कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षेत्रों में हुई पर्याप्त प्रगति के मद्देनजर प्रबंधन का अभिमत है कि बैंक के लेखे पर समाधान का प्रभाव, अगर हो तो, तात्त्विक नहीं होगा। उपर्युक्त क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति को देखते हुए प्रबंधन का मन है कि बैंक की खातों पर समाधान का प्रभाव, यदि हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा।
- (iii) भा. रि. बैं. के निदेशों के अनुसार, 330 शाखाओं के संबंध में विभिन्न व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत लेखा शीर्षों में पुराना अंतर, जो कि ₹ 141.39 करोड़ निवल ऋण है, प्रधान कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया था एवं “आकस्मिक लेखा-सामान्य” में रखा गया था। भा.रि.बैं ने इन 330 शाखाओं को, एरियर वाली शाखाओं के रूप में, बही तुलन पर बैंक के तिमाही विवरण में रिपोर्ट नहीं करने की अनुमति दी है। प्रबंधन का अभिमत है कि बैंक के लेखे पर इन मदों/ समाधान का प्रभाव, अगर हो तो, तात्त्विक नहीं होगा।
3. विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद आयकर हेतु बैंक द्वारा ₹ 2123.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1834.76 करोड़) (आस्थगित कर सहित) का प्रावधान पर्याप्त माना गया।
4. (i) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकनों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः ₹ 125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), ₹ 370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा ₹ 298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 4.24 करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 4.45 करोड़) के अतिरिक्त मूल्यहास को पूंजी आरक्षितियों से अंतरित कर अनुसूची सं.14 मद (vii) में ‘अन्य आय’ शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है।
- (ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।
1. (i) Adequate provision has been made in respect of Performing and Non-performing Advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
2. (i) Reconciliation and clearance of outstanding entries in Inter Branch adjustments are in progress and especially initial matching of debit and credit entries in various heads have been done upto 31.03.2012. Pending final clearance, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.
- (ii) At some branches, preparation of details / balancing / reconciliation of accounts relating to Balances with Banks and NOSTRO Accounts are in progress. Since substantial progress has made in the above areas, the management is of the view that the impact of reconciliation, if any, on the accounts of the Bank will not be material.
- (iii) In terms of RBI directives, old difference in various Personal and Impersonal Account heads in respect of 330 branches aggregating net credit of ₹141.39 Crores was transferred to Head Office and kept in “Contingency Account- General”. RBI has further permitted not to report these 330 branches as arrear carrying branches in Bank’s quarterly statement on Balancing of Books. The management is of the view that the impact of these items /reconciliation, if any, on the accounts of the Bank will not be material.
3. The provision for income tax (including deferred tax) aggregating to ₹2123.57 Crore (previous year ₹1834.76 Crore) held is considered adequate after taking into consideration various judicial decisions on disputed issues.
4. (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005 and 31.03.2007 and upward revision amounting to ₹ 125.99 Crore (commercial and residential), ₹ 370.08 Crore (commercial and residential) and ₹ 298.32 Crore (commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of ₹ 4.24 Crore (previous year ₹ 4.45 Crore) due to revaluation has been transferred from Revaluation Reserve Account and shown in Miscellaneous Income under the head “Other Income” included in Schedule No. 14 item (vii).
- (ii) Depreciation has been charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.

- (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
- (iv) निम्नलिखित संपत्तियों की पंजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं :
- क. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियां जिनकी मूल लागत ₹ 0.86 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 0.86 करोड़) है।
- ख. आनंद लोक, नईदिल्ली में एक पट्टाधारित संपत्ति जिसकी मूल लागत ₹ 0.09 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 0.09 करोड़)।
- ग. वित्त वर्ष के दौरान चेन्नई एवं हैदराबाद में दो भू-संपत्ति खरीदी गई।
- (v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नवत है :

- (iii) Premium on leasehold land has been amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (iv) For the following properties registration formalities are yet to be completed:
- a. 2 residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneshwar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of ₹ 0.86 Crore (Previous year ₹ 0.86 Crore).
- b. 1 leasehold property at Anandlok, New Delhi with original cost amounting to ₹ 0.09 Crore (previous year ₹ 0.09 Crore).
- c. 2 landed properties purchased during the financial year at Chennai & Hyderabad.
- (v) Other Assets include intangible assets, details of which are as under.

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण / Particulars	2011-12	2010-11
अथ शेष \ Opening Balance	35.59	20.05
वर्ष के दौरान परिवर्धन \ Additions during the year	3.08	19.19
वर्ष के दौरान परिशोधित \ Amortized during the year	4.94	3.65
इति शेष \ Closing Balance	33.73	35.59

5. (i) ₹ 61.25 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- (ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/ वेंचर कैपिटल फंड की यूनितों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश ₹ 1045.18 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 770.89 करोड़) रहा।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 23.00 करोड़ (विगत वर्ष शून्य) की राशि, जो कि 'हेल्ड टू मैच्यूरिटी' श्रेणी प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ की समान राशि है, को पूंजी प्रारक्षित खाते में अंतरित किया गया है।
- (iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 3(C)(i), में उल्लिखित है, 'हेल्ड टू मैच्यूरिटी' श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर ₹ 61.26 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 83.33 करोड़) की अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ-हानि खाते के 'निवेश से आय' शीर्ष में विनिधान के पुनर्मूल्यन में हानि के रूप में दर्शाया गया है।
5. (i) In respect of Investments of face value of ₹ 61.25 Crore (Previous year ₹ 0.44 Crore) the Bank is yet to receive scrips / certificates.
- (ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual fund / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹1045.18 Crore (Previous year ₹ 770.89 Crore).
- (iii) As per RBI guidelines, an amount of ₹ 23.00 Crore (Previous Year NIL) being an amount equivalent to post tax profit on sale of 'Held to Maturity' category securities is transferred to 'Capital Reserve Account'.
- (iv) In respect of 'Held to Maturity' category as stated in significant Accounting Policy No. 3 (C)(i), the excess of acquisition cost over the face value of the security amortised during the year amounts to ₹ 61.26 Crore (Previous year ₹ 83.33 Crore) has been netted-off from interest on investments and shown under "Income from Investments" in Profit and Loss Account in terms of RBI direction.

6. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।
7. वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सहित इसकी विभिन्न योजनाओं को अधिमान्य आबंटन आधार पर ₹ 182.94/- प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹ 10/- के 2,38,10,771 इक्विटी शेयर, जो कि ₹ 459.40 करोड़ (लगभग) है, जारी किया। ₹ 459.40 करोड़ (लगभग) में से ₹ 23.81 करोड़ (लगभग) शेयर पूंजी खाते में एवं ₹ 435.59 करोड़ (लगभग) शेयर प्रीमियम खाते में जमा किया गया।

8. लेखा मानकों के अनुरूप अनुपालन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नोक्त लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन किया है तथा ऐसे लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार निम्नोक्त प्रकटीकरण किये जा रहे हैं।

- 8.1 लेखा मानक 5 : “अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व वर्ष की मर्दे तथा लेखा नीतियां”

पूर्व वर्ष से संबंधित आय और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष/Current Year	गत वर्ष/Previous Year
आय \ Income	(1.60)	1.29
व्यय \ Expenditure	(0.03)	4.01
निवल / Net	(1.57)	(2.72)

- 8.2. बैंक ने कर्मचारी लाभों यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एलएफसी और बीमारी छुट्टी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (एएस 15) (संशोधित) को अपनाया है।

- 8.3. निधिका/गैर-निधिका कर्मचारी लाभों यथा, पेंशन (एबीपीईआर), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एल.एफ.सी. और बीमारी अवकाश के संबंध में बैंक की देयता को

(क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) में निर्धारित सिद्धांतों और

(ख) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों जीएन 26 के अनुसार अनुमोदित बीमांकक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

- 8.4 संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18 संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन

संबंधित पार्टियों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध तथा किए गए लेनदेन।

6. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.

7. During the year, Bank has issued 2,38,10,771 equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹182.94 per share amounting to ₹ 459.40 Crore (approx.) on preferential allotment basis to Life Insurance Corporation of India including its various schemes (LIC). Out of ₹ 459.40 Crore, ₹ 23.81 Crore (approx.) credited to Share Capital Account and ₹ 435.59 Crore (approx.) to Share Premium A/c.

8. Compliance with Accounting Standards

The Bank has complied with the following Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the following disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards.

- 8.1. Accounting Standard 5 “Net Profit or Loss for the Period, Prior Period items and Changes in Accounting Policies”

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

- 8.2. The Bank adopted Accounting Standard 15 (Revised)-Employee Benefits, issued by Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension, Gratuity, Leave Encashment, LFC and Sick Leave.

- 8.3. Bank’s liabilities in respect of the funded/ non-funded employee benefits, viz., Pension(ABEPR), Gratuity, Leave Encashment, LFC and Sick Leave are recognised on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per

(a) Principles laid down in AS 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and

(b) Guidelines GN 26 issued by Institutes of Actuaries of India.

- 8.4. Related Party Disclosures – Accounting Standard (AS) 18: List of Related Parties and Transactions

The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected.

(₹ लाख में) / (₹ in Lacs)

क्रमांक Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियाँ / Remuneration	
			Current Year	Previous Year
31.3.2012 को यथास्थिति वर्तमान निदेशक / Existing Directors as on 31.3.2012				
1	श्री जे. पी. दूआ Shri J. P. Dua	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	23.04	20.37
2	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	कार्यालय निदेशक Executive Director	19.46	13.57
3	श्री एम. आर. नायक Shri M. R. Nayak	कार्यालय निदेशक Executive Director	19.46	12.72
भू. पू. निदेशक / Ex Directors				
1	श्री प्रसाद अकोलकर Shri Prasad Akolkar	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ आल बैंक फाइनेंस लि. Managing Director and CEO of AllBank Finance Ltd.	9.10	13.03

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall company basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

अनुषंगी कंपनी युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंसन कं. लि. के साथ किए गए लेनदेन का विवरण निम्नांकित है :

Transactions with associate company Universal Sompo General Insurance Company Limited. are as follows:

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण \ Particulars	चालू वर्ष/Current Year	गत वर्ष/Previous Year
अर्जित आय \ Income Earned	8.03	7.42
प्रदत्त बीमा प्रीमियम \ Insurance Premium Paid	7.73	6.57

अनुषंगी कंपनी :

- i) ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व में)

संयुक्त उद्यम :

- i) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि.
ii) एएसआरईसी(इंडिया) लि.

एसोसिएट्स :

- i) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।
ii) शारदा ग्रामीण बैंक

बैंक के उक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बैंक के 35% के शेयर हैं, और युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी में 30% के शेयर हैं।

Subsidiary:

- i) All Bank Finance Limited (wholly owned)

Joint Venture:

- i) Universal Sompo General Insurance Company Limited
ii) ASREC (India) Ltd.

Associates:

- i) Allahabad U P Gramin Bank
ii) Sharda Gramin Bank

The Bank is holding 35% shares of the above Associated Regional Rural Banks and 30% shares of Universal Sompo General Insurance Company limited.

अनुषंगियों एवं एसोसिएट्स के साथ लेनदेन का खुलासा (एएस) -18 के संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उन अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ उनके लेनदेन से संबंधित खुलासे करने से मुक्त करता है जो राज्य द्वारा भी नियंत्रित हैं।

पट्टा प्रकटीकरण :

क) बैंक के पास कार्यालयों / आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :

i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग :

31.03.2012 को यथास्थिति असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया।

The transactions with the subsidiaries and associates have not been disclosed in view of para 9 of the (AS)-18 Related Party Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

Lease Disclosure:

A) The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

i) The total of future minimum lease payments under non-cancelable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2012

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period Year	देय राशि / Amount Payable	
	चालू वर्ष/Current Year	गत वर्ष/Previous
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	46.13	32.96
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	97.77	110.25
पाँच वर्ष के बाद / Later than five years	41.90	29.99

इसकी अनुषंगी के संबंध में, पट्टा लेखा मानक प्रयोज्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने 01.04.2001 के बाद कोई पट्टा संस्वीकृत नहीं किया है।

In respect of its subsidiary, lease accounting standard is not applicable since the Company has not sanctioned any lease after 01.04.2001.

ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancelable subleases at the balance sheet date: Nil (Previous Year: Nil)

iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टा भुगतान : ₹ 76.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 60.75 करोड़)

iii) Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: ₹ 76.02 Crore (Previous Year: ₹ 60.75 Crore)

iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त (अथवा प्राप्य) उप-पट्टे का भुगतान :शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)

iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: Nil (Previous Year: Nil)

ख) वित्तीय पट्टा :

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

क्रम सं. SI No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
A	प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन Basic and Diluted Earning Per Share (Rs.)	39.14	32.22

8.5. प्रति शेयर अर्जन : लेखा मानक (एएस) 20:

8.5. Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20:

8.6 आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22

8.6. Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में ₹ 18.35 करोड़(निवल) (पिछले वर्ष ₹ 51.88 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में जमा किया गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत है :

During the year, an amount of ₹ 18.35 Crore (Net) (Previous year ₹ 51.88 Crore) has been credited to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण / Particulars	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the Year		समायोजन जोड़/(घटाव) Adjustment Add/(Less)		वर्ष के अंत में At the close of the Year	
	चालू वर्ष C. Yr.	गत वर्ष Pr. Yr.	चालू वर्ष C. Yr.	गत वर्ष Pr. Yr.	चालू वर्ष C. Yr.	गत वर्ष Pr. Yr.
आस्थगित कर आस्तियाँ / Deferred Tax Assets						
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान / Provision for Leave Encashment	Nil	Nil	10.50	Nil	10.50	Nil
बीमारी छुट्टी हेतु प्रावधान / Provision for Sick Leave	4.69	1.23	4.56	3.46	9.25	4.69
पेंशन (पुरानी) हेतु प्रावधान / Provision for Pension(old)	0.00	3.66	Nil	(3.65)	Nil	0.00
एलएफसी हेतु प्रावधान / Provision for LFC	Nil	Nil	3.29	Nil	3.29	Nil
अन्य / Others	0.00	0.54	52.01	(0.54)	52.01	0.00
कुल / Total	4.69	5.43	70.36	(0.73)	75.05	4.69
आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities						
अचल आस्तियों का मूल्यहास / Depreciation of Fixed Assets	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	80.55	28.81	Nil	51.74	80.55	80.55
अन्य / Others	0.00	0.59	52.01	(0.59)	52.01	0.00
कुल / Total	80.55	29.40	52.01	51.15	132.56	80.55
आस्थगित कर देयताएँ (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	75.86	23.97	18.35	51.88	57.51	75.86

बैंक एचटीएम श्रेणी के निवेशों पर आस्थगित कर अभिज्ञात नहीं कर सकता क्योंकि बैंक के विचार इस संबंध में समय में कोई अंतर नहीं है। निवेशों पर आस्थगित कर के अभिज्ञान पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के विचार के अनुसार, बैंक ने इस मुद्दे को भारतीय बैंक संघ के पास मार्गदर्शन हेतु भेजा है क्योंकि उद्योग जगत में इस विषय पर कार्यवाही करने में काफी भिन्नताएं हैं।

The Bank does not recognise deferred tax on HTM category of investments as in its opinion; there is no timing difference in this regard. Pursuant to the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India on recognition of deferred tax on investments, the bank has referred the issue to the Indian Banks' Association for their guidance on the matter since there is a difference in treatment on this subject in the industry.

8.7 'वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2012 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और उक्त मानक के अनुसार अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है

8.8 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तिया' के संबंध में लेखा मानक (एएस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण

देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष) :

8.7. A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets' is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2012 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

8.8. Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

Movement of Provision for Liabilities (Closing Balance):

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण / Particulars	को यथास्थिति As on 31.03.2012	को यथास्थिति As on 31.03.2011
(a) एनपीए हेतु प्रावधान / Provision toward NPA	967.28	863.55
(b) निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	486.91	297.78
(c) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provision towards Standard Assets	509.81	362.57
(d) आयकर हेतु प्रावधान / Provision towards Income Tax	2066.06	1830.53
(e) आस्थगित कर आरि / देयता / Deferred Tax (Assets) / Liabilities	57.51	75.86
(f) अनुषंगी लाभ कर / Fringe Benefit Tax	26.04	26.04
(g) अन्य / Others	569.11	1112.19
कुल / Total	4682.72	4568.52

8.9.खंडवार सूचना : लेखा मानक (एएस) 17 / Segment Information: Accounting Standard (AS) 17

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

व्यवसाय खंड Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/थोक प्रतिभूतियां Corporate/ wholesale security		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग व्यवसाय Other Banking Operation		कुल Total	
	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.
विवरण / Particulars										
राजस्व / Revenue	4165.92	2983.70	8180.04	5746.27	4230.84	3311.65	256.03	430.61	16832.83	12472.23
परिणाम / Result	154.85	261.07	1715.95	1164.49	1675.31	1320.78	222.55	327.41	3768.66	3073.75
प्रावधान / Provisions									1606.97	1123.84
परिचालन लाभ Operating Profit									2161.69	1949.91
आय कर / Income Taxes									296.18	510.38
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit / loss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल लाभ / Net Profit									1865.51	1439.53
अन्य सूचना: Other Information:										
खंडवार आस्तियां Segment Assets	55047.35	43973.88	94180.67	77154.26	32508.83	29009.98	376.33	321.57	182113.17	150459.69
गैर आबंटित आस्तियां Unallocated assets									1197.72	1148.23

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

व्यवसाय खंड Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/थोक प्रतिभूतियां Corporate/ wholesale security		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग व्यवसाय Other Banking Operation		कुल Total	
	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.
विवरण/ Particulars										
कुल आस्तियां Total assets									183310.89	151607.92
खंडवार देयताएं Segment liabilities	52227.73	41818.46	89356.57	73372.47	30843.67	27683.56	164.07	0	172592.03	142874.49
गैर आबंटित देयताएं Unallocated liabilities									10718.86	8733.43
कुल देयताएं Total liabilities									183310.89	151607.92

भाग ख:भौगोलिक खंड / Part B: Geographic Segments:

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

	घरेलू Domestic		अंतरराष्ट्रीय International		कुल Total	
	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.
राजस्व / Revenue	16648.85	12401.21	173.11	71.02	16832.83	12472.23
आस्तियां / Assets	17956.72	147978.13	6354.18	3629.79	183310.89	151607.92

खंड सूचना पर टिप्पणी :

- समेकित खंड रिपोर्टिंग में अनुषंगी कंपनी, एक गैर-बैंकिंग संस्था के व्यवसाय को अवशेष व्यवसाय के रूप में माना गया है।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एएस17 और उस पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुरूप सेगमेंट रिपोर्टिंग के प्रयोजन से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात्
 - ट्रेजरी परिचालन
 - कारपोरेट/थोक बैंकिंग
 - रिटेल बैंकिंग
 - अन्य बैंकिंग व्यवसाय
- भौगोलिक खंड को (क) घरेलू और (ख)अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकृत किया गया है।
- सांविधिक अपेक्षाओं से अधिक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश और गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश को ट्रेजरी परिचालन में निवेश माना गया है।
- किसी खंड विशेष से सीधे जुड़े व्यय, आस्तियों और देयताओं को संबंधित खंड को आबंटित किया जाता है और जहां कोई मद सीधे खंड को प्रस्तावित नहीं करती हैं उन्हें प्रबंधित व्यवसाय के अनुपात में आबंटित किया गया है।

Notes to Segment Information:

- The business of the subsidiary company, a non-banking entity has been considered as residual business in consolidated segment reporting.
- For the purpose of segment reporting in terms of AS 17 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and RBI guidelines thereon, the business of the bank has been classified into three segments, viz.
 - Treasury Operations,
 - Corporate / Wholesale Banking
 - Retail Banking
 - Other Banking business
- Geographical segment has been classified as (a) Domestic and (b) International.
- Investment in SLR securities in excess of statutory requirements and investment in non-SLR securities have been considered as investment for Treasury Operations.
- Expenses, assets and liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment and wherever the items are not directly attributable to specific segment the same has been allocated in proportion to business managed.

9. आकस्मिक देयताएँ:

तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथाउल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर है। आलबैंक फाइनेंस लि. की आकस्मिक देयताओं से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

- विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में विवादित आयकर जहां कंपनी को ₹ 8.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.00 करोड़) की रकम प्राप्त होने की संभावना है। 31.03.2012 को यथास्थिति ₹ 10.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.89 करोड़) की राशि अग्रिम कर, स्रोत पर काटे गए कर और प्राप्य आयकर रिफंड के रूप में दर्शाई गई है। यह राशि करनिर्धारण और अपील के विभिन्न चरणों में समायोजन हेतु लंबित है।
- कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए दावे: ₹ 11.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.76 करोड़)
- 10. आल बैंक फाइनेंस लि. के संबंध में माननीय विशेष नयायालय के आदेशानुसार, मे. वी.बी. देसाई द्वारा 13.05.1992 को आल बैंक फाइनेंस लि. को सौंपे गए शेयरों को बैंक के पक्ष में शेयरों में संपत्ति का पूर्ण अंतरण माना गया। तदनुसार, शेयरों की सुपुर्दगी की तारीख से बैंक शेयरों का स्वामी बन गया है और उसके बाद उन शेयरों पर घोषित समस्त उपचय और अधिकारों पर इसका हक है। उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप शेयरों के अर्जन को दीर्घाधि निवेश माना गया
- 11. पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) ₹ 110.46 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 41.84 करोड़) है।
- 12. अनुपयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलनपत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
- 13. जहाँ आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित या पुनःवर्गीकृत किया गया है।

9. Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively. Additional comments in respect of contingent liabilities of AllBank Finance Limited are as follows:

- Disputed Income Tax in respect of matters pending before various appellate authorities where the Company expects to succeed amounts to ₹ 8.72 Crore (Previous Year ₹ 8.00 Crore). As on 31.03.2012, ₹ 10.70 Crore (Previous Year ₹ 8.89 Crore) have been shown as advance income tax, tax deducted at source, and income tax refund receivable. This amount is pending adjustment at various stages of assessment and appeal.
- Claims against the Company not acknowledged as Debts : ₹ 11.76 Crore (Previous Year ₹11.76 Crore)
- 10. In respect of AllBank Finance Limited, as per the order of Hon'ble Special court, the delivery of shares on 13.05.1992 by M/s V. B. Desai to AllBank Finance Ltd., constituted complete transfer of property in the shares in favour of the Bank. Accordingly, the Bank became the owner of the shares from the date of delivery of the shares and was entitled to all accretions and rights declared thereafter. Pursuant to the above-mentioned order, the acquisition of the shares has been considered as long term investment.
- 11. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advance) ₹ 110.46 Crore (Previous Year ₹ 41.84 Crore).
- 12. Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule 9 of the Balance Sheet.
- 13. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary.

इलाहाबाद बैंक, इसकी अनुषंगी तथा इसके हित वाले एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम की समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
इलाहाबाद बैंक

1. हमने यथास्थिति 31 मार्च, 2012 को इलाहाबाद बैंक (बैंक), इसकी अनुषंगी और एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम (समूह) के संलग्न तुलनपत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की जांच की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षा किए गए बैंक के लेखापरीक्षित लेखा।
 - ii) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित एक अनुषंगी और दो एसोसिएट्स के लेखापरीक्षित लेखा और दो संयुक्त उद्यमों के अलेखापरीक्षित लेखा।
 इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है और इन्हें प्रबंधन द्वारा पृथक वित्तीय विवरणों तथा इसके संघटकों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।
2. हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा करें कि क्या ये वित्तीय विवरण निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि को समर्थित करने वाले साक्ष्यों की जांच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्राक्कलनों के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें यह विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।
3. हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:
 - i) एक अनुषंगी जिसके वित्तीय विवरणों में यथास्थिति 31 मार्च 2012 को ₹ 57.73 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में ₹ 4.55 करोड़ का कुल राजस्व दर्शित है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक अनुषंगी के संबंध में शामिल राशि का संबंध है, हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है।
 - ii) एसोसिएट्स में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरबीबी) शामिल हैं, जिसके वित्तीय विवरणों में यथास्थिति 31 मार्च 2012 को ₹ 8604 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में ₹ 53.43 करोड़ का कुल राजस्व दर्शित है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक अनुषंगी के संबंध में शामिल राशि का संबंध है, हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है। एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जो बीमा कंपनी है अलेखापरीक्षित है जिसकी कुल आस्तियां ₹ 761.07 करोड़ और कुल राजस्व ₹ 62.77 करोड़ है।
 - iii) एक संयुक्त उद्यम जो एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और यथास्थिति 31 मार्च 2012 को ₹ 146.95 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में ₹ 19.91 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं।
4. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 “समेकित वित्तीय विवरण” और लेखा मानक 23 “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा” तथा लेखा मानक 27 “संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग” की अपेक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
5. हमारी राय में बदलाव किए बिना, हम अनुसूची 18 के नोट सं. 5.13 की ओर ध्यानआकर्षित करते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने दिनांक 09.02.2011 के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी / 80/21.04.018/2010-11 के माध्यम से प्रदान की गई छूट के अनुसार एएस 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को सार्वजनिक बैंकों पर लागू करने संबंधी सीमा में ₹ 448.56 करोड़ तक की वृद्धि के कारण पेंशन दायित्व एवं ग्रेयुटि दायित्व स्थगित किए जाने की बात है।
6. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने तथा **लेखा टिप्पणियों के अध्यक्षीय अर्थ नोट सं. 2 (i) अंतर शाखा खातों की बेमेल प्रविष्टियों के तुलन/समाकलन, उक्त नोट में यथावर्णित विभिन्न लेखाशीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के तुलन/समाकलन और समाशोधन के लेखा परीक्षा रिपोर्टों के ध्यान में रखकर हमारा अभिमत है कि:**
 - (i) समेकित तुलनपत्र यथास्थिति 31 मार्च 2012 को समूह की समेकित स्थिति की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है; एवं
 - (ii) समेकित लाभ एवं हानि लेखा उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समूह के प्रचालनों के समेकित परिणामों की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है।
 - (iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र, विवरण-पत्र की अवधि हेतु समूह के नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है।

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 313085E
(दिलीप कुमार अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 55420

कृते एम.आर. नारायण एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 002330S
(एम.एन. बैंकटेशन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 22993

कृते एस.घोष एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 302184 E
(चंदन चट्टोपाध्याय)
पार्टनर
सदस्यता सं. 51254

कृते के.एम. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000853 N
(सी. पी. मिश्र)
पार्टनर
सदस्यता सं. 73009

कृते एम.सी. जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 304012E
(मुकेश कु. पटवारी)
पार्टनर
सदस्यता सं. 056623

कृते मे. एन. के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000429N
(एन. के. भार्गव)
पार्टनर
सदस्यता सं. 080624

स्थान / Place : कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date : 05.05.2012

Auditors' Report on the Consolidated Financial statements of Allahabad Bank, its subsidiary and its interests in Associates and Joint Ventures

To,
The Board of Directors
Allahabad Bank

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of Allahabad Bank (the Bank), its subsidiary, associates and joint venture (the Group) as at 31st March 2012 and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date in which are incorporated:
 - i. Audited accounts of the Bank audited by us
 - ii. Audited accounts of one subsidiary, two associates audited by other auditors and unaudited accounts of two joint ventures.

These financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We did not audit the financial statements of:
 - i. One subsidiary, whose financial statements reflect total assets of ₹ 57.73 Crore as at 31st March 2012 and total revenues of ₹ 4.55 Crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by another auditor whose report has been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary, is based solely on the report of the said auditor.
 - ii. Associates that included two Regional Rural Banks (RRBs) whose financial statements reflect total assets of ₹ 8604 crore as at 31st March 2012 and total revenues of ₹ 53.43 Crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of these associates, is based solely on the report of the said auditors. The financial statements of one Joint Venture Company, which is an insurance company is unaudited, whose total asset is ₹ 761.07 Crore and revenue of ₹ 62.77 crore.
 - iii. One joint venture which is an asset reconstruction company, whose financial statements are unaudited and reflect total assets of ₹ 146.95 Crore as at 31st March 2012 and total revenues of ₹ 19.91 Crore for the year ended on that date.
4. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 "Accounting for investment in Associates in Consolidated Financial Statements", and Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India.
5. Without qualifying our opinion, we draw attention to note no. 5.13 of schedule 18 which describes deferment of pension liability and gratuity liability due to increase in ceiling to the extent of ₹ 448.56 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector Banks from application of the provisions of AS 15, Employees Benefits vide its circular No DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9th, 2011, on reopening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.
6. Based on our audit and consideration of reports of other auditors on separate financial statements and also subject to Notes on Accounts i.e. Note No. 2(i) regarding balancing / reconciliation of unmatched entries in Inter Branch Accounts, balancing / reconciliation and clearance of outstanding entries in various head of accounts as stated in the said notes, we are of the opinion that:
 - i. The Consolidated Balance Sheet gives a true and fair view of the consolidated state of affairs of the Group as at 31st March 2012;
 - ii. The Consolidated Profit and Loss Account gives a true and fair view of the consolidated results of operations of the Group for the year ended on that date; and
 - iii. The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of cash flows of the Group for the period covered by the statement.

For **P.A. & Associates**
Chartered Accountants
FR No: 313085E

(Dillip Kumar Agarwalla)
Partner
Membership No. – 55420

For **K.M. Agarwal & Co.**
Chartered Accountants
FR No: 000853N

(C.P.Mishra)
Partner
Membership No. – 73009

Place: Kolkata

Date: 5th May, 2012

For **M. R. Narain & Co.**
Chartered Accountants
FR No: 002330S

(M.N. Venkatesan)
Partner
Membership No. - 22993

For **M.C.Jain & Co.**
Chartered Accountants
FR No.304012E

(Mukesh Kr Patawari)
Partner
Membership No.056623

For **S Ghose & Co.**
Chartered Accountants
FR No: 302184E

(Chandan Chattopadhyay)
Partner
Membership No. – 51254

For **M/S N.K.Bhargava & Co**
Chartered Accountants
FR No 000429N

(N.K.Bhargava)
Partner
Membership No 080624

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष में अर्जित ₹ 2,79,50,798 के करपश्चात लाभ के सापेक्ष ₹ 2,89,63,995/- का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है :

	31.03.2012	31.03.2011
सकल राजस्व \ Gross Revenue	4,54,93,901	5,79,91,192
कुल व्यय \ Total Expenses	1,03,29,906	1,44,39,506
कर पूर्व लाभ \ Profit Before tax (PBT)	3,51,63,995	4,35,51,686
कर हेतु प्रावधान \ Provision for tax	62,00,000	1,10,00,000
कर पश्चात लाभ \ Profit after tax	2,89,63,995	2,79,50,799

(₹ में)/(in ₹)

लाभांश

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु निदेशकों ने किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की।

परिचालन

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्यतः वैश्विक करकों के साथ-साथ घरेलू कारणों जैसे कठोर मौद्रिक नीति, उच्च मुद्रास्फीति और धीमी निवेश एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण मंदी की स्थिति बनी रही। पिछले दो वर्षों में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाने के पश्चात वर्ष 2011-12 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 6.9 प्रतिशत वृद्धि का आकलन किया गया था। उधार की उच्च लागत एवं अन्य लागतों में वृद्धि ने उद्योगों की लाभप्रदता और आंतरिक संचय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज दरों में अनिश्चितता के कारण वित्तीय व मुद्रा बाजार की गतिविधियों में काफी मंदी आई। एनसीडी एवं सीपी जैसे लिखतों के अधिकांश भावी निर्गमकर्ताओं के साथ-साथ इन लिखतों के संस्थागत निवेशकों/अंशदाताओं ने पूरे समय इंतजार करने और स्थिति को परखने के सिद्धांत को अपनाए रखा।

वित्तीय वर्ष 2011-12 की अंतिम तिमाही के आरंभ में हालांकि मुद्रा बाजार में कुछ सुधार दिखाई दे रहे थे किंतु फरवरी, 2012 माह में ब्याज दरों में और कठोरता लाने और तरलता की कठोर स्थिति के कारण यह परिदृश्य अचानक बदल गया।

इसके परिणामस्वरूप आपकी कंपनी अधिकांशतः आटोमेटिव कंपोनेंट, सूती धागे, क्राफ्ट पेपर, पैकेजिंग, अस्पताल, खाद्य प्रसंस्करण, होटल शैक्षिक संस्थान आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए टीईवी अध्ययन कार्य तक सीमित रही। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में टीईवी अध्ययन से आय के संबंध में 275% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है और न्यासधारिता से आय के संबंध में 100% की वृद्धि दर्ज की है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान छह सीपी प्लेसमेंट भी किए हैं।

निवेशयोग्य अधिशेष निधियों को समय पर और युक्तिपूर्ण ढंग से बेहतर प्रतिफल देने वाली लिखतों में निवेश करने से कंपनी की निवेश जनित आय में 16% से अधिक की वृद्धि हुई यद्यपि इस अवधि के दौरान औसत निवेश ₹ 38,93,00,000 से बढ़कर ₹ 41,69,00,000 हो गया अर्थात् लगभग 7%।

DIRECTORS' REPORT

The Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with audited financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2012.

FINANCIAL RESULTS

During the year under review, your company earned profit after tax of ₹ 2,89,63,995 as against ₹ 2,79,50,798 in the previous year. The summary of the financial results is as follows:

(₹ में)/(in ₹)

	31.03.2012	31.03.2011
सकल राजस्व \ Gross Revenue	4,54,93,901	5,79,91,192
कुल व्यय \ Total Expenses	1,03,29,906	1,44,39,506
कर पूर्व लाभ \ Profit Before tax (PBT)	3,51,63,995	4,35,51,686
कर हेतु प्रावधान \ Provision for tax	62,00,000	1,10,00,000
कर पश्चात लाभ \ Profit after tax	2,89,63,995	2,79,50,799

DIVIDEND

Directors do not recommend any dividend for the year ended 31st March, 2012.

OPERATIONS

Indian economy registered slowdown during the financial year 2011-12 largely due to global factors, as also because of domestic factors like tightening of monetary policy, high inflation and slower investment and industrial activities. During 2011-12, GDP was estimated to grow by 6.9 per cent after having grown at 8.4 per cent in the preceding two years. High borrowing costs and increase in other costs adversely affected the profitability and internal accruals of the Industries.

During the financial year 2011-12, with uncertainties in interest rate movements, the activities in the financial as well as money market slowed down drastically. Most of the potential issuers of instruments like NCD & CP as well as institutional investors / subscribers to these instruments adopted the principle of wait and watch approach throughout.

During early part of last quarter of the financial year 2011-12, though activities in the Money Market started showing some improvement, the scenario suddenly changed due to further hardening of interest rate in the month of February, 2012 and tight liquidity position.

As a result, your Company's activities have been confined mostly to TEV study assignments covering various sectors viz automotive components, cotton yarn, kraft paper, packaging, hospitals, food processing, hotels, educational institution, etc. and Trusteeship activities. During the FY 2011-12, your Company registered a growth of over 275% in respect of income from TEV study and over 100% in respect of income from Trusteeship activities as compared to the previous year. Besides, your Company also executed six numbers of CP placement deals during the year.

The Company's Income from Investment increased by over 16% due to timely and judicious deployment of investible surplus funds in instruments carrying better return though, average investment during the period increased from ₹ 38,93,00,000 to ₹ 41,69,00,000 i.e. by around 7%.

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.

AllBank Finance Ltd.

वर्ष के दौरान एमएफ संवितरण से ब्रोकरेज आय ₹ 1,56,43,869/- के पर्याप्त रूप से घटकर ₹ 35,66,886 रह गई। इसका मुख्य कारण है इलाहाबाद बैंक एवं अन्य द्वारा विभिन्न म्यूचुअल फंड में रखे तरल निवेश का उन्मोचन किया जाना।

चालू वर्ष के लिए दृष्टिकोण

आपकी कंपनी बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशक लाकर अपनी व्यवसाय गतिविधियों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में है। नए निदेशकों के पास वित्तीय बाजार एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है जिससे आने वाले समय में आपकी कंपनी को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। आपकी कंपनी नई दिल्ली में एक शाखा खोलने की प्रक्रिया में है। नई दिल्ली कार्यालय में व्यावसायिक व्यक्तियों की स्थापना तथा मुम्बई एवं कोलकाता कार्यालय में अपने मौजूदा कार्यबल को सुदृढ़ करने का कार्य प्रगति पर है। आपकी कंपनी का दृष्टिकोण चालू वित्त वर्ष में अपने विशिष्ट प्रयासों से अपनी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि करने की है जो कि ऋण समूहन, निर्गम प्रबंधन, न्यासी गतिविधियां एवं अन्य शुल्क आधारित सेवाएं यथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन प्रोजेक्ट मूल्यांकन एवं अन्य हैं।

सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन

आपकी कंपनी मर्चेन्ट बैंकिंग और अन्य प्रयोज्य पूंजी बाजार से संबंधित गतिविधियों के संबंध में सेबी द्वारा जारी विभिन्न निदेशों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन कर रही है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (कर्मचारी विवरण), नियम 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के तहत नहीं आता है।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकीय अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं बहिर्गमन

इस शीर्ष के अंतर्गत कंपनी को कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

निदेशकगण

श्री पी.के. गुप्ता, श्री डी. सेनगुप्ता और श्री आर.जी. शर्मा, बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष के दौरान 26 अगस्त 2011से त्यागपत्र दे दिया। श्री प्रसाद अकोलकर, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ भी पांच वर्षों की सेवा अवधि पूरी करने के बाद 18.10.2011 को कंपनी की सेवाओं से निर्मुक्त हो गए। श्री दीपक नारंग, महाप्रबंधक (ऋण) ने भी 01 मार्च 2012 से युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद कंपनी के बोर्ड के निदेशक पद को रिक्त कर दिया। श्री डी. सरकार, कार्यपालक निदेशक ने 01.04.2012 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करने के कारण दिनांक 31.03.2012 से कंपनी के बोर्ड के निदेशक पद को रिक्त कर दिया। बोर्ड ने कम्पनी के निदेशक के रूप में श्री पी.के. गुप्ता, श्री डी. सेनगुप्ता और श्री आर.जी. शर्मा, श्री डी. सरकार, श्री दीपक नारंग एवं श्री प्रसाद अकोलकर द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्रदत्त सेवाओं की सराहना की एवं इसे अभिलेखों में दर्ज किया।

श्री सुबीर दास, श्री विनोद कोठारी एवं श्री एमरॉन सेम्युअल को 10 सितम्बर 2011 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री एस.के. विधानी महाप्रबंधक (ऋण), इलाहाबाद बैंक एवं श्री एम.आर. नायक, कार्यपालक निदेशक, इलाहाबाद बैंक को क्रमशः 24.03.2012 एवं 01.04.2012 को कंपनी के बोर्ड में शामिल किया गया। मूल बैंक अर्थात इलाहाबाद बैंक कंपनी के नए सीईओ/एमडी की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 274(i)(g) के अंतर्गत कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं पाया गया।

Brokerage Income from MF distribution during the year reported significant drop to ₹ 35,66,886 as against ₹ 1,56,43,869 during the corresponding period last year. This is mainly attributed to large scale redemption of investments in various Mutual fund schemes by Allahabad Bank and others.

OUTLOOK FOR THE CURRENT YEAR

Your company is in the process of revamping its business activities with induction of three new Independent Directors in the Board. The new Directors have vast experience in the financial market and other related areas, which will help your company boosting up its business growth in the periods to come. Your company is in the process of opening a Branch office at New Delhi. Placement of professionals at New Delhi office and strengthening of existing work force at Mumbai and Kolkata office are undergoing. Your company would endeavor to achieve significant growth in terms of income from activities viz, Debt Syndication, Trusteeship and other fee based services such as Techno Economic Viability studies, project appraisal and so on.

COMPLIANCE OF SEBI GUIDELINES

Your company has complied with various guidelines, directives, circulars issued by SEBI pertaining to Merchant Banking, Debenture Trusteeship and other applicable capital market related activities.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

None of the employees are covered under section 217 (2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (particulars of Employees) Rules 1975.

COMPANIES (DISCLOSURE OF PARTICULARS IN THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS RULES 1988 CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY, ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGOINGS

The company has nothing to report under this head.

BOARD OF DIRECTORS

Shri P.K. Gupta, Shri D.Sengupta and Shri R.G. Sharma, Independent Directors on the Board resigned during the year w.e.f. 26th August, 2011. Shri Prasad Akolkar, MD & CEO was also relieved from the services of the Company on 18.10.2011 after completion of his term of five years. Shri Deepak Narang, General Manager (Credit), Allahabad Bank vacated his office as Director on the Board of the company on his joining as Executive Director of United Bank of India w.e.f. 1st March, 2012. Shri D Sarkar, Executive Director, Allahabad Bank vacated his office as Director on the Board of the company on 31.03.2012 for his joining as Chairman & Managing Director of Union Bank of India w.e.f. 01.04.2012. The Board placed on record its appreciation for the services rendered by Shri P.K. Gupta, Shri D. Sengupta, Shri R. G. Sharma, Shri D Sarkar, Shri Deepak Narang and Shri Prasad Akolkar during their tenure as Directors of the Company.

Shri Subir Das, Shri Vinod Kothari and Shri Emron Samuel were appointed as Independent Directors of the Company w.e.f. 10th September, 2011. Shri S.K. Widhani, General Manager (Credit), Allahabad Bank and Shri M R Nayak, Executive Director, Allahabad Bank were inducted on the Board of the Company as Director w.e.f. 24th March, 2012 and 1st April, 2012 respectively. The Parent Bank viz, Allahabad Bank is in the process of appointing new CEO / MD of the Company.

None of the Directors of the Company has been disqualified under section 274(i) (g) of the Companies Act, 1956.

कारपोरेट गवर्नेन्स

CORPORATE GOVERNANCE

(क) बोर्ड बैठकें

(a) Board Meetings:

वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड की छह(6) बैठकें हुईं और जिनमें बोर्ड के सदस्यों ने निम्नानुसार भाग लिया

During the year 2011-12, six (6) Board meetings were held and attendance of the Board Members was as under:

निदेशक / Director	बैठकों की संख्या No. of meetings	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री जे.पी. दूआ / Shri J. P. Dua	6	6
श्री डी. सरकार / Shri D. Sarkar	6	6
श्री श्री ए.बी. भट्टाचार्य / Shri A. B. Bhattacharjee	6	6
श्री डी. नारंग (01.03.2012 को त्यागपत्र)	5	4
Shri D. Narang (Resigned w.e.f. 01.03.2012)		
श्री एस.के. विधानी (24.03.2012 से नियुक्त)	1	1
Shri S.K. Widhani (Appointed w.e.f. 24.03.2012)		
श्री प्रसाद अकोलकर (01.03.2012 को सेवानिवृत्त)	4	4
Shri Prasad Akolkar (Resigned w.e.f. 01.03.2012)		
श्री पी.के. गुप्ता (26.08.2011 को त्यागपत्र)	2	2
Shri P. K. Gupta (Resigned w.e.f. 26.08.2011)		
श्री डी. सेनगुप्ता (26.08.2011 को त्यागपत्र)	2	1
Shri D. Sengupta (Resigned w.e.f. 26.08.2011)		
श्री आर. जी. शर्मा (26.08.2011 को त्यागपत्र)	2	2
Shri R. G. Sharma (Resigned w.e.f. 26.08.2011)		
श्री सुबीर दास (10.09.2011 से नियुक्त)	2	2
Shri Subir Das (Appointed w.e.f. 10.09.2011)		
श्री विनोद कोठारी (10.09.2011 से नियुक्त)	2	1
Shri Vinod Kothari (Appointed w.e.f. 10.09.2011)		
श्री एमरॉन सेम्युअल (10.09.2011 से नियुक्त)	2	2
Shri Emron Samuel (Appointed w.e.f. 10.09.2011)		

(ख) लेखा समिति :

(b) Audit Committee :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के गठन में श्री पी. के. गुप्ता अध्यक्ष, एवं श्री आर. जी. शर्मा तथा श्री ए. बी. भट्टाचार्य सदस्य थे। श्री पी.के. गुप्ता व श्री आर.जी. शर्मा द्वारा 26 अगस्त 2011 से त्यागपत्र दिए जाने के परिणामस्वरूप श्री सुबीर दास को अध्यक्ष एवं श्री एमरॉन सेम्युअल व श्री डी. सरकार को सदस्य के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया। लेखा समिति का कार्यक्षेत्र कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292-ए के अंतर्गत है।

The Audit Committee of the members of the Board was constituted comprising of Shri P.K. Gupta as Chairman, Shri R.G. Sharma & Shri A.B. Bhattacharjee as Members. Pursuant to the resignation by Shri P.K. Gupta and Shri R.G. Sharma with effect from 26th August, 2011, the Board of Directors re-constituted the Audit Committee by appointing Shri Subir Das as Chairman and Shri Emron Samuel & Shri D. Sarkar as Members. The scope of Audit Committee is as per Section 292A of the Companies Act, 1956.

वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार(4) बैठकें आयोजित की गईं जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार थी :

During the year 2011-12, four (4) Audit Committee Meetings were held and attendance by Audit Committee members was as under:

निदेशक / Director	बैठकों की संख्या No. of meetings	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री पी.के. गुप्ता (26.08.2011 को त्यागपत्र)	2	2
Shri P.K. Gupta (Resigned w.e.f. 26.08.2011)		
श्री आर. जी. शर्मा (26.08.2011 को त्यागपत्र)	2	2
Shri R.G. Sharma (Resigned w.e.f. 26.08.2011)		
श्री ए.बी. भट्टाचार्य (समिति का पुनर्गठन होने के कारण 13.12.2011 से सदस्यता समाप्त)	2	1
Shri A.B. Bhattacharjee (Ceased to be Member w.e.f. 13.12.2011 due to re-constitution of the Committee)		
श्री सुबीर दास (13.12.2011 से नियुक्त)	2	2
Shri Subir Das (Appointed w.e.f. 13.12.2011)		
श्री एमरॉन सेम्युअल (13.12.2011 से नियुक्त)	2	2
Shri Emron Samuel (Appointed w.e.f. 13.12.2011)		
श्री डी. सरकार (13.12.2011 से नियुक्त)	2	2
Shri D. Sarkar (Appointed w.e.f. 13.12.2011)		

निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2AA) की अपेक्षानुसार निदेशक दायित्व विवरण के संबंध में एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

- क) 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में विचलन संबंधी समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है
- ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं इन्हें सुसंगत रूप में लागू किया है एवं निर्णय व प्राक्कलन किए हैं जो युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं समीक्षाधीन वर्ष हेतु कंपनी की सही एवं निष्पक्ष झलक एवं इस अवधि के दौरान आपकी कंपनी के लाभ अथवा हानि की स्थिति प्रस्तुत की जा सके।
- ग) निदेशकों ने धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए तथा कंपनी की आस्तियों को सुरक्षित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रखरखाव हेतु समुचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।
- घ) निदेशकों ने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु और सतत प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं।

लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के उपबंध कंपनी पर लागू होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने वर्ष 2011-12 हेतु मैसर्स डे. एंड बोस, सनदी लेखाकार कोलकाता को लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा कोई विनिर्दिष्ट टिप्पणी नहीं की गई।

सामान्य

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन हेतु उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के बैंकर अर्थात् इलाहाबाद बैंक से समय-समय पर प्राप्त सहायता समर्थन एवं मार्गदर्शन हेतु इसके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान एवं किए गए प्रयासों हेतु उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

(ए.बी. भट्टाचार्य)
निदेशक

(जे.पी. दूआ)
अध्यक्ष

(A.B. Bhattacharjee)
Director

(J. P. Dua)
Chairman

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement under Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed that:

- a) In the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2012, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to departures.
- b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for the year under review.
- c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d) The Directors had prepared the accounts for the financial year ended 31st March 2012 on a going concern basis.

AUDITORS

The provisions of Section 619(2) of the Companies Act, 1956 being applicable to the Company, the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi had appointed M/s. De & Bose, Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for the year 2011-12.

MANAGEMENT'S REPLY TO THE AUDITORS' REPORT

The Auditors made no specific qualification during the course of their audit.

GENERAL

Your Directors wish to place on record their gratitude to the Comptroller and Auditor General of India for their valuable guidance.

Your Directors also wish to place on record their sincere thanks to the Bankers viz, Allahabad Bank for their assistance, support and guidance from time to time and also thankfully acknowledge contributions made and efforts put in by company's employees.

For on and behalf of the Board of Directors

ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2012 को तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2012

	नोट/Note	यथास्थिति/As at 31 st March, 2012		यथास्थिति/As at 31 st March, 2011	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
इक्विटी और देयताएं / EQUITY AND LIABILITIES					
1. शेयरधारकों की निधियां / Shareholders' Funds					
(a) शेयर पूंजी / Share Capital	2.1	150,000,000		150,000,000	
(b) प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves and Surplus	2.2	<u>352,598,566</u>	502,598,566	<u>323,634,571</u>	473,634,571
2. नॉन-करेंट देयताएं/ Non-Current Liabilities					
दीर्घावधि प्रावधान / Long-term Provisions	2.3		17,010,629		17,250,776
3. चालू देयताएं / Current Liabilities					
(a) व्यापार संदेय / Trade Payables		532,098		285,833	
(b) अन्य चालू देयताएं / Other Current Liabilities		8,638,816		7,352,345	
(c) अल्पावधि प्रावधान / Short-term Provisions	2.4	<u>48,526,071</u>	<u>57,696,985</u>	<u>42,460,461</u>	<u>50,098,639</u>
			<u>577,306,180</u>		<u>540,983,986</u>
आस्तियां / ASSETS					
1. नॉन-करेंट आस्तियां / Non-current Assets					
(a) स्थिर आस्तियां/ Fixed Assets	2.5				
i) मूर्त आस्तियां/ Tangible Assets		17,359,911		17,573,397	
ii) आस्तियां/ Intangible Assets		22,133		24,400	
iii) पूर्ण कार्य प्रगति पर/Capital Work-in-progress		<u>84,134</u>	17,466,178	<u>-</u>	17,597,797
(b) निवेश/Investments	2.6		261,616,414		234,153,665
(c) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम Long-term Loans and Advances	2.7	<u>852,949</u>	<u>279,935,541</u>	<u>984,865</u>	<u>252,736,327</u>
2. चालू आस्तियां/Current Assets					
(a) निवेश/Investments	2.8		89,471,243		114,633,041
(b) व्यापार से प्राप्य राशि/Trade Receivables	2.9		607,669		57,632
(c) नकदी और नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents	2.10		92,018,890		53,322,369
(d) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम Short-term loans and advances	2.11		108,218,365		102,692,283
(e) अन्य चालू आस्तियां Other Current Assets	2.12	<u>7,054,472</u>	<u>297,370,639</u>	<u>17,542,334</u>	<u>288,247,659</u>
			<u>577,306,180</u>		<u>540,983,986</u>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS	1&2				

उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलनपत्र का अभिन्न अंग हैं
The Notes referred to above form an integral part of Balance Sheet.
यह तुलन-पत्र सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित है
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

कृते डे एंड बोस
For De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
सुब्रत डे / Subrata De
पार्टनर / Partner

जे.पी. दूआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

सुबीर दास / Subir Das
निदेशक / Director

सदस्यता संख्या / Membership No.54962
फर्म पंजीकरण संख्या / Firm Registration No. 302175E

एम.आर.नायक/ M. R. Nayak
निदेशक/ Director

ए. बी. भट्टाचार्य / A. B. Bhattacharjee
निदेशक / Director

स्थान : कोलकाता / Place: Kolkata
दिनांक / Date: 28.4.2012

श्रेया शाह / Shreya Shah
कंपनी सचिव / Company Secretary

ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
Statement of Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2012

	सूची Note	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 (₹)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 (₹)
परिचालन से राजस्व /			
Revenue from Operations	2.13	11,083,498	26,427,013
अन्य आय / Other Income	2.14	34,410,403	31,564,179
कुल राजस्व / TOTAL REVENUE		45,493,901	57,991,192
खर्च / Expenses :			
कर्मचारी लाभ खर्च / Employee Benefits Expenses	2.15	5,005,610	4,917,491
अन्य खर्च / Other Expenses	2.16	5,098,743	9,326,190
मूल्यहास / Depreciation	2.5	225,553	195,826
कुल खर्च / TOTAL EXPENSES		10,329,906	14,439,507
अपवादात्मक एवं असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ /			
Profit before exceptional and extraordinary items and tax		35,163,995	43,551,685
अपवादात्मक मदें / Exceptional items		-	-
असाधारण मद एवं कर से पूर्व लाभ /			
Profit before extraordinary items and tax		35,163,995	43,551,685
अपवादात्मक मदें / Extraordinary items		-	-
कराधान से पूर्व लाभ/ Profit before Taxation		35,163,995	43,551,685
कर संबंधी खर्च / Tax Expense :			
वर्तमान कर / Current Tax		6,200,000	11,000,000
पूर्व वर्ष / Earlier Years		-	4,600,887
सतत परिचालनों से अवधि हेतु लाभ		28,963,995	27,950,798
Profit for the period from continuing operations		28,963,995	27,950,798
असतत परिचालनों से लाभ		-	-
Profit from discontinuing operations		-	-
असतत परिचालनों में कर संबंधी खर्च		-	-
Tax Expense of discontinuing operations		-	-
कर पश्चात् असतत परिचालनों से लाभ		-	-
Profit from discontinuing operations after tax		-	-
अवधि हेतु लाभ / Profit for the period		28,963,995	27,950,798
प्रति शेयर अर्जन [अंकित मूल्य प्रत्येक ₹ 100/-]			
Earnings per Share [Face Value ₹ 100/- each]			
प्रति शेयर मूल और डायल्यूटेड अर्जन [नोट 2.20 का संदर्भ लें]			
Basic and Diluted Earnings per Share [Refer to Note 2.20]		19.31	18.63

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIE
AND NOTES ON ACCOUNTS

1 & 2

उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलनपत्र का अभिन्न अंग हैं
The Notes referred to above form an integral part of Balance Sheet.
यह तुलन-पत्र सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित है
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

कृते डे एंड बोस
For De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

जे.पी. दूआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

सुबीर दास / Subir Das
निदेशक / Director

सुब्रत डे / Subrata De
पार्टनर / Partner

एम.आर.नायक/ M. R. Nayak
निदेशक/ Director

ए. बी. भट्टाचार्य / A. B. Bhattacharjee
निदेशक / Director

सदस्यता संख्या / Membership No. 054962
फर्म पंजीकरण संख्या / Firm Registration No. 302175E

श्रेया शाह / Shreya Shah
कंपनी सचिव / Company Secretary

स्थान : कोलकाता / Place: Kolkata
दिनांक / Date: 28.4.2012

ऑलबैंक फाइनेंस लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31 st March, 2012

	2011-12 (₹)	2010-11 (₹)
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit before Tax	35,163,995	43,551,685
समायोजन / Adjusted for :		
मूल्यहास / Depreciation	225,553	195,826
ब्याज आय / Interest Income	(24,447,420)	(23,872,813)
लाभांश आय-म्युचुअल फंड / Dividend Income - Mutual Fund	(2,142,797)	(5,364,971)
लाभांश आय-शेयर / Dividend Income - Shares	(31,025)	(28,650)
एनपीए हेतु प्रावधान अब अपेक्षित नहीं / Provision for NPA no longer required	-	(1,681,929)
व्यय हेतु प्रावधान अब अपेक्षित नहीं / Provision for Expenses no longer required	-	(76,988)
निवेश में अल्पहास हेतु प्रावधान अब अपेक्षित नहीं / Provision for Diminution in Investment no longer required	(249)	-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad Debt written off	-	8,654
निवेश के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of Investments	(7,625,094)	(153,863)
स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of Fixed Assets	-	
निवेश के मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान Provision for Diminution in value of Investments	537,500	(2,880)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	1,680,463	12,574,071
हेतु समायोजन : Adjusted for :		
ट्रेड और अन्य प्राप्य राशियाँ / Trade and Other Receivables	(1,000,556)	8,580,137
ऋण एवं अग्रिम / Loans and Advances	133,697	1,799,242
ट्रेड एवं अन्य देय राशियाँ / Trade and Other Payables	1,158,199	291,340
परिचालन से अर्जित नकदी / Cash generated from Operations	1,971,803	24,022,700
भुगतान किया गया कर / Tax paid	5,527,861	33,970,816
संचालन की गतिविधियों से (प्रयुक्त) निवल नकदी Net Cash (used in) from Operating Activities	(3,556,058)	(9,948,116)

स्थिर आस्तियों की खरीद / Purchase of Fixed Assets	2011-12	(₹)	2010-11	(₹)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
स्थिर आस्तियों की खरीद / Purchase of Fixed Assets	(9,800)		(71,098)	
स्थिर आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आगम Proceeds from Sale of Fixed Assets			5,500	
पूंजी कार्य प्रगति पर/ Capital - work - in - progress	(84,134)			
म्यूचुअल फंड में निवेश से प्राप्त आगम (निवल) Proceeds from Investments of Mutual Fund (Net)	4,786,890		5,607,983	
बैंक के सावधि जमा में निवेश (निवल) Investment in Fixed Deposit with Bank (Net)	(41,664,815)		-	
अपरिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश Investment in Non-Convertible Debentures			(20,000,000)	
ब्याज आय / Interest Income	35,385,801		16,170,004	
लाभांश आय- शेयर / Dividend Income - Shares	31,025		28,650	
लाभांश आय- म्यूचुअल फंड / Dividend Income - Mutual Funds	2,142,797		5,364,971	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी Net Cash from Investing Activities		587,764		7,106,010
ग वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी				
Net Cash from Financing Activities				
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल (कमी) Net (Decrease) in Cash and Cash Equivalents				
		(2,968,294)		(2,842,106)
नकदी और नकदी समतुल्य (अथ शेष) Cash and Cash Equivalents (Opening Balance)		3,322,369		6,164,475
नकदी और नकदी समतुल्य (इति शेष) Cash and Cash Equivalents (Closing Balance)		354,075		3,322,369
नोट/Note :				
1. नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल हैं :				
Cash and Cash Equivalents comprise :				
रोकड़ शेष / Cash in hand		1,823		5,349
अनुसूची बैंको में बैंक शेष : Bank Balance with Schedule Banks :				
चालू खाता / in Current Account		352,252		3,317,020
		354,075		3,322,369

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

कृते डे एंड बोस
For De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
सुब्रत डे / Subrata De
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No. 54962
फर्म पंजीकरण संख्या / Firm Registration No. 302175E

स्थान : कोलकाता / Place: Kolkata
दिनांक / Date: 28.4.2012

जे.पी. दुआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

एम.आर. नायक / M. R. Nayak
निदेशक / Director

सुबीर दास / Subir Das
निदेशक / Director

ए. बी. भट्टाचार्य / A. B. Bhattacharjee
निदेशक / Director

श्रेया शाह / Shreya Shah
कंपनी सचिव / Company Secretary

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का अधार

वित्तीय विवरण स्वीकार्य लेखा मानकों और कम्पनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और परंपरागत लागत परिपाटियों पर आधारित है। लेखा नीतियां, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, अनुकूल हैं और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं। देय और प्राप्य सीमा तक माने गए सभी व्यय और आय का लेखा, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उपचित आधार पर किया गया है।

1.2 प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु ऐसे प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो ऐसे अनुमान और प्राक्कलन करते हैं जो रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम को प्रभावित करते हैं और तुलन पत्र की तारीख को आकस्मिक देयताओं तथा आस्तियों और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि से संबंधित प्रकटीकरण हैं।

आकस्मिकताओं को तब दर्ज किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि देयता उपगत होगी और उस राशि का समुचित प्राक्कलन किया जा सकता है। जिस वर्ष परिणाम ज्ञात/मूर्त होते हैं उस वर्ष वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के अंतर को अभिज्ञात किया जाता है।

1.3 राजस्व अभिज्ञान

(i) पट्टा वित्तपोषण:

1.4.2001 को या इसके पश्चात प्रारंभ लेखा अवधि के दौरान समस्त पट्टे की आस्तियों के संबंध में प्रभाव में आई लीज पर लेखा मानक 19 (एएस-19) लागू है। चूंकि कंपनी ने 1.4.2001 को अथवा इसके पश्चात कोई लीज संस्वीकृत नहीं की अतः एएस-19 कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

लीज करार के अनुसार देय तिथि को लीज किराए पर विचार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विवेकसम्मत मानदंडों के अंतर्गत जहाँ लीज आस्तियां अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में वर्गीकृत हों वहाँ लीज किराए पर विचार नहीं किया गया।

तथापि कंपनी ने स्वयं को वर्ष 2005 में श्रेणी-1 मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकृत किया है तथा चूंकि कंपनी अब कोई एचपी एवं लीजिंग कारोबार नहीं कर रही है, अतएव उसने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में अपना लाइसेंस वापस कर दिया है।

(ii) ब्याज आय का अभिज्ञान बकाया राशि तथा प्रयोज्य दर के आधार पर वसूली योग्य मानी जाने वाली रकम की सीमा तक समय अनुपात आधार पर किया जाता है।

(iii) लाभांश आय को तब अभिज्ञात किया जाता है जब इसकी प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

1.4 अचल आस्तियां

कंपनी द्वारा स्थापना पर किए गए व्यय सहित अचल आस्तियों का पूंजीकरण लागत पर होता है।

1.5 पट्टे पर ली गई आस्तियां

क्रय की गई एवं पट्टे पर दी गई आस्तियों का पूंजीकरण स्थापना लागत एवं स्थापना व्यय पर किया गया है।

Significant Accounting Policies:

1.1 Basis of preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards and relevant provisions of the Companies act, 1956 and are based on the historical cost conventions. Accounting policies unless specifically stated to be otherwise, are consistent and are in consonance with generally accepted accounting principles. All expenses and income to the extent considered payable and receivable, unless stated otherwise, have been accounted for on accrual basis.

1.2 Use of Estimates

The preparation of financial statements require management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities and assets as at the Balance Sheet date and the reported amounts of income and expenses during the year.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognized in the year in which the results are known / materialized.

1.3 Revenue Recognition

(i) Lease Finance

The Accounting Standard 19 (AS-19) on Leases came into effect in respect of all assets leased during accounting periods commencing on or after 1.4.2001. Since the Company has not sanctioned any lease on or after 1.4.2001, the AS-19 is not applicable to the Company.

Lease Rentals are not considered where Leased Assets have been classified as Non- Performing Assets (NPA) under the Prudential Norms announced by Reserve Bank of India.

However, the Company had registered itself as a Category I Merchant Banker in the year 2005 and had surrendered NBFC license since it discontinued HP and Leasing business.

(ii) Interest income is recognized on a time proportion basis depending upon the amount outstanding and the rate applicable and to the extent considered realizable.

(iii) Income on account of dividend is recognized when the right to receive is established.

1.4 Fixed Assets

Fixed Assets are capitalized at cost inclusive of installation expenses as incurred by the Company.

1.5 Leased Assets

Assets purchased and given on lease are capitalized on installation at cost and installation expenses.

1.6 मूल्यहास

- (i) लीज पर दी गई आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियां :

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

अमूर्त आस्तियों को पांच वर्षों की अवधि में अथवा यदि उपयोगी अवधि पांच वर्ष से कम हो तो अपेक्षाकृत कम अवधि में सीधी रेखा प्रणाली से परिशोधित किया जाता है।

- (ii) पट्टे पर दी गई आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'एकाउंटिंग फॉर लीजिंग' पर गाइडेन्स नोट के अनुसार लीज पर दी गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा प्रणाली पर समस्त आस्तियों (पट्टे पर दी गई उन आस्तियों को मिलाकर जिन्हें अनुपयोज्य राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है) पर सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

1.7 निवेश

दीर्घ अवधि के निवेश का लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। वर्ष की समाप्ति पर निवेश के मूल्य में हास हेतु प्रावधान ऐसे निवेश के मूल्य में कमी होने पर किया जाता है।

वर्तमान निवेश का मूल्यांकन न्यूनतर लागत एवं बाजार मूल्य पर किया जाता है।

जहां निवेश सूचीबद्ध कर लिया गया हो परंतु रद्द कर दिया गया हो और बाजार कोटेशन उपलब्ध न हो तथा निवेश को सूची से निकाल दिया गया हो, ऐसे मामले में निवेश का मूल्य ₹ 1 प्रति कंपनी लिया जाएगा।

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेन-देन संबंधी अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय, मुंबई के आदेश के अनुसरण में मे० वी.बी. देसाई खाता के निपटान से अर्जित शेयरों के मामले में इस प्रकार अर्जित शेयरों की लागत को ऐसे निर्णय से पूर्व मे० वी.बी. देसाई से बकाया निवल राशि पर लिया गया है। इस निवेश को दीर्घकालिक निवेश माना गया है।

1.8 विवेकपूर्ण मानदंड

यद्यपि कंपनी किराया-खरीद एवं लीजिंग व्यवसाय नहीं करती, फिर भी जहां-कहीं प्रयोज्य हो आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावपगन हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु विवेकपूर्ण मानदंड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

1.9 विविध देनदार :

देय/प्राप्य राशि लेकिन जिसे लीज, किराया खरीद, तृतीय पक्ष आदि के कारण वर्ष की समाप्ति पर अभी प्राप्त होना है, को विविध देनदार खाते में नामे डालते हुए संबंधित आय/आस्ति खातों में जमा करना है।

1.10 अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान :

किराया खरीद, लीज आदि से 12 माह से अधिक किस्तें देय होने के मामले में और अंतर कारपोरेट जमा से 6 माहों से अधिक अवधि हेतु ब्याज देय रहता है तो आस्ति अनुपयोज्य मानी जाएगी और खातों में कोई आय नहीं मानी जाएगी।

1.6 Depreciation

- (i) Assets other than given on Lease:

Depreciation is provided under Straight Line Method at the rates and in the manner as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

Intangible Assets are amortised over a period of five years or in lesser period if useful life is lower than five years on straight line basis.

- (ii) Assets given on Lease:

Depreciation on Leased Assets is provided as per the Guidance Note on 'Accounting for Leases' issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Depreciation on all the fixed assets (excluding Leased Assets classified as Non Performing Assets) has been provided on straight line method at the rates prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

1.7 Investment

Long Term Investments are valued at cost. Provision for diminution in value of investment is made for decrease in value of such investments if permanent in nature as at the end of the year.

Current Investments are valued at the lower of cost and market value.

In cases where Investments are listed but suspended and market quotations are not available and where investments are delisted, the value of the investment has been taken at ₹ 1/- per Company.

In the case of shares acquired in settlement of M/s V B Desai A/c pursuant to the Order of The Special Court, Mumbai, constituted under The Special Courts (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Act, 1992, the cost of acquisition of the Shares so acquired have been taken at the net amount due from M/s V B Desai, prior to such ruling. This investment has been considered as Long Term Investment.

1.8 Prudential Norms

Although the Company is not doing Hire Purchase and Leasing business yet the Directions issued by the Reserve Bank of India regarding prudential norms for Non-Banking Financial Companies for income recognition, asset classification and provisions have been followed, wherever found applicable.

1.9 Sundry Debtors

Amount due/ receivable but yet to be received at the end of the year on account of Lease, Hire Purchase, third parties etc. are debited to Sundry Debtors Account and credited to respective income/ assets account.

1.10 Provision for Non Performing Assets

In case of Installments due for more than 12 months from Hire Purchase, Lease, etc and in case of interest remained due for more than 6 months from Inter Corporate Deposit, the asset is treated as Non Performing Assets and no income is considered in the accounts.

लाभ एवं हानि खाते के नामे डालकर अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान किया जाता है।

1.11 आस्तियों का क्षरित होना

किसी आस्ति को तब क्षरित माना जाता है जब उस आस्ति को रखने की लागत वसूली योग्य मूल से अधिक हो जाती है। जिस वर्ष आस्ति को क्षरित के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है उस वर्ष क्षरित हानि को लाभ एवं हानि लेखा से प्रभारित किया जाता है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि में परिवर्तन हो गया हो तो पूर्व लेखा वर्ष अवधि में अभिज्ञात क्षरित हानि को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

1.12 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्ष में उपचित होते हैं। निर्धारित अंशदान योजनाओं यथा भविष्य निधि में अंशदान का अभिज्ञान अंशदान देने पर किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घ कालिक कर्मचारी लाभ बीमाकिक तकनीक का प्रयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित किया जाता है।

1.13 आय पर कर

वर्तमान और आस्थगित कर दोनों हेतु कर का प्रावधान किया जाता है। चालू कर का प्रावधान प्रयोज्य कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करते हुए कर योग्य आय पर किया जाता है। समय में अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं, जिन्हें परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, का अभिज्ञान अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। आस्थगित कर को तब तक अभिज्ञात नहीं किया जाता जब तक भावी वर्षों में इसके प्रत्यावर्तन के संबंध में पर्याप्त आश्वासन न हो।

1.14 प्रावधान, आकस्मिकताएं और आकस्मिक आस्तियां

मापन में पर्याप्त रूप से किए गए प्राक्कलन वाले प्रावधानों को तब अभिज्ञात किया जाता है जब पिछली किसी घटना के लिए वर्तमान में देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा तथा देयता की राशि के संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो अभिज्ञात किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और उन्हें टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है।

Provision for a Non-Performing Asset is made by debiting Profit & Loss Account.

1.11 Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to profit and loss account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

1.12 Employee Benefits

Employee benefits accrued in the year are for services rendered by the employees. Contribution to defined contribution schemes such as Provident fund is recognized as and when incurred.

Long term employee benefits under defined benefits scheme such as gratuity and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial techniques.

1.13 Taxes on Income

Provision for tax is made for both current and deferred tax. Current Tax is provided on the taxable income using the applicable tax rates and tax laws. Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing difference which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using tax rates and tax laws which have been enacted or substantively enacted. Deferred tax are not recognized unless there is sufficient assurance with respect to the reversal of the same in the future years.

1.14 Provisions, Contingencies and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statement. Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

नोट/NOTE 2

लेखा टिप्पणियां/Notes on Accounts:

2.1: शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

(Figures in ₹)

विवरण / Particulars	यथास्थिति/As at 31.03.2012		यथास्थिति/As at 31.03.2011	
	संख्या/Number	राशि/Amount	संख्या/Number	राशि/Amount
प्राधिकृत पूंजी / Authorized Capital				
100/- ₹ प्रत्येक के इक्विटी शेयर Equity Shares of ₹100/- each	1,500,000	150,000,000	1,500,000	150,000,000
	1,500,000	150,000,000	1,500,000	150,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं संदत्त Issued, Subscribed and Paid-up Capital				
वर्ष के आरंभ में 100/- ₹ प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर Equity Shares of ₹100/- each fully paid up At the commencement of the year	1,500,000	150,000,000	1,500,000	150,000,000
जोड़ें/(घटाएं) वर्ष के दौरान परिवर्तन Add / (Less) : Changes during the year	-	-	-	-
वर्ष के अंत में / At the end of the year	1,500,000	150,000,000	1,500,000	150,000,000

कंपनी में इसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा रखे गए शेयरों का प्रकटीकरण
Disclosure of shares in the Company held by its holding company

विवरण / Particulars	यथास्थिति/As at 31.03.2012		यथास्थिति/As at 31.03.2011	
	संख्या/Number	राशि/Amount	संख्या/Number	राशि/Amount
होल्डिंग कंपनी का नाम इलाहाबाद बैंक Name of the Holding Company				
इलाहाबाद बैंक/Allahabad Bank	1,499,994	149,999,400	1,499,994	149,999,400

कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयरधारक

द्वारा धारित शेयरों से संबंधित विवरण

Details in respect of shares in the Company held by each
Shareholder holding more than 5% shares:

विवरण / Particulars	यथास्थिति/As at 31.03.2012		यथास्थिति/As at 31.03.2011	
	शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी के शेयरों की सं Number of shares of the Company held by the shareholder	धारण % holding	शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी के शेयरों की सं Number of shares of the Company held by the shareholder	% holding
इलाहाबाद बैंक Allahabad Bank	1,499,994	99.99	1,499,994	99.99

2.2: प्रारक्षितियां एवं अधिशेष/RESERVES AND SURPLUS

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31.03.2012		यथास्थिति/As at 31.03.2011	
	राशि /Amount	राशि /Amount	राशि /Amount	राशि /Amount
सामान्य प्राक्षितियां /General Reserve				
वर्ष के प्रारंभ में/At the commencement of the year	853,411		1,060,253	
जोड़े/(घटाएं)वर्ष के दौरान लेखा मानक 15 के अंतर्गत परिवर्तनीय प्रावधानों के कारण परिवर्तन				
Add / (Less) : Changes on account of transitional provisions under Accounting Standard – 15 during the year	-		(206,842)	
वर्ष के अंत में /At the end of the year		853,411		853,411
वर्ष के आरंभ में लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार अधिशेष				
Surplus as per Statement of Profit and Loss				
At the commencement of the year	322,781,160		294,830,362	
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्तन				
Add / (Less) : Changes during the year	28,963,995		27,950,798	
वर्ष के अंत में /At the end of the year		351,745,155		322,781,160
कुल/TOTAL		351,745,155		323,634,571

2.3: दीर्घावधि प्रावधान/LONG TERM PROVISIONS

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31.03.2012	यथास्थिति/As at 31.03.2011
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान/Provision for Employee Benefits -		
ग्रेच्युटी/Gratuity	358,495	401,194
अवकाश नकदीकरण/Leave Encashment	112,438	309,886
अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provision for Non Performing Assets	16,478,865	16,478,865
प्रतिभूति जमा/Security Deposit	60,831	60,831
कुल/TOTAL	17,010,629	17,250,776

2.4: अल्पावधि प्रावधान/ SHORT TERM PROVISIONS

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31.03.2012	यथास्थिति/As at 31.03.2011
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान/Provision for Employee Benefits -		
ग्रेच्युटी/Gratuity	9,627	127,358
अवकाश नकदीकरण/Leave Encashment	11,582	28,241
आयकर हेतु प्रावधान/Provision for Income Tax	48,453,862	42,253,862
अनुषंगी लाभ कर हेतु प्रावधान/ Provision for Fringe Benefit Tax	51,000	51,000
कुल/TOTAL	48,526,071	42,460,461

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

नोट/Note 2.5

स्थिर आस्तियां / Fixed Assets

स्थिर आस्तियों का विवरण/Details of Fixed Assets

यथास्थिति 31 मार्च, 2012 को (a) As at 31st March, 2012

विवरण / Particulars	सकल धारित राशि/GROSS CARRYING AMOUNT (A)				मूल्यहास/DEPRECIATION (B)				निवल धारित राशि NET CARRYING AMOUNT (A-B)	
	शेष यथास्थिति 31.03.2011 Balance As on 31.03.2011	परिवर्धन Addition	निरस्तारण/ समायोजन Disposal / Adjustment	शेष यथास्थिति 31.03.2012 Balance as on 31.03.2012	शेष यथास्थिति 31.03.2011 Balance as on 31.03.2011	परिवर्धन Addition	निरस्तारण/ समायोजन Disposal / Adjustment	शेष यथास्थिति 31.03.2012 Balance as on 31.03.2012	शेष यथास्थिति 31.03.2012 Balance as on 31.03.2012	शेष यथास्थिति 31.03.2011 Balance as on 31.03.2011
मूर्त आस्तियां Tangible Assets - क. लीज के अतिरिक्त अन्य आस्तियां										
A.Assets other than on Lease										
फर्नीचर एवं फिक्स्चर Furniture and Fixtures	485,240	-	-	485,240	286,726	54,895	-	341,621	143,619	198,514
कार्यालय उपकरण Office Equipments	1,322,528	-	-	1,322,528	996,274	102,062	-	1,098,336	224,192	326,254
मोटर वाहन Motor Vehicles	595,043	-	-	595,043	86,110	56,529	-	142,639	452,404	508,933
ख. लीज पर प्रदत्त आस्तियां B. Assets given on Lease										
संयंत्र एवं मशीनरी Plant and Machinery	2,402,811	-	-	2,402,811	1,369,110	213,486	-	1,582,596	820,215	1,033,701
फर्नीचर एवं फिक्स्चर Furniture and Fixtures	30,346,679	-	-	30,346,679	28,103,899	-	-	28,103,899	2,242,780	2,242,780
कार्यालय उपकरण Office Equipments	609,308	-	-	609,308	574,310	-	-	574,310	34,998	34,998
मोटर वाहन Motor Vehicles	17,295,894	-	-	17,295,894	3,033,976	-	-	3,033,976	14,261,918	14,261,918
	213,235	-	-	213,235	213,235	-	-	213,235	-	-
	48,465,116	-	-	48,465,116	31,925,420	-	-	31,925,420	16,539,696	16,539,696
(A + B)	50,867,927	-	-	50,867,927	33,294,530	213,486	-	33,508,016	17,359,911	17,573,397
अमूर्त आस्तियां Intangible Assets -										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर Computer Software	42,000	9,800	-	51,800	17,600	12,067	-	29,667	22,133	24,400
	42,000	9,800	-	51,800	17,600	12,067	-	29,667	22,133	24,400
पूजी संबंधी कार्य प्रगति पर Capital Work-in-progress										
	-	84,134	-	84,134	-	-	-	-	84,134	-
	-	84,134	-	84,134	-	-	-	-	84,134	-
कुल / TOTAL	50,909,927	93,934	-	51,003,861	33,312,130	225,553	-	33,537,683	17,466,178	17,597,797

Schedules Forming Part of the Accounts

(b) As at 31st March 2011

(रु. में) / (In ₹)

विवरण / Particulars	सकल धारित राशि/GROSS CARRYING AMOUNT (A)				मूल्यहास/DEPRECIATION (B)				निवल धारित राशि NET CARRYING AMOUNT (A-B)		
	शेष यथास्थिति 31.03.2010 राशि Balance As on 31.03.2010	परिवर्धन Addition	निस्तारण / समायोजन Disposal / Adjustment	यथास्थिति 31.03.2011 राशि Balance as on 31.03.2011	शेष यथास्थिति 31.03.2010 राशि Balance as on 31.03.2010	परिवर्धन Addition	निस्तारण / समायोजन Disposal / Adjustment	यथास्थिति 31.03.2010 राशि Balance as on 31.03.2010	यथास्थिति 31.03.2011 राशि Balance as on 31.03.2011	यथास्थिति 31.03.2010 राशि Balance as on 31.03.2010	यथास्थिति 31.03.2011 राशि Balance as on 31.03.2011
मूर्त आस्तियां/Tangible Assets-											
क. लीज के अतिरिक्त अन्य आस्तियां											
A.Assets other than on Lease											
फर्नीचर एवं फिक्चर Furniture and Fixtures	480,785	4,455	-	485,240	262,412	24,314	-	286,726	198,514	218,373	218,373
कार्यालय उपकरण Office Equipments	1,593,556	66,643	337,671	1,322,528	1,225,142	106,183	335,051	996,274	326,254	368,414	368,414
मोटर वाहन Motor Vehicles	595,043	-	-	595,043	29,581	56,529	-	86,110	508,933	565,462	565,462
ख. लीज पर प्रदत्त आस्तियां B. Assets given on Lease											
संयंत्र एवं मशीनरी Plant and Machinery	30,346,679	-	-	30,346,679	28,103,899	-	-	28,103,899	2,242,780	2,242,780	2,242,780
फर्नीचर एवं फिक्चर Furniture and Fixtures	609,308	-	-	609,308	574,310	-	-	574,310	34,998	34,998	34,998
कार्यालय उपकरण Office Equipments	17,295,894	-	-	17,295,894	3,033,976	-	-	3,033,976	14,261,918	14,261,918	14,261,918
मोटर वाहन Motor Vehicles	213,235	-	-	213,235	213,235	-	-	213,235	-	-	-
	48,465,116	-	337,671	48,465,116	31,925,420	-	-	31,925,420	16,539,696	16,539,696	16,539,696
(A + B)	51,134,500	71,098	-	50,867,927	33,442,555	187,026	335,051	33,294,530	17,573,911	17,691,945	17,691,945
अमूर्त आस्तियां Intangible Assets -											
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर Computer Software	42,000	-	-	42,000	8,800	8,800	-	17,600	24,400	33,200	33,200
	42,000	-	-	42,000	8,800	8,800	-	17,600	24,400	33,200	33,200
कुल / TOTAL	51,176,500	71,098	337,671	50,909,927	33,451,355	195,826	335,051	33,312,120	17,597,797	17,725,145	17,725,145

NOTE 2.6: नॉन कारेन्ट निवेश/NON-CURRENT INVESTMENTS
(व्यापार-पूर्णतः संदत्त)/(Trade – Fully Paid-up)

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

A. अनकोटड / Unquoted

(आंकड़े ₹ में / Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2012			यथास्थिति As at 31.03.2011		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value
शेयर/SHARES						
विक्रम प्रोजेक्ट लिमि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Vikram Projects Ltd. Equity Share of ₹10/- each	85,500	2,992,500	1	85,500	2,992,500	1
हरप्रताप स्टील लिमि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Harpartap Steel Ltd. Equity Share of ₹10/- each	380,923	3,809,230	1	380,923	3,809,230	1
मौलिक फाइनेन्स एंड रिसोर्ट लिमि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Moulik Finance & Resort Ltd. Equity Share of ₹10/- each	119,700	1,197,000	1	119,700	1,197,000	1
रितेश पालीईस्टर्स लिमि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Ritesh Polyesters Ltd. Equity Share of ₹10/- each	58,300	874,500	1	58,300	874,500	1
कलिंग सीमेंट लिमि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Kalinga Cement Ltd. Equity Share of ₹10/- each	150,000	1,500,000	1	150,000	1,500,000	1
बीसीएल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर BCL Financial Services Ltd. Equity Share of ₹10/- each	6,400	64,000	1	6,400	64,000	1
दीवान सुगर्स लिमि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, Dewan Sugar Ltd. Equity Share of ₹10/- each	650,000	6,500,000	1	650,000	6,500,000	1
दिव्या कैमिकल लि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Divya Chemicals Ltd. Equity Share of ₹10/- each	50	1,538	1	50	1,538	1
टेक्ट्रेक इंडिया लि. (पूर्व में निर्मल मेटल फेब्रिकेटर्स लि. के नाम से ज्ञात) ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Techtrek India Ltd. (Formerly known as Nirmal Metal Fabricators Ltd.) Equity Share of ₹10/- each	10,000	851,900	1	10,000	851,900	1

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2012			यथास्थिति As at 31.03.2011		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value
न्यू सेंचुरी लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट लि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर New Century Leasing and Investments Ltd. Equity Share of ₹10/- each	106,000	2,507,960	1	106,000	2,507,960	1
न्यू इरा अर्बन एमिनिटीस् लि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर New Era Urban Amenities Ltd. Equity Share of ₹10/- each	40,000	757,200	1	40,000	757,200	1
रीजेंट केमिकल्स लि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Regent Chemicals Ltd. Equity Share of ₹10/- each	28,000	795,200	1	28,000	795,200	1
गुजरात फिलामेंट्स लि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Gujrat Filaments Ltd. Equity Share of ₹10/- each	25,000	1,017,500	1	25,000	1,017,500	1
सोलर बिसीफार्म्स लि. ₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Solar Busiforms Ltd. Equity Share of ₹10/- each	126,200	4,181,006	1	126,200	4,181,006	1
निवास स्पिनिंग्स मिल्स लिमि. (बोनस शेयर) Niwas Spinnings Mills Ltd. Equity Share of ₹10/- each (Bonus Share)	1,400			1,400		
कुल/TOTAL		27,049,534	14		27,049,534	14
निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान Provision for Diminution in Investment		27,049,520			27,049,520	

विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2012			यथास्थिति As at 31.03.2011		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value
डिबेंचर/DEBENTURES						
टाटा केपिटल लि. ₹100,000 प्रत्येक के एनसीडी Tata Capital Ltd. NCD of ₹100,000/- each	500	50,000,000	Not available	500	50,000,000	Not available
रिलायन्स केपिटल लि. ₹1,000,000 प्रत्येक के एनसीडी Reliance Capital Ltd. NCD of ₹1,000,000/- each	30	30,000,000	Not available	30	30,000,000	Not available
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कं. लि. ₹100,000 प्रत्येक के एनसीडी Sriram Transport Finance Co. Ltd. NCD of ₹100,000/- each	100	10,000,000	Not available	100	10,000,000	Not available
पटेल इंजीनियरिंग लि. ₹100,000 प्रत्येक के एनसीडी Patel Engineering Ltd. NCD of ₹100,000/- each	200	20,000,000	Not available	200	20,000,000	Not available
कुल/TOTAL		110,000,000			110,000,000	

बी/B. कोटेड/Quoted (आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2012			यथास्थिति As at 31.03.2011		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value
शेयर/SHARES						
मालविका स्टील लि. ₹10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर (अंशतः प्रदत्त) Malvika Steel Ltd. Equity Share of ₹10/- each (Partly paid up)	48,600	1,944,000	1	48,600	1,944,000	1
जुआरी एग्रो केमिकल लि. ₹10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Zuari Agro Chemicals Ltd. Equity Share of ₹10/- each	25	250	12,355	25	250	1
एसीसी लि. ₹10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर ACC Ltd. Equity Share of ₹10/- each	20	1,100	27,189	20	1,100	21,500
टाटा ग्लोबल बेवरेज लि. ₹1/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Tata Global Beverages Ltd. Equity Share of ₹1/- each	2,290	130,049	257,282	2,290	130,049	223,848
एनएचपीसी लि. ₹10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर NHPC Ltd. Equity Share of ₹10/- each	50,000	1,687,575	985,000	50,000	1,687,575	1,267,500
कुल/TOTAL		3,762,974	1,281,827		3,762,974	1,512,850
निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान Provision for Diminution in Investment		2,646,574			2,109,323	

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.
(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2012			यथास्थिति As at 31.03.2011		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value
बंधपत्र/BONDS						
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि ₹100,000 के कर मुक्त बंधपत्र India Infrastructure Finance Co. Ltd. Tax Free Bonds of ₹100,000/- each	500	50,000,000	49,284,400	500	50,000,000	50,000,000
इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन ₹100,000 के कर मुक्त बंधपत्र Indian Railway Finance Corporation Tax Free Bonds of ₹100,000/- each	500	50,000,000	48,050,000	500	50,000,000	50,000,000
कुल / TOTAL		100,000,000	97,334,400		100,000,000	100,000,000

विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2012			यथास्थिति As at 31.03.2011		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value
म्युचुअल फंड						
बिरला सनलाइफ एम एफ एफटीपी आईएनएसटी सीरीज़ सी एक्स -ग्रोथ MUTUAL FUND Birla Sunlife MF FTPInst.Series CX – Growth				2,000,000	20,000,000	20,058,800
डीएसपी ब्लैकरॉक एम एफ फोकस - 25 फंड-ग्रोथ DSP BlackrockMF Focus 25 Fund – Growth			250,000	2,500,000	2,627,750	
एचडीएफसी एम एफ एफएमपी 390डी एमएआर 12(1) - ग्रोथ HDFC MF FMP 390 D Mar 12(1) – Growth	3,800,000	38,000,000	38,026,220			
कोटक एमएफ एफएमपी सीरीज 52 -ग्रोथ Kotak MF FMP Series 52 – Growth	1,250,000	12,500,000	13,347,750			
कुल / TOTAL		50,500,000	51,373,970		22,500,000	22,686,550

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31.03.2012	यथास्थिति/As at 31.303.2011
अनकोटेड निवेश की सकल राशि Aggregate amount of Unquoted Investments	137,049,534	137,049,534
कोटेड निवेश की सकल राशि Aggregate amount of Quoted Investments	154,262,974	126,262,974
कोटेड निवेश का बाजार मूल्य/Market Value of Quoted Investments	149,990,197	124,199,400
निवेश के मूल्य में ह्रास हेतु सकल प्रावधान Aggregate provision for diminution in value of investments	29,696,094	29,158,843

2.7: दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(प्रतिभूत और अच्छे माने गये)/(Secured and Considered good)

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31.03.2012	यथास्थिति/As at 31.303.2011
टेलीफोन जमाराशि/Telephone Deposit	51,000	51,000
पूर्व में किए गए खर्च/Prepaid Expenses	173,430	331,620
अधिकारियों को ऋण एवं उपचित ब्याज/ Loan to Officer and Accrued Interest	628,519	602,245
कुल/TOTAL	852,949	984,865

2.8: चालू निवेश/ CURRENT INVESTMENTS
(ट्रेड- पूर्णतया प्रदत्त)/(Trade – Fully Paid-up)

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2012			यथास्थिति As at 31.03.2011		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value
फिक्स्ड हारिजॉन फंड XIX-सीरीज 11-ग्रोथ Reliance MF Fixed Horizon Fund – XIX –Sr. 11 – Growth			2,000,000	20,000,000	20,101,600	
एसबीआई एमएफ डेट फंड सीरीज 370 दिन-9-ग्रोथ SBI MF Debt Fund Series – 370 Days – 9 –Growth			2,000,000	20,000,000	20,340,000	
डेट फंड सीरीज 367 दिन-18-ग्रोथ Debt Fund Series – 367 Days – 18 –Growth	500,000	5,000,000	5,000,000			
यूटीआई एमएफ यूटीआई ट्रेजरी एडवांटेज फंड दैनिक लाभांश UTI MF UTI Treasury Advantage Fund – Daily Dividend			5,186.259	5,187,369	5,187,369	
एफटी इनकम फंड- सीरीज IX – II (369 दिन) – ग्रोथ FT Income Fund – Series IX – II(369 days) – Growth	1,800,000	18,000,000	19,643,220			
एफएमपी - वार्षिक सीरीज 03/12- ग्रोथ FMP – Yearly Series 03/12 – Growth	1,500,000	15,000,000	15,032,250			
कुल/TOTAL		89,471,243		114,633,041		

2.9: ट्रेड प्राप्य राशि (अप्रतिभूत)/TRADE RECEIVABLES (UNSECURED)

विवरण/Particulars	यथास्थिति /As at 31.03.2012	यथास्थिति /As at 31.03.2011
विविध देनदार/Sundry Debtors		
क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण संदिग्ध समझी गई		
a) Debts outstanding for a period exceeding six months		
Considered doubtful	6,005,077	6,005,077
b) अन्य ऋण/Other Debts	607,669	57,632
	6,612,746	6,062,709
घटाएं : संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		
Less: Provision for doubtful debts	6,005,077	6,005,077
	607,669	57,632

2.10: नकदी एवं नकदी समतुल्य/CASH AND CASH EQUIVALENTS

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति /As at 31.03.2012	यथास्थिति /As at 31.03.2011
बैंकों में शेष/Balances with Banks		
चालू खातों में/In Current Accounts	352,252	3,317,020
हाथ में नकदी/Cash in Hand	1,823	5,349
बैंकों में अन्य शेष/Other Balances with Banks		
रिपोर्टिंग तिथि से 3 माह से अधिक किंतु 12 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली मियादी जमाराशि		
In Term Deposit having maturity period more than 3 months but less than 12 months from the reporting date	91,664,815	50,000,000
कुल/TOTAL	92,018,890	53,322,369

2.11: अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम /

(अप्रतिभूत- अच्छे माने गये)

SHORT TERM LOANS AND ADVANCES
(Unsecured – Considered Good)

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	यथास्थिति /As at 31.03.2012	यथास्थिति /As at 31.03.2011
अग्रिम/		
Advances		
अंतर-कारपोरेट जमा/Inter-corporate Deposit	2,00,000	911,021
घटाएं : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान		
Less : Provision for doubtful deposit	2,00,000	-
अग्रिम आयकर (स्रोत पर काटे गये कर सहित)		
Advance Income Tax (Including Tax Deducted at Source)		106,931,874
अग्रिम अनुषंगी लाभ कर/Advance Fringe Benefit Tax		90,633
अग्रिम सेवा कर/Advance Service Tax		-
प्राप्य ब्याज कर रिफंड/Income Tax Refund Receivable		101,372
पूंजीगत माल हेतु प्रदत्त अग्रिम/Advance paid for Capital Goods	1,464,000	1,464,000
घटाएं : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान		
Less : Provision for doubtful advance	1,464,000	-
अधिकारियों को ऋण एवं उपचित ब्याज		
Loans to Officers and Accrued Interest		183,465
कुल/TOTAL	108,218,365	102,692,283

2.12: अन्य चालू आस्तियां / OTHER CURRENT ASSETS

विवरण/Particulars	यथास्थिति /As at 31.03.2012	यथास्थिति /As at 31.03.2011
किराए पर स्टाक/Stock –On-Hire	11,911,409	11,911,409
घटाएं: अतिदेय वित्तीय प्रभार/Less: Overdue Finance Charges	(2,523,617)	(2,523,617)
घटाएं: किराए पर संदिग्ध स्टाक हेतु प्रावधान		
Less: Provision for doubtful Stock - On – Hire	(9,387,792)	(9,387,792)
प्राप्य ब्रोकरेज/Brokerage Receivable	766,288	315,769
उपचित किंतु अदेय ब्याज/Interest Accrued but not due		
निवेश पर/On Investment	3,798,972	4,795,876
मियादी जमा पर/On Term Deposit	2,489,212	12,430,689
कुल/TOTAL	7,054,472	17,542,334

2.13: परिचालन से आय/REVENUE FROM OPERATIONS

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	समाप्त वर्ष /Year ended on 31.03.2012	समाप्त वर्ष /Year ended on 31.03.2011
मर्चेंट बैंकिंग आय/अन्य शुल्क आधारित आय		
Merchant Banking Income/Other fee based income		
एप्रेजल शुल्क/Appraisal Fee	4,428,037	1,175,000
अरेंजर शुल्क/Arrangers Fee	1,298,972	9,109,863
डिबेंचर/सिक्योरिटी ट्रस्टीशिप फीस/Debenture / Security Trusteeship Fee	908,735	444,167
शेयर मूल्यांकन फीस/Share Valuation Fee	25,000	50,000
अन्य/Others	148,405	4,114
कुल (क)/TOTAL (A)	6,809,149	10,783,144
म्यूचुअल फंड वितरण दलाली/Mutual Fund Distribution Brokerage	3,566,886	15,643,869
पूर्व अवधि की आय-एमएफ ब्रोकरेज/Prior Period Income – MF Brokerage	707,463	-
कुल (ख)/TOTAL (B)	4,274,349	15,643,869
(क+ख)(A + B)	11,083,498	26,427,013

2.14: अन्य आय / OTHER INCOME

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	समाप्त वर्ष /Year ended on 31.03.2012	समाप्त वर्ष /Year ended on 31.03.2011
निवेश आय/Investment Income		
बांड एवं डिबेंचर पर ब्याज/ Interest on Bonds and Debentures	17,734,587	17,691,972
निवेश के विक्रय पर लाभ/Profit on sale of Investments	7,625,094	153,863
म्यूचुअल फंड यूनिट पर लाभांश/Dividend on Mutual Fund Units	2,142,797	5,364,971
शेयरों पर लाभांश/Dividend on Shares	31,025	28,650
स्थिर आसितयों की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of Fixed Assets	-	2,880
कुल (क)/TOTAL (A)	27,533,503	23,242,336
बैंक में मियादी जमा पर ब्याज [(टीडीएस-689,495)		
(पूर्व वर्ष 618,086)] (ख)		
Interest on Fixed Deposits with Bank		
[TDS – 689,495/- (Pre. Year – 618,086/-)] (B)	6,712,833	6,180,841
अन्य/Others		
रिटन बैक किया गया प्रावधान/Provision written back		
अनुपयोज्य आस्तियां/Non Performing Assets	-	1,681,929
अन्य/Others	249	76,988
स्टाफ ऋण पर ब्याज/Interest on Staff Loan	76,072	79,008
विविध आय/Miscellaneous Income	72,446	303,077
पूर्व अवधि की आय/Prior Period Income	15,300	-
कुल (ग)/TOTAL (C)	164,067	2,141,002
(क+ख+ग) (A+B+C)	34,410,403	31,564,179

2.15: कर्मचारी हित संबंधी खर्च / EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	समाप्त वर्ष /Year ended on 31.03.2012	समाप्त वर्ष /Year ended on 31.03.2011
वेतन एवं भत्ते/Salary and Allowances	3,398,157	3,572,635
भविष्य निधि एवं पेंशन फंड में अंशदान Contribution to Provident and Pension Fund	231,568	289,695
स्टाफ कल्याणकारी खर्च/Staff Welfare Expenses	335,812	808,018
चिकित्सा खर्च/Medical Expenses	1,040,073	247,143
कुल/TOTAL	5,005,610	4,917,491

2.16: अन्य खर्च / OTHER EXPENSES

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

विवरण/Particulars	समाप्त वर्ष /Year ended on 31.03.2012	समाप्त वर्ष /Year ended on 31.03.2011
यात्रा एवं वाहन / Travelling and Conveyance	546,714	533,557
प्रकाश एवं विद्युत / Light and Electricity	249,128	252,643
बीमा प्रभार / Insurance Charges	11,446	13,128
अभिदान एवं सदस्यता शुल्क / Subscription and Membership Fees	1,099,711	1,096,035
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक / Auditors Remuneration		
लेखापरीक्षा शुल्क / Audit Fee	25,000	25,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क / Tax Audit Fee	7,000	7,000
सर्टिफिकेशन शुल्क / Certification Fee	5,000	5,000
यात्रा /Travelling	131,441	97,342
निदेशक यात्रा एवं बोर्ड बैठक संबंधी खर्च / Directors Travelling and Board Meeting Expenses	663,670	805,751
मरम्मत एवं रख-रखाव / Repairs and maintenance		
संयंत्र एवं मशीनरी / Plant and Machinery	77,873	79,126
अन्य / Others	455,803	404,134
विविध खर्च / Miscellaneous Expenses	1284,710	1,655,862
पूर्व अवधि के खर्च/Prior Period Expenses	3,747	3,086,370
दरें एवं कर/Rates and Taxes		
निवेश के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान Provision for diminution in value of Investments	537,500	-
कुल/TOTAL	5,098,743	9,326,190

2.17 आकस्मिक देयताएं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है

(क) विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों, जहां कंपनी सफलता की अपेक्षा करती है, के संबंध में विवादित आयकर एवं ब्याज कर देयताएं

निर्धारण वर्ष / Assessment Year	31.03.2012	31.03.2011
2003-04	627.62	627.62
2004-05	-	70.52
2005-06	23.44	23.44
2006-07	15.32	15.32
2007-08	55.18	55.18
2008-09	8.07	8.07
2009-10	142.61	-
कुल / Total	872.24	800.15

कर देयता के आंकड़ों में परिवर्तन अधिमान्य अपील पर एबीएफएल और असंतुष्ट अंशतः जमा पक्षकार के पक्ष में अथवा विरुद्ध पारित आदेश के कारण हुआ है।

(ख) कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे ₹ 1175.76 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 1175.76 लाख)

(ग) कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा वेतन संशोधन हेतु दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। तथापि उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन का मत है कि उसका पक्ष मजबूत है। इसके अतिरिक्त रकम भी नगण्य है।

(घ) कंपनी ने अगस्त 2008 में आस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लि.(21.01.2010 से नाम परिवर्तित: ग्रीनअर्थ रिसोर्सेस एंड प्रोजेक्ट लि) के आईपीओ इश्यू हेतु लीड मैनेजर का कार्य किया। गुजरात एनआरई कोक लि नामक एक अन्य कंपनी ने आस्ट्रल कोक और इसके प्रमोटर्स के विरुद्ध सिविल न्यायालय में एक वाद दाखिल कर दिया तथा मर्चेंट बैंकर, स्वतंत्र निदेशक और लेखापरीक्षकों तथा सालिसिटर्स को पार्टी बना दिया। आल बैंक फाइनेंस ने 04.08.2009 को उक्त सिविल सूट के उत्तर में एक लिखित विवरण दाखिल किया और तब से यह मामला अधिनिर्णय हेतु लंबित है। इस संबंध में आल बैंक फाइनेंस के विरुद्ध कोई विशेष क्षतिपूर्ति अथवा रकम नहीं बनती है।

(ङ) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा उन्हें उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कं. लि. के शेयरों की बिक्री किए जाने हेतु एक मामला दाखिल किया गया है। कानूनी राय के अनुसार कंपनी का विश्वास है कि मामला अनुरक्षणीय नहीं है।

2.18 माननीय विशेष न्यायालय के अनुसार मै. वी.बी. देसाई द्वारा 13.05.1992 को आल बैंक फाइनेंस लि. को सौंपे गए शेयरों को कंपनी के पक्ष में शेयरों में संपत्ति का पूर्ण अंतरण माना गया है। तदनुसार, शेयरों की सुपुर्दगी की तारीख से कंपनी शेयरों की स्वामी बन गई है और उसके बाद उप शेयरों पर घोषित समस्त उपचय और अधिकारों पर इसका हक है। उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप शेयरों के अर्जन को दीर्घावधि निवेश माना गया है।

2.17. Contingent liabilities not provided for :

(a) Disputed Income Tax liability in respect of matters pending before various Appellate authorities where the Company expects to succeed.

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

निर्धारण वर्ष / Assessment Year	31.03.2012	31.03.2011
2003-04	627.62	627.62
2004-05	-	70.52
2005-06	23.44	23.44
2006-07	15.32	15.32
2007-08	55.18	55.18
2008-09	8.07	8.07
2009-10	142.61	-
कुल / Total	872.24	800.15

The change in the figure of the tax liability is due to order passed against or in favour of ABFL, partly deposited and aggrieved, preferred appeal.

(b) Claims against the Company not acknowledged as Debts: ₹ 1,175.76 lakh. (Previous Year ₹ 1,175.76 lakh)

(c) A writ Petition has been filed by some employees of the Company in Delhi High Court for Salary revision. As the Company is of the view that the case is not maintainable and as the amount remains unquantified, no provision has been made.

(d) The Company had acted as lead manager for the IPO issue of Austral Coke & Projects Limited (name changed to Greenearth Resources and Projects Ltd. w.e.f. 21.01.2010) in August, 2008. Another company namely, Gujarat NRE Coke Ltd. filed civil suits against the Austral Coke and its promoters and also made the Merchant Bankers, Independent directors, Auditors and Solicitors as party to the suit. AllBank Finance had filed a written statement on 04.08.2009 in response to the said civil suit and since then the matter is pending for adjudication. There is no quantification of any compensation or amount against AllBank Finance Ltd.

(e) A case has been filed by a private limited company for effecting sale of The Orissa Minerals Development Company Ltd's share to them. According to the latest development, the company is of the view that the case is not maintainable.

2.18. As per the order of the Hon'ble Special Court, the delivery of shares on 13.05.1992, by M/s V B Desai to AllBank Finance Ltd., constituted complete transfer of property in the shares in favour of the Company. Accordingly, the Company became the owner of the shares from the date of delivery of the shares and was entitled to all accretions and rights declared thereafter. Pursuant to the abovementioned order, the acquisition of the shares has been considered as Long Term Investment.

2.19 अग्रिम आयकर, स्रोत पर कर कटौती तथा प्राप्य आयकर वापसी यथास्थिति 31.03.2012 को ₹ 1011.21 लाख (31.03.2011 को ₹ 888.96 लाख) रही। यह राशि मूल्यांकन एवं अपीलों के विभिन्न स्तरों पर समायोजन हेतु लंबित है।

2.19. Advance income tax, tax deducted at source, income tax refund receivable, interest tax refund receivable and advance fringe benefit tax amounted to ₹ 1011.21 lakhs as on 31.03.2012 (₹ 888.96 lakhs as on 31.03.2011) are pending adjustment at various stages of assessments and appeals.

2.20

2.20.

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

	2011-12	2010-11
कर पश्चात लाभ (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त) Profit after Tax (used as Numerator)		
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या / Number of Equity Share at the beginning of the year	28,963,995	27,950,799
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या / Number of Equity Share at the end of the year	1,500,000	1,500,000
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (डिनामिनेटर के रूप में प्रयुक्त) Weighted average number of Equity Shares outstanding during the year (used as denominator)	1,500,000	1,500,000
इक्विटी शेयरों का सामान्य मूल्य / Nomi Nominal value of Equity Share – ₹	1,500,000	1,500,000
प्रतिशेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन / Basic and diluted earnings per Share – ₹	100	100
	19.31	18.63

2.21 चूंकि कंपनी की व्यवसाय गतिविधि एक प्रमुख व्यवसाय खंड अर्थात् पूंजी बाजार और संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं और ये भौगोलिक खंड के अंतर्गत हैं अतः भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस -17) “खंड रिपोर्टिंग” में अपेक्षित खंड रिपोर्ट का प्रकटीकरण प्रयोज्य नहीं है।

2.21. As the company’s business activity falls within a single primary business segment viz. dealing in Capital Markets and allied activities and in a single geographical segment, the disclosure requirements of Accounting Standard (AS – 17) “ Segment Reporting” issued by The Institute of Chartered Accountants of India are not applicable.

2.22: प्रबंध निदेशक की परिलब्धियां / Managing Director’s Remuneration

	2011-12	2010-11
वेतन/Salary	3,29,032	600,000
मकान किराया/House Rent	1,31,613	240,000
भविष्य निधि में अंशदान/Contribution to Provident Fund	39,484	72,000
अन्य लाभ/Other Benefits	1,67,258	321,592
ग्रेच्युटी/ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान/Gratuity/ Provision for Gratuity		
अवकाश नकदीकरण/अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान Leave Encashment/Provision for Leave Encashment	16,873	40,820
	226,092	28,241
कुल / Total	910,352	1,302,653

2.23. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 “आय पर कर हेतु लेखा” के अनुसार कंपनी ने आस्थगित कर का हिसाब रखा है। कंपनी की एनपीए और संदिग्ध आस्तियों पर प्रावधान से उत्पन्न बड़ी मात्रा में आस्थगित कर आस्तियां हैं। तथापि विवेकपूर्ण ढंग से आस्थगित कर देयताओं की सीमा तक ही आस्थगित कर आस्तियों को अभिज्ञात किया गया है और इस प्रकार इसका खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

2.23 In accordance with Accounting Standard 22 - “Accounting for Taxes on Income” issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Company has accounted for deferred tax. The Company has significant amount of deferred tax assets arising out of provisions made on NPA and doubtful debts. However as a matter of prudence, deferred tax assets have been recognized to the extent of deferred tax liability and as such there is no impact of the same in these accounts. The component of deferred tax assets and liabilities are as follows :-

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As on 31.03.2011	वर्ष हेतु ऋण (Charge) /Credit for the year	यथास्थिति/As on 31.03.2012
मूल्यहास के कारण आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability on account of depreciation	5,430,210	229,083	5,201,127
एनपीए और अशोध्य ऋणों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets on account of provision on NPA and doubtful debts	5,430,210	229,083	5,201,127
आस्थगित कर आस्ति/देयताएँ (निवल) Deferred Tax Assets / Liabilities (Net)	-	-	-

2.24. माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता से उपलब्ध सूचना के अनुसार किए गए अभिनिर्धारण में माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित कोई मेक्रो और लघु उद्यम नहीं हैं।	2.24	To the extent identified from the information available from suppliers of goods and services, there are no macro and small enterprises being a supplier as defined under Micro, Small and Medium enterprises Development Act, 2006.
2.25. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-28) “इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स” के अनुसार कोई अनर्जक हानि नहीं है।	2.25	There is no impairment loss in terms of the Accounting Standard (AS 28) – “ Impairment of Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
2.26. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-18) “संबंधित पार्टी प्रकटीकरण” के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण निम्नानुसार है। होल्टिंग कंपनी-इलाहाबाद बैंक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक-श्री प्रसाद आकोलकर, एमडी एवं सीईओ (18.10.11 तक)	2.26	Related Party disclosures as required in terms of Accounting standard (AS 18) – “ Related Party Disclosures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under : Holding Company – Allahabad Bank Key Management Personnel - Mr. Prasad Akolkar, MD & CEO (up to 18.10.11)

होल्टिंग कंपनी / Holding Company

(In ₹)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/Key Management Personnel	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
स्थिर जमा पर ब्याज/Interest on Fixed Deposit	6,712,833	6,180,841		
प्रबंधन संविदाएं/Management Contracts	780,300	314,791		
सेवा प्राप्ति/Receiving of Services	253,185	256,571		
परिलब्धियां/Remuneration	-	-	910,352	1,302,653
मियादी जमा/Term Deposit	91,664,815	50,000,000		
चालू जमा/Current Deposit	352,252	3,317,020		
लेनदार/Creditors	858,965	12,495		

उपर्युक्त संबंधित पार्टी की सूचना उस सीमा तक ही प्रकट की गई है जितना उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

The above related party information is disclosed to the extent such parties have been identified by the management on the basis of information available. This is relied upon by the auditors.

2.27. प्रबंधन की राय में, कंपनी के सामान्य व्यवसाय में चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम का वसूलीगत मूल्य है जो कम से कम तुलन	2.27	In the opinion of the Management, current assets, loans & advances have a value on realization in the
---	-------------	---

पत्र में दर्शाई गई राशि के बराबर है।

2.28. वर्ष 2007-08 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार निवेशों की होल्डिंग जैसे टाटा मोटर्स-17,040 इक्विटी शेयर, ओएमडीसी लि.-6,600 इक्विटी शेयर और विनसम यार्न -7,800 इक्विटी शेयर, के संबंध में इलाहाबाद बैंक फोर्ट शाखा डिपॉजिटरी में विधिवत एक पृथक डिपॉजिटरी खाता क्लाइंट आईडी-10123882 के साथ खोला गया।

2.29. इलाहाबाद बैंक नॉमिनी लि. (वर्तमान में ऑलबैंक फाइनेंस लिमि.) अभिरक्षक सेवाओं में संलिप्त थी। कंपनी अपने नियमित व्यवसाय के दौरान इलाहाबाद बैंक और इसके क्लाइंटों की ओर से प्रतिभूतियाँ धारण करती हैं। इस प्रकार इलाहाबाद बैंक नॉमिनी लि. इन प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। ये सभी प्रतिभूतियाँ इलाहाबाद बैंक नॉमिनी लि के नाम थी सिवाय टाटा मोटर्स, ओएमडीसी लि. और विनसम यार्न की प्रतिभूतियों के जो कि आल बैंक फाइनेंस लि. के डिपॉजिटरी खाते में रखी गई हैं। इनमें से किसी भी प्रतिभूति को कंपनी की बहियों में आसित नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा 31 मार्च 2012 तक इन कंपनियों से प्राप्त ₹ 7055148 लाख के लाभांश को भी कंपनी की बहियों में आय नहीं माना गया है और इन्हें चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है।

कंपनी ने इस संबंध में स्वतंत्र विधिक राय भी ली है जिसके अनुसार आल बैंक फाइनेंस लि. इन शेयरों की स्वामी नहीं हो सकती है। विधि राय यह भी कहती है कि इलाहाबाद बैंक इन शेयरों को आल बैंक फाइनेंस लि. से अपने नाम अंतरित कराने के लिए कानूनी रूप से हकदार है।

2.30. स्रोत पर की गई कर कटौती की राशि के संबंध में खातों में दिखाई देने वाली ₹ 21194220 की रकम वित्तीय वर्ष 2001-02 से पहले की अवधि से संबंधित है। कंपनी ने संबंधित कर निर्धारण वर्ष हेतु दायर की गई/अंतिम रूप दी गई/लंबित आयकर विवरणियों के संबंध में इन प्रविष्टियों के समाधान हेतु एक टैक्स कंसलटेंट नियुक्त किया है। टैक्स कंसलटेंट ने अपनी अंतिम रिपोर्ट/निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं जिसमें कंपनी की बहियों में कतिपय समायोजन का सुझाव दिया गया है और प्रबंधन प्रविष्टियों के समायोजन के सुझाव को प्रभावी करने से पूर्व एक अन्य स्तंत्र टैक्स कंसलटेंट की राय प्राप्त करने की इच्छुक है।

2.31 कंपनी ने नई दिल्ली के अपने प्रस्तावित कार्यालय हेतु सितम्बर 2011 में ₹ 84134/- का फर्नीचर खरीदा है यह कार्यालय वित्तीय वर्ष 2012-13 में चालू हो जाएगा। इस प्रकार इसे स्थिर आस्तियों में पूंजी डब्ल्यूआईपी के रूप में दर्शाया गया है और इसलिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान इन आस्तियों पर मूल्यहास नहीं किया गया है।

2.32. कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006 में अधिसूचित लेखा मानक 15 "कर्मचारी लाभ" के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नीचे दिए गए हैं

ordinary course of the Company's business which is at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

2.28 As per the audit observation made in audit report of the year 2007-08, separate depository account vide client ID - 10123882 with Allahabad Bank, Fort Branch Depository, had been duly opened in regard to the holding of investments, such as Tata Motors - 17,040 equity shares, OMDL Ltd. - 6,600 equity shares and Winsome Yarns - 7,800 equity shares.

2.29 Allahabad Bank Nominees Ltd. (presently named AllBank Finance Ltd.) was engaged in custodial services. The Company, in regular course of business, used to hold securities on behalf of Allahabad Bank and its clients. Allahabad Bank Nominees Ltd., as such, was acting as Custodian of these securities. All these securities are in the name of Allahabad Bank Nominees Ltd. except securities of companies namely Orissa Mineral Development Company Ltd., Tata Motors Ltd., Winsome Yarns Ltd. which are held in the DP Account of AllBank Finance Ltd. None of these securities are considered as assets in the books of the Company. Moreover, dividend amounting to ₹ 70,55,148/- received by Company till 31st March, 2012 from these companies has not been considered as income in the books of the Company and the same has been shown as current liabilities.

The Company has also obtained independent legal opinion in this regard as per which, AllBank Finance Limited is not / could not be the owner of these shares. The legal opinion also says that Allahabad Bank is legally entitled to have the shares transferred in their name from AllBank Finance Limited.

2.30 With regard to the Tax deducted at Source (TDS), amounting to ₹ 2, 11,94,220 appearing in the accounts pertaining to periods prior to the FY 2001-02, the company appointed a Tax Consultant for reconciliation of these entries with reference to income tax returns filed / finalized/ pending for the relevant assessment years. The Tax consultant has submitted its final report / findings suggesting some adjustments in the books of the company and the management is desirous of obtaining opinion from another independent Tax Consultant in the matter before giving effect of the suggested adjustment entries.

2.31 The company has purchased furniture amounting to ₹ 84,134/- in Sept, 2011 for its proposed New Delhi office which is scheduled to be operational during the FY 2012-13. As such, the same has been shown in the Fixed Assets as Capital W.I.P. and therefore no depreciation has been booked on such assets during the FY 2011-12.

2.32 The disclosures required under Accounting Standard 15 "Employee Benefits" notified in the Companies (Accounting Standards) Rules 2006, are given below :

परिभाषित अंशदान योजना

भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान ₹ 2,31,568 (पिछला वर्ष - ₹ 2,89,695)

परिभाषित लाभ योजना

ग्रैज्युटि और अवकाश से संबंधित दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

क. परिभाषित लाभ दायित्व के अथ और इति शेष का समाधान

Defined Contribution Plan

Employer's Contribution to Provident Fund: ₹ 2,31,568/- (Previous Year – ₹ 2,89,695/-)

Defined Benefit Plan

The present value of obligation relating to gratuity and leave is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.

a. Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit Obligation Gratuity

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

	2011-12	2010-11
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व/ Defined Benefit obligation at beginning of the year	528,552	738,259
चालू सेवा लागत /Current Service Cost	113,323	118,061
ब्याज लागत /Interest Cost	43,606	62,843
बीमांकिक हानि/(लाभ) /Actuarial Losses / (Gain)	(173,128)	(19,246)
अदा किए गए लाभ /Benefits Paid	(144,231)	(371,365)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व / Defined Benefit obligation at year end	368,122	528,552

ख. नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य के अथ और इति शेष का समाधान

b. Reconciliation of Opening and closing balances of fair value of plan assets

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

	2011-12	2010-11
वर्ष के प्रारंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य / Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ / Expected return on plan Assets	-	-
बीमांकिक लाभ/(हानि)/Actuarial Gain / (Losses)	-	-
कर्मचारी का अंशदान/Contributions by Employer	144,231	371,365
अदा किए गए लाभ/Benefits Paid	(144,231)	(371,365)
वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at year end	-	-

ग. आस्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान

c. Reconciliation of fair value of assets and obligations

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

	31 st March 2012	31 st March,2011
नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य/Fair value of Plan Assets		
दायित्व का वर्तमान मूल्य/Present value of obligation	368,122	528,552
तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि/Amount recognized in Balance Sheet	368,122	528,552

घ. वर्ष के दौरान अभिज्ञात खर्च

d. Expenses recognised during the year

(आंकड़े ₹ में /Figures in ₹)

	2011-12	2010-11
चालू सेवा लागत/Current Service Cost	113,323	118,061
ब्याज लागत/Interest Cost	43,606	62,843
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ/Expected return on Plan Assets	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि /Actuarial (gain) / loss	(173,128)	(19,246)
लाभ-हानि खाते में अभिज्ञात व्यय/Expenses Recognized in Profit and Loss Account	(16,199)	161,658

ड बीमांकिक पूर्वानुमान
मोर्टैलिटी टेबल : एलआईसी (1994-1996) अंतिम

e. Actuarial assumptions
Mortality Table : LIC (1994 – 1996) Ultimate

समाप्त वर्ष/Year ended	31 st March 2012	31 st March,2011
भुनाई दर (प्रति वर्ष)/Discount rate (per annum)	8.75%	8.25%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)/ Salary Escalation (per annum)	7.00%	7.00%

2.33. जहाँ कहीं आवश्यक है वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है जिससे इन्हें चालू वर्ष के सदृश्य आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

2.33 Previous year's figures have been rearranged / regrouped wherever necessary, to make those comparable with the corresponding figures for the current year.

नोट 2.1 से 2.33 के के हस्ताक्षरकर्ता
Signatories to Notes 2.1 to 2.33

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के द्वारा/Vide our Report of even date
कृते डे एंड बोस/For De & Bose
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

जे पी दूआ/J.P.Dua
अध्यक्ष/Chairman

सुबीर दास/Subir Das
निदेशक/Director

सुब्रत डे/Subrata De
पार्टनर/Partner
सदस्यता सं. 54962/Membership No.54962
फर्म पंजीकरण संख्या 302175E/Firm Registration No.302175E

एम.आर. नायक/M R Nayak
निदेशक/Director

ए.बी. भट्टाचार्य/A.B. Bhattacharjee
निदेशक/Director

स्थान/Place : कोलकाता/ Kolkata
दिनांक/Date : 28.4.2012

श्रेया शाह/Shreya Shah
कंपनी सचिव/Company Secretary

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITORS' REPORT

सेवा में सदस्यगण,
आलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड,

TO THE MEMBERS

AllBank Finance Limited.

- हमने 31 मार्च, 2012 को यथास्थिति ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड के तुलन पत्र, और उसके साथ संलग्न उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखापरीक्षा की है। जिन पर हमने रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किए हैं। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।
 - हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्त्विक अशुद्ध विवरण से मुक्त है। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर, राशि को प्रकट करने वाले साक्ष्यों की जाँच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण की जाँच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों सहित समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।
 - कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार, भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के द्वारा यथासंशोधित, में यथापेक्षित तथा कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जाँच, जिसे हमने उपयुक्त समझा है, के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित विषयों पर एक विवरण अनुबंध के रूप में इसके साथ संलग्न करते हैं।
 - कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड में मर्चेन्ट बैंकर हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु 25.07.2011 को आवेदन प्रस्तुत किया है। इससे पूर्व कंपनी 11.05.2005 तक भारतीय रिजर्व बैंक में गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत थी। हालांकि गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के अंतर्गत गतिविधियां बंद कर दी गई थीं किंतु पिछली गतिविधियों से संबंधित कुछ खाते अभी भी चल रहे हैं।
 - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2000" द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई क्योंकि कंपनी 25.07.2005 से मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनी बन गई है।
 - उपर्युक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 से 5 में हमारी टिप्पणी के अलावा, नोट 2.29 एवं नोट 2.30 से लेखा पर टिप्पणी का संदर्भ कर लें, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
 - हमारी राय में, जहाँ तक बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है, कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षा के अनुरूप समुचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं।
- We have audited the attached Balance Sheet of **AllBank Finance Limited** as at 31 st March , 2012 , the related Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto, which we have signed under reference to this report. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
 - We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
 - As required by the Companies (Auditors' Report) Order, 2003, as amended by the Companies (Auditor's Report) Order,2004 , issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956 and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.
 - The Company has submitted application for renewal of certificate of registration as a Merchant Banker at Securities and Exchange Board of India effective from 25.07.2011. Earlier to this, the Company was registered with Reserve Bank of India as Non Banking Finance Company upto 11.05.2005. Though the activities under Non Banking Finance Companies had been discontinued, some accounts of past activities are still continuing.
 - As required by "Non Banking Financial Companies Auditors Report (Reserve Bank) Directions, 2000", issued by the Reserve Bank of India , no report is made as the Company became Merchant Banking Company with effect from 25.07.2005.
 - Further to our comments in paragraphs 3 to 5 above and refer to Note 2.29 and Note 2.30 of Notes of Accounts , we report that :
 - We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

- ग) इस रिपोर्ट में समाहित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
- घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट के संबंध में तुलन पत्र, लाभ एवं हानि **विवरण** और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार हैं;
- ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों तथा बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि 31 मार्च, 2012 को यथास्थिति कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खण्ड (जी) के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।
- च) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय लेखे एवं जो कि लेखा नीतियों के साथ पठित हैं तथा उनकी टिप्पणियाँ जो संलग्न हैं, कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित रूप में जानकारी प्रदान करती हैं एवं सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करती हैं:
- i) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च 2012 को कंपनी की स्थिति;
- ii) लाभ-हानि **विवरण** के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी का लाभ; तथा
- iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह।
- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d) In our opinion, the Balance Sheet , the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by these report comply with the accounting standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ;
- e) On the basis of written representations received from the Directors and taken on record by the Board of Directors, we report that none of the directors is disqualified as on March 31, 2012 from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956;
- f) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements and read together with the accounting policies and other notes thereon give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :
- i) in the case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2012;
- ii) in the case of the Statement of Profit and Loss , of the profit for the year ended on that date ; and,
- iii) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flow for the year ended on that date.

दिनांक : 28 अप्रैल, 2012
स्थान: कोलकाता

सुब्रत डे
पार्टनर
सदस्यता सं. 54962
कृते डे एंड बोस
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302175E

Date: 28th April, 2012
Place : Kolkata

Subrata De
Partner.
Membership No. 54962
For & on behalf of
DE & BOSE
Chartered Accountants
Firm Registration No. 302175E

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 3 में
संदर्भित अनुबंध
सं. आलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड

Annexure referred to in paragraph 3 of our
report of even date
Re: AilBank Finance Limited

1. (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं अचल आस्तियों की स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दिखाने के लिए समुचित रिकार्ड का रखरखाव किया है।
(ख) यह स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा समस्त आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, परन्तु सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम प्रचलित है जो हमारे विचार में कंपनी के आकार एवं इसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए तर्कसंगत है। बहियों के अभिलेख और भौतिक इन्वेंटरी के बीच कोई विसंगति नहीं पाई गई।
(ग) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी अचल सम्पत्ति के भाग का निपटान नहीं किया है।
 2. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार सामानों की सूची की आवश्यकता नहीं है।
 3. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, प्रतिष्ठान या पार्टी को/से न कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण दिया है न ही उनसे लिया है।
(ख) ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी ने किराया खरीद अथवा पट्टा करार या अन्तर कारपोरेट जमाओं के अंतर्गत अग्रिम दिया है, ब्याज दर एवं अन्य शर्तें एवं अनुबंध, प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।
(ग) मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान की वसूली कंपनी द्वारा की जाती है। चूक के मामलों में अनुपयोज्य आस्तियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कंपनी द्वारा पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
(घ) ऐसे मामलों में जहाँ अतिदेय राशि रुपया एक लाख से अधिक है, कंपनी द्वारा मूलधन एवं ब्याज की वसूली हेतु उचित कदम उठाए गए हैं।
 4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, बहियों और कंपनी के अभिलेखों की जांच तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने न तो आंतरिक नियंत्रण में बड़ी खामियों को सुधारने में लगातार विफल रहने का कोई मामला पाया है और न ही हमें इसकी सूचना दी गई है।
 5. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में अभिलिखित करने की आवश्यकता हो।
 6. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए, 58एए अथवा अन्य संगत उपबंध और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
1. a. The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situations of its fixed assets.
b. It has been explained that all the assets have not been physically verified by the management during the year, but there is a regular program of verification which , in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its assets. No material discrepancies between the book records and the physical inventory have been noticed.
c. In our opinion and according to the information and explanations given to us, no part of the fixed assets has been disposed of by the Company during the year.
 2. The nature of business of the Company does not warrant holding of inventory.
 3. a. The Company has not granted or taken any loans , secured or unsecured, to / from companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 .
b. In cases where the Company has made advances under Hire Purchase , Leases Agreements or Inter Corporate Deposit, the rate of interest and other terms and conditions are, prima facie, not prejudicial to the interests of the Company.
c. Payments of the principal amount and interest are being recovered by the Company. In cases of default, adequate provisions have been made by the Company, in accordance with norms laid down by the Reserve Bank of India, in the matter of Non Performing Assets.
d. In cases where the overdue amount is more than Rupees one lakh, reasonable steps have been taken by the Company for the recovery of the principal and interest.
 4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business. Further, on the basis of our examination of the books and the records of the Company and according to the information and explanations given to us, we have neither come across nor have been informed of any continuing failure to correct major weaknesses in the aforesaid internal control system.
 5. According to the information and explanations given to us, the Company has not entered into transactions which require to be recorded in a register in pursuance of Section 301 of the Companies Act.
 6. The Company has not accepted any deposit from the public under Sections 58A , 58AA or any other relevant provision of the Companies Act, 1956 and the rules framed thereunder.

7. हमारी राय में कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार कंपनी के पास सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्म से लेखा परीक्षा कराने की एक आंतरिक प्रणाली है।
8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत कंपनी को लागत रिकार्ड एवं लेखा रखने हेतु निर्धारित नहीं किया है।
9. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, उप कर तथा अन्य तात्त्विक सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय को समुचित प्राधिकारियों को जमा करने के मामले में नियमित है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2012 को यथास्थिति देय सांविधिक बकाया का विवरण निम्नानुसार है जो विवाद के कारण जमा नहीं किए गए।
7. The Company has an internal audit system by an outside firm of Chartered Accountants which is in our opinion commensurate with its size and nature of business.
8. The Central Government has not prescribed maintenance of cost records and accounts under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956, to the Company.
9. a. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, income tax, service tax, cess and other material statutory dues as applicable with the appropriate authorities.
- b. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the details of statutory dues as on 31st March, 2012, not deposited on account of dispute, are as under :

सांविधि का नाम Name of the Statute	देय राशि का स्वरूप Nature of the Dues	किस मंच पर विवाद लंबित है Forum where the dispute is pending	राशि (₹ लाख में) Amount (₹ in lacs)
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2003-04 Income Tax A.Y. 2003-04	आई.टी.ए.टी. कोलकाता बेंच I.T.A.T. Kolkata Bench	627.62
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2005-06 Income Tax A.Y. 2005-06	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	23.44*
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर निर्धारण वर्ष 2006-07 Income Tax A.Y. 2006-07	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	15.32*
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2007-08 Income Tax A.Y. 2007-08	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	55.18*
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2008-09 Income Tax A.Y. 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	8.07
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2009-10 Income Tax A.Y. 2009-10	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	142.61

* कंपनी को निर्धारण वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 हेतु आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश प्राप्त हो गए हैं। आदेश प्रभावी होने की तारीख निर्धारित अधिकारी से अभी प्राप्त होना है।

* The Company have received order from CIT(A) for A.Y. 2005-06, A.Y. 2006-07 and A.Y. 2007-08. Order effect is yet to be received from the Assessing Officer.

10. कंपनी का 31 मार्च 2012 को कोई संचयी घाटा नहीं है और उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष में एवं उससे तत्काल पूर्व के वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं उठाया है
11. हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचर धारकों के पास कंपनी का कोई बकाया नहीं है।
10. The Company has no accumulated losses as at 31st March, 2012 and it has not incurred any cash losses in the financial year ended on that date and in the immediately preceding financial year.
11. According to the records of the Company examined by us and the information and explanation given to us, the Company has no dues towards financial institutions, banks and debenture holders.

- | | |
|---|---|
| <p>12. ऐसे मामलों में जहाँ किराया खरीद एवं पट्टा करार के अंतर्गत अग्रिम दिए गए हैं, कंपनी ने पर्याप्त अभिलेख एवं दस्तावेज का रखरखाव किया है।</p> <p>13. कंपनी पर चिटफंड या निधि/म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी पर प्रयोज्य विशेष संविधि के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।</p> <p>14. कंपनी शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर एवं अन्य निवेशों की डीलिंग अथवा ट्रेडिंग नहीं करती है। कंपनी ने शेयर निर्गम की अंडरराइटिंग तथा विगत वर्षों में विशेष अदालत मुम्बई के निर्देशों के अंतर्गत एक दावे का निपटारा करने पर शेयर अधिगृहीत किए हैं और दीर्घावधि निवेश के रूप में भी बांड और डिबेंचर अर्जित किए हैं। कंपनी ने ऐसे लेनदेनों का समुचित रिकार्ड रखा है तथा कंपनी अपने नाम से शेयर, बांड और डिबेंचर रखती है।</p> <p>15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी अन्य के द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। अतएव, आदेश के खंड-4 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।</p> <p>16. अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल वर्ष में कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है। अतएव, आदेश के खंड-4 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।</p> <p>17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच करने पर हमारी राय है कि अल्पकालिक आधार पर ऐसी कोई निधि नहीं उगाही गई है जिसका प्रयोग दीर्घकालिक निवेश हेतु किया गया हो।</p> <p>18. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को वर्ष के दौरान अधिमानी शेयरों का आबंटन नहीं किया है।</p> <p>19. कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 4(xix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।</p> <p>20. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए धन की उगाही नहीं की है।</p> <p>21. भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा परिपाटियों के अनुसार हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों और बहियों की जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान न तो कंपनी में या कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी किए जाने की घटना हमारे सामने आई, न इसकी जानकारी मिली, न ऐसी कोई रिपोर्ट की गई है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसी किसी घटना की सूचना दी गई है।</p> | <p>12. The Company has maintained adequate records and documents where advances have been made under hire purchase and leases agreements.</p> <p>13. The provisions of any special statute applicable to chit fund or a nidhi / mutual benefit fund / societies are not applicable to the Company.</p> <p>14. The Company is not dealing or trading in shares , securities, debentures and other investments. The Company has acquired shares on account of underwriting share issue and also in settlement of a claim under directions of The Special Court, Mumbai in the previous years and has also acquired debentures and bonds as long term investments. The Company has maintained proper records of such transactions and the shares, debentures and bonds are held by the Company in its own name.</p> <p>15. According to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions and therefore the provisions of Clause 4 (xv) of the Order are not applicable to the Company.</p> <p>16. As per records, the Company has not taken any term loan during the year covered under audit and therefore the provisions of Clause 4 (xvi) of the Order are not applicable to the Company.</p> <p>17. Based on the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, in our opinion, there are no funds raised on a short term basis which have been used for long term investment.</p> <p>18. The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 during the year.</p> <p>19. The Company has not issued any debentures . Accordingly, the provisions of Clause 4 (xix) of the Order are not applicable to the Company.</p> <p>20. The company has not raised any money by public issue during the year.</p> <p>21. During the course of our examination of books and records of the Company, carried out in accordance with generally accepted auditing practices in India and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any incidence of fraud on or by the Company, noticed or reported during the year, nor have we been informed of any such case by the management.</p> |
|---|---|

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28.04.2012

सुब्रत डे
पार्टनर
सदस्यता सं. 54962
कृते डे एंड बोस
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 302175E

Place : Kolkata
Date: 28.04.2012

Subrata De
Partner
Membership No. 54962
For & on behalf of
DE & BOSE
Chartered Accountants
Firm Registration No. 302175E

इस पृष्ठ को इरादतन खाली छोड़ा गया है
This page is left intentionally Blank

**सूचीबद्धता करार के खंड 49V के
अनुसरण में प्रमाणपत्र**

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इलाहाबाद बैंक


यह प्रमाणित किया जाता है कि-

- (क) हमने वर्ष 2011-2012 हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
- i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है।
 - ii) ये विवरण बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं।
- (ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।
- (ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन की उन विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं और इन विसंगतियों के परिशोधन हेतु हमने जो कदम उठाए हैं, उसे लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है।
- (घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को यह दर्शाया है कि-
- (i) वर्ष 2011-12 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।
 - (ii) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
 - (iii) धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं जिनकी हमें जानकारी हुई और जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।



(ए. बी. भट्टाचार्य)

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ



(जे. पी. दूआ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 05.05.2012

**CERTIFICATE PURSUANT TO CLAUSE 49V
OF THE LISTING AGREEMENT**

To
The Board of Directors
Allahabad Bank

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2011-2012 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to the financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls of which we are aware and the steps we have taken to rectify the deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - (i) that no significant changes in internal control over financial reporting has been made during the year 2011-12,
 - (ii) that no significant changes in accounting policies has taken place during the year,
 - (iii) the instances of significant fraud of which we become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



(A. B. Bhattacharjee)
General Manager (F & A) & CFO



(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

Place: Kolkata
Date: 05.05.2012

ईसीएस मेंडेट हेतु फार्म/बैंक खाता विवरण (भौतिक शेरधारकों हेतु)

मैं/हमएतद्द्वारा मेरा लाभांश ईसीएस द्वारा सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करने हेतु इलाहाबाद बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/हैं:

मेरा/हमारा फालियो सं. एएलबी

शेरों की संख्या

बैंक खाते का विवरण

- क. बैंक का नाम : _____
- ख. शाखा का नाम (केवल सीबीएस शाखा) : _____
पता(केवल अधिदेश हेतु)
- ग. एमआईसीआर चेक पर उल्लिखित : _____
बैंक और शाखा की 9 अंकों की कूट सं
- घ. खाते का प्रकार (बचत/चालू) : _____
- ड. चेकबुक में उल्लिखित खाता संख्या : _____
- च. शेरधारक का एसटीडी कोड और टेलीफोन संख्या : _____

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि गलत और अधूरी सूचना देने के कारण लेनदेन में विलम्ब होता है अथवा लेनदेन नहीं हो पाता है तो मैं इलाहाबाद बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा।

सेवा में

मे0 एमसीएस लिमिटेड
यूनिट: इलाहाबाद बैंक
77/2ए, हाजरा रोड
कोलकाता-700 029

शेरधारक के हस्ताक्षर

कोड संख्या की सटीकता के सत्यापन हेतु कृपया अपने उक्त खाते से संबंधित चेक पत्रों की फोटोप्रति अथवा निरस्त किया गया कोरा चेक संलग्न करें।

यदि आप डिमेट फार्म में शेर धारण कर रहे हैं तो कृपया अपना ईसीएस मेंडेट संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को उसके द्वारा निर्धारित फार्मेट में भेजें।

नोट : ईसीएस के माध्यम से लाभांश जमा करने हेतु बैंक शाखा सीबीएस के तहत होनी चाहिए।

FORM FOR ECS MANDATE/BANK ACCOUNT PARTICULARS (FOR PHYSICAL HOLDERS)

I/We----- do hereby authorize Allahabad Bank to credit my dividend amount directly to my bank account by ECS.

My/Our Folio No. ALB

No. of Shares

Particulars of Bank Account

- A. Bank Name : _____
- B. Branch Name(only CBS Branch) : _____
Address (for mandate only) : _____
- C. 9 Digit Code No. of the Bank & Branch
Appearing on the MICR Cheque
- D. Account Type (Saving/Current) : _____
- E. Account No. as appearing in the Cheque Book : _____
- F. STD Code & Telephone No. of shareholder : _____

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold Allahabad Bank responsible.

Mail to

M/S MCS Limited
Unit: Allahabad Bank
77/2A, Hazra Road
Kolkata-700 029

Signature of the shareholder

Please attach a photocopy of a 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

In case you are holding shares in demat form, kindly send the ECS Mandate to the concerned Depository Participant directly, in the format prescribed by the DP.

Note: For credit of dividend through NECS the Bank Branch should be under CBS.

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाना है)

दिन एवं तारीख: गुरुवार, 14 जून, 2012

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : कोलकाता

मैं एतद्वारा इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/ डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारक (कों)/परोक्षी/शेयरधारक (कों) के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित (वही हस्ताक्षर करें जो बैंक में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर हैं) उक्त उपस्थिति-पर्ची प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

✂ ----- ✂

इलाहाबाद बैंक

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

उपस्थिति शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/ डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

नोट : बैठक के दौरान उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

कृपया संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ ले कर आएँ।

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE: 2, Netaji Subhas Road Kolkata- 700 001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the venue)

Day & Date: Thursday, the 14th June, 2012

Time : 10.30 A.M.

Place: KOLKATA

I hereby record my presence at the Tenth Annual General Meeting of the shareholders of the Allahabad Bank:-

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative Present	
Regd. Folio No. /DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Shareholder(s)/proxy/authorized representative of shareholder(s) are requested to produce the above attendance slip, duly signed, (same as their specimen signatures registered with the Bank), along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verifications, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance of the venue of the meeting.

✂ ----- ✂

ALLAHABAD BANK

Entry Pass

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative Present	
Regd. Folio No./ DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Note : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

Please bring your copy of Annual Report.

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड

कोलकाता : 700 001

फार्म 'बी'

परोक्षी (प्रॉक्सी) हेतु फार्म

(शेयरधारक सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

रजिस्टर्ड फोलियो नं. डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी

मैं/हम राज्य के जिले में स्थित
..... का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा राज्य के
जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उसकी अनुपस्थिति में
..... राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती
को गुरुवार 14.06.2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे पूर्वश्री आडिटोरियम ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201,
सेक्टर III सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 106 में सम्पन्न होने वाली इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम सभा में और उसके किसी
स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना परोक्षी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

इस पर.....2012 के.....दिन हस्ताक्षर किये।

कृपया 1 रुपए
का रसीदी
टिकट चिपकाए

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परोक्षी के हस्ताक्षर

परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- परोक्षी लिखत तभी वैध होगी जब
 - व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके /उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - किसी निगमित निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- जिस परोक्षी लिखत पर शेयरधारक अंगूठा निशान, अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
- प्रॉक्सी के साथ
 - मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् **शनिवार 9 जून 2012** को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 2.00 बजे या उससे पहले दौरान या उससे पहले इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा इसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामा की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो।
- बैंक में जमा किया गया परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगा।
- यदि परोक्षी लिखत बैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक फार्म - 'बी' पर न हो।

ALLAHABAD BANK
H.O: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Form "B"
Form of Proxy
(To be filled in and signed by the shareholder member)

Regd. Folio No./DPID & Client ID
--

I/We _____ resident of _____ in
the district of _____ in the state of _____
_____ being a share holder(s) of Allahabad Bank,, hereby appoint Shri/Smt. _____
_____ resident of _____ in the district of _____
_____ or failing him/her. Shri/Smt _____
_____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____
_____ as my /our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Tenth Annual General
Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on Thursday, the 14th June 2012 at 10.30 a.m. at Purbashree
Auditorium, Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106,
and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2012

.....
Signature of the Proxy

Please affix One Rupee Revenue Stamp

Signature of the First/Sole Holder

Name

Address

.....

.....

Instructions for signing and lodging the Proxy form:

1. The instrument of proxy to be valid
 - (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or his/her attorney duly authorized in writing.
 - (b) In case a joint holder, shall be signed by the shareholder whose names appear first in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - (c) In case of body corporate, shall be signed by its officer duly authorised in this behalf and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
 - (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - (b) a copy of that power of Attorney or Authority , certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Head Office of Allahabad Bank, not later than **FOUR DAYS** before the date of Tenth Annual General Meeting, i.e. upto 2.00 p.m. on **Saturday, the 9th June, 2012.**
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Share Transfer Agent , the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and signed.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".